दश माला, खंड 16, अंक 25

NOT TO BE ISSUED

गुरुवार, 19 अप्रैल, 2001
29 चैत्र, 1923 (शक)

FOR REFFRNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....51.....
Date.....18/12/01.....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 25, गुरुवार, 19 अप्रैल, 2001/29 चैत्र, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 465	2–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 466 से 480	31–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 4795 से 5024	65–423
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भू-तुल्यकारी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का प्रक्षेपण	423–425
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	423
श्रीमती सोनिया गांधी	424
अध्यक्ष महोदय	425
सभा पटल पर रखे गए पत्र	426
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	426–427
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	427
लोक लेखा समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	427
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	427–428
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां तथा बाईसवां प्रतिवेदन	428
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	428
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन	429
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
बारहवां, तेरहवां और चौदहवां प्रविदेन	429–430

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां, उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन	430
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
इकहत्तरवां, बहत्तरवां और तिहत्तरवां प्रतिवेदन	430–431
नियम 377 के अधीन मामले	431–438
(एक) बिहार के छपरा जिले में केशरिया साहेबगंज रोड पर लाला छपरा चौक के निकट बौद्ध स्तूप को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	431
(दो) वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर सुन्दर लाल अस्पताल में होम्योपैथी विभाग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	432
(तीन) राजस्थान में संगमरमर उद्योग को लघु उद्योग श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासासिंह रावत	432
(चार) उड़ीसा के गोपालपुर में बरहामपुर विश्वविद्यालय में सामुद्रिक संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	433
(पांच) झारखंड़ के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों के गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	433
(छह) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	434
(सात) कर्नाटक में एम.एस.के. टेक्सटाइल मिल्स को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	434
(आठ) नए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक संगठन के लिए प्रवेश बिन्दु मानदण्डों में छूट देने वाले कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी.एस. बसवराज	435
(नौ) केरल के वयनाड़ जिले में पथियन, कालामाडी, कुन्दुवाडियार और थवंदादन मूप्पन समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. मुरलीधरन	435
(दस) उत्तरी बंगाल का सर्वांगीण विकास के किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	436
(ग्यारह) देश के विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	436
(बारह) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में टौंस नदी पर एक पुल के पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।	
श्री बाल कृष्ण चौहान	437
(तेरह) बिहार में डुमरा/सीतामढ़ी में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	438

लोक सभा

गुरुवार, 19 अप्रैल, 2001/29 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 461

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, हमें जो कार्य सूची उपलब्ध कराई गई है उसके संबंध में मुझे आपत्ति है। यह आपत्ति लोक सभा सचिवालय की बुलेटिन सं. 1715 के संदर्भ में है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं। जी नहीं। प्रत्येक दिन हमारे पास कुछ-न-कुछ मुद्दा होता ही है।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, आपत्ति कार्य सूची के संबंध में ही है। महोदय, कृपया पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप अपना विचार दे सकते हैं: मैं बैठ जाऊंगा। मैं एक अनुशासित सदस्य हूं। कृपया मुझे एक सेकेण्ड के लिए सुनें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं। मैं आपकी बात प्रश्नकाल के तुरंत बाद सुनूंगा।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, यह बुलेटिन के विपरीत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं। मैं आपकी बात प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, सामान्यत: परम्परा यह है कि सरकार पहले कार्य सूची को कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है जिस पर विचार करना होता है। तत्पश्चात इसे सभा के सम्मुख प्रस्तुत करती है। कार्यमंत्रणा समिति सर्वप्रथम कार्यसूची के बारे में निर्णय लेती है। कम से कम सरकार को इसके बारे में कार्यमंत्रणा समिति को सूचित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं। मैं अपकी बात प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

*461. **श्री शीशराम सिंह रवि:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा पिछली कुछ समयावधि से बजट आवंटन के विनियोजन के संबंध में वित्तीय नियमों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनेक अवसरों पर इस मामले का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या वित्तीय नियमों का अनुपालन न करने के मामलों में मंजूर की गई धनराशि का उपयोग न करना और अप्रयुक्त धनराशि का उन परियोजनाओं पर खर्च न करना भी शामिल है, जो धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन सी उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। रेलों द्वारा विनियोग से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपाल किया जा रहा है।

(ख) लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में धनराशि का उपयोग न किए जाने, अधिक खर्च किए जाने, गलत वर्गीकरण और पुनर्विनियोगों के कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है। जब कभी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, तब उचित संवीक्षा के बाद निवारक उपायों सहित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। कभी-कभी भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयों के कारण काम में होने वाले विलंब, ठेके की समस्याओं और मुकदमेबाजी/अदालती मामलों आदि के कारण भी धनराशि की उपलब्धता तथा उसके उपयोग के बीच अंतर रह जाता है। इसके अलावा, यदि वास्तव में आंतरिक संसाधनों का सृजन बजटीय व्यवस्था से कम होता है तब कुछ योजना शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है, जिससे स्पष्टत: खर्च कम होता है। बहरहाल, उपलब्ध धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं।

वर्षभर की गतिविधियों का जायजा लेने के बाद नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय पुनर्विनियोग भी किया जाता है, ताकि धनराशि का बेहतर उपयोग हो सके।

रेलवे की अपनी बजटीय, वित्तीय तथा लेखा नियंत्रण की प्रणाली है। यह प्रणाली अच्छी और परखी हुई है। इसमें सुधार लाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर प्रश्न का जो उत्तर रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के भाग ''क'' से लेकर भाग ''घ'' तक के संबंध में कितने मामले उनके सामने आये हैं और उन्होंने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है, इसके बारे में आप विस्तार से बतायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ऐसे मामलों पर विचार करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाती है। सामान्य तौर पर यह सारे विवरण पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने ही आते हैं।

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहले भी बताया है और रेल बजट के समय भी अनेक प्रश्न रखे गये हैं कि रेलवे की आय के अलावा अन्य स्रोतों से जो आय होगी जैसे रेलवे लाइन के किनारे जो भूमि पड़ी है, उसको बेचा जायेगा, उस पर व्यवसाय केन्द्र खोला जायेगा या वह भूमि वृक्षारोपण के लिए दी जायेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी भूमि दी है तथा उससे कितनी आय हुई है और उस आय का उपयोग वे कहां करने जा रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, गैर-परम्परागत स्रोतों से जो भी संभावना है, उसके बारे में बजट में भी उल्लेख किया गया है तथा इस पर रेलवे की ओर से प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक रेलवे की खाली पड़ी जमीन या रेलवे स्पेस के यूटीलाइजेशन का सवाल है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक निर्णय लिया है और उस पर प्रयत्न जारी है।

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि भूमि कितनी है और उस पर कितनी कार्यवाही की गयी है?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न कोई और है और सप्लीमैंट्री प्रश्न कोई और है।

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मैं लगभग संतुष्ट हूं लेकिन मैं एक जानकारी चाहूंगा कि रेलवे की शिकायत हमेशा जनरल बजट से रहती है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त प्रावधान जनरल बजट में नहीं किया जा रहा है। रेलवे इसके लिए ऐसा कौन सा प्रयत्न कर रही है जिससे जनरल बजट के द्वारा नहीं हो रहा है तो दूसरी कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या नई योजनाएं आप ले रहे हैं, वे धन के अभाव में न रुक जायें?

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल रेलवेज के फाइनैंशियल मैनेजमैंट के बारे में है। क्या आप रिप्लाई देना चाहेंगे?

श्री नीतीश कुमार: इस सवाल में कोई खास बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पहली बार इस प्रकार का पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से सम्बन्धित प्रश्न सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पी.ए.सी. की रिपोर्ट पर सदन में विवाद होने की परम्परा नहीं है लेकिन यह जो प्रश्न आया है इसके संदर्भ में स्वयं प्रधान मंत्री जी ने चार दिन पहले देश के एकाउंटैंट-जनरल कौन्फ्रैंस में कहा था कि पी.ए.सी. की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर विभागों की कार्यवाही से हम संतुष्ट नहीं हैं। रेलवेज के बारे में पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने समय-समय पर जो विवेचना आती है, वह रूटीन में जो 10-15-20 साल पहले जवाब दिए गए, वही जवाब फिर-फिर दोहराए जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी रेलवेज की स्थिति को देखते हुए, जहां 1800 करोड़ रुपये की सेविंग्स एक ही मद में इस वर्ष दिखाई गई हो, कमपैनडियम, सारे निर्णयों का सार समन्वय रेलवेज के फाइनैंशियल डिवीजन (नौ डिवीजनों) में जितने उनके कमिश्नर्स हैं, उनके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग कैम्प्स रखेंगे ताकि गलतियों को बार-बार न दोहराया जाए? क्या वे निर्णयों के कमपैनडियम को सदन के सामने रखेंगे और स्वयं इनको देख

कर इसके तमाम प्रबंध विशेष रूप से करेंगे कि उनका अनुपालन हो?

श्री नीतीश कुमार: पी.ए.सी. की रिपोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन्स और रिकमैंडेशन्स होती हैं, उन पर पूरी गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए और सभी विभागों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कल ही हम लोगों ने इस संबंध में बैठक की है और पी.ए.सी. की ऑब्जर्वेशन्स की रोशनी में भी हमने चर्चा की है। माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हमारे फाइनैंशियल विंग को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में आगे बात जरूर की जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत लक्ष्य

*462. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नौवीं योजना के दौरान विद्युत लक्ष्य की उपलब्धि में संशोधन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछली बार संशोधन करके लक्ष्य 20,891.57 मेगावाट रखा गया था, जबकि मूल लक्ष्य 40,245.2 मेगावाट निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या भविष्य में की जाने वाली समीक्षा के दौरान विद्युत लक्ष्य में और कमी किए जाने की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नौवीं योजना हेतु 40,245.2 मे.वा. का एक क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य पहले निर्धारित किया गया था। नौवीं योजना हेतु क्षमता अभिवृद्धि की जुलाई, 1999 में की गयी मध्यवर्ती समीक्षा दर्शाती है कि 28,097.2 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि व्यवहार्य होगी। तथापि, 2001 में करायी गयी क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की नवीनतम समीक्षा दर्शाती है कि केवल 20,891.6 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि संभाव्य है। इस कमी के प्रमुख कारण निम्नवत हैं:-

(1) एस्क्रो उपलब्ध न होने के कारण निजी क्षेत्र परियोजनाओं का विलम्बित वित्तीय समापन।

(2) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

(3) पुनर्वास एवं पुन:स्थापना संबंधी समस्याएं।

(4) कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं।

(5) संविदात्मक समस्याएं।

(6) प्राकृतिक आपदा।

(घ) और (ङ) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि नौवीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि में और कोई कमी न हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नवत हैं:

- सचिव, विद्युत की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा आवधिक समीक्षा।
- निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के सम्पूर्ण वित्तपोषण को सुनिश्चित करना।
- निर्माणाधीन जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं की निगरानी के लिए कार्य-दल का गठन करना।
- निजी क्षेत्र परियोजनाओं की "अंतिम" समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक समाधान दल का गठन करना।
- वित्तीय समापन में सहायता प्रदान करने के लिए रा.वि.बो. की कम एस्क्रो क्षमता को देखते हुए एक वैकल्पिक भुगतान सुरक्षा तंत्र को तैयार करना।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगी कि नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में कितने कन्जम्शन या रिक्वायरमैंट का प्रोजैक्शन किया गया था और उसे पूरा करने के लिए पांचवीं बार जो यह टारगैट रिवाइज किया गया है, नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में कितना नैट ऐडीशन हुआ और कितना डैफीसिट रहा? उसे पूरा करने के लिए टिहरी और ऐसे अन्य जो पावर प्रोजैक्ट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती जयवंती मेहता: अध्यक्ष महोदय, नौवीं योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 40245.2 मेगावाट

उत्पादन करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने बताया, इसका पांच बार रिव्यू किया गया, यह बात सही है। इसका जुलाई 1999, मई 2000, अगस्त 2000, जनवरी 2001 में रिव्यू किया गया और अभी मार्च में इसका रिव्यू किया गया है। इससे उस लक्ष्य में काफी कमी आई है। हमारा निर्धारित लक्ष्य 40245.2 मेगावाट था लेकिन जनवरी 2001 तक की समीक्षा में हमें 20891.57 मेगावाट की उपलब्धि संभव लगती है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा यह लक्ष्य 51.91 प्रतिशत तक पहुंचा है। उसके लिए उपाय की दृष्टि से जो पूछा गया, उसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगी कि भारत सरकार ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह बिल्कुल सही था लेकिन उस सही लक्ष्य को पूरा करने में कई प्रकार की बाधाएं पैदा हुई जिसके कारण प्रोजैक्ट पूरा करने में विलम्ब होता चला गया। इस कारण हम नौवीं योजना के अन्तर्गत अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय की दृष्टि से हमने विद्युत सचिव की अध्यक्षता में एक ऐमपावरमैंट कमेटी की स्थापना की है जो समय-समय पर रिव्यू करती है। सारी परियोजनाओं को आवश्यक धनराशि देने का हमेशा आवंटन करते रहते हैं। थर्मल हाईड्रो के लिए अलग-अलग टास्क फोर्सेस का निर्माण करके उसका भी रिव्यू किया जाता है और कार्य दल का गठन भी किया गया है। इसके अलावा क्राइसेस रिजोल्यूशन ग्रुप के द्वारा प्राइवेट परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है।

आल्टरनेट सिक्योरिटी मकेनिज्म की भी हमने व्यवस्था की है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि थर्मल को रिव्यू करने के लिए विद्युत सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। हाइड्रो को रिव्यू करने की जिम्मेदारी माननीय ऊर्जा मंत्री जी स्वयं संभालते हैं और इंडिपेंडेंट पावर प्रोजैक्ट्स को देखने के लिए स्पेशन सैक्रेटरी को जिम्मेदारी दी गई हैं। सिस्टम्स के मॉनीटरिंग के लिए एडीशनल सैक्रेटरी को जिम्मेदारी दी गई है। जो अभी सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि टिहरी वगैरह योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या वयवस्था की जा रही है तो टिहरी की व्यवस्था और अन्य सारे जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स हैं, जिनसे हम नवीं योजना पूरा करने में कामयाब हों, उसके लिए समय-समय पर योग्य कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात और ध्यान में लाई थी कि कोई कंजम्पन या रिक्वायरमेंट का प्रोजैक्शन तो किया होगा। आई.टी. सैक्टर में हम इतना आगे जा रहे हैं तो आई.टी. सैक्टर में।

[अनुवाद]

विद्युत उपभोग मुख्य आवश्यकता है।

[हिन्दी]

हमारा आई.टी. का जो प्रोजैक्शन है, जब पावर नहीं होगी, तो

[अनुवाद]

हम इसे हासिल करने में कैसे समर्थ होंगे।

[हिन्दी]

वह आपको जवाब देना चाहिए? साथ में दूसरा अपना सप्लीमेंटरी मैं अभी पूछ लेता हूं कि ओरिजनल टार्गेट सेन्टर, प्राइवेट और स्टेट सैक्टर के लिए हैं, उसमें सेन्टर के लिए 11,909 मैगावाट, प्राइवेट के लिए 17,588 मैगावाट और स्टेट सैक्टर के लिए 10,747 मैगावाट टार्गेट डिसाइड किया गया था, उसमें जो दोनों गवर्नमेंट हैं।

[अनुवाद]

जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है मैं इसे समझता हूं।

[हिन्दी]

लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो टार्गेट 7,909 था, उसमें से खाली 4,964 ही एचीव हुआ है और स्टेट का 10,700 में से 9,100 ही एचीव हुआ है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी?

श्रीमती जयवंती मेहता: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारी 16वीं इलैक्ट्रिसिटी पावर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमने यह तय किया है कि आवश्यकता के अनुसार और भारत सरकार जिस तरह से आई.टी. वगैरह के लिए अपनी प्रगति के लिए सोच रही है तो हमारी जो 16वीं ई.पी.एस. कमेटी के सर्वे के अनुसार आने वाले 2012 तक हमें अतिरिक्त एक लाख मैगावाट का जैनरेशन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने लक्ष्य निर्धारित करके इन योजनाओं को साकार करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से मैं यह बताना चाहूंगी कि दसवीं योजना के अंतर्गत हम 63,517 मैगावाट लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बना रहे हैं। अभी-अभी जो सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि इसका लक्ष्य केन्द्र की दृष्टि से जो कम हुआ है, वह बात सही है। इसके कई कारण आपने बताये, सभागृह के सामने मैं स्थिति रखना चाहती हूं, थर्मल के लिए जब कोई प्रोजैक्ट लगाये जाते हैं तो उसमें जो बाधाएं निर्माण हुई हैं। थर्मल की बाधाओं में मैं यह बता सकती हूं कि ईंधन की कमी रही, इसकी वजह से हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये। नेफ्था की कीमत अधिक बढ़ गई, एल.एन.जी. की कीमत बढ़ गई, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से जो सहायता मिलने वाली थी, वह समय पर नहीं मिल पाई ऐसे कई अलग-अलग कारण हैं, भूमि

अधिग्रहण के कारण विलम्ब होता है। वैसे ही हाइड्रो के लिए भी कई कारण होते हैं। जिसकी वजह से ये लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाये।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विरोधाभासपूर्ण है कि भारत सरकार यहां बताई गई खामियों को दूर करने में अपकी असमर्थता व्यक्त कर रही है। मैं नहीं जानता हूं कि इन परियोजनाओं के बचाव के लिए कौन आगे आएगा जब विद्युत मंत्रालय ही इस संबंध में अपनी कठिनाई और असमर्थता अभिव्यक्त कर रहा है। यदि आप विलम्ब के कारणों की ओर देखें तो यह वित्तीय कारणों से बंद हुआ है। इसे कौन करेगा। कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा यह किया जाएगा। वे इसका समन्वय करेंगे। भूमि के अर्जन में विलम्ब है। पुन: कुछ सरकारी एजेंसियों को सहयोग करना होगा। पुन: अधिवास या पुनर्वास सरकारी एजेंसियों के हाथों में है।

इन सभी समस्याओं का समाधान केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा अपने आप किया जा सकता है। क्या इन सभी कार्यों के समन्वय के लिए कोई एजेंसी है? पर्यावरण और वन मंत्रालय दूसरी प्रमुख एजेंसी है। कुछ मामलों में अनुमोदन देने के लिए यह 10 वर्ष तक का समय ले लेती है। इन सभी परियोजनाओं में कुल लागत वृद्धि क्या होगी?

महोदय, आयोजना के चरण पर भी नौवीं योजना के लक्ष्यों में 50 प्रतिशत की कमी है। मैं नहीं समझता हूं कि वे 2012 तक एक लाख मेगावाट के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। क्या इस संबंध में कोई योजना है? हमारे पास समितियों की कमी नहीं है। मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति है। क्या इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है? यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा सभी निजी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में वास्तविक समस्या क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये सरकार के पास कब से लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती मेहता: सम्मानित सदस्य ने जो बात कही कि समयबद्ध कार्यक्रम हेना चाहिए और किस तरह से इन योजनाओं को आप पूरा करेंगे। मैं बताना चाहती हूं कि 2012 तक जो एक लाख मेगावाट की अतिरिक्त जैनरेशन पूरी करनी है, उसके लिए हमने समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया है। मैंने पहले भी बताया है कि क्राइसेज रिजोल्यूशन ग्रुप का गठन किया गया है। उसके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी स्वयं बार-बार उसका रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद जहां प्राइवेट इंडिपेंडेंस पावर प्रोजेक्ट की योजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल क्लोजर करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से मिलकर बीच में जो रोड ब्लाक्स होते हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जाता है और समय पर उसको पूरा करने में हमें सफलता भी प्राप्त होती है। जैसे रिहैब्लिटीशेन करना है, लैंड सम्पादन करनी है और अलग-अलग प्रकार के पुनर्वास की समीक्षा के लिए भी हम पहले से ही उसके बारे में विचार करते हैं। पावर मिनिस्टरी के अंतर्गत सी.ई.ए. के माध्यम से जो टेक्नो इकोनॉमी क्लियरेंस प्राप्त होती है, उसमें वन और पर्यावरण विभाग की हर प्रकार की आपत्तियों को भी दूर करने की व्यवस्था की हुई है। इस तरह हम समय पर निर्धारित कार्यक्रम पूरा करने का प्रयास करते हैं। गत पांच-दस वर्षों में जो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, उसकी वजह से नौवीं पंचवर्षीय योजना में विलम्ब होता रहा है। इसलिए हम इसको ध्यान में रखकर आज अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, उसका परिणाम पांच वर्ष के बाद दिखाई देगा, यह स्पष्ट है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है प्रश्न काल में चाहे प्रश्न पूछने वाला सदस्य हो या जवाब देने वाले मंत्री हों, सबको संक्षेप में अपनी बात कहनी चाहिए। हमने काफी संसदीय प्रणाली को देखा है। यहां इस प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं कि लगता है पूरी बहस हो रही है। अगर हमारा सवाल दसवें नम्बर पर है तो वह नहीं आ पाता, क्योंकि मुश्किल से प्रश्न काल में दो या तीन प्रश्न ही पूरे हो पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम जी आप बैठिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, चाहे लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से, हम सबने सुना है। व्यक्तिगत रूप से मेरी मंत्री महोदय से सहानुभूति है। मगर जो कुछ हो रहा है, उसको हम, यह सदन और यह देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपने नौवें प्लान में 40,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था। उसको कम करके 28,000 मेगावाट कर दिया गया। फिर उसको कर करके आपने 20,000 मेगावाट कर दिया है। आपन जो प्रथम लक्ष्य निर्धारित किया था, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने इसका अनुमान लगाया था, वह गलत था। कितना लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जो पूरा हो सके, इसका अंदाज आपको नहीं था इसलिए उसमें कमी करने पड़ी। अगर यह बात नहीं है तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की इसलिए आपको कम करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉस्ट ओवर रन 40,000 करोड़ रुपये के हैं।

आप लक्ष्य 40,000 से 20,000 तक लाते हैं। 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर 40,000 करोड़ रुपये का कॉस्ट ओवर रन आते हैं और उसका कारण यह बताते हैं कि पिछले जमाने में जो हुआ है, उसकी वजह से यह हुआ है। आप यह भी कारण बताते हैं कि प्राइवेट लोग दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। हम इसका क्या अंदाज लगाएं कि इस परिस्थिति में हमारे देश को आर्थिक उन्नति के लिए बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी? कॉस्ट ओवर रन कम होगा या नहीं होगा और इस प्रकार से दूसरों को दोष देकर आप अपने दायित्वों से अलग हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयवंती मेहता: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यगण ने जो बात कही कि निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत के ऊपर हम पहुंचे, इसलिए हमारा अंदाज या लक्ष्य गलत था। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि जब लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह सही था। कठिन समस्याओं का सामना करते हुए लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रयास किये गये थे लेकिन प्राकृतिक बाधाओं और अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण वह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये। मैं सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि यह नौवीं योजना के बारे में वह सवाल पूछ रहे हैं लेकिन आठवीं योजना के अन्तर्गत सिर्फ उस समय 16422 मेगावॉट का ही लक्ष्य था।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: आप नहीं कर पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयवंती मेहता: लक्ष्य से ऊपर हम नहीं गये थे, इसलिए यदि किन्हीं 200 योजनाओं की बात सम्मानित सदस्य करते हैं और किसी पर्टिकुलर योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वह जरूर मुझे दें ताकि मैं उसकी जानकारी उनको लिखित रूप से भेजूं।

[अनुवाद]

पारंपरिक ऊर्जा की पर्यावरणीय लागत

*463. **श्री सुरेश रामराव जाधव:***
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार युक्तिसंगत ऊर्जा मूल्य निर्धारण ढांचा विकसित करने का है जिसमें पारंपरिक ऊर्जा की पर्यावरणीय लागत को भी ध्यान में रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है जिसमें पारंपरिक ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई पर्यावरणीय लागतों और अन्य बाह्यताओं के कारण अक्षय ऊर्जा के लिए वरीय मूल्यों का प्रस्ताव किया गया है।

मंत्रालय द्वारा इस नीति विवरण के मसौदे को आगे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस नीति विवरण के अनुमोदन के पश्चात् वरीय मूल्य निर्धारण ढांचे सहित, एक कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पर्टिकुलर उत्तर चाहता हूं। देश के कितने गांवों में सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली की आपूर्ति की जा रही है तथा उनसे प्रति यूनिट बिजली की कितनी दर वसूल की जा रही है? महाराष्ट्र में चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति किये जाने का विचार है तथा उनसे प्रति यूनिट बिजली की कितनी दर वसूल की जाएगी तथा यह कीमत परम्परागत बिजली की तुलना में कितनी सस्ती और महंगी होगी?

[अनुवाद]

श्री एम. कन्नप्पन: मुख्य प्रश्न पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा पर नीतिगत वक्तव्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या जवाब है?

श्री एम. कन्नप्पन: जहां तक विद्युत दर का संबंध है माननीय सदस्य कृपया अलग से प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति किये जाने का विचार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से कैसे संबंधित है? क्या मंत्री महोदय के पास जवाब है।

श्री एम. कन्नप्पन: जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्य को अलग से लिखित रूप में भेज सकते हैं।

श्री एम. कन्नप्पन: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: आपका दूसरा अनुपूरक क्या है?

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: मैं पर्टिकुलरली यह प्रश्न पूछा था कि देश के कितने गांवों में सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली की आपूर्ति की जा रही है?

श्री सुरेश रामराव जाधव: महोदय, महाराष्ट्र जिले में वर्ष के दौरान कितने जिलों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हुई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के पास जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। वे इसे बाद में भेज देंगे। आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न क्या है? मंत्री महोदय, आप जानकारी बाद में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. जसवंत सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा हो रही है कि देश को सौर ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन अपारम्परिक ऊर्जा की आज ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश के अन्दर पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए आज सबसे ज्यादा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इन सबका हम तभी आंकलन कर सकते हैं, जब हम पर्यावरण की दृष्टि से पारम्परिक और अपारम्परिक ऊर्जा की तुलना करें। सदन में चर्चा हो रही है कि देश के बहुत से गांव आज भी बिजली से वंचित है और मुश्किल से 31 प्रतिशत गांवों में ही बिजली उपलब्ध है। इसकी पूर्ति हम तभी कर सकते हैं, जब देश के अन्दर ऊर्जा मंत्रालय अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनमें कोई सफलता अभी तक मिली है या नहीं? विशेषकर राजस्थान के बारे में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा संभावनायें हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि जिलों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

डॉ. जसवंत सिंह यादव: महोदय, मेरा प्रश्न है–राजस्थान के अन्दर विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आदि जिलों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री एम. कन्नप्पन: सरकार ने पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से एक नया नीतिगत तथ्य तैयार करने का निर्णय लिया है। तदनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया पर्ची भी पढ़ें।

श्री एम. कन्नप्पन: महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में पूछा है।

राजस्थान में सौर ऊर्जा से गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* राजस्थान में कई गांव विशेषकर जैसलमेर जिले के गांव का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा से किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में 7 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा की स्थापना की गई है। महोदय भविष्य में 140 मेगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: महोदय, सरकार द्वारा नई ऊर्जा नीति बनाई जा रही है। सरकार द्वारा सोलर हीटर पर सब्सिडी देने के कारण पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर इन्डस्ट्री खड़ी हुई थी और लोगों का लगाव इस ओर बढ़ा था। अब सरकार द्वारा सब्सिडी हटा दी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या नई नीति में सौर ऊर्जा के लगाव को देखते हुए, सब्सिडी वापस देकर राशि को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री एम. कन्नप्पन: माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया। पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के लिए अपने नीतिगत तथ्यों में हम इन मदों को शामिल करेंगे।

सी.एन.जी.

*464. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में सी.एन.जी एजेंसियों के आबंटन के लिए कौन से मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन्द्रप्रस्थ गैस कम्पनी लिमिटेड ने राजधानी में बड़ी संख्या में वाहनों के लिए सी.एन.जी. की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लगभग सभी व्यावसायिक वाहनों को सी.एन.जी. से चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखते हुए राजधानी में सी.एन.जी. उपलब्ध कराने हेतु कोई नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्तमान में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) केन्द्रों पर मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) और महानगर गैस लिमिटेड (एम.जी.एल.) का क्रमशः दिल्ली और मुम्बई में स्वामित्व है और उनके द्वारा इनका प्रचालन किया जाता है। इन बिक्री केन्द्रों के अलावा तेल विपणन कम्पनियों के कुछ विद्यमान खुदरा बिक्री केन्द्रों में भी सी.एन.जी. वितरण सुविधाएं रखी गई हैं (मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल वितरण इकाइयों के साथ) जहां कम्प्रेसरों और विचरण इकाइयों पर क्रमशः आई.जी.एल. और एम.जी.एल. का स्वामित्व है पर खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा इनका प्रचालन किया जाता है। इन प्रकार सी.एन.जी. एजेंसियों के आबंटन के लिए विशेष मानक नियत नहीं हैं।

(ख) से (घ) जी नहीं। आई.जी.एल. को दिल्ली सरकार के परामर्श से वाहनों की सम्भावित संख्या के आधार पर सी.एन.जी. की मांग की निगरानी करने और तदनुसार बिक्री केन्द्रों की संख्या/क्षमता बढ़ाने का निदेश दिया गया है। वर्तमान में 68 सी.एन.जी. स्टेशन कार्य कर रहे हैं। 31 मार्च, 2001 तक सी.एन.जी. की लगभग 1,00,450 कि.ग्रा. प्रति दिन की मांग के मुकाबले इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) द्वारा स्थापित क्षमता 2,00,000 कि.ग्रा. प्रति दिन है। दो अन्य स्टेशन तैयार हैं पर सम्पर्क मार्ग पर अतिक्रमण के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। आठ अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है और संबंधित प्राधिकरण से दो भूस्थानों के कब्जे के अंतरण की प्रतीक्षा है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदय, विवरण में उल्लेख किया गया है कि सी.एन.जी. विक्रय केन्द्र दिल्ली और मुम्बई में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी व्यवसायिक वाहनों में सी.एन.जी. के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी करने जा रही है। यदि हां, तो क्या इन एजेंसियों के लिए कोई मानदण्ड भी जारी किए जाएंगे?

श्री राम नाईक: इस समय सी.एन.जी. केवल दो शहरों यथा दिल्ली और मुम्बई में आपूर्ति की जा रही है। सी.एन.जी. स्टेशनों की स्थापना की जा रही है और दिल्ली में मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तथा मुम्बई में महानगर गैस लिमिटेड द्वारा इनका प्रचालन भी किया जा रहा है। दूसरे शहरों में सी.एन.जी. उपलब्ध कराने के संदर्भ में अभी की स्थिति के अनुसार, हमें सी.एन.जी. की उपलब्धता का निर्धारण करना है। इस समय सी.एन.जी. उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब सी.एन.जी. उपलब्ध हो जाएगी केवल तभी दूसरे शहरों के बारे में विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने व्यावसायिक वाहनों में सी.एन.जी. के उपयोग के बारे में पूछा है।

श्री राम नाईक: अभी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सी.एन.जी. का उपयोग व्यावसायिक वाहनों के लिए किया जाना चाहिए। 26 मार्च, 2001 के अद्यतन आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि अल्प गंधक (सल्फर) वाला डीजल भी है। क्या अल्प गंधक वाले डीजल का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसकी जांच-पड़ताल भूरे लाल समिति द्वारा की जाएगी। भारत सरकार की ओर से हमने भूरे लाल समिति से यह कहा है कि केवल सी.एन.जी. टिकाऊ नहीं है। 0.05 प्रतिशत तक अल्प गंधक वाला डीजल स्वच्छ ईंधन है जिसकी आपूर्ति मई, 2000 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन दिल्ली में की गई है। इसलिए भूरे लाल समिति के समक्ष हमने यह निवेदन किया है कि यह भी एक स्वच्छ ईंधन है तथा दिल्ली के लिए दो प्रकार की ईंधन व्यवस्था बेहतर होगी। यह सुझाव दिया गया है तथा मैं आशा करता हूं कि भूरे लाल समिति तदनुसार अपनी सिफारिशें उच्चतम न्यायालय को देगा।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: इसका मतलब यह है कि दूसरे शहरों में सी.एन.जी. की आवश्यकता नहीं होगी।...

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय इस संबंध में आपके प्रश्न का जवाब दे चुके हैं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: दूसरे विवरण में यह बताया गया है कि 31 मार्च, 2001 तक 1,00,450 कि.ग्रा. सी.एन.जी. की मांग है। 68 केन्द्रों में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन 2,00,000 किग्रा की है। लेकिन आज हम दिल्ली की सड़कों में काफी अव्यवस्था देख सकते हैं। जब वाहन सी.एन.जी. स्टेशनों पर सी.एन.जी. भरवाने के लिए जाते हैं तो वाहन चालकों को सी.एन.जी. भरवाने के लिए आधे-आधे दिन तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यदि यह क्षमता अधिक है तो सी.एन.जी. स्टेशनों में ही यह कमी क्यों है? मैं यह महसूस करता हूं कि मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पहले ही कह चुका है कि सी.एन.जी.

की कमी है। लेकिन यहां उत्तर में यह बताया गया है कि 2,00,000 किग्रा क्षमता पहले ही अधिष्ठापित की जा चुकी है। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट किया जाये।

श्री राम नाईक: यह सच है कि यह प्रतिदिन 2,00,000 किग्रा. सी.एन.जी. की सप्लाई करने की स्थिति में है, जैसाकि बताया गया है। वास्तव में कुल खरीद 50 प्रतिशत है। अब उन कुछ विशेष सी.एन.जी. गौण (डाटर) स्टेशनों में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जहां पर्याप्त प्रेशर नहीं था। उन 44 गौण स्टेशनों के लिए यह पहले ही ऐसे कम्प्रेसरों का आर्डर दे चुके हैं जो प्रैशर को बढ़ायेंगे। अगस्त के अंत तक सभी सी.एन.जी. स्टेशनों पर ये कम्प्रेशर होंगे। लेकिन प्रमुख (मदर) स्टेशनों में, जो अब उपलब्ध हैं, वे बहुत जल्दी सी.एन.जी. देने की स्थिति में हैं और वहां सी.एन.जी. भरने में कोई कठिनाई नहीं है।

लेकिन लंबी लाइनों का मुख्य कारण यह है कि सी.एन.जी. आटो रिक्शा प्रति माह 2,500 की दर से आ रहे हैं। दिल्ली सरकार को इस बात की आशा नहीं थी। दिल्ली सरकार ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को तदनुसार सूचित नहीं किया था। मेरी दिल्ली की मुख्य मंत्री के साथ 10 अप्रैल को बैठक हुई थी और वह इस बात से सहमत थी कि वह समस्त जानकारी देंगी। अब आठ दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं उन्हें जानकारी भेजने के लिए पुन: स्मरण कराऊंगा ताकि हम सी.एन.जी. स्टेशनों को तदनुसार तैयार कर सकें।

महोदय, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक मंडल में दिल्ली सरकार का एक निदेशक भी शामिल है। निदेशक मंडल की नौ बैठकें हो चुकी हैं लेकिन निदेशक मंडल में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे निदेशक ने केवल एक बैठक वे ही भाग लिया था। इस प्रकार संभवत: वे इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब दिल्ली की मुख्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी वे और अधिक चौकस और सावधान रहने का प्रयास करेंगे।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

(इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिए।)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सी.एन.जी. कार है जो सी.एन.जी. भरवाने के लिए हमेशा लाइन में खड़ी रहती है और मुझे टैक्सी लेनी पड़ती है। सी.एन.जी. उपलब्ध न होने के कारण मैं अपनी कार का कभी उपयोग नहीं कर सकती।

श्रीमती श्यामा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय के सी.एन.जी. का उपयोग करने संबंधी आदेश को लागू करते समय केन्द्र सरकार को यह पता नहीं था कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह के वाहन चलेंगे। सी.एन.जी. की सप्लाई पर्याप्त नहीं थी। यदि वे देश में केवल एक ही कंपनी को गैस एजेंसी दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि इसके पीछे सरकार का निहित स्वार्थ क्या है। क्या वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि सी.एन.जी. पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाये, और कंपनियों को इस काम के लिए अनुबंधित नहीं कर सकते थे? एक प्रश्न तो यह है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय अपने प्रश्न के भाग (ख) में, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नों को भाग (क) और (ख) के रूप में पूछने की हमने यह नई प्रक्रिया अपनाई है।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, उच्च सल्फर युक्त डीजल के स्थान पर कम सल्फर युक्त डीजल का उपयोग किया जा सकता था। क्या उन्होंने पिछले 20 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने और लोगों को अत्यधिक परेशान करने का निर्णय लेने से पहले उस पर विचार किया था जो कि अब लगभग संकट का रूप धारण कर चुका है?

श्री राम नाईक: महोदय, दिल्ली के यात्रियों को जो दु:ख तकलीफें उठानी पड़ी उसके लिए मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या गैस की सप्लाई करने वाली कोई दूसरी एजेंसी हो सकती है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड तथा दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। संभवत: उन्हें इस बारे में न मालूम हो।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, मुझे मालूम है। वे उदारीकरण में विश्वास करते हैं। तब वे यह क्यों नहीं देखते कि सड़कों पर सभी कुछ ठीक ढंग से चले?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: महोदय, दिल्ली सरकार की इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में इक्विटी है और इसीलिए मैंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने उचित रूप से ध्यान नहीं दिया।

श्रीमती श्यामा सिंह: केन्द्र सरकार की क्या स्थिति है?

श्री राम नाईक: मैं केंद्र सरकार की ओर से जवाब दे रहा हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: उन्हें लाइसेंस कौन देता है। आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं।

श्री राम नईक: मैं जवाब दे रहा हूं। आप क्या चाहती हैं?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आप अधिक लाइसेंस जारी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: सभा में महिला सदस्य काफी सक्रिय हैं।

श्री राम नाईक: महोदय, दिल्ली सरकार द्वारा यह मूल्यांकन न कर पाने के कारण कि सड़कों पर कितने वाहन चलते हैं, लोगों को काफी कष्ट झेलने पड़े हैं। मूलत: परमिट दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये जा रहे हैं और उन्होंने सही ढंग से कार्य नहीं किया। इसीलिए ऐसा हुआ। जहां तक अतिरिक्त सप्लाई का संबंध है। *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें बिल्कुल अनावश्यक हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल मंत्री महोदय के उत्तर को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कांतिलाल भूरिया जी, आप हमेशा सभा की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*..

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें।

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम नाईक: महोदय, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत पेट्रोलियम, भारतीय गैस प्राधिकरण और दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सविस्तार वर्णन मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ सकते हैं लेकिन कृपया अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस: महोदय, वह अपने नम्बर बनाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: मैं कोई नम्बर नहीं बना रहा हूं। मैं तो जानकारी दे रहा हूं। यह पहली कंपनी है और इसे स्थिर बनाना होगा। कुछ कठिनाइयां तो आयेंगी क्योंकि यह एक नया काम है और यह कठिनाई उनके समक्ष आई।

श्री कमलनाथ: महोदय, मुझसे पहले एक सदस्य ने अभी-अभी जो प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया है। हम दिल्ली में प्रदूषण के कारण ही सी.एन.जी. की बात कर रहे हैं जो डीजल में किसी खास पदार्थ की मिलावट के कारण बढ़ रहा है।*...(व्यवधान)* मैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं उस भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके मंत्री की समझ में आ जाए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डीजल में एक खास पदार्थ की मिलावट (एस.पी.एम.) जो दिल्ली को प्रदूषित करने वाले कारकों में से एक है, के कारण दिल्ली के पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। विगत में भी इस पर चर्चा की गई है और हमारे सार्वजनिक परिवहन के लिए सर्वोत्तम ईंधन के पहलू की जांच करने हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया है। उनमें से एक था सी.एन.जी.। लेकिन केवल

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

सी.एन.जी. को अपनाने से एक ही प्रौद्योगिकी का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आखिरकार, मुद्दा यह नहीं है कि कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जाये, अपितु मुद्दा तो यह है कि किस प्रौद्योगिकी को अपनाने से कम प्रदूषण फैलता है और जो कानून में यथाविनिर्दिष्ट विसर्जन संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। कम सल्फर युक्त डीजल के संबंध में क्या किया जा रहा है?...*(व्यवधान)* एक अन्य मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि दिल्ली सरकार ने सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या के संबंध में उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: महोदय, मेरे विचार से, यह गुमराह करने वाली बात है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यदि माननीय मंत्री महोदय को आंकड़े नहीं मालूम हैं तो।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा: सावल पूछिए।...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: मैं सवाल पूछ रहा हूं। मुझे मत समझाएं कि क्या पूछना है।...*(व्यवधान)* मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, आपको उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, उन्हें सभा में सही ढंग से बर्ताव करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, बस बहुत हो चुका। यह सब क्या है? आप बेवजह दूसरे सदस्यों को उकसा रहे हैं। कमलनाथ जी, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदय, उन्होंने सी.एन.जी. की मांग के बारे में बात की है, जो अब वहां उपलब्ध होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि मांग को पूरा करने के लिए कितनी पूर्ति की जायेगी। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि कितनी गैस उपलब्ध होगी अपितु यह है कि उन्होंने अपने उत्तर में जितनी मात्रा बताई है, उतनी मात्रा में गैस पर्याप्त बिक्री केन्द्रों के माध्यम से होगी अथवा नहीं। यदि बिक्री केन्द्रों पर यह उपलब्ध नहीं है तो फिर इसके उपलब्ध होने का क्या फायदा है। मैं सभा को यह सूचना भी देना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय के माध्यम से बिक्री केन्द्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

श्री राम नाईक: महोदय, अपने पहले प्रश्न में वह डीजल की गुणवत्ता के बारे में जानना चाहते थे और यह जानना चाहा कि यह ईंधन स्वच्छ है या नहीं है। हम दिल्ली में जिस डीजल की पूर्ति कर रहे हैं, उसमें सल्फर की मात्रा 0.05 प्रतिशत होती है। अब सारे विश्व में इसी गुणवत्ता वाले सल्फर की पूर्ति की जा रही है। मेरे पास सभी देशों के आंकड़े हैं। जापान और संयुक्त राज्य अमरीका में सल्फर की मात्रा 0.05 प्रतिशत है, आस्ट्रेलिया में 0.15 प्रतिशत, जो अधिक है, यूरोपीय देशों में 0.035 प्रतिशत है: पुर्तगाल में यह 0.20 प्रतिशत है और चीन में 0.30 प्रतिशत है। हम विकसित देशों में दी जा रही गुणवत्ता का डीजल ही दे रहे हैं। यह साफ डीजल है। न्यूयार्क में कुल 4,500 बसे हैं परन्तु उनमें केवल 5 प्रतिशत ही सी.एन.जी. चालित बसे हैं। सिडनी में 3,900 बसे हैं और केवल 2 प्रतिशत बसें सी.एन.जी. चालित हैं। पेरिस में केवल 2 प्रतिशत बसें सी.एन.जी. चालित हैं। अत: मुद्दा यह है कि क्या केवल सी.एन.जी. चालित सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। यह पेट्रोलियम मंत्रालय का सुविचारित मत है कि यह 0.05 प्रतिशत सल्फर वाला डीजल जिसका उत्पादन हम मई, 2000 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अपनी शोधनशालाओं में 10,000 करोड़ का निवेश करने के बाद उनके उन्नयन के पश्चात् कर रहे हैं, वह साफ ईंधन है। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। हमने भूरे लाल समिति से भी यह अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भूरे लाल समिति से इस समस्या पर विचार करके एक महीने के भीतर उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आपको यह बात सर्वोच्च न्यायालय को कहनी चाहिए जबकि आप यह बात भूरे लाल समिति को बता रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: इसीलिए हमने भूरे लाल समिति के समक्ष यह बात रखी है। दिल्ली की मुख्य मंत्री महोदय भी मेरी इस बात पर समहत हैं। उन्होंने वायदा किया है कि वे तदनुसार समिति से अनुरोध करेंगे। ऐसा वे समय से करते हैं या नहीं, यह एक अन्य समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: बिक्री केन्द्रों की उपलब्धता की क्या स्थिति है?

श्री राम नाईक: इसीलिए दिल्ली में 0.05 प्रतिशत सल्फर वाला ईंधन उपलब्ध है। उसमें कोई समस्या नहीं है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इन तथ्यों का ध्यान रखना पड़ेगा और मुझे आशा है कि जब न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होगी और जब भूरे लाल समिति की रिपोर्ट उसे प्राप्त होगी तो वे इस मत पर भी विचार करेंगे।

श्री कमल नाथ: मंत्री महोदय ने बिक्री केन्द्रों की संख्या संबंधी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या बिक्री केन्द्र संबंधी कोई सुझाव है?

श्री राम नाईक: सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि 80 सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र होने चाहिए। जिसमें से 68 कार्यशील हैं। दो तैयार हैं परंतु उनके अतिक्रमण की समस्या है और दिल्ली सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अतिक्रमण को हटायेगी। शेष दस में से आठ निर्माणाधीन हैं। पिछले सप्ताह ही रक्षा विभाग शेष दो केन्द्रों के लिए भूमि देने के लिए सहमत हो गया है और इसी के साथ ही, अगले तीन या चार महीनों में शेष 10 बिक्री केन्द्र भी बन जायेंगे। परंतु महोदय, 80 केन्द्र पर्याप्त नहीं होंगे। 140 केन्द्र और खोले जायेंगे। यह यह कार्य भी कर रहे हैं और सितम्बर तक बड़ी संख्या में हमारे पास ये केन्द्र उपलब्ध होंगे। यह योजना है। परंतु पहले की यह धारणा कि स्टेशन पर्याप्त होंगे, गलत सिद्ध हुई है। यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था और उस आदेश पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता।

कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन

***465. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अवसंरचना में भूमंडलीकरण और विश्व व्यापार संगठन की प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने हेतु कार्य-योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए कितना सरकारी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने वाली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इस राष्ट्रीय कृषि नीति में भारतीय कृषि की अपार अदोहित वृद्धि क्षमता को प्राप्त करने, कृषि विकास की गति बढ़ाने में सहायता के लिए ग्रामीण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देने, किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को रहन-सहन का समुचित स्तर दिलाने तथा नए युग की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की परिकल्पना निहित है। अंतर्मंत्रालयी विचार-विमर्श के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि नीति के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस बीच भूमण्डलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्मित रणनीति के दृष्टिगत भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा कृषि की कार्यक्षमता में वृद्धि करने एवं उत्पादन व उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। हाल ही में किए गए उपायों में से कुछ निम्नवत हैं:

- क्षेत्र आधारित कृषि नियोजन एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए वृहद प्रबंध प्रणाली की शुरुआत।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत।
- पूर्वी भारत में भूमिगत जल संसाधनों के दोहन के लिए खेतों पर जल प्रबंध कार्यक्रम का निरूपण।
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन को प्रचालनात्मक बनाना।
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन।
- किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से तथा निवल बैंक ऋण का 18% कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारण सुनिश्चित करके कृषि ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का विस्तार एवं ब्याज दर कम करना।
- भण्डारण तथा शीतागारों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु पूंजी राजसहायता का प्रावधान।
- ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए एक नई राजसहायता युक्त स्कीम का निरूपण।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना तथा उत्पाद शुल्क में छूट एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि में मूल्यवर्धन।

- अन्य बातों के अलावा, कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से कृषि निर्यात हेतु अनुकूल वातावरण का प्रावधान।

- बीज प्रतिस्थापन दरों में वृद्धि के अलावा, सहज निवेश वातावरण बनाने के लिए बीज क्षेत्र विधायन तथा प्रक्रियाओं में सुधार।

घरेलू कृषि की आर्थिक कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु उपाय शुरू करने के साथ-साथ विकसित देशों द्वारा अपना कृषि अधिशेष थोपने तथा विश्व व्यापार संगठन तंत्र के दुष्परिणामों से किसानों की रक्षा के लिए सरकार कृतसंकल्प है। इस प्रयोजनार्थ हमारे पास अनेक साधन उपलब्ध हैं जैसे आयात शुल्क जिसमें पिछले वर्ष के दौरान व्यापक वृद्धि की गई है, एन्टी डम्पिंग तथा सममूल्य शुल्क, सुरक्षात्मक उपाय तथा स्वच्छता एवं पौध स्वच्छता मानक जिनका उपयोग स्वदेशी हितों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है।

विश्व व्यापार सगंठन के अंतर्गत कृषि संबंधी करार हेतु चल रहे विचार-विमर्श के दौरान हमारे स्त्रोतों की खाद्य सुरक्षा, स्वदेशी किसानों तथा उनके जीवनयापन के संरक्षण के अलावा निर्यात को अधिकतम बनाना हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। जनवरी, 2001 में विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत भारत के प्रारम्भिक विचार-विमर्श संबंधी प्रस्तावों के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- विशेष तथा विभेदक प्रावधानों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को घरेलू सहायता उपलब्ध कराने के लिए "खाद्य सुरक्षा बॉक्स" के सृजन के माध्यम से, विकासशील देशों को प्राप्त छूट में वृद्धि करना तथा खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर जीवनयापन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यापार रक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करना।

- शीर्ष टैरिफ तथा टैरिफ वृद्धि को समाप्त करने सहित टैरिफ में पर्याप्त एवं सार्थक कटौती की मांग करना, मण्डी में सार्थक पहुंच के अवसर प्राप्त करने के लिए घरेलू सहायता में उल्लेखनीय कमी तथा विकासशील देशों द्वारा घरेलू राजसहायता समाप्त करना।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नीति की परिकल्पना के अनुरूप आगामी दो दशकों में वृद्धि दर में 4% की बढ़ोत्तरी हासिल करने के लिए वर्ष 2007-2008 (अर्थात दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक) में लगभग 30,000 करोड़ रुपये (1993-94 के मूल्यों पर) के अपेक्षित निवेश का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान 1.57 के वृद्धित पूंजी उत्पादन अनुपात की परिकल्पना पर आधारित है जिसकी गणना वर्ष 1993-94 से 1998-99 के दौरान सकल निर्धारित पूंजी निर्माण के औसत तथा कृषि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि के औसत के आधार पर की गई है। निवेश के स्तर की गणना पिछले क्रमिक वर्षों के दौरान उत्पादन के मूल्य में वृद्धि पर वृद्धित पूंजी उत्पादन अनुपात के अनुप्रयोग के माध्यम से की गई है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:-

- चुनिन्दा वृहद एवं बहु उद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाओं को यथा समय पूरा करने के लिए ऋण के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में शुरू त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का कोष 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा और ब्याज दर 11.5% से घटाकर 10.5% की जाएगी।

- वर्षा सिंचित विस्तृत क्षेत्र के समग्र तथा सतत विकास के लिए वर्ष 1990-1991 में शुरू की गई वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना। इसके अलावा, 200 करोड़ रुपये के कोष से पनधारा विकास निधि का सृजन किया गया है।

* भण्डारों तथा शीतागारों के निर्माण, आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु पूंजी राजसहायता स्कीम।

श्री बी. वेंकटेस्वरलु: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विश्व व्यापार आयोग की चुनौतियों का सामना करने के लिए, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, क्या सरकार ने आदान-प्रदान कम करने और कृषि गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने तथा कृषकों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करने के लिए नई कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: सर, सरकार का लगातार प्रयत्न है कि कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े तथा हमारी क्वालिटी और बेहतर से बेहतर होती जाए, ताकि हम दुनिया के बाजार में कम्पिटीशन में आ सकें, यह हमारा अनवरत प्रयत्न होता है। इसके लिए एक नहीं अनेक कदम उठाये गये हैं और इसके संबंध में विस्तृत तौर पर हमने उत्तर में ही उल्लेख कर दिया है कि

कौन-कौन से कदम हम लोग उठा रहे हैं और क्या-क्या कार्यक्रम चला रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बी. वेंकटेस्वरलु: मैं समझता हूं कि भारतीय बाजार में कृषि उत्पाद और संबद्ध क्षेत्रों की 900 मदों को प्रवेश मिलेगा। आशंका इस बात की है कि इससे भारतीय किसान बर्बाद हो जायेंगे क्योंकि वे विदेशी उत्पादों, विशेष रूप से विकसित देशों के उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। चूंकि इन चुनौती का सामना करने के लिए सरकारी निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, अत: कृषि आधारभूत ढांचे में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: इसके लिए हम लोगों ने कई स्टेप्स उठाये हैं, बाजार खुला है और जो कुछ भी चीजें हमारे यहां आ रही हैं उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इस पर हर समय निगरानी रखने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री में सैक्रेटरीज की एक कमेटी बना दी गई है, जो लगातार नजर रखेगी कि अगर कोई खास प्रोडक्ट है, सैन्सिटिव प्रोडक्ट है और वह देश में ज्यादा आ रही है तो उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाने हैं, वे उठायेंगे। जहां तक अपने माल को विदेश में भेजने का सवाल है, अपने देश को कई चीजों में कम्पिटीटिव एडवान्टेज है, हमारी कुछ चीजें विदेशों में जाती हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी विदेश में जाती है, उसके लिए हम उसे बार-बार प्रोमोट करते रहते हैं। जहां तक एग्रीमैन्ट ऑन एग्रीकल्चर का सवाल है, इसका मैनडेटिड रिव्यू चल रहा है और भारत ने वहां अपना पक्ष रखा है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में लैवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज को अपने मुल्क में सब्सिडी घटानी होगी तथा जो एक्सपोर्ट सब्सिडी कई मुल्क देते हैं, उसे खत्म करना होगा। यह प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है और भारत के और डेवलपिंग कंट्रीज के कन्सर्न को हमने रखा है कि जहां हमारे यहां 65 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और इनके लाइवलीहुड का सवाल है। इसलिए इनके लाइवलीहुड के कन्सर्न को हमने वहां मजबूती के साथ रखा है।

तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, एग्रीकल्चर में कैपिटल इनवैस्टमैंट बढ़े, इसके लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमती जस कौर मीणा: माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय कृषकों के लिए कृषि कार्य करना नियति सा बन गया है, भले ही वह कार्य उनके लिए घाटे का क्यों न हो। ऐसी स्थिति में हमें भूमंडलीकरण और विश्व व्यापार संगठन की प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों को भी सहन करना है। मेरा प्रश्न यह है कि सूखा प्रभावित राज्य जैसे राजस्थान में लघु सीमान्त किसानों के लिए ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कोई विशेष योजना बनाई गई है?

श्री नीतीश कुमार: सर, लघु और सीमान्त किसानों के लिए एक नहीं कई स्कीमें चलाई जाती हैं जिनमें उन्हें और ज्यादा रियायत दी जाती है। 27 सैन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भारत सरकार ने एक साथ मिलाकर मैक्रो मैनेजमैंट स्कीम के रूप में राज्यों को उसके हवाले किया है और हर राज्य अपने इलाके की जरूरत के हिसाब से उसमें फेरबदल कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार की तरफ से 90 प्रतिशत धन दिया जाता है और 10 प्रतिशत धन राज्य सरकारें वहन करती हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषि निर्यात क्षेत्रों के माध्यम से कृषि निर्यात के लिए अनुकूल स्थितियों की व्यवस्था है। यह एक अच्छा विचार है। केरल नकदी फसलों की भूमि है। हर वस्तु का निर्यात किया जा सकता है। परंतु हम नकदी फसलों के निर्यात की कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं। मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है। क्या मैं आपके माध्यम से उनसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या केरल में पहली बार कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है ताकि केरल के नकदी फसलों को प्रसंस्कृत और निर्यात किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: इस बार की एग्जिम पॉलिसी में यह बात आई है और उनके सुझाव पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा मैं इनके विचार को कॉमर्स मिनिस्ट्री तक पहुंचा दूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकसित राष्ट्र लगातार कृषि पर अत्यधिक छूट देकर कृषि उत्पादन लागत को घटाकर कृषि पैदावार को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपके तमाम आग्रहों के बावजूद वह कृषि पर छूट को समाप्त नहीं कर रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें किसान को अत्यधिक छूट देकर लागत मूल्य घटाकर पैदावार बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्या भारत सरकार किसानों को कृषि पर अतिरिक्त छूट देकर सीधे राजसहायता उपलब्ध कराकर कृषि लागत को घटाने का विचार करके उत्पादन को बढ़ाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो विकसित राष्ट्र हैं, वे कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक सहायता प्रदान करते हैं और जो कुछ भी ऐग्रीमेन्ट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें तरह-तरह के बॉक्स हैं -ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, ऐम्बर बॉक्स है और उसमें वह कई प्रकार की सहायता देते हैं जिससे मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। यह बात सही है और इस बात को भारत ने अपने प्रस्ताव में उठाया है। भारत ने अपने प्रस्ताव का प्रेजेन्टेशन किया है। कई राष्ट्रों का समर्थन उसे मिल रहा है। जहां तक सवाल है अपने देश में सब्सिडी बढ़ाने का, यह सब निर्भर करता है हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर। फिलहाल हम दोनों प्रकार की सब्सिडी देते हैं। प्रोडक्ट स्पैसिफिक सब्सिडी हम देते हैं बतौर एम.एस.पी. के जो हम पर्चेज करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं और जहां तक नॉन प्रोडक्टिव स्पैसिफिक सपोर्ट है, अभी भी इस देश में बिजली, पानी और फर्टिलाइजर में कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है और विभिन्न प्रकार की जो हमारी योजनाएं चलती हैं जैसे इक्विपमेंट में कई प्रकार की सब्सिडी का कंपोनेन्ट है। इस प्रकार स्टेट की तरफ से काफी सहायता दी जाती है।

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्पादन लागत को घटाने का सवाल था। डब्लयू.टी.ओ. पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने ब्रुसेल्स में एक सेमिनार आयोजित किया था। वह कोशिश कर रहे हैं लेकिन राजसहायता को कृषि क्षेत्र में बढ़ाने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी ज्यादा समय नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: जहां तक कृषकों का संबंध है, सरकार ने हाल ही के 714 वस्तुओं से आयात शुल्क हटाने के निर्णय से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपने कृषि उत्पादों को भारत में डम्प करने की विदेशों में प्रथा सी बन गई है। अब इस उत्तर में यह बताया गया है कि विश्व व्यापार सम्मेलन के साथ बातचीत चल रही है। इसका क्या परिणाम निकलेगा? कृषि क्षेत्र को घरेलू समर्थन प्रदान करने के लिए 'खाद्य-सुरक्षा-बॉक्स' बनाने का प्रस्ताव है। हम उसमें कितने सफल हुए हैं। 'खाद्य-सुरक्षा-बॉक्स' से आपका क्या तात्पर्य है? क्या घरेलू कृषि उप्पादन को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यह काफी होगा? विकसित देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका हमारे विरुद्ध है और हम 'खाद्य-सुरक्षा-बॉक्स' का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या यह पर्याप्त होगा? इससे क्या हम कृषि घाटे को वहन करने में समर्थ हो सकेंगे? यहां तक कि आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसके बारे में क्या विचार है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया घड़ी भी देख लें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जहां तक केरल के किसानों का सम्बन्ध है, इस उत्तर से उनके लिए भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, अभी तक इंपोर्ट के सिलसिले में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे यह पता चलता हो कि किसी दूसरे देश ने सस्ता माल लाकर यहां डम्प किया हो। जैसा मैंने पहले भी कहा, इसके बारे में सरकार हर स्तर पर नजर रखे हुए है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: ऐसे आयात हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसके बारे में सैक्रेटरीज की कमेटी बनाकर हम मॉनीटर कर रहे हैं। जहां तक मार्केट के खुलने का सवाल है, इसके इम्पैक्ट का असैसमेंट हो रहा है और ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि बाजार के खुलने के चलते इस प्रकार की कोई सिचुएशन पैदा हुई है।

कुंवर अखिलेश सिंह: प्रधान मंत्री इसमें सीधे हस्तक्षेप करें। उत्तर प्रदेश और बिहार में हर जगह किसान मर रहा है। वहां खोले गए गेहूं के क्रय केन्द्र हाथी के दांत साबित हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, यूरोप के कुछ विकसित देशों और अमरीका ने विशेष रूप से स्वच्छता, स्वच्छाताजनित मानदंड और संहिता के नाम पर व्यावहारिक रूप से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए कठिनाई उत्पन्न करने वाले गैर-शुल्क अवरोधों की शुरूआत की है। भारतीय कृषक को स्वच्छता और स्वच्छताजन्य मानदंडों तथा नियमों की जानकारी नहीं है। क्या सरकार विभिन्न अवरोधों और मानदंडों के बारे में भारतीय कृषकों को और अधिक जानकारी प्रदान करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह बात सही है अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश में इसके बारे में जानकारी की कमी है। जहां तक सवाल है कोडैक्स एलीमेंटेरियस का, तो जो फूड लाज हैं, उनके संबंध में अवेयरनैस की कमी है। इसके बारे में इंटरनैशनल मीटिंगों में भारत के प्रतिनिधि जा रहे हैं और भारत के हित के लिए वहां अपनी बात रख रहे हैं। इस संबंध में पूरे देश में अवेयरनैस लाई जाए, इसके लिए कैम्पेन की जरूरत है और हम लोगों ने इस काम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एकीकृत नाशिकीट (पेस्ट) प्रबंधन केन्द्र

***466. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय एकीकृत नाशिकीट (पेस्ट) प्रबंधन केन्द्र राज्य-वार किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन केन्द्रों के कार्यकरण/कार्यकलापों की निगरानी करने हेतु कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या और अधिक संख्या में एकीकृत नाशिकीट (पेस्ट) प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) 26 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्र हैं जो 22 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में स्थित हैं। राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों के कार्य निम्नवत हैं:-

(1) समय पर नियंत्रक उपाय करने के लिए राज्यों को समय से पहले चेतावनी देने के लिए कृमियों और रोगों का मानिटरन।

(2) किसानों के खेतों में फसलों में कीटों-कृमियों को सहज रूप से समाप्त करने के लिए जैव नियंत्रक अभिकारकों के संरक्षण को बढ़ावा देना।

(3) किसानों के खेतों में कीटों कृमियों और रोगों पर नियंत्रण के लिए जैव नियंत्रक अभिकारकों का उत्पादन और निर्मुक्ति।

(4) क्षेत्रीय कृषक विद्यालय तंत्र (नेटवर्क) के जरिए विस्तार कर्मियों और किसानों को क्षेत्र प्रशिक्षण देकर समेकित कृमि प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास; और

(5) प्रदर्शनों और किसान मेलों का आयोजन, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का वितरण आदि करके राज्यों में समेकित कृमि प्रबंध प्रणाली को लोकप्रिय बनाना।

(ग) और (घ) केन्द्र के कार्यों/कार्यकलापों की मानिटरन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) कृमि/रोग मानिटरन, जैव नियंत्रक अभिकारकों को सरंक्षण उत्पादन और निर्मुक्ति कृषक क्षेत्रीय विद्यालयों के आयोजन और कर्मियों और किसानों के प्रशिक्षण के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों की प्रत्येक केन्द्र द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों की आलोचनात्मक समीक्षा।

(2) केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों की वार्षिक बैठकों के दौरान प्रत्येक केन्द्र की प्रगति की भी समीक्षा की जाती है।

(3) केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने दौरा कार्यक्रमों के दौरान कार्य की प्रगति की समीक्षा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों की राज्यवार अवस्थिति

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय कमेकित कृषि प्रबंध केन्द्रों की अवस्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
		2. विजयवाड़ा
2.	असम	3. गुवाहाटी
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4. पोर्ट ब्लेयर
4.	बिहार	5. पटना
5.	छत्तीसगढ़	6. रायपुर
6.	गोवा	7. मडगांव
7.	गुजरात	8. बड़ौदा
8.	हरियाणा	9. फरीदाबाद
9.	हिमाचल प्रदेश	10. सोलन
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11. जम्मू
		12. श्रीनगर
11.	कर्नाटक	13. बंगलौर
12.	केरल	14. एर्णाकुलम
13.	मध्य प्रदेश	15. इन्दौर
14.	महाराष्ट्र	16. नागपुर
15.	मिजोरम	17. आईजोल
16.	नागालैंड	18. दीमापुर
17.	उड़ीसा	19. भुवनेश्वर
18.	पंजाब	20. जालंधर
19.	राजस्थान	21. श्रीगंगानगर
20.	सिक्किम	22. गंगटोक
21.	तमिलनाडु	23. त्रिची
22.	उत्तर प्रदेश	24. गोरखपुर
		25. लखनऊ
23.	पश्चिम बंगाल	26. बर्दवान

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

***467. श्री वाई.जी. महाजन:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये गैर-सरकारी संगठन नियमानुसार कार्य कर रहे हैं और इनके कार्यकरण की निगरानी की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) पर्यटन विभाग के पास गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, संस्कृति विभाग ऐसी स्कीमों को संचालित करता है जिनमें गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के ब्यौरे विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिये गये हैं। वर्ष 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट में उन सभी गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा दिया गया है जिनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपये या उससे अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा दिया गया है जिन्हें 5 लाख रुपये से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट में उन गैर-सरकारी संगठनों के बारे में सूचना दी

गयी है जिन्हें प्रदर्शनकारी कला परियोजनाओं और प्रस्तुतियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट में उन गैर-सरकारी संगठनों का भी ब्यौरा दिया गया है जिन्हें वेतन अनुदान भी प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में उन गैर-सरकारी सगंठनों का ब्यौरा भी दिया गया जिन्हें 1 लाख रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया।

अनुदानों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों में अन्तर्निहित तंत्र है। इनमें राज्य सरकार की सिफारिश, विशेषज्ञ समितियों द्वारा विचार, लेखा परीक्षित लेखाओं और उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुदान को किस्तों में निर्मुक्त करना शामिल है।

तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार दो ऐसे संगठन हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई और उनको अनुदान रोक दिया गया है तथा उनके विरुद्ध जांच चल रही है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम को घाटा

***468. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 2001 के ''दि स्टेट्समेन'' में ''ओ.एन.जी.सी. मे बिकम लास मेकिंग एनटिटी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह पता जला है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अगले पांच वर्षों में घाटे में चलने वाला निगम बन जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस निगम को घाटे से बचाने के लिए संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) के विषय में कोई अध्ययन आरम्भ नहीं किया है। तथापि, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने मार्च, 1997 में मैसर्स मेककिनसे एण्ड कंपनी एनकोरपोरेटिड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शदाता है, के साथ परामर्श से कारपोरेशन की पुनसंरचना करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की थी।

इन परामर्शदाताओं ने आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की ''संघटन परिवर्तन परियोजना (ओ.टी.पी.) के विषय में अपनी सिफारिशें इसके (ओ.एन.जी.सी. के) प्रबंधन को प्रस्तुत की थी। परामर्शदाताओं ने स्वयं बाद में इस संघटन परिवर्तन परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र करने की आवश्यकता के बारे में सरकार को लिखा था तथा प्रसंगवश उल्लेख किया था कि वर्तमान संघठनात्मक संरचना से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की लाभप्रदता प्रचालनगत वर्तमान लागतों तथा ह्रासमान उत्पादन एंव भंडारों के कारण उसे 5 वर्षों तक की अवधि में कम होगी।

(ग) और (घ) एक नवरत्न कंपनी होने के नाते आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को अपने प्रचालनों के संबंध में प्रचुर स्वायत्ता प्राप्त है। जहां परामर्शदाताओं की कुछेक सिफारिशें पहले ही क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है, वहीं आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का प्रबंधन शेष सिफारिशों पर भी ध्यान दे रहा है। वर्तमान में, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की संघठनात्मक संरचना में किसी परिवर्तन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

खाद्य उद्योग

***469. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने विश्व व्यापार संगठन के समझौते से पैदा होने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय खाद्य उद्योग की क्षमता के बारे में गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं;

(ख) क्या प्रसंस्कृत खाद्य केन्द्र (सेन्टर फार प्रोसेस्ड फूड्स) ने यह बताया है कि कृषि क्षेत्र को भारत में उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी आश्वासन नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विशेषज्ञों ने अन्य क्या विचार व्यक्त किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्य उद्योग को पूर्णतया सुसज्जित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में लिखे गये कुछ लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं जिनमें विश्व व्यापार संगठन समझौतों के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। यह किसी ठोस मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। बहरहाल, भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन समझौते से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

(ख) और (ग) प्रसंस्कृत खाद्य केन्द्र से पता चला है कि उन्होंने कृषि को लाभप्रद मूल्य न मिलने अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) (1) भारत सरकार ने भारतीय उद्योग को समान अवसर उलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है और कर रही है।

(2) अधिकतम खुदरा मूल्य आधार पर आयात शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है।

(3) सभी आयातित मदों के मामले में लेबल संबंधी आवश्यकताओं तथा अन्य भारतीय विधियों का कड़ाई से पालन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश को लाभ हो, कृषि संबंधी समझौते को आगे बातचीत के लिए उठाया गया है।

(5) देश में आयातित किसी मद विशेष के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है।

(6) अल्कोहल पेयों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।

(7) कोई उत्पाद डम्प किए जाने की स्थिति में डम्पिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है।

पैर और मुंह के रोग

*470. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के किसी उच्च-स्तरीय दल जिसमें केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारी शामिल हैं, ने विभिन्न राज्यों विशेषकर हरियाणा के उन ग्रामों का दौरा किया है जहां पशु पैर और मुंह के रोगों से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और विशेषज्ञ दल द्वारा ग्रामीणों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस महामारी की रोकथाम करने के लिए प्रत्येक राज्य को कौन सी विशिष्ट सहायता दी जा रही है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में हरियाणा तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में खुरपका तथा मुंहपका रोग के प्रकोप के महेनजर पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त तथा राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक तथा पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने हरियाणा के रेवाड़ी तथा गुड़गांव जिलों के कुछ गांवों का दौरा किया। दल ने स्थिति का आकलन किया, गांव वालों से बातचीत की, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ स्थिति पर विचार किया तथा खुरपका तथा मुंहपका रोग के प्रकोप के संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र की। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गोकुलगढ़ गांव में एक हजार गोपशु तथा भैंसों में से 50 पशु खुरपका तथा मुहंपका रोग से प्रभावित थे। रोग के दौरान 11 मौतें दर्ज की गई जिनमें 8 वयस्क पशु थे। गोकुलगढ़ में 22.2.2001 से खुरपका तथा मुंहपका रोग का कोई नया मामला तथा कोई मृत्यु भी नहीं हुई।

विशेषज्ञ दल ने कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं तथा रोग को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाएं हैं। प्रमुख बिन्दु हैं (1) निकटतम पशुचिकित्सा हस्पताल को खुरपका तथा मुंहपका

रोग, हेमोरहैजिक सेप्टीसेमिया या अन्य किसी बीमारी के किसी संदिग्ध मामले की तत्काल सूचना देना, (2) अप्रभावित पशुओं को खुरपका तथा मुंहपका रोग तथा हेमोरहैजिक सेप्टीसेमिया के विरुद्ध टीके लगाना (3) असंक्रामकों का प्रयोग (4) पशुओं को उचित आहार देना (5) पशु का चरना रोकना (6) पशुओं को गोपशु बाजारों को भेजने से रोकना (7) प्रभावित पशुओं का उपचार करवाना।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि वे सजग रहें तथा रोग के उभार और फैलाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर आवश्यक कदम उठाए। इसके अतिरिक्त राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे खुरपका तथा मुंहपका रोग के विरुद्ध प्रभावित पशुओं का टीकाकरण शुरू करें तथा पशुओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें। विभाग ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विभाग की सिफारिश के बिना यूनाइटेड किंगडम से पशुधन तथा पशुधन उत्पाद के आयात को अनुमति न मिले। क्षेत्रीय तथा पशु संगरोध अधिकारियों को भी अनुदेश दिया गया है कि वे रोग को बढ़ने से रोकने के लिए यूनाइटेड किंगडम से पशुधन तथा पशु उत्पादों की सभी खेपों की सावधानीपूर्वक जांच करें।

(घ) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण के तहत (जो "पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का एक घटक है) राज्य सरकारों को खुरपका तथा मुंहपका रोग के विरुद्ध पशुओं का टीकाकरण करने के लिए राज्यों को निधि प्रदान की जाती है। नौवीं योजनावधि के दौरान इस घटक के लिए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

विगत चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को खुरपका तथा मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए प्रदान की गई सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	3.00	0.18	3.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.75	3.00	2.00	2.00	8.75
3.	असम	शून्य	20.00	शून्य	शून्य	20.00
4.	बिहार	शून्य	25.00	शून्य	शून्य	25.00
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	4.00	0.55	1.36	2.00	7.91
7.	गुजरात	3.50	30.00	शून्य	29.05	62.55
8.	हरियाणा	शून्य	8.50	6.66	12.34	27.50
9.	हिमाचल प्रदेश	6.00	6.60	6.50	10.00	29.10
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4.00	शून्य	4.00	शून्य	8.00
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
12.	कर्नाटक	50.00	शून्य	65.00	27.83	142.83
13.	केरल	शून्य	6.079	4.00	3.50	13.579
14.	मध्य प्रदेश	57.27	शून्य	4.42	1.23	62.92
15.	महाराष्ट्र	15.40	शून्य	43.26	30.00	88.66
16.	मणिपुर	2.00	शून्य	5.00	शून्य	7.00
17.	मेघालय	1.60	शून्य	5.00	2.33	8.93
18.	मिजोरम	8.00	9.00	6.33	50.00	38.33
19.	नागालैंड	10.40	शून्य	1.00	5.00	16.40
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पंजाब	25.00	शून्य	75.00	शून्य	100.00
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	2.58	9.37	11.95
23.	सिक्किम	7.00	शून्य	शून्य	5.00	12.00
24.	तमिलनाडु	20.00	शून्य	6.50	13.50	40.00
25.	त्रिपुरा	4.52	शून्य	19.66	27.20	51.38
26.	उत्तर प्रदेश	29.50	50.00	28.73	36.00	144.23
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	30.00	25.00	शून्य	30.00	85.00
	कुल राज्य	279.94	183.729	290.00	261.53	1015.199
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	10.00	7.00	8.00
2.	चण्डीगढ़	0.70	शून्य	0.80	0.80	2.30
3.	दादर एवं नागर हवेली	0.40	शून्य	शून्य	शून्य	0.40
4.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	8.00	शून्य	शून्य	शून्य	8.00
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	0.20	1.00	1.20
7.	पांडिचेरी	0.50	शून्य	1.50	शून्य	2.00
	कुल संघ शासित प्रदेश	9.60	शून्य	3.50	8.80	21.90
	सकल योग	289.54	183.729	293.50	270.33	1037.099

मत्स्य पालन

*471. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्य पालन क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

(ख) यदि हां, तो सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य पालन क्षेत्र की कितने प्रतिशत भागीदारी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र को देश के विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों मे रहने वाले बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रमुख आय और रोजगार सृजक के रूप में मान्यता है;

(घ) यदि हां, तो इस समय इस क्षेत्र के माध्यम से अनुमानत: कितना रोजगार सृजित किया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के बारे में इस क्षेत्र का समग्र कार्यनिष्पादन क्या है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी, हां। 1999-2000 में चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में मात्स्यिकी क्षेत्र का प्रतिशत अंशदान 1.1 प्रतिशत है (सी.एस.ओ. तत्काल आकलन)।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय पशुधन गणना 1992 के अनुसार मात्स्यिकी क्षेत्र के माध्यम से सृजित अनुमानित रोजगार पूर्णकालिक आधार पर लगभग 7.38 लाख व्यक्ति तथा अंशकालिक आधार पर 7.13 लाख व्यक्ति है।

(ङ) और (च) सरकार इस क्षेत्र की ओर ध्यान दे रही है तथा नौवीं योजना के दौरान मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए समग्र नीति एवं मात्स्यिकी क्षेत्र पर ध्यान देने के अनुरूप विभिन्न योजना स्कीमों में राजसहायता तथा केन्द्रीय सहायता की पद्धति पुनर्निर्धारित की गई है।

(छ) उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में मात्स्यिकी क्षेत्र का सम्पूर्ण निष्पादन विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 के लिए मछली उत्पादन (राज्यवार) 2000-2001 के लिए समुद्री उत्पादों (पत्तनवार) का निर्यात तथा पूर्णकालिक एवं अंशकालिक आधार पर (राज्यवार) मछली पकड़ने में लगे हुए व्यक्तियों के आंकड़े क्रमश: विवरण II, III और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

मात्स्यिकी क्षेत्र का सम्पूर्ण निष्पादन

मत्स्य उत्पादन

	1999-2000 में मत्स्य उत्पादन (टन में)			1998-99 में मत्स्य उत्पादन (टन में)			प्रतिशत वृद्धि		
	अंतर्देशीय	समुद्री	कुल	अंतर्देशीय	समुद्री	कुल	अंतर्देशीय	समुद्री	कुल
अखिल भारत	2,822,701	2,833,848	5,856,549	2,565,790	2,696,459	5,262,249	10.01	5.12	7.48
महाराष्ट्र	135,390	397,901	533,291	125,496	394,883	520,379	7.9	0.8	2.48

निर्यात निष्पादन

	समुद्री उत्पादों का निर्यात 2000-2001		समुद्री उत्पादों का निर्यात 1999-2000		प्रतिशत वृद्धि	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा	मूल्य
सभी पत्तन	421072	6308.80	343031	5116.67	22.7	23.3
महाराष्ट्र में पत्तन	108641	832.51	83011	660.81	30.9	26.0

विवरण-II

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मछली उत्पादन, 1999-2000

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मछली उत्पादन 1999-2000 (टन में)		
		समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	166,482	380,580	547,062
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	2,395	2,395
3.	असम	–	159,768	159,768
4.	बिहार	–	254,740	254,740
5.	गोवा	62,113	3,509	65,622
6.	गुजरात	670,951	70,328	741,279
7.	हरियाणा	–	30,000	30,000
8.	हिमाचल प्रदेश	–	6,995	6,995
9.	जम्मू एवं कश्मीर	–	19,010	19,010
10.	कर्नाटक	165,653	126,646	292,299
11.	केरल*	575,500	73,900	649,400
12.	मध्य प्रदेश	–	127,429	127,429
13.	महाराष्ट्र	397,901	135,390	533,291
14.	मणिपुर	–	15,506	15,506
15.	मेघालय	–	4,676	4,676
16.	मिजोरम	–	2,890	2,890
17.	नागालैंड	–	5,000	5,000
18.	उड़ीसा	125,935	135,305	261,238
19.	पंजाब	–	47,177	47,177
20.	राजस्थान	–	12,968	12,968
21.	सिक्किम	–	140	140
22.	तमिलनाडु	363,000	112,000	475,000
23.	त्रिपुरा	–	29,340	29,340
24.	उत्तर प्रदेश	–	192,714	192,714

1	2	3	4	5
25.	प. बंगाल	180,000	865,700	1,045,700
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	28,147	56	28,203
27.	चण्डीगढ़	–	2	2
28.	दादर एवं नागर हवेली	–	29	29
29.	दमन एवं दीव	15,946	–	15,946
30.	दिल्ली	–	4,300	4,300
31.	लक्षद्वीप	13,600	–	13,600
32.	पांडिचेरी	38,620	4,210	42,830
33.	गहरे समुद्र में मत्स्यन क्षेत्र	30,000	–	30,000
	कुल	2,833,848	2,822,701	5,656,549

स्रोत: राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश
*आंकड़े अनन्तिम हैं

विवरण-III

अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए पत्तनवार निर्यात

पत्तन		2000-2001	1999-2000	+/-
1	2	3	4	5
कांडला	क्यू	36027.66	38100.78	-2073.12
	वी	221.89	212.14	9.75
पोरबंदर	क्यू	28992.47	33145.58	-4153.11
	वी	117.56	157.59	-40.03
वेरावल	क्यू	0.00	0.00	0.00
	वी	0.00	0.00	0.00
ओखा	क्यू	0.00	0.00	0.00
	वी	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	क्यू	14449.59	26583.36	-12133.77
	वी	181.79	217.03	-35.24
जे.एन.पी.	क्यू	94191.09	56428.29	37762.80
	वी	650.72	443.78	206.94

1	2	3	4	5
गोवा	क्यू	8946.43	9658.17	-711.74
	वी	28.22	36.56	-8.34
मंगलौर/आई.सी.डी.	क्यू	3780.80	13.63	3767.17
	वी	21.99	1.70	20.29
करवार	क्यू	2409.90	0.00	2409.90
	वी	7.52	0.00	7.52
कोची	क्यू	87805.64	91543.16	-3737.52
	वी	1031.20	1137.07	-105.87
तिरुवनन्तपुरम	क्यू	497.47	604.52	-107.05
	वी	12.80	9.88	2.92
टुटिकोरिन	क्यू	16984.11	17817.68	-833.57
	वी	491.99	411.99	79.45
चेन्नई	क्यू	35154.69	25646.18	9508.51
	वी	1738.16	1050.71	687.45
विजाग	क्यू	22680.96	23721.13	-1040.17
	वी	974.09	906.50	67.59
पारादीप	क्यू	0.39	0.00	0.39
	वी	0.01	0.00	0.01
हलदिया	क्यू	0.00	0.00	0.00
	वी	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	क्यू	18226.53	16397.21	1829.32
	वी	591.60	512.07	79.53
दिल्ली	क्यू	0.00	0.00	0.00
	वी	0.00	0.00	0.00
पोर्ट ब्लेयर	क्यू	0.00	0.00	0.00
	वी	0.00	0.00	0.00
पिपावव	क्यू	50923.97	3370.85	47553.12
	वी	239.81	19.65	220.16

1	2	3	4	5
अन्य पत्तन	क्यू	0.00	0.00	0.00
	वी	0.00	0.00	0.00
क्यू-मात्रा मी. टन में	क्यू	421071.70	343030.54	78041.16
वी-मूल्य करोड़ रुपए में	वी	6308.80	5116.67	1192.13

स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

विवरण-IV

मछली पकड़ने में लगे हुए व्यक्ति

(संख्या सैकड़ों में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मछली पकड़ने में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या	
		पूर्णकालिक	अंशकालिक
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,428	1,321
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	254	201
4.	बिहार	255	754
5.	गोवा	24	14
6.	गुजरात	557	236
7.	हरियाणा	4	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	19	22
10.	कर्नाटक	134	74
11.	केरल	1,099	275
12.	मध्य प्रदेश	112	566
13.	महाराष्ट्र	761	387
14.	मणिपुर	318	239
15.	मेघालय	–	–
16.	मिजोरम	–	–
17.	नागालैंड	–	–
18.	उड़ीसा	225	128
19.	पंजाब	–	–
20.	राजस्थान	5	9
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	890	145
23.	त्रिपुरा	8	31
24.	उत्तर प्रदेश	301	750
25.	प. बंगाल	884	1,927
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	9	22
27.	चण्डीगढ़	3	1
28.	दादर एवं नागर हवेली	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–
30.	दिल्ली	–	–
31.	लक्षद्वीप	9	21
32.	पांडिचेरी	83	11
	भारत	7,384	7,137

स्रोत: भारतीय पशुधन गणना-1992 संक्षेप सारांश सारणी-खंड-1
अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

[हिन्दी]

दलहनों और तिलहनों की किस्में

*472. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सगंठन दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और दलहनों और तिलहनों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास करने में लगे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संस्थाओं के नाम क्या हैं और आगामी तीन वर्षों के दौरान दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या यह वृद्धि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, हां। देश में दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें- दलहन के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग इन स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण हैं। आई.सी.ए.आर. प्रणालियों द्वारा तिलहन तथा दलहन की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास किया जा रहा है। जहां तक दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि का सम्बन्ध है, योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 2001-2002 के दौरान दलहन के लिए 16.50 मिलियन मीटरी टन तथा तिलहन के 30.00 मिलियन मीटरी टन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना के लिए दलहन एवं तिलहन उत्पादन-लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) दलहन तथा तिलहन सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन लक्ष्य, घरेलू आवश्यकता को देखते हुए किसी योजनावधि के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। खाद्य तेल तथा दलहन की मांग एवं उत्पादन के बीच अन्तर है। इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इन दोनों फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजनाओं को हाल ही में सुदृढ़ किया गया है।

[अनुवाद]

पत्तनों के विकास हेतु धनराशि

*473. **श्री चन्द्रकांत खैरे**: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न पत्तनों के विकास हेतु किसी विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी निवेश राशि प्राप्त हुई है;

(ग) ऐसे निवेश हेतु किन नियम और शर्तों पर सहमति हुई है;

(घ) पत्तनों के विकास पर कितना सम्भावित खर्च आने की संभावना है; और

(ङ) इन पत्तनों का विकास कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी हां। महापत्तनों में निजी क्षेत्र द्वारा समर्थित परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(ख) विदेशी निवेश से अब तक निजी क्षेत्र की निम्नलिखित 2 पत्तन परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(1) 750 करोड़ रु. की कुल लागत से मै.पी. एंड ओ पोर्ट्स आस्ट्रेलिया द्वारा प्रोत्साहित न्हावाशेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल।

(2) 100 करोड़ रु. की कुल लागत से मै. पी.एस.ए. कार्पोरेशन सिंगापुर द्वारा प्रोत्साहित मै. पी.एस.ए. एसआईसीएएल टर्मिनल लिमिटेड।

(ग) महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी निवेशकर्ता को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाना होगा और इसे

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इन दो परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं और शर्तें इस प्रकार हैं:-

750 करोड़ रु. की कुल लागत से मै. पी एंड ओ पोर्ट्स आस्ट्रेलिया द्वारा प्रोत्साहित न्हावाशेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल

1. बी.ओ.टी. आधार पर 30 वर्ष की पट्टा अवधि।
2. संपूर्ण निर्माण कार्य करार पर हस्ताक्षर की तारीख अर्थात् 3.7.1997 से 3 वर्ष में पूरा करना।
3. लाइसेंस करार में न्यूतम गारंटीशुदा उत्पादन और रायल्टी के भुगतान का प्रावधान है। न्यूनतम गारंटीशुदा उत्पादन में गिरावट की स्थिति में निर्धारित दर के अनुसार रायल्टी का भुगतान किया जाना है। पट्टा अवधि में पत्तन के लिए संचित अनुमानित कुल रायल्टी 4046 करोड़ रु. है।
4. पट्टा अवधि के अंत में यह संपत्ति बिना किसी लागत के पत्तन को प्राप्त होगी।

100 करोड़ रु. की कुल लागत से मै. पी.एस.ए. कार्पोरेशन, सिंगापुर द्वारा प्रोत्साहित मै. पी.एस.ए. एम.आई.सी.ए.एल. टर्मिनल लिमिटेड

वर्ष 1998 के दौरान तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रचालन और हस्तातंरण आधार पर 30 वर्ष के लिए मै. पीएसए कार्पोरेशन लिमिटेड, सिंगापुर (57.5%) मै. साउथ इंडिया कार्पोरेशन (एजेंसीज) लि. चैन्नै (37.5%) और मै. एनयूआर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रा.लि. सिंगापुर (5%) के कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित एक संयुक्त उद्यम मै. पीएसए एसआईसीएएल टर्मिनल्स लि. को कार्य सौंपकर कंटेनर हैंडलिंग प्रचालनों का निजीकरण किया। इस संयुक्त उद्यम ने कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए 100 करोड़ रु. का निवेश किया है जिसमें से मै. पीएसए कार्पोरेशन, सिंगापुर और मै. एनयूआर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रा.लि. सिंगापुर ने 14.70 मिलियन अमरीकी डालर (62.50 करोड़ रु.) और साउथ इंडिया कार्पोरेशन (एजेंसीज) लि., चेन्नै ने 37.5 करोड़ रु. का निवेश किया है। यह टर्मिनल दिसम्बर, 1999 में चालू हो गया है। यातायात में वृद्धि के अनुरूप कंटेनर के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा। चूंकि यह कार्य बीओटी आधार पर सौंपा गया है, 30वें वर्ष की समाप्ति पर यह कंटेनर टर्मिनल पत्तन न्यास को सौंप दिया जाएगा।

(घ) 9वीं योजना अवधि अर्थात् 1997 से 2002 के दौरान 4537 करोड़ रु. के सार्वजनिक व्यय का पूर्वानुमान है। इसके अतिरिक्त सरकार ने महापत्तनों में 60.50 एम.टी. क्षमता और 4527 करोड़ रु. के निवेश वाली निजी क्षेत्र की 17 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं।

(ङ) महापत्तनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है।

तेल आयात पर व्यय

***474. श्री ए. नरेन्द्र: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान तेल आयात पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कितना तेल पूल घाटा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने तेल पूल घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम करने और देश में उनकी खपत कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के लिए कच्चा तेल एवं उत्पादों का सकल आयात एवं आयात बिल क्रमश: 81.39 मिलियन मीट्रिक टन एवं 75,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 2001-2002 के दौरान सकल कच्चे तेल एवं उत्पाद आयात 93.70 एम.एम.टी. होने का अनुमान है। चालू वर्ष के लिए आयात बिल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एवं उत्पाद मूल्यों पर निर्भर करेगा।

वर्ष, 2000-2001 के अंत में तेल पूल घाटा लगभग 12,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 2001-2002 के अंत में तेल पूल घाटा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन गठित पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) ऐसी योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ करता है जो खर्चीली खपत से बचने और पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के संवर्द्धन में सहायता करते हैं। इनमें जागरूकता अभियान, परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सक्षम बोयलरों, भट्टियों तथा अन्य तेल प्रचालित उपस्करों की शुरूआत, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान पंपों का, इन्हें और अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए, सुधार, घरेलू क्षेत्र में ईंधन कुशल उपस्करों तथा मिट्टी तेल एवं एल.पी.जी. स्टोव जैसे उपकरणों का विकास एंव संवर्द्धन, इत्यादि शामिल है।

सरकार ने देश में कच्चा तेल उत्पादन की वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें ये शामिल हैं:-

(1) बर्द्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा विद्यमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक सुधारना। इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन को तेज करने में भी सहायता करेगी।

(2) उत्पादनशील क्षेत्रों में और अधिक गहन परतों में अन्वेषण करके भण्डार वृद्धि करना।

(3) नए क्षेत्रों विशेषतया गहन जल एवं दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का और अधिक तेजी से विकास करना।

(5) वर्कओवर एवं उत्प्रेरण प्रचालनों की वृद्धि करना।

(6) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों की वृद्धि करना।

(7) नए तथा उत्पादनशील क्षेत्रों में त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों के उपयोग की वृद्धि करना।

कच्चे तेल के आयात मानदंडों में छूट

*475. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में कच्चे तेल के आयात मानदंडों में छूट दी है जिससे सरकारी क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियां अधिक ठेके के आधार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कच्चा तेल खरीद सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अलग-अलग कच्चे तेल का आयात करने से तेल आयात व्यय पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न तेल कम्पनियों के तेल शोधक कारखानों के इससे किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) राष्ट्रीय तेल कंपनियों से अधिकृत बिक्री मूल्य (ओ.एस.पी.) आधार पर पर्याप्त मात्राओं में उपलब्ध न होने वाले कच्चे तेल के ग्रेडों के लिए खुले बाजार पर निर्भरता कम करके तेल आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि करने की सुविधा हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्रचलित रिफाइनरियों को अपनी कच्चे तेल की जरूरत को स्रोतीकरण हाल में इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) के माध्यम से विनियमित करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसका तेल आयात बिल पर कुछ असर पड़ेगा।

इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को अपनी जरूरत के कच्चे तेल का स्रोतीकरण उन राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ जिनकी ओ.एस.पी. नहीं होती और प्रमुख तेल उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सावधिक संविदाएं करके करने की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णयों से सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां रिफाइनरी संरूपण के बराबर कच्चे तेल के स्रोतीकरण और भाड़ा लागतों में बचतों द्वारा अपने लाभों को इष्टतम बना सकेंगी।

लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव

*476. **श्री सुबोध मोहिते:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों की सहायता से देश में ऐसे संयंत्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पूरे देश में 25 मेगावाट स्टेशन क्षमता की लघु पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। ये प्रोत्साहन, स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी, सरकारी

क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी और निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र आदि द्वारा स्थापित की गई वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी देने हेतु प्रदान किए जाते हैं। पुरानी एस.एच.पी. परियोजनाओं के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और पनचक्कियों के विकास तथा उन्नयन के लिए भी सहायता उपलब्ध है। ये योजनाएं सभी राज्यों पर लागू हैं।

(ख) प्रोत्साहनों के ब्यौरे विवरण (संलग्न) में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को अब तक पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों की सहायता से एस.एच.पी. परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) केवल राज्य क्षेत्र की एस.एच.पी. परियोजनाएं ही पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुदानों के लिए पात्र हैं। अनिवासी भारतीयों सहित स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित की गई परियोजनाएं ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

विवरण

लघु पनबिजली कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन

योजनाएं	क्षेत्र	500 कि.वा. से कम	500 कि.वा. से 1. मे.वा. तक	1 मे.वा. से अधिक और 5 मे.वा. तक	5 मे.वा. से अधिक और 15 मे.वा. तक	15 मे.वा. से अधिक और 25 मे.वा. तक
सर्वेक्षण और अन्वेषण	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	1.50 लाख रु. तक	
	पहाड़ी	1.00 लाख रु. तक		2.00 लाख रु. तक	3.00 लाख रु. तक	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	1.50 लाख रु. तक	
	पहाड़ी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	2.00 लाख रु. तक	
वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी	मैदानी	5.00%		2.50%	2.00%	1.50%
	पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	7.50%		5.00%	3.00%	2.00%
सरकारी क्षेत्र परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी	पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	परियोजना की लागत का 90% जो 75000/- रु. कि.वा. तक है	परियोजना की लागत का 90% जो 60000/-रु. कि.वा. तक है	परियोजना की लागत का 75% जो 45000/- रु. कि.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 22.50 करोड़ रु/परियोजना तक सीमित है	शून्य
	मध्य हिमालय, लद्दाख, अंडमान व निकोबार	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 50% जो 45,000 रु/कि.वा. तक है		उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 3.00 करोड़ रु/मे.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 15 करोड़ रु/परियोजना तक सीमित है	शून्य
	अन्य क्षेत्र (केवल अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र)	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 50% जो 30,000 रु/कि.वा. तक है		उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 1.5 करोड़ रु/मे.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 7.5 करोड़ रु/परियोजना तक सीमित है	शून्य
पुरानी परियोजनाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण			2 करोड़ रु/मे.वा. तक		10 करोड़ रु. प्रति परियोजना तक सीमित	शून्य
पनचक्कियों का विकास/उन्नयन						
यांत्रिक पद्धति			30,000 रु.			
यांत्रिक/विद्युत पद्धति			60,000 रु.			

प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन

*477. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन एक स्तर पर लगभग स्थिर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मात्रा निम्नानुसार थी:

वर्ष	कच्चा तेल (मिलियन मीट्रिक टन)	प्राकृतिक गैस (बिलियन घन मीटर)
1998-99	32.70	27.43
1999-2000	31.93	28.45
2000-2001	32.45	29.47

(ख) और (ग) घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन का स्तर निम्नलिखित प्रतिकूल घटकों के बावजूद नियमित बनाए रखा गया:

(1) मुंबई हाई जैसे प्रमुख क्षेत्र ह्रासमान हैं जो कि पुराने हो रहे क्षेत्रों में एक कुदरती प्रक्रिया है।

(2) पिछले 10-12 वर्षों में कोई प्रमुख खोज नहीं की जा सकी।

(3) तेल और गैस के लिए संभाव्यतापूर्ण क्षेत्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्याओं, भूमि प्राप्त करने में विलम्बों, बिजली की कमियों आदि ने अन्वेषण और उत्पादन कार्यक्रमों में बाधाएं डाली हैं।

रबी फसलों का समर्थन मूल्य

*478. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में इस मौसम में गेहूं और रबी फसलों के अन्य कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है क्योंकि कृषि आदानों की कीमतों में वृद्धि हो गई है जैसा कि 24 मार्च, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2001-2002 मौसम में बेची जाने वाली वर्ष 2000-2001 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में निम्नवत घोषित किये हैं:

(प्रति क्विंटल रुपये)

जिंस	न्यूनतम समर्थन मूल्य		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
	2000-2001	1999-2000	
गेहूं	610	580	30
जौ	500	430	70
चना	1100	1015	85
तोरिया/सरसों	1200	1100	100
कुसुम	1200	1100	100

[हिन्दी]

रेलवे में अतिरिक्त कलपुर्जों का आयात

*479. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान रेलवे के अतिरिक्त कलपुर्जों, सवारी डिब्बों, रेल इंजनों और अन्य संबंधित सामग्री के आयात पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की निर्माता इकाइयों को कितने मूल्य के क्रयादेश दिए गए;

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से सरकारी क्षेत्र की निर्माता इकाइयों को दिए जाने वाले क्रयादेशों में कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार):

(करोड़ रुपए में)

(क)	1999-2000	2000-2001
	668.50*	अभी लेखा बहियों का पुनर्मिलान तथा उन्हें बंद किया जाना है। आंकड़े अगस्त, 2001 तक उपलब्ध होंगे।
(ख)	3812	4651*

*अनंतिम आंकड़े

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

***480. श्री रघुनाथ झा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने विभाग द्वारा 18,253 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले 9,153 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो कम धनराशि आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अपर्याप्त आबंटन से नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो जाएगी तथा नौवीं योजना के लिए खाद्यान्नों और दलहनों आदि के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित तथा योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित परिव्ययों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	नौवीं योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय	योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	कृषि संगणना	56.50	48.00
2.	सहकारिता	1362.45	765.00
3.	ऋण	5078.49	1633.85
4.	फसल	1353.00	1279.82
5.	विस्तार	421.00	180.00
6.	उर्वरक	186.97	167.50
7.	कृषि उपस्कर एवं मशीनरी	1052.00	96.00
8.	बागवानी	2380.00	1298.00
9.	पौध संरक्षण	503.90	122.51
10.	वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली	1595.00	1030.00
11.	बीज	138.25	130.80

1	2	3	4
12.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग	362.16	244.00
13.	मृदा एवं जल संरक्षण	1656.34	891.62
14.	तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन	2058.75	906.00
15.	प्राकृतिक आपदा प्रबंध	14.00	40.00
16.	व्यापार (लघु कृषक कृषि व्यापार) संघ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	20.00	40.00
17.	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	180.00
18.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	15.00	15.00
19.	योजना समन्वय (वृहद प्रबंध)	0.00	3.00
20.	कृषि विपणन	0.00	70.00
21.	नीति प्रभाग	0.00	12.72
	कुल	*18253.81	9153.82

*मात्स्यिकी प्रभाग को छोड़कर कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय।

(ख) समग्र बजट कठिनाइयों तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के दृष्टिगत योजना अनुमोदन चरण में आबंटन घटाना पड़ा।

(ग) भारतीय कृषि के उत्पादन आधार में संरचनात्मक सुधार तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सहित कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य हासिल कर पाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

बड़ी कंपनियां

4795. **श्री एस.पी. लेपचा:**
श्री मोइनुल हसन:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बड़ी कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्ये बड़ी कंपनी की परिसंपत्तियां कितनी थी;

(ग) इन कंपनियों का सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान कितना है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 में "बड़ी कम्पनियां" जैसा कोई पद परिभाषित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित वेतमान

4796. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1996 से विभागीय कैंटीन कर्मचारियों का संशोधित और उन्नत वेतनमान केरल में सी.पी.सी.आर.आई., कासरगॉड में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड के कैंटीन कर्मचारियों से संबंधित संशोधित तथा उच्च वेतनमानों को पहले ही लागू कर दिया गया है और ये वेतनमान दिनांक 1.1.1996 से प्रभावी हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन संयंत्र

4797. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस की आपूर्ति न किए जाने के कारण गुजरात में एन.टी.पी.सी. के विद्युत उत्पादन संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) की गुजरात में दो गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं यथा एक 645 मे.वा. क्षमता का कवास में और दूसरा 648 मे.वा. क्षमता का झनौर गांधार में। अपर्याप्त गैस आपूर्ति के कारण इन स्टेशनों में विद्युत उत्पादन में होने वाली हानि, गैस की वास्तविक स्थिति तथा गैस आवश्यकता और लिंकेज का ब्यौरा निम्नवत है:-

			1999-2000		2000-2001	
	गैस की आवश्यकता (एम.सी.एम.डी.)	गैस लिंकेज (एम.सी.एम.डी.)	गैस आपूर्ति (एम.सी.एम.डी.)	विद्युत उत्पादन में हानि (मि.यू.)	गैस आपूर्ति (एम.सी.एम.डी.)	विद्युत उत्पादन में हानि (मि.यू.)
कवास जीपीसी	3.0	2.25	2.07	92	1.47	84
झनौर गांधार जीपीपी	3.0	1.50	1.26	2741	1.53	2706

दक्षिण गंधार गैस क्षेत्रों में झनौर गंधार संयंत्र को की जाने वाली गैस आपूर्ति धीरे-धीरे घट रही है। वर्ष 1998-1999 में 1.25 एम.सी.एम.डी. की गैस आपूर्ति की तुलना में मार्च, 2001 में आपूर्ति कम होकर 0.51 एम.सी.एम.डी. हो गई है। गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (गैल) द्वारा इष्टतम क्षमता समुपयोजन हेतु गैस आपूर्ति पूरा करने के लिए कवास गैस संयंत्र से गैस झनौर गंधार गैस संयंत्र को भेजी जा रही है।

(ख) और (ग) मै. गैल की हजीरा विजयपुर जगदीशपुर (एचबीजे) पाईप लाइन को झनौर गंधार गैस संयंत्र के साथ जोड़ने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मै. गैल से अनुरोध किया गया था। गंधार गैस संयंत्र को एचबीजे के साथ जोड़ने के लिए मै. गैल द्वारा सभी संबंधित अवसंरचना के साथ एक 14×23 कि.मी. पाइप लाइन लगाई गई है। लाईन 11.8.2000 को चालू हो गई है। इससे एनटीपीसी कवास गैस संयंत्र हेतु आवंटित गैस झनौर गांधार गैस संयंत्र को भेजने में सक्षम हो गया है।

संकेताक्षर-

एम.सी.एम.डी.	-	मिलियन घन मीटर प्रति दिन
एम.यू.	-	मिलियन यूनिट
जीपीसी	-	गैस विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

संकर प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाना

4798. **श्री सुबोध राय:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों द्वारा संकर प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि कार्य अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा इस पर की गयी सिफारिशों समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) विभिन्न फील्ड और बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेहतर फार्म कृषि-क्रियाओं के साथ संकर प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में से एक है। तदनुसार संकरों, खासतौर से फील्ड क्राप्स नामत: चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार सूरजमुखी, कुसुम, अरण्डी, तोरिया, सरसों, अरहर और बागवानी फसलों नामत: बैंगन, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी, कद्दू, गाजर, खरबूजा, तरबूज, आम, अमरूद, अंगूर, शरीफा और सेब के संकरों के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) विभिन्न फील्ड फसलों और बागवानी फसलों के विकसित किए गए और जारी किए गए महत्वपूर्ण संकरों को संलग्न विवरण में दिया गया है- विभिन्न संकरों की उच्च उत्पादन क्षमता को देखते हुए उत्पादन प्रौद्योगिकियों जैसे पोषक और सिंचाई आवश्यकताएं, खरपतवार प्रबंध समेकित नाशीकीट और रोग प्रबंधन की सिफारिश की गई। इन फसलों के संकरों के बीज उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों को मानकीकृत किया गया है ताकि अधिकतम बीज उत्पादन किया जा सके और बीजों की लागत को न्यूनतम किया जा सके।

(ग) भारत सरकार ने विभिन्न फील्ड और बागवानी फसलों के संकरों को जारी किया है और अधिसूचित किया है। इस प्रकार से जारी आशाजनक संकरों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती के अंतर्गत उगाया जा रहा है। संकर किस्मों और विभिन्न स्तर पर बीज उत्पादन जैसे प्रजनक, मूल और प्रमाणिक बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए अग्रश्रेणी प्रदर्शन किए गए तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

विवरण

संकरों की सूची

क्र. सं.	फसलों का नाम	संकरों के नाम
1	2	3
क. फील्ड क्रॉप्स		
1.	चावल	ए.पी.एच.आर.-1, ए.पी.एच.आर.-2, डी.आर.आर.एच.-1, के.आर.एच.-1, के.आर.एच.2, एम.जी.आर.-1, सी.ओ.आर.एच.-2, ए.डी.टी.आर.एच.-1, पन्त संकर धान-1, नरेन्द्र संकर धान-2, सी.एन.आर.एच.-3, सह्याद्री, पी.एच.बी.-71. पी.ए.-6201.
2.	मक्का	(1) *पूरे मौसम में:* डेक्कन-105, त्रिशुलता, पारस, धारवाड़ मक्का-3, एच.एच.एम.-1, एच.एच.एम-2 (2) *गौण अवस्था में:* डेक्कन 107, राजेन्द्र मक्का-1, राजेन्द्र मक्का-2 (3) *अगेती संकर:* डेक्कन 109, हिम 129, प्रकाश, पूसा अगेती संकर मक्का 1, पूसा अगेती मक्का 2, विवेक संकर-4, ए.एच. 58
3.	ज्वार	सी.एस.एच. 5, सी.एस.एच. 6, सी.एस.एच. 9, सी.एस.एच. 10, सी.एस.एच. 13, सी.एस.एच. 14, सी.एस.एच. 15 आर, सी.एस.एस. 16, सी.एस.एच. 17, सी.एस.एच. 18, जे.के.एस.एस. 22, एम.एल.एस.एच. 14
4.	बाजरा	पूसा 322, 444, आर.एच.बी. 58, जी.एच.बी. 316, पूसा 605, पूसा 415, एच.एच.बी. 94, आर.एच.बी. 30, आर.एच.बी. 90, जी.एच.बी.-15, जी.एच.बी. 235, जी.एच.बी. 183. शारदा, साबौरी, देवगिरी, एक्स 6, एक्स 7, जे.के.बी.एच. 26, जी. के. 1004, पी.ए.सी. 903

1	2	3
5.	कपास	(1) *उत्तरी क्षेत्र:* फतेह धनलक्ष्मी, सी.एस.एच.एच. 29, (ओम शंकर), एल.एच.एच. 144, एल.डी.एच. 11, एच.डी. 107, आर.डी. हाइब्रिड 7, ए.ए.एचज. 1 (2) *मध्य क्षेत्र:* जी कोट 8, जी कोट 10, सी.आई.सी.आर.एच.एच. 1 (कीर्ति), जे.के. हाइब्रिड 2, एन.एच.एच. 302, पी.एच.एच. 316, पी.के.बी. हाइब्रिड 4 (3) *दक्षिणी क्षेत्र:* सविता, सूर्या (टी.एम. 1312), डी.एच.एच. 11, डी.एच.बी. 105, एल.ए.एच.एल. 1, एल.ए.एच.एच. 4
6.	अरहर	आई.सी.पी.एच. 8, पी.पी.एच. 4, सी.ओ.एच. 1, सी.ओ.एच. 2, ए.के.पी.एच. 4101, ए.के.पी.एच. 2022
7.	सूरजमुखी	पे.के.वी.एम.एच.-27, जी.एस.एच. 1, के.बी.एस.एच. 1, पी.एस.एफ.एच. 67, ज्वालामुखी, सनगीन 85, पी.ए.सी. 36, पी.ए.सी. 1091, एम.एल.एस.एफ.एच. 47
8.	अरण्डी	जी.सी.एच. 4, डी.सी.एच. 32, डी.सी.एच. 177, जी.सी.एच. 5, जी.सी.एच. 6
9.	कुसुम	जी.एस.एच. 129, एम.के.एच.11
10.	तोरिया एवं सरसों	हायोला 401
ख. सब्जी वाली फसलें		
11.	बैंगन	अर्का नवनीत, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 5, ए.आर.बी.एच. 201, एन.डी.बी.एच. 1, ए.बी.एच. 1, एम.एच.बी. 10, एम.एच.बी. 39, एन.डी.बी.एच. 6, ए.बी.एच. 2
12.	टमाटर	ए.आर.टी.एच. 3, ए.आर.टी.एच. 4, पूसा हाइब्रिड 2, एन.ए. 501, डी.टी.एच. 4, एम.टी.एच. 6, अर्का वर्धन, के.टी. 4, एन.ए. 601, एफ.एम.एच. 1, बी.एस.एस. 20
13.	बंदगोभी	पूसा सिन्थेटिक, श्री गणेश गोब नाथ 401, बी.एस.एस. 32
14.	फूलगोभी	पूसा हाइब्रिड 5
15.	खरबूजा	एम. 3
16.	तरबूज	अर्का ज्योति
17.	कद्दू	पूसा हाइब्रिड 1
18.	गाजर	हाइब्रिड 1
ग. फल वाली फसलें		
19.	आम	आम्रपाली, मल्लिका, अर्का अरुण, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, रतना, सिंधु, दशहरी 51
20.	अमरूद	अर्का अमूल्य, अर्का मृदुला
21.	अंगूर	अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का श्वेता
22.	शरीफा	अर्का सकेन
23.	संब	लाल अम्बरी, सुनहरी, एम्ब्रेड, अम्बीक

कच्चे तेल की खरीद मूल्य में रियायत

4799. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओपेक के महासचिव ने हाल में नई दिल्ली की यात्रा की; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर कच्चे तेल की खरीद में रियायत पर हुई सहमति के संबंध में क्या चर्चा हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) ओपेक के महासचिव ने यह राय दी है कि एक संगठन के रूप में ओपेक कच्चे तेल की खरीद में मूल्य रियायत पर विचार नहीं कर सकता। तथापि, अपने ग्राहकों को तेल आपूर्ति के निबन्धनों पर चर्चा करना सदस्य देशों पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने सहमति जताई कि परस्पर सहमति योग्य व्यवस्था खोजने के लिए तेल निर्यातक देशों और तेल का उपभोग करने वाले विकासशील देशों के बीच प्रगाढ़ सहयोग की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास

4800. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हजारदुआरी पैलेस, उत्तर दिनाजपुर में कुलिक स्थित पक्षी अभयारण्य, मालदा जिले के आदिना मस्जिद, जल्दापारा अभयारण्य को नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पशुओं का निर्यात

4801. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश से पशुओं के निर्यात को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पशुवार कितने पशुओं का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान पशुओं के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान विभिन्न पशुओं का निर्यात

क्र.सं.	पशु का नाम	पशुओं की संख्या
1	2	3
	1998-1999	
1.	जीवित घोड़े, शुद्ध संकरित प्रजनन	38
2.	प्रजनन के उद्देश्य से जीवित भेड़ तथा मेमने	20000
3.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन <= 185 ग्राम	1504112

1	2	3
4.	अन्य जीवित कुक्कुट वजन <= 185 ग्राम	1546831
5.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन < 2000 ग्राम	82150
6.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी > 200 ग्राम	40,000
7.	अन्य जीवित कुक्कुट वजन > 185 ग्राम	64700
	1999-2000	
1.	जीवित घोड़े, शुद्ध संकरित प्रजनन	16
2.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन <= 185 ग्राम	1349852
3.	अन्य जीवित कुक्कुट वजन <= 185 ग्राम	2689186
4.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन < 2000 ग्राम	212600
5.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन > 200 ग्राम	40000
6.	अन्य जीवित कुक्कुट वजन > 185 ग्राम	36090
	2000-2001 (अप्रैल, 2000 से नवम्बर, 2000 तक)	
1.	जीवित घोड़े, शुद्ध संकरित प्रजनन	1474
2.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन < = 185 ग्राम	598459
3.	अन्य जीवित कुक्कुट वजन <= 185 ग्राम	2210042
4.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन <= 2000 ग्राम	28520
5.	गैलस घरेलू प्रजाति की मुर्गी वजन > 200 ग्राम	26652
6.	अन्य जीवित कुक्कुट वजन > 185 ग्राम	289789
7.	जीवित पक्षी	4000
8.	अन्य जीवित पशु एन.ई.एस.	2117

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता

जाजोबा पौधा

4802. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जाजोबा नामक पौधे का तेल और उसके व्युत्पन्न सौन्दर्य प्रसाधन, भेषज और औद्योगिक प्रयोग हेतु रसायनिक एजेन्ट लुब्रिकेन्टों, विद्युत इन्सुलेटरों आदि में प्रयोग हेतु प्रभावी पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता करने के लिये कोई प्रयोगशाला परीक्षण किया गया है कि यह तेल वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो और क्षेत्रों में इसकी खेती करके उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस पौधे की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां 'जोजोबा' पौधे का तेल लुब्रिकेंट, सौंदर्य प्रसाधनों और भेषज के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ख) प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि 'जोजोबा' तेल लुब्रिकेंट के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह तेल ईंधन का विकल्प नहीं है लेकिन यह उच्च दबाव के इंजन के लिए भी बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है।

(ग) 1995 में स्थापित राजस्थान जोजोबा बागान संस्था और अनुसंधान परियोजना अच्छी पौध सामग्री की आपूर्ति और उत्पाद की खरीदी द्वारा जोजोबा बागानों की देखभाल करती है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रभावी थी।

(घ) यह पौध रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान) के सक्रिय सहयोग से राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने 1992 के दौरान जोजोबा बागान का प्रारंभ किया। अनुमान है कि देश में जोजोबा बागान लगभग 300 हैक्टर क्षेत्र में हैं। राजस्थान सरकार उत्पादकों को जोजोबा की पौध तथा बीजों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सरकारी सहायता प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश और उसके आस-पास के राज्यों में बारानी परिस्थितियों के अंतर्गत पौध जीवितता बहुत कम थी।

जूट थैलों के उत्पादकों के सम्मुख कठिनाईयां

4803. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में जूट थैले के उत्पादकों के सम्मुख कठिनाईयों को जानकारी है, जो बंग्लादेश से जूट के थैलों के आयात के कारण अपने उत्पाद सस्ती दरों पर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) गत वर्ष के दौरान पटसन के सामान का बहुत सीमित आयात हुआ है। इसका पटसन के सामान के घरेलू बाजार पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 में खाद्यान्न, चीनी और उर्वरक जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों में पटसन के सामान की अनिवार्य पैकिंग करने तथा कच्चे पटसन के सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

बकाया राशि

4804. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड को राज्यवार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार और बिजली बोर्डों ने बकाया धनराशि की वसूली हेतु कोई कार्य योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को देय राज्य-वार कुल बकाया राशियां संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। जुलाई, 2000 में, सरकार ने विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर बकाया राज्य विद्युत बोर्डों की देय राशियों के प्रत्याभूतिकरण हेतु एक स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(1) संबंधित चूककर्त्ता रा.वि.बो. 31.12.1999 तक अथवा अन्य किसी परस्पर रूप से सहमत तिथि तक बकाया मूल राशि को शामिल करने के लिए विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय के सीपीएसयू को बॉण्ड जारी करेंगे।

(2) इन बॉण्डों को राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की जाएगी जिसमें रा.वि.बो. द्वारा बॉण्डों का भुगतान न किए जाने की स्थिति में बॉण्डों के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार के बजट में विशेष आवंटन किए जायेंगे।

(3) बॉण्डधारकों को और सुविधा प्रदान करके केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा गारंटी देयताओं की पूर्ति न कर पाने की स्थिति में बॉण्डों के विमोचन के लिए संबंधित राज्य के सीपीए आवंटनों की 15% तक की कटौती करने के लिए विद्यमान प्राधिकार का प्रयोग करेगी।

(4) यह बॉण्ड कर-मुक्त होंगे।

(5) उपरोक्त विशेषताओं के कारण, इन बॉण्डों को गौण बाजार में बेचे जाने की आशा की जा सकती है तथा केन्द्रीय पीएसयू के पास इन बॉण्डों को गौण बाजार में बेचकर अपना पैसा वसूलने का विकल्प होगा।

(6) रा.वि.बो. द्वारा गारंटीशुदा कर-मुक्त बॉण्ड जारी करने की उपरोक्त सुविधा केवल उन रा.वि.बो./राज्य सरकारों को उपलब्ध होगी जो एक उपयुक्त सुधार पैकेज के क्रियान्वयन पर सहमत होंगे जिसमें रा.वि.बो. द्वारा वर्तमान बकाया राशियों का भुगतान करना तथा वर्तमान बकाया राशियों के 105% तक साख-पत्र खोलना शामिल है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार सुधारों के लक्ष्यों की अनुपालना करना तथा संबंधित राज्य में तीव्रता से एसईआरसी की स्थापना करना इत्यादि पर सहमत होंगे।

हाल ही में, श्री एम.एस. अहलुवालिया, सदस्य (ऊर्जा) योजना आयोग की अध्यक्ष एक विशेषज्ञ दल का भी गठन किया गया है ताकि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर राज्य विद्युत बोर्डों की देय राशियों तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सीपीएसयू को देय बकाया राशियों के एकमुश्त समयोजन के लिए उपाय सुझाए जा सकें।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रु. में)

मार्च, 2001 माह (31.3.2001) तक बंद के लिए बिलिंग एवं वसूली रिपोर्ट

रा.वि.बो. का नाम	बिलिंग	क्रमिक वर्ष के लिए			अन्य समायोजन	विवादित	अविवादित	कुल
		वास्तविक वसूली	ई./बी रायल्टी उपकर समायोजन	कुल वसूली				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीएसईबी	157.76	147.58	–	147.58	-6.17	92.08	198.28	290.36
यूपीएसईबी	1048.74	1016.92	50.12	1067.04	-30.34	14.5	394.92	409.42
पीएसईबी	707.57	685.04	–	685.04	-23.67	201.34	48.19	249.53
टीएनईबी	921.73	728.37	–	728.37	-58.61	220.98	233.98	454.96
एचएसईबी	231.51	217.18	–	217.18	-29.32	2.09	49.96	52.05
आरएसईबी	611.22	558.76	–	558.76	-0.37	10.73	74.21	84.94
एमएसईबी	2086.94	1832.26	128.96	1961.22	-234.51	333.08	435.02	768.1
एमपीईबी	1194.99	491.35	442.93	934.28	-10.24	133.12	872.02	1005.14
ओएसईबी	88.9	–	65.33	65.33	–	–	3.57	3.57
जीईबी	841.92	763.07	–	763.07	-7.06	0.51	688.85	689.36
डब्ल्यूबीएसईबी	262.7	99.88	56.09	155.97	-13.06	14.44	286.43	300.87
डब्ल्यूबीपीडीसी	408.08	68.91	142.89	211.8	-28.67	51.96	637.14	689.1
एपीईबी	417.03	403.42	–	403.42	-1.24	4.44	23.03	27.47
एएसईबी	12.5	12.5	–	12.5	–	–	-1.25	-1.25
केपीसीएल	168.2	160.43	1.34	161.77	-7.59	–	3.51	3.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डीपीएल	101.28	59.09	0.02	59.11	-8.65	1.85	186.45	188.3
डीवीसी	482.6	203.31	275.65	478.96	-33.73	84.54	43.11	127.65
डीवीबी	128.72	132.27	-	132.27	0.41	13.88	6.08	19.96
बीटीपीएस	338.83	298	-	298	-13.58	263.65	288.47	552.12
एनटीपीसी	4674.88	4337.72	-	4337.72	-287.9	126.05	59.73	185.78
सीईएससी	409.78	391.24	-	391.24	-8.75	0.75	13.76	14.51
टीईसी	114.01	114.3	-	114.3	-4.22	10.92	7.14	18.06
बीएसईएस	96.53	95.46	-	95.46	-0.02	-	2.31	2.31
डीपीएस	34.14	35.03	-	350.3	-0.1	-	1.32	1.32
तेनुघाट	-	59	-	59	5.18	-	9.46	9.46
एचपीसीएल	21.88	22.19	-	22.19	-3.89	-	-0.46	-0.46
ओपीजीसी	115.38	59.17	56.43	115.6	-	-	-0.74	-0.74
आरपी कंपनी	232.83	232.83	-	232.83	-	-	-	0
कुल जल विद्युत	-	-	-	-	0.01	-	-0.02	-0.02
जोड़	15978.26	13225.28	1219.76	14445.04	-806.09	1580.91	4564.47	6145.38

[अनुवाद]

सांस्कृतिक उदारीकरण पैकेज

4805. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्व अर्जित करने के लिये एक सांस्कृतिक उदारीकरण पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विरासत स्थलों को निजी हाथों में सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन और परिरक्षण में संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा सहयोग दिए जाने के लिए नवम्बर, 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। राष्ट्रीय संस्कृति निधि स्मारकों के संरक्षण की परियोजनाओं हेतु निजी व्यक्तियों/अभिकरणों से धन प्राप्त करती है, जो केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निष्पादित की जाती हैं। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित कठोर निबंधन और शर्तों तथा इनके समग्र नियन्त्रण और पर्यावेक्षण के अधीन, पर्टयकों संबंधी सुविधाओं का सृजन तथा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आस-पास पर्यावरण में सुधार कार्य को इन एजेंसियों द्वारा सीधे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

संविधान का प्रकाशन

*4806. **श्री रामदास आठवले:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय संविधान का अद्यतन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया है;

(ख) क्या भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण आम आदमी को उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक किये गये सभी संशोधनों सहित भारतीय संविधान के अद्यतन संशोधित संस्करण उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) भारत के संविधान का अद्यतन संस्करण, वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान का अद्यतन द्विभाषी संस्करण हाल ही में जनवरी, 2000 में प्रकाशित किया गया था। इसकी 22,500 प्रतियां प्रकाशित की गई थीं और जो जनता को विक्रय के लिए प्रकाशन नियंत्रक सिविल लाइन, दिल्ली के पास उपलब्ध है।

(घ) आमतौर पर पुनरीक्षित संस्करण के लिए, तभी विचार किया जाता है जब वर्तमान संस्करण की प्रतियों का विक्रय हो चुका हो।

[अनुवाद]

डैबोरगांव और मैराबारी के बीच रेल सेवा पुन: शुरू करना

4807. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डैबोरगांव से मैराबारी तक बंद कर दी गयी रेल सेवा को पुन: बहाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल सेवा के कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नयी इलैक्ट्रॉनिक मार्गदर्शन प्रणाली आरंभ करना

4808. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लाल किले में पर्यटकों के मार्ग दर्शन के लिए एक नयी इलेक्ट्रानिक मार्ग दर्शन प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में ऐसी सुविधाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों के नाम क्या हैं और इस पर स्मारकवार कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) पर्यटकों द्वारा इस प्रणाली के प्रयोग हेतु क्या शुल्क निर्धारित किया गया है;

(च) क्या सरकार महत्वपूर्ण स्मारकों पर सी.डी. रोम्स जारी करने की योजना भी बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके लिए चयनित स्मारकों के नाम क्या हैं और इस पर कितना व्यय आयेगा?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) हैन्डी आडियो रीच किट (हार्क) नामक प्रणाली उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित है और यह पर्यटक को स्मारक के विभिन्न भागों के बारे में उसके पास जाने पर हेडफोन पर स्वत: द्विभाषी विवरण प्रदान करता है।

यह सुविधा लालकिले में निम्नलिखित स्थानों पर प्रदान की गई है:-

नौबत-खाना, दिवान-ए-आम, हयात बक्श बाग, शाह बुर्ज, हम्माम, दिवान-ए-खास, रंगमहल, खास महल तथा मुमताज महल।

प्रणाली की कुल स्थापना लागत 2,22,500 रुपए थी।

(ग) जी, हां।

(घ) देश के विभिन्न स्मारकों में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रानिक मार्गदर्शन प्रणाली प्रारंभ करना प्रस्तावित है। अगले दो स्मारक, जहां यह प्रणाली शीघ्र ही संस्थापित की जानी है, वे हैं:-

(1) कुतुब मीनार, नई दिल्ली।

(2) हुमायुं का मकबरा, नई दिल्ली।

कुतुब मीनार में इलेक्ट्रानिक मार्गदर्शन प्रणाली संस्थापित करने की प्रस्तावित लागत 3,91,050 रु. तथा हुमायुं की मकबरे में 2,48,850 रु. है।

(ङ) प्रति उपकरण किराया दर उपकरण की वापसी पर 150 रु. की वापसी योग्य जमानत डिपाजिट के साथ 20 रु. निर्धारित की गई है।

(च) और (छ) जी, हां। पर्यटन विभाग ने खजुराहो, ताजमहल, हम्पी तथा कोणार्क पर वर्चुअल सी डी रोम्स रिलीज किए हैं। हम्पी और अजन्ता पर वर्चुअल वाकथ्रु सी डो रोम्स रिलीज करना प्रस्तावित है।

खजुराहो और ताजमहल पर वर्चुअल सी डी रोम्स 6,38,560 रु. की कुल लागत पर निर्मित किए गए थे। हम्पी और कोणार्क पर सी डी रोम्स 6,55,000 रु. की कुल लागत पर निर्मित किए गए थे। हम्पी और अजन्ता पर वर्चुअल वाकथ्रू सीडी रोम्स के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम संबंधी समिति

4809. श्री जय प्रकाश: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के संबंध में सिफारिशें देने के लिये गठित मेकेन्जी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस रिपोर्ट के आधार पर क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.ए.जी.सी.) ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शदाता-मैसर्स एम.सी. किन्से एंड कंपनी इनकारपोरेटेड के परामर्श से मार्च, 1997 में कारपोरेशन के पुनर्गठन के लिए एक परियोजना आरम्भ की। ओ.एन.जी.सी. को परामर्शदाता को सिफारिशें वर्ष 1997 से 1999 की अवधि के दौरान चरणों में प्राप्त हुई। परामर्शदाता की सिफारिशों में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के ओ.एन.जी.सी. के मुख्य कार्यों पर ज्यादा धन दिए जाने की आवश्यकता, तेल क्षेत्र सेवाओं में कौशल और विज्ञता का बेहतर प्रबंधन, अधिक वाणिज्यिक और कार्यनिष्पादन जिम्मेदारी और विकेन्द्रीकरण द्वारा तुरन्त निर्णय लेने का उल्लेख किया गया था। परामर्शदाता की प्रचालनात्मक सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ संरचनात्मक परिवर्तनों पर संकेन्द्रित ध्यान की आवश्यकता, अन्वेषण, रिजर्वायर प्रबंधन, वेधन, सामग्री प्रबंधन, सम्भार तंत्र, मानव संसाधन, बजट और लागत लेखांकन, कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणालियों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं और सूचना सेवाओं के क्षेत्रों में भी परिवर्तन की आवश्यकता सम्मिलित थी। ओ.एन.जी.सी. को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में अपने प्रचालनों में व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है। जबकि परामर्शदाता की कुछ सिफारिशें पहले से ही लागू किए जाने के लिए विभिन्न चरणों में हैं, बाकी पर ओ.एन.जी.सी. के प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के पास वर्तमान में ओ.एन.जी.सी. की संगठनात्मक संरचना में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

गुजरात में भूकंप के कारण नुकसान

4810. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में हाल में आये भूकंप के कारण विधि मंत्रालय के अधीन विभागों को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ख) मंत्रालय द्वारा ऐसे विभागों और भूकंप पीड़ितों हेतु क्या राहत/सहायता भेजी गयी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के अधीन किसी भी विभाग को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है। अत: उन विभागों को किसी प्रकार की राहत भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं उटता। तथापि, भूकंप पीड़ितों के लिए इस मंत्रालय के विभागों के अधिकारियों कर्मचारिवृंद द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में लगभग 1.68 लाख रुपए की राशि का अभिदाय किया गया है।

जापान से प्रौद्योगिकी

4811. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने में 82% किसानों के पास निवेश क्षमता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो जापान से उत्पादों के मूल्यवर्धन, पूंजी निर्माण और विकास के लिये उनकी अति विकसित कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने/ग्रहण करने हेतु क्या सहायता लिये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) भारतीय कृषि में अधिकांशत: उन छोटे और सीमान्त किसानों की बहुलता है जिनके पास मुश्किल से ही निवेश क्षमता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चन्देरविहार हाल्ट स्टेशन की लंबाई

4812. श्री राजेश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 2001 को "राष्ट्रीय सहारा" में चन्देरविहार हाल्ट के निर्माण निर्धारित लंबाई से कम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्लेटफार्म के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच कराने के बाद भी कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) चन्दरविहार हाल्ट के प्लेटफार्म का निर्माण करने में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। स्वीकृत कार्य के अनुसार प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग के लिये विश्व बैंक सहायता

4813. श्री अमीर आलम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक भारत के सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग को सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक, राज्यवार सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग को मिली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहायता की पेशकश के संबंध में ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा सहायता लेने का तरीका क्या होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुक्ता-पन्ना तेल क्षेत्र में तेल की खोज

4814. श्री अनन्त नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र की सहायता से मुक्ता-पन्ना तेल क्षेत्र का दोहन करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तेल क्षेत्रों का पता लगाने में सहभागी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने हेतु उन कंपनियों पर क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गयी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने इनरोन आयल एण्ड गैस (इंडिया) लिमिटेड, यू.एस.ए. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेश लिमिटेड के परिसंघ, जिसमें इन कंपनियों का क्रमश: 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत प्रतिभागिता हित है, के साथ मध्यमाकारीय तेल क्षेत्र मुक्ता और पन्ना के विकास के लिए 22 दिसम्बर, 1994 को एक संविदा हस्ताक्षर की है।

(ग) इस संविदा की विस्तृत शर्तें नीचे दी हैं:

(1) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का इन संविदा के अंतर्गत 40 प्रतिशत प्रतिभागिता हित है।

(2) संविदा के अनुसार संविदाकार को तेल एवं गैस पर रायल्टी तथा उपकर का भुगतान करना अपेक्षित है।

(3) संविदा के अनुसार सरकार के साथ लाभ तेल की हिस्सेदारी करोपरांत निवेश गुणक के आधार पर होनी है।

(4) वार्षिक उत्पादन से प्रतिशत लागत वसूली सीमा शत प्रतिशत है।

(5) संविदा के अनुसार संविदाकार को हस्ताक्षर एवं उत्पादन बोनसों का भुगतान करना अपेक्षित है।

(6) पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित वस्तुओं पर आयात शुल्कों से छूट उपलब्ध है।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर देय है।

(8) सरकार को मनाही के लिए प्रथम अधिकार प्राप्त है और यह संविदा के तहत कच्चा तेल एवं गैस क्रय कर सकती है।

(9) पंचाट, अनसाइट्रल (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंध संयुक्त राष्ट्र आयोग के अनुसार है।

(10) यह संविदा भारत में लागू कानूनों के द्वारा नियंत्रित होगी।

कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति हेतु मालडिब्बों का उपलब्ध कराया जाना

4815. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की आपूर्ति हेतु कर्नाटक को कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए गए; और

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक को पर्याप्त संख्या में मालडिब्बे उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे मांग के अनुसार कर्नाटक में बिजली संयंत्रों को कोयला सप्लाई करने के लिए मालडिब्बों की आवश्यकता पूरा करने में सक्षम है। कर्नाटक में बिजली घरों को प्रतिदिन सप्लाई किए गए बाक्स मालडिब्बों की औसत संख्या नीचे दी गई है?

वर्ष	बाक्स मालडिब्बों की औसत संख्या/दिन
1998-1999	196
1999-2000	245
2000-2001	279

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. अंता के दूसरे चरण का कार्य

4816. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.टी.पी.सी. अंता के दूसरे चरण की कार्य प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूसरे चरण के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है और राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से जल छोड़ दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो दूसरे चरण का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा 650 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि कर अंता गैस विद्युत केन्द्र के विस्तार की योजना बनायी गयी है। आरंभिक रूप से परियोजना को ब्रिज इंधन के रूप में नेप्था तथा दीर्घकालिक ईंधन के रूप में तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का उपयोग कर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि, पिछले दिनों नेप्था के मूल्य में असाधारण वृद्धि होने के मद्देनजर एन.टी.पी.सी. ने निर्णय लिया है कि परियोजना को उचित मूल्य स्तर पर आयातित पुन: गैसीकृत एल.एन.जी. की उपलब्धता के हिसाब से चालू किया जाए।

पुन: गैसीकृत एल.एन.जी. की अनुमानित लागत के आधार पर विद्युत उत्पादन लागत के लगभग 4.00 रुपये प्रति कि.वा.घं. होने

का अनुमान है। एन.टी.पी.सी. ने इस सूचक मूल्य पर अंता विस्तार परियोजना मे विद्युत उपयोग हेतु लाभार्थी राज्यों से पुनः पुष्टि मांगी थी। बड़े लाभार्थिकारी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश ने उत्पादन की कम उच्च लागत पर विद्युत खरीदने में असहमति जताई है। एन.टी.पी.सी. अंता विस्तार परियोजना की संवीक्षा उचित मूल्य पर भी अंता विस्तार परियोजना की संवीक्षा उचित मूल्य पर एल.एन.जी.सी. उपलब्धता सुनिश्चित होने एवं लाभार्थी राज्यों द्वारा एलएनजी मूल्य आधारित उत्पादन लागत को स्वीकार करने के बाद करेगा।

(ख) अंता विस्तार परियोजना के लिए भूमि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। इस विस्तार परियोजना के लिए राजस्थान सरकार ने सिद्धांत रूप में आवश्यक अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने की सहमति दी है।

(ग) जैसाकि उपर्युक्त ''क'' में बताया गया है कि अंता विस्तार परियोजना की अगली संवीक्षा एन.टी.पी.सी. द्वारा उचित मूल्य एल.एन.जी. की उपलब्धता सुनिश्चित होने तथा लाभार्थी राज्यों द्वारा एलएनजी मूल्य पर आधारित उत्पादन लागत को स्वीकार करने के बाद भी की जाएगी। इस विस्तार परियोजना द्वारा तैयार किए जाने वाली विद्युत में से राजस्थान का अनंतिम हिस्सा लगभग 130 मे.वा. होगा।

[अनुवाद]

विदेशी दौरे

4817. श्री सुनील खां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड सदस्यों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को रेलवे के विदेशी प्रशिक्षुओं के मार्गदर्शन हेतु विदेशी दौरे पर भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों/बोर्ड के सदस्यों को कितनी बार विदेशी दौरे पर भेजा गया; और

(ग) कितने अधिकारियों ने पूर्वी जोन में अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्व जोन में अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की कोई प्रणाली नहीं है।

[हिन्दी]

मकराना-पर्वतसर रेल लाइन को बंद करना

4818. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत नागपुर जिले में मकराना-पर्वतसर मीटर लाइन को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यातायात के लिए इस लाइन को फिर से खोलने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस रेल लाइन के क्षेत्राधिकार को भारतीय रेलवे के किसी अन्य ज़ोन को हस्तांतरित करने का है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई निरीक्षण किया गया है;

(ज) यदि हां, इसके क्या परिणाम निकले;

(झ) क्या आवासीय कोलोनियों को तोड़ा जाएगा और रेल लाइन के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कृषि भूमि अधिग्रहित की जाएगी;

(ञ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ट) क्या सरकार को इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करने के लिए अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ठ). यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) मकराना-परबतसर मीटर लाइन को वर्ष 1995-96 में बड़ी लाइन में बदला गया था और रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा अप्रैल 1996 में इसका निरीक्षण किया गया था। बहरहाल, चूंकि इसी दौरान खनिकों ने इस रेल लाइन के काफी नजदीक मकराना-विदियाद के पहले ब्लाक खंड में मार्वल की खुदाई कर दी थी, इसलिए इस लाइन को परिचालित नहीं किया जा सका था। माननीय

उच्च न्यायालय जोधपुर के हस्तक्षेप के बाद रेल मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार द्वारा यह संयुक्त रूप से विनिश्चय किया गया कि प्रभावित संरेखण के भाग को शिफ्ट कर दिया जायेगा ताकि लाइन परिचालित की जा सके। वैकल्पिक संरेखण के चिह्नित करने के बाद भी यह भूमि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) और (ञ) नया संरेखण कुछ निर्मित क्षेत्र से होकर गुजरता है। राज्य सरकार द्वारा रेलवे को यह भूमि इस प्रकार से उपलब्ध कराई जानी होगी जो केवल रेलवे के ही स्वामित्व में होगी।

(ट) जी, नहीं।

(ठ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन का किसानों पर प्रभाव

4819. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने कृषि मूल्यों पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक के संसद सदस्यों की बैठक बुलाई थी और कर्नाटक के किसानों पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों के बारे में केन्द्र सरकार को अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री से भी मिले थे;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री को कौन-कौन से मुख्य मुद्दे बताए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जायेगी।

बूचड़खानों के लिए मानक

4820. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 23 अगस्त, 1993 का परिपत्र संख्या 18-65-डी. एल.-3 बूचड़खानों में 20 मानकों के क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अंतराल के दौरान कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मानकों के क्रियान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पशुओं का वध राज्य का विषय है तथा भारतीय मानक स्वैच्छिक मानक हैं। राज्य सरकारों ने भारतीय मानकों की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बूचड़खानों के आधुनिकीकरण एवं सुधार की शुरूआत की है।

[हिन्दी]

नरदाना रेलवे स्टेशन पर आंदोलन

4821. श्री रामदास रुपला गावीत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 जनवरी, 2001 को पश्चिम रेलवे के नरदाना स्टेशन पर यात्रियों ने आंदोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन

4822. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुल कृषि उत्पादन में पशुधन योगदान का प्रतिशत कितना था;

(ख) 2000-2001 के दौरान विभिन्न पशु रोगों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार पशुधन के विकास के लिए प्रभावी स्वास्थ्य और प्रजनन सुविधाएं प्रदान करने हेतु चिकित्सा सुविधाओं का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल कृषि में पशुधन के योगदान की प्रतिशतता 1996-97 में 22.95 प्रतिशत, 1997-98 में 24.50 प्रतिशत तथा 1998-99 में 23.16 प्रतिशत थी।

(ख) गत तीन वर्षों (अर्थात् 1998, 1999 तथा 2000) के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण संक्रामक रोगों के कारण मरने वाले गोपशु तथा भैंसों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) चूंकि देश में पशुपालक कम पशु पालते हैं तथा पशुओं के स्वामी सीमांत और छोटे किसान होते हैं एवं पशुधन संबंधी चिकित्सा सेवाएं कल्याण क्रियाकलाप हैं, अत: विभाग पशुधन के लिए चिकित्सा सुविधाओं का निजीकरण करने पर विचार नहीं कर रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (1998, 1999 तथा 2000) के दौरान महत्वपूर्ण संक्रामक रोगों के कारण गोपशु तथा भैंसों की क्षति

रोग का नाम	1998			1999			2000		
	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु	प्रकोप	आक्रमण	मृत्यु
रिंडरपेस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खुरपका और मुंहपका रोग	100	79461	2444	1440	58704	884	1522	35899	237
हैमोरहैजिक सेप्टीसेमिया	1226	10765	3831	644	5972	2332	545	2962	1300
ब्लैक क्वार्टर	594	2128	1162	445	2054	741	479	1978	738
एन्थ्रैक्स	55	220	144	80	228	172	45	204	163

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी दर का संशोधन

4823. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल अथवा गैस का अपतटीय उत्पादन राज्य रायल्टी के अधीन रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रायल्टी का निर्धारण समान दर अथवा मूल्यानुसार आधार पर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के उपबंधों और तदन्तर्गत निर्मित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसरण में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर संदेय है। उपर्युक्त नियमों के उपबंधों के तहत अपतट से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी केन्द्र सरकार को संदेय है और तटीय क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर राज्य सरकार को संदेय है। इन नियमों में यह भी उपबंध है कि

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी कूपशीर्ष पर बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। कच्चे तेल पर रायल्टी एक समान दर के आधार पर और प्राकृतिक गैस पर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) और पेट्रोलियम खनन पट्टों (पीएमएल) के मामले में यथामूल्य आधार पर, पी.ई.एल./पी.एम.एल. के अलावा अन्य नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) अथवा एनईएलपीजी शर्तों पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को स्वीकृत की गई थी। कच्चे तेल पर रायल्टी एक समान दर पर संदेय है और एनईएलपीजी के अंतर्गत पीईएल/पीएमएल के अलावा अन्य पीईएल/पीएमएल जहां भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसरण निजी कम्पनियों द्वारा धारित हैं उन मामलों में प्राकृतिक गैस के लिए रायल्टी यथामूल्य आधार पर संदेय है। ऐसे मामलों में रायल्टी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों पर यथामूल्य आधार पर संदेय है जहां पीईएलएनईएलपी अथवा एनईएलपी शर्तों के अंतर्गत मंजूर किए गए हैं। 1.4.1998 से लागू कच्चे तेल पर रायल्टी की नई योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

टीके का विनिर्माण

4824. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.डी.डी.बी. और अन्य फर्मों द्वारा पशुओं के पैर और मुंह के रोग के टीके का विकास और विनिर्माण के बावजूद देश में पशुओं के पैर और मुंह के रोग लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए प्राधिकारी इस रोग के फैलने को "हैमोरहेजिक सेंटीकेमिया" का नाम दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में पशुओं के पैर और मुहं के रोगों की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कारण राज्यवार दुग्ध उत्पादन में कितनी कमी आई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) फटे खुर वाले पशुओं में होने वाले एक अत्यन्त संसर्गजन्य वायरल रोग के रूप में मुंहपका तथा खुरपका रोग भारत में स्थानिक है तथा वर्षवार होता रहता है। संदिग्ध पशुओं के नियमित रोग निरोधक प्रतिरक्षण के द्वारा इस बीमारी को रोका जा सकता है। तथापि पूरे देश में अथवा देश के भाग में रोग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सामूहिक टीकाकरण, गतिविधि नियंत्रण, सीरो निगरानी तथा सीरो मोनिटरिंग की आवश्यकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों (1998, 1999 तथा 2000) के दौरान देश में खुरपका तथा मुंहपका रोग की घटना का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

खुरपका तथा मुंहपका रोग के कारण दुग्ध उत्पादन में हानि की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) पशु रोगों का नियंत्रण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार "पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले ही क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम घटक के तहत संदिग्ध गोपशु के टीकाकरण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसके लिए टीके के लागत केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा लाभार्थी के बीच 25:25:50 के आधार पर वहन की जाती है। संघ शासित प्रदेशों में यह घटक 100 प्रतिशत आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए नौवीं योजना के दौरान जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान (1998, 1999 तथा 2000) खुरपका तथा मुंहपका रोग की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रजाति	1998			1999			2000		
			ओबी	एटी	डीटी	ओबी	एटी	डीटी	ओबी	एटी	डीटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	बोवाईन	221	6092	159	108	4502	6	42	1406	2
		ओ/कैपराईन	17	657	41	24	257	72	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	बोवाईन	12	80	0	4	273	2	7	686	0
3.	असम	बोवाईन	7	9	1	4	451	0	2	370	0
4.	बिहार	बोवाईन	19	963	31	7	15	0	3	36	0
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	0	0	0	
6.	गोवा	बोवाईन	0	0	0	17	558	17	3	204	0
		बफ	0	0	0	4	102	0	2	42	0
		सु	0	0	0	2	135	0	0	0	0
7.	गुजरात	बोवाईन	48	1674	0	49	1116	18	29	1283	0
		ओ/कैपराईन	1	100	0	4	15	0	0	0	0
8.	हरियाणा	बोवाईन	12	28841	0	3	9629	0	16	572	1
		बफ	0	0	0	0	0	0	1	32	0
9.	हिमाचल प्रदेश	बोवाईन	10	1881	52	3	83	0	8	268	0
		ओ/कैपराईन	6	3263	10	0	0	0	6	521	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	बोवाईन	20	3267	9	3	1319	0	9	2353	12
		ओ/कैपराईन	2	112	0	1	100	0	0	0	0
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0
12.	कर्नाटक	बोवाईन	249	3952	423	576	19146	142	1154	23498	161
		ओ/कैपराईन	2	40	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	बोवाईन	137	2094	40	193	4520	240	36	200	0
		ओ/कैपराईन	0	0	0	1	9	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	बोवाईन	0	0	0	8	609	0	1	25	0
15.	महाराष्ट्र	बोवाईन	84	2133	80	112	3059	34	71	868	19
		ओ/कैपराईन	1	34	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	बोवाईन	3	11	1	12	262	32	1	89	0
		सु	0	0	0	3	11	0	0	0	0
17.	मेघालय	बोवाईन	3	37	0	0	0	0	0	0	0
		ओ/कैपराईन	1	8	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	बोवाईन	1	24	0	24	693	9	18	161	6
		ओ/कैपराईन	1	24	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		सु	0	0	0	2	200	50	4	12	2
19.	नागालैण्ड	बोवाईन	73	3843	146	81	5597	207	12	1040	22
		ओ/कैपराईन	34	1050	41	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	बोवाईन	0	0	0	0	0	0	51	1432	4
21.	पंजाब	बोवाईन	83	21597	1460	0	0	0	5	61	0
22.	राजस्थान	बोवाईन	8	608	0	97	2723	159	0	0	0
		ओ/कैपराईन	0	0	0	1	40	0	0	0	0
23.	सिक्किम	बोवाईन	0	0	0	2	241	0	3	38	0
24.	तमिलनाडु	बोवाईन	80	1473	39	4	82	17	0	0	0
25.	त्रिपुरा	बोवाईन	7	479	0	51	1930	1	3	35	0
26.	उत्तर प्रदेश	बोवाईन	6	293	3	1	20	0	1	10	0
		ओ/कैपराईन	0	0	0	1	8	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0
28.	प. बंगाल	बोवाईन	2	13	0	25	605	0	22	1045	2
29.	अंड. व नि.द्वी.स.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	बोवाईन	0	0	0	0	0	0	5	22	0
31.	दादर एवं नागर हवेली	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	बोवाईन	5	81	0	45	141	0	10	67	0
		सु	0	0	0	0	0	0	2	4	0
34.	लक्षद्वीप	बोवाईन	10	16	0	2	845	0	7	56	0
	ओ/कैपराईन	0	0	0	0	0	0	0	3	47	4
35.	पांडिचेरी	बोवाईन	0	0	0	5	183	0	0	0	0
		बोवाईन	1100	79461	2444	1436	88602	884	1519	35825	237
	कुल	बफ	0	0	0	4102	0	3	74	0	
		ओ/कैपराईन	65	5288	92	32	429	72	9	568	4
		सु	0	0	0	7	346	50	6	16	2

ओ - ओवाईन, सु - स्वाईन, बफ - बैंस
ओ बी - प्रकोप, ए टी - आक्रमण, डी टी - मृत्यु

विवरण

पिछले 4 वर्षों के दौरान खुरपका तथा मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई सहायता

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	*	*	3.00	0.18	3.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.75	3.00	2.00	2.00	8.75
3.	असम	*	20.00	*	*	20.00
4.	बिहार	*	25.00	*	*	25.00
5.	छत्तीसगढ़	*	*	*	*	*
6.	गोवा	4.00	0.55	1.36	2.00	7.91
7.	गुजरात	3.50	30.00	*	29.05	62.55
8.	हरियाणा	*	8.50	6.66	12.34	27.50
9.	हिमाचल प्रदेश	6.00	6.60	6.50	10.00	29.10
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4.00	*	4.00	*	8.00
11.	झारखंड	*	*	*	*	*
12.	कर्नाटक	50.00	*	65.00	27.83	142.83
13.	केरल	*	6.079	4.00	3.50	13.579
14.	मध्य प्रदेश	57.27	*	4.42	1.23	62.92
15.	महाराष्ट्र	15.40	*	43.26	30.00	88.66
16.	मणिपुर	2.00	*	5.00	*	7.00
17.	मेघालय	1.60	*	5.00	2.33	8.93
18.	मिजोरम	8.00	9.00	6.33	15.00	38.33
19.	नागालैंड	10.40	*	1.00	5.00	16.40
20.	उड़ीसा	*	*	*	*	*
21.	पंजाब	25.00	*	75.00	*	100.00
22.	राजस्थान	*	*	2.58	9.37	11.95
23.	सिक्किम	7.00	*	*	5.00	12.00
24.	तमिलनाडु	20.00	*	6.50	13.50	40.00

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	4.52	*	19.66	27.20	51.38
26.	उत्तर प्रदेश	29.50	50.00	28.73	36.00	144.23
27.	उत्तरांचल	*	*	*	*	*
28.	पश्चिम बंगाल	30.00	25.00	*	30.00	85.00
	कुल राज्य	279.94	183.729	290.00	261.53	1015.199
1.	अंड. व नि. द्वीप समूह	*	*	1.00	7.00	8.00
2.	चण्डीगढ़	0.70	*	0.80	0.80	2.30
3.	दादर एवं नागर हवेली	0.40	*	*	*	0.40
4.	दमन एवं दीव	*	*	*	*	*
5.	दिल्ली	8.00	*	*	*	8.00
6.	लक्षद्वीप	*	*	0.20	1.00	1.20
7.	पांडिचेरी	0.50	*	1.50	*	2.00
	कुल संघ शासित प्रदेश	9.60	*	3.50	8.80	21.90
	सकल योग	289.54	183.729	293.50	270.33	1037.099

*अन्य

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

4825. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का विचार अपने डिपुओं को पूरे दिन खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव के पीछे क्या औचित्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने अब तक ऐसे 32 डिपो शुरू किए हैं। डिपुओं को पूरे दिन खोलकर दिल्ली दुग्ध योजना अपने उपभोक्ताओं को लम्बी अवधि के लिए प्रभावकारी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी।

सी.एन.जी. उत्पादन और आयात

4826. श्री उत्तमराव पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सी.एन.जी. उत्पादन और अन्य देशों में इसके आयात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) अपेक्षित खपत की तुलना में देश में सी.एन.जी उत्पादन में कितना अंतर है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सं.एन.जी. संपीड़ित रूप में प्राकृतिक गैस ही है। इसलिए सी.एन.जी. का उत्पादन सी.एन.जी. में परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए प्राकृतिक गैस के आबंटन पर निर्भर करता है। 15.4.2001 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और मुंबई में जहां सी.एन.जी. की आपूर्ति की जाती है सी.एन.जी. की स्थापित क्षमता और आपूर्ति निम्नानुसार है:-

(1) दिल्ली 1,20,000 कि.ग्रा. प्रति दिन की मांग की तुलना में 2,00,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन।

(2) मुंबई 1,00,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन की मांग की तुलना में 1,20,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन।

जबकि प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और मांग के बीच अंतर है, जहां तक सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस का संबंध है वर्तमान क्षमता दिल्ली और मुंबई में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए इसके आयात की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

बिद्युत करघा बुनकरों की समस्याएं

4827. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में, विशेषकर सिरसिला कस्बे में विद्युत करघा बुनकरों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं जारी हैं जिनमें विद्युतकरघा बुनकर परिवार के चार और सदस्यों, जिनमें एक आठ वर्षीय बालिका भी शामिल है, द्वारा भुखमरी के कारण 4 अप्रैल, 2001 को आत्महत्या कर ली गई;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उन कारणों और समस्याओं की जांच की है जिनका देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा सामना किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में विद्युतकरघा बुनकरों को राजसहायता प्राप्त दरों पर विद्युत और धागे की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) यह सूचित किया गया है कि गत दो वर्षों से अधिक की अवधि में आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले के सिरसिला मंडल में और उसके आसपास विद्युतकरघा बुनकर समुदाय के 30 बुनकरों ने अत्यधिक कर्जा होने, अधिक विद्युत शुल्क और निर्बाधित विद्युत आपूर्ति की कमी होने, रोगों के फैलने, निम्न प्रौद्योगिकी के विद्युतकरघा उत्पादों की कम विपणन क्षमता होने आदि जैसे विभिन्न कारणों से आत्महत्याएं की हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) पात्र बुनकरों को 500 वृद्ध आयु और 16 विधवा पैंशन के मामलों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(2) प्रभावित परिवार के सदस्यों को 10 रु. किग्रा. की दर से 6,232.20 किग्रा. चावल का वितरण किया गया है।

(3) प्रभावित बुनकरों को 1100 सफेद राशन कार्ड वितरित किए गए हैं।

(4) प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

(5) सिरीसिला में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा विद्युतकरघा बुनकरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(6) जूकी (जापानी) सिलाई मशीनों पर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सिरीसिला में एक अपैरल डिजायन केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र ने 20 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन भी कशीदाकारी, कंप्यूटर और अन्य कौशल उन्नयन व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(7) सरकार ने आर.आर. जिले में मेडचल मंडल के गुंडला पोच्चमपल्ली में अपैरल निर्यात पार्क में रोजगार प्रदान करने के लिए 30,000 शॉप फ्लोर कामगारों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है।

(8) राज्य सरकार ने गुंडला पोच्चमपल्ली में सामान्य सुविधा केन्द्र में जूकी सिलाई मशीनों पर मृत विद्युतकरघा कामगारों के परिवारों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।

(9) हथकरघा और वस्त्र निदेशक का कार्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश सरकार में विद्युतकरघा विकास कक्ष खोला जा रहा है।

सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी है। विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए विद्युत प्रभारों को सुव्यवस्थित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने देश के प्रमुख वस्त्र निर्माण राज्यों के साथ इस मामले को उठाया है। नई दिल्ली में दिनांक 10.4.2001 को राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के प्रभारी मंत्रियों

और वस्त्र सचिवों के सम्मेलन में भी विशेषकर विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए विद्युत प्रभार के सुव्यवस्थीकरण पर परिचर्चा हुई है। पिछले कुछ वर्षों में यार्न में कोई कमी नहीं आई है।

दिल्ली और महाराष्ट्र में सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र

4828. श्री चिंतामन वनगा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में और सी.एन.जी. खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो विभागीय और निजी प्रबंधन के मामलों के लिए अलग-अलग अपनाए जाने वाले मानदंडों सहित वर्ष-वार दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थानों की पहचान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के दौरान दिल्ली में 12 और तथा मुंबई में 17 और सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली नगर में और अधिक सी.एन.जी. बिक्री केन्द्रों का खोला जाना मांग पर निर्भर करेगा। मुंबई नगर में 5 और सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिनके लिए स्थानों का निर्धारण करने की प्रक्रिया जारी है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान नए सी.एन.जी. केन्द्र खोलने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में निर्धारित स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि बिक्री केन्द्र संबंधित कम्पनियों द्वारा स्वयं खोले जाने हैं और उन्हीं के द्वारा इनका प्रबंध किया जाना है, इसलिए विभागीय और निजी रूप से व्यवस्थित मामलों को आबंटन के लिए ऐसा कोई मानदंड अपनाने का प्रश्न नहीं है।

विवरण

वर्तमान वर्ष के दौरान सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित स्थानों की सूची

दिल्ली

1. वसन्त विहार
2. आई.पी. डिपो
3. पूर्वी विनोद नगर
4. बन्धा बहादुर-1
5. बन्धा बहादुर-2
6. ओखला-1
7. धीरपुर
8. पारीगढ़ी
9. रोहतक रोड
10. आई.पी. डिपो के पास
11. शकूरपुर
12. नागलामची

मुंबई

1. आर.टी.ओ. प्लाट, ताड़देव
2. रहेजा सेन्टर नरीमन प्वाइंट के सामने प्लाट
3. पी.डब्ल्यू.डी. प्लाट, जवाहर बाल भवन से आगे, चर्नी रोड
4. पी.डब्ल्यू.डी. प्लाट, नरीमन प्वाइंट फायर ब्रिग्रेड से आगे, कफ परेड
5. बी.एम.सी. प्लाट, एन.एस.सी.आई, वर्ली या डा. ई. मोजेज रोड के पास बी.एम.सी. कार्यालय से आगे प्लाट के पास
6. एम.एम.आर.डी.ए. प्लाट संख्या 243 ए.यू. को. बैंक नरीमन प्वाइंट के सामने
7. रायल आटो भेंडी बाजार
8. इनटेल, कारपोरेट शहर एयरपोर्ट के पास
9. एक्सप्रैस पेट्रोलियम, कोलाबा
10. सबअर्बन सर्विस, बान्द्रा (पश्चिम)
11. टाटा-एस.एस.एल. फैक्ट्री परिसर, बोरीवली (पूर्व) के भीतर प्लाट
12. इंडिया गैरेज वर्ली
13. सचदेवा आटो मलाड (पश्चिम)
14. घाटकोपर (पूर्व) बेस्ट डिपो
15. ए.डी. एडजानिया ग्रांट रोड
16. कारफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड बेलार्ड पियर
17. फेमश आटो बोरीवली (पश्चिम)

किसानों द्वारा आत्महत्या

4829. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सिमरनजीत सिंह मान:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और फरवरी 2001 तक जिला-वार विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कितने कृषकों ने आत्महत्या की, अपने बच्चों और महिलाओं को बेचा;

(ख) क्या केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनकी वित्तीय और अन्य संबंधित समस्याओं पर काबू पाने के लिए किसानों की सहायता हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश में 358 किसानों, 1999-2000 के दौरान 5 किसानों तथा 2000-2001 के दौरान 22 किसानों, वर्ष 1998 के दौरान महाराष्ट्र में 32 किसानों तथा 1998 के दौरान पंजाब में 3 किसानों ने आत्महत्या की।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आत्महत्याएं पारिवारिक वैमनस्य, मद्यपान तथा अवैध मादक पदार्थों के उपयोग, ऋण ग्रस्तता एवं प्रतिष्ठा पर बट्टा लगने के कारण की गई।

(घ) आवश्यक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी अपेक्षित है। भारत सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में केवल सहायता करती है।

आर्थिक सुधार

4830. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ते खाद्यान्न भंडारों और कृषि उत्पादों के गिरते बाजार मूल्यों, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से औने-पौने की बिक्री और कम खरीदारी हो रही है, की स्थिति को शीघ्र ठीक करने के लिए आर्थिक सुधारों को कृषि क्षेत्र तक बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) सरकार मूल्य समर्थन स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत बड़े पैमान पर खाद्यान्नों की खरीद की गई है। सरकार ने भण्डारण क्षमता को बढ़ाने निर्यात को बढ़ावा देने और भंडार निपटान आसान करने के लिए निर्बाध आवागमन के उपाय किए हैं। देश के लिए एक दीर्घकालिक अनाज नीति प्रतिपादित करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसकी रिपोर्ट मई, 2001 के अंत तक मिलने की आशा है। इसके साथ ही बजट प्रस्ताव 2001-2002 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न खरीद और वितरण में महत्वपूर्ण सुधार तथा राज्य सरकारों की विस्तृत भूमिका का उल्लेख है।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों के रूप में वन्य-जीव अभयारण्यों का विकास

4831. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटक स्थलों के रूप में वन्य-जीव अभयारण्यों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में राज्य-वार क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास

4832. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा 300 करोड़ रुपए और केन्द्र से 110 करोड़ रुपए का सामूहिक आबंटन बड़े पर्यटक स्थलों के रूप में भारत की पर्यटन संभावनाओं का विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से ढांचागत सुविधाएं सृजित करने हेतु धनराशि के आगम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने 14 सितम्बर, 2000 को नई दिल्ली से प्रकाशित 'दि एशियन ऐज' में छपे उस समाचार पर ध्यान दिया है जिसमें भारत में विद्यमान सुविधाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को लेकर किए गए सर्वेक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों के पर्यटक गंतव्य स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि के लिए बजटीय सहायता हेतु योजना आयोग से सम्पर्क किया है।

(ग) से (ङ) सरकार को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा सड़कों की दयनीय स्थिति जैसी विभिन्न समस्याएं पहले से ही विदित हैं। पर्यटन विभाग ने सम्बद्ध मंत्रालयों से सम्पर्क कर उचित उपाय करने को कहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पर्यटन संबंधी विभिन्न मसलों के लिए पर्यटन उद्योग और व्यवसाय पर, मंत्रियों के समूह तथा सचिवों की एक समिति गठित की है। विभिन्न समस्याओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एयरपोर्ट फेसिलिटेशन कमेटियां भी गठित की गयी हैं।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1954

4833. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1954 की धारा 73(2) के अंतर्गत सुपर बाजार के तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक और उप-महाप्रबंधक के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी की है;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई नोटिस का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर किस आधार पर कार्रवाई किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली में अन्य बहुराज्यीय सहकारी समितियों का अन्य सोसायटियों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है यदि उन सोसायटियों में ऐसी ही स्थिति विद्यमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां। वास्तव में इस अधिनियम का सही नाम बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 है।

(ख) बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 73(1) के अंतर्गत जांच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय पंजीयक सहकारी समिति, नई दिल्ली द्वारा सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशकों एवं उप महाप्रबंधक को नोटिस जारी किए गए हैं। इन व्यक्तियों को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय पंजीयक द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। केन्द्रीय पंजीयक, जो अर्धन्यायिक प्राधिकारी हैं, उक्त अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में इन नोटिसों पर समुचित निर्णय लेंगे।

(ग) और (घ) किसी अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के संबंध में यदि इसी स्वरूप का और कोई मुद्दा केन्द्रीय पंजीयक के ध्यान में लाया जाता है, तो उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित कार्रवाई की जाएगी।

कृषि के लिए निधियां

4834. श्री के. येरननायडू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषि के लिए और अधिक निधियां देने हेतु वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने तथा किसानों को कृषि आदानों एवं कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। कृषि नियोजन की वृहद प्रबंध पद्धति के माध्यम से उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत तथा पूर्वी भारत में खेतों पर जल प्रबंध संबंधी स्कीम के निरूपण के माध्यम से क्षेत्रीय रूप से भिन्न नीति अपनाई जा रही है। मध्यम तथा छोटी सिंचाई, मृदा संरक्षण, पनधारा प्रबंध तथा ग्रामीण अवसंरचना के अन्य रूपों से संबंधित चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों एवं राज्य के स्वामित्व के निगमों को ऋण देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि स्थापित की गई है। बजट वर्ष 2001-2002 के दौरान इसका कोष बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये किया जा रहा है तथा ब्याज दर 11.5% से घटाकर 10.5% रखी गयी है। ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी उपाय किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र को यथासमय तथा पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। निवल बैंक ऋण की 18% राशि कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है।

सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राय लैंड

4835. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राय लैंड एग्रीकल्चर-हैदराबाद की क्या गतिविधियां हैं;

(ख) यह आंध्र प्रदेश के किसानों को किस तरह से मदद पहुंचा रही है;

(ग) उक्त संस्थान में कुल कितनी श्रम शक्ति है और संस्थान पर वार्षिक व्यय कितना है;

(घ) क्या कर्मचारियों का कार्यभार पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इसकी क्या उपलब्धियां हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) बारानी कृषि में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रता प्राप्त करने, नीति परक अनुसंधान करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन, वर्ष 1985 में हैदराबाद में केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्थान की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

(1) बारानी क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए नीतियों का विकास।

(2) सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा बारनी क्षेत्रों के लिए स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु अनुसंधान नेटवर्क में नेतृत्व प्रदान करना।

(3) बारानी कृषि प्रणाली प्रबंधन से सम्बन्धित सभी पक्षों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(4) बारानी कृषि के क्षेत्र में सम्बद्ध राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से सहयोग करना तथा परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।

(ख) (1) हैदराबाद स्थिति 'क्रीडा' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान है जो आमतौर पर देश के लिए तथा विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के लिए संसाधन विहीन बारानी कृषि के किसानों के लिए कार्य कर रहा है। संस्थान का एक केन्द्र अनतपुर में चल रहा है जो परिचालनीय अनुसंधान परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में, रायाल सीमा क्षेत्र के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में मूंगफली उत्पादन प्रणाली में संलग्न किसानों की आय को स्थिर रखने के लिए उपयुक्त बारानी प्रौद्योगिकियों का निर्माण किया जाता है।

(2) संस्थान ने कुछ उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जैसे सूखे के प्रति सहिष्णु क्षेत्र के लिए फसलों/किस्मों की छंटाई, संभावित फसल योजना, फसल प्रणाली, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र की लाल मिट्टी वाले क्षेत्र के लिए जल संभर प्रबंध और बारानी बागवानी आदि।

(3) 'क्रीडा' में वर्ष 1978 में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई थी। यह केन्द्र रंगा रेड्डी और निकटवर्ती जिलों के ग्रामीण युवा और खेतिहर महिलाओं व किसानों की दक्षता कार्य में संलग्न है। पिछले चार वर्षों से संस्थान-ग्राम-सम्पर्क कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

(4) 'क्रीडा' द्वारा दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अग्रपंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है तथा संभावित फसल नियोजन के साथ-साथ बारानी फसलों के लिए मौसम पूर्वानुमान का कार्य भी किया जा रहा है।

(5) 'क्रीडा' के वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश में, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर बारानी कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रसार, आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान मेलों के आयोजन और रेडियो व दूरदर्शन

पर चर्चा/रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के कार्यक्रमों में संलग्न है।

(ग) *मानव श्रम:*

वैज्ञानिक	–	68
प्रशासनिक	–	57
तकनीकी	–	99
सहायी कर्मचारी	–	77
कुल	–	301

व्यय (वार्षिक आधार पर):

योजना	–	121.00 लाख
गैर-योजना	–	410.00 लाख
गैर-योजना स्कीमें	–	20.7 लाख
योजना स्कीमें (ए.आई.सी.आर.पी.डी.ए., ए.आई.सी.आर.पी.ए.एम.)	–	1082.80 लाख
कृषि उत्पाद उपकर स्कीमें	–	2.37 लाख
अन्य एजेन्सियों द्वारा वित्तीय सहायता	–	48.29 लाख
कुल	–	1685.16 लाख

(घ) मुख्य क्रियाकलापों (उपर्युक्त) के अलावा, संस्थान को, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत बारानी कृषि उत्पादन प्रणाली, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा परिशोधन (टी.ए.आर.) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान के पास 100 से भी अधिक अनुसंधान परियोजनाएं हैं तथा इसके अधीन आई.वी.एल.पी.-टी.ए.आर. से संबंधित 24 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी, अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रसार, समन्वयन, मॉनीटरिंग तथा प्रकाशन संबंधी क्रियाकलापों में पूर्ण से संलग्न हैं।

(ङ) संस्थान की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन तथा उनके फैलने की प्रकृति और विस्तार संबंधी पूर्वानुमान।
- देश में शुष्क कृषि क्षेत्रों में इकहरी फसल, अन्त: फसल और दुहरी फसल लेने की संभावनाओं का वर्णन।
- पछेती, बुवाई, खेती में आन्तरिक विराम तथा मानसून जल्दी समाप्त हो जाने संबंधी कार्यक्रमों के लिए संभावित फसल नियोजन व प्रबंधन।
- फसलों के क्रम, उनकी किस्में तथा उनका टिकाऊपन/सूखे के प्रति गतिशीलता के लिए फसल प्रणाली का मूल्यांकन और पहचान करना।
- बुवाई के समय होने वाली वर्षा की तिथि से संबंधित फसलों के उपज संबंधी नमूनों के मूल्यांकन और सूखे की निगरानी तथा फसल उपज के कटाई से पहले के पूर्वानुमान के लिए सरल फसल-मौसम मॉडलों का विकास।
- फसल बढ़वार के अनुरूप विभिन्न मॉडलों तथा वैधीकरण और फसल उत्पादकता पर विश्वव्यापी जलवायु संबंधी परिवर्तनों का प्रभाव।
- विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए, जारी किए गए जीन प्रारूपों की लगातार स्क्रीनिंग और मूल्यांकन पर आधारित सर्वाधिक उपज देने वाली फसलों और उनकी किस्मों की पहचान।
- विभिन्न फसलों और फसल प्रणालियों के लिए बिजाई पौध सघनता और फसल ज्यामिती के अनुकूल समय का निर्धारण किया गया।
- रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अत्यधिक हानि होती है, इस पुराने विश्वास के विपरीत अनुसंधान परिणामों से निष्कर्षत: यह पता चला है कि बारानी पर्यावरण की अपेक्षा उर्वरीकरण विशेष रूप से नाइट्रोजन उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल पैदावार में बढ़ोत्तरी की बहुत संभावना है।
- विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों और मिट्टी के प्रकारों जिनमें कृषि वन-वृक्ष विज्ञान, कृषि बागवानी और वन-चरागाह प्रणाली शामिल है, के लिए अनेक आशाजनक तथा वैकल्पिक भू-उपयोग प्रणालियों की पहचान की गई तथा उनकी आर्थिकी निर्धारित की गई।
- परिचालन कार्यों के लिए सस्ते व कारगर फार्म उपस्करों जैसे ड्रिल प्लो, प्लो प्लांटर, फेस्पो-प्लो आदि का डिजाइन तैयार किया गया।
- बारानी कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने में आने वाले प्रमुख बाधाओं का पता लगाया गया तथा परिचालनीय अनुसंधान परियोजनाओं के द्वारा अनुसंधानकर्त्ताओं को उनसे संबंधित फीड बैक उपलब्ध कराया गया।

– 'क्रीडा' स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र ने इस अवधि के दौरान कैम्पस में तथा कैम्पस के बाहर 800 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 20 हजार किसानों व खेतिहर महिलाओं ने भाग लिया ।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन के कार्यक्रम

4836. श्री धर्मराज सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में उदारीकरण हेतु जिनेवा समझौते पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो जिनेवा समझौते की सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार कृषि उत्पादन में वृद्धि के क्या आंकड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से जिनेवा समझौते का क्रियान्वयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (घ) विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत उक्त करार के प्रावधानों के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 20 में विश्व में निष्पक्ष तथा मण्डी उन्मुखी कृषि व्यापार व्यवस्था की स्थापना के लिए और अधिक उदारीकरण हेतु विचार-विमर्श करने का अधिदेश दिया गया है। भारत ने अपने प्रारम्भिक विचार-विमर्श प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन को दिनांक 15.1.2001 को प्रस्तुत कर दिए हैं। इस विचार-विमर्श से अधिकतम संभव लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से शीर्ष टैरिफ तथा टैरिफ वृद्धि समाप्त करने सहित टैरिफ में पर्याप्त तथा सार्थक कमी करने, घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करने तथा विकसित देशों द्वारा निर्यात राजसहायता समाप्त करने की मांग के अलावा अपने प्रस्ताव में देश ने विशेष तथा विभेदक प्रावधानों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को घरेलू सहायता प्रदान करने के लिए "खाद्य सुरक्षा बॉक्स" के सृजन के माध्यम से विकासशील देशों को प्राप्त सुविधा में वृद्धि के अलावा अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवनयापन पर ध्यान देने की दृष्टि से व्यापार रक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण की मांग की है। अधिदेशित विचार-विमर्श जिनेवा में जनवरी, 2000 से किया जा रहा है।

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि जिंसों के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि जिंसों का उत्पादन विवरण

(मिलियन मी. टन)

जिंस	1997-98	1998-99	1999-2000
चावल	82.54	86.08	89.48
गेहूं	66.35	71.29	75.57
मोटे अनाज	30.40	31.33	30.47
अनाज	179.29	108.70	195.52
दलहन	12.97	14.91	13.35
कुल खाद्यान्न	192.26	203.61	208.87
तिलहन	21.32	24.75	20.87
गन्ना	279.54	295.73	299.23
कपास*	108.50	122.90	116.40
पटसन**	99.60	88.40	94.20
मेस्ता**	10.60	9.70	11.10
पटसन एवं मेस्ता**	110.20	98.10	105.30

*170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें

**180 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें

[अनुवाद]

नारियल, काली मिर्च, सुपारी और इलायची का उत्पादन

4837. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नारियल, काली मिर्च, सुपारी और इलायची के प्रति एकड़ अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के बीच भारी अंतर को कम करने के लिए किसी संभावना का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अंतर को किस हद तक कम किए जाने की संभावना है:

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भावी योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान नारियल, सुपारी, काली मिर्च और इलायची के उत्पादन की राज्यवार एवं अखिल भारत उपज दरें विवरण I से IV में दी गई है।

(ग) और (घ) क्षेत्र का प्रति यूनिट उत्पादन (उत्पादकता) कृषि जलवायु स्थितियों, किसानों की प्रबंध क्षमताओं, उचित आदानों को समय पर लागू करने, ऋण उपलब्धता जैसे कई घटकों पर निर्भर करता है। इन घटकों की क्षेत्र-दर-क्षेत्र बहुत भिन्नता के कारण उत्पादकता में भी ऐसा ही होता है।

(ङ) और (च) नारियल, काली मिर्च सहित इलायची और मसालों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए, अन्यों के अलावा, राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि गुणवत्तापरक पौध सामग्री का उत्पादन व आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा, इलायची के पुन: पौध रोपण और सिंचाई के लिए सहायता भी दी जाती है ताकि इलायची की उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान नारियल की राज्य-वार उपज

गिरी/हैक्टेयर

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आंध्र प्रदेश	7546	8588	19573
असम	6041	6442	6442
गोवा	4818	4855	4859
कर्नाटक	5140	5127	5195
केरल	5802	5793	6188
महाराष्ट्र	17470	15020	15020
उड़ीसा	5123	7641	14589
तमिलनाडु	11621	11620	11620
पश्चिम बंगाल	13211	12601	12935
अ.नि. द्वीप समूह	3506	3492	3543
अखिल भारत	6908	6834	7821

विवरण-II

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान सुपारी की राज्य-वार उपज

कि.ग्रा./हैक्टेयर

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
असम	864	768	744
कर्नाटक	1430	1432	1437
केरल	1100	1235	1148
अखिल भारत	1178	1218	1189

विवरण-III

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान काली मिर्च की राज्य-वार उपज

कि.ग्रा./हैक्टेयर

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
कर्नाटक	243	240	239
केरल	312	319	279
तमिलनाडु	235	235	198
अखिल भारत	308	316	277

विवरण-IV

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान इलायची की राज्य-वार उपज

कि.ग्रा./हैक्टेयर

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
कर्नाटक	58	57	57
केरल	125	111	129
सिक्किम	153	196	82
तमिलनाडु	93	91	74
पश्चिम बंगाल	254	261	240
अखिल भारत	127	123	104

गया में कृषि विज्ञान केन्द्र

4838. **श्री रामजी मांझी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन कृषि मंत्री ने गया में कृषि विज्ञान केन्द्र और मगध विश्वविद्यालय में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो इन वायदों पर कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन संस्थानों की स्थापना के लिए अब क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा के मकसूदपुर संस्थान ने गया में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह सूचित किया गया था कि भविष्य में जब नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा उस समय इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार का है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व के विवाद को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

रेल पटरियों का नवीनीकरण

4839. **कर्नल (मेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में रेल पटरियों का नवीनीकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान नवीनीकरण हेतु रेल पटरियों विशेषकर संकली लाइनों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में नवीनीकरण कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) रेलपथ नवीकरण का विवरण राज्यवार नहीं रखा जाता है। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर रेलवे द्वारा सेवित है। पिछले 3 वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश में रेलपथ नवीकरण के कार्य जो स्वीकृत किए गए हैं और प्रगति पर है वह क्रमश: 4.5 किमी. का पूरे रेलपथ नवीकरण 14.89 किमी. के स्लीपर नवीकरण और 38.65 किमी. के स्लीपर नवीकरण कार्य हैं।

(ङ) मौजूदा स्वीकृत नवीकरण के अंतर्गत कार्य को 3 वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा किए जाने की संभावना है।

संस्कृति नीति

4840. **श्री नरेश पुगलिया: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संस्कृति संबंधी नीति पर निर्णय लेने हेतु कला और संस्कृति संबंधी कार्य दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य दल के लिए पूर्व में नामांकित कुछ व्यक्तियों ने उक्त नामांकन अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना निरूपित करने हेतु कला और संस्कृति पर एक कार्यदल गठित किया है।

(ख) कार्यदल के सदस्यों की सूची और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति ने वैचारिक मतभेद के कारण नामांकन स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

(ङ) सरकार को उक्त व्यक्ति द्वारा कार्यदल से जुड़ने से इंकार करने की जानकारी है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिए कार्यदल की संरचना

कला और संस्कृति पर कार्यदल-दसवीं पंचवर्षीय योजना

1. श्री आर.वी.वी. अय्यर, सचिव, संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भावन, नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2. श्रीमती किरण अग्रवाल, कार्यक्रम सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, नई दिल्ली। — सदस्य

3. सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली — ,,

4. महानिदेशक (पर्यटन, भारत सरकार, नई दिल्ली। — ,,

5. केरल शास्त्र साहित्य परिषद, तिरूवनन्तपुरम। — ,,

6. महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, सेक्टर-5, ब्लॉक-जी.एन., बिधान नगर, कलकत्ता-700091 — ,,

7. सचिव (संस्कृति), मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल — ,,

8. सुश्री प्रेमलता पुरी, महानिदेशक, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली। — ,,

9. प्रो. के.एन. पणिक्कर, ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, महरौली रोड, नई दिल्ली। — ,,

10. श्री कृष्ण खन्ना, द्वारा-ललित कला अकादेमी, आर्टिस्ट कॉनर, गढ़ीगांव, ईस्ट आफ कैलाश, कालका देवी मार्ग, नई दिल्ली-110065 — ,,

11. डा. ओ.पी. अग्रवाल, महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (आई.सी.आई.), लखनऊ, उत्तर प्रदेश। — ,,

12. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700016. — ,,

13. निदेशक, भारत कला भवन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005. — ,,

14. निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाऊस, नई दिल्ली। — ,,

15. निदेशक, उत्तर-पूर्व आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर। — ,,

16. डा. के.के. चक्रवर्ती, निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पोस्ट बॉक्स नं. 2, श्यामला हिल्स, भोपाल। — ,,

17. श्रीमती कोमल आनन्द, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली।

18. श्रद्धेय काम्पो, अध्यक्ष, अखिल लद्दाख गोपासंघ, लेह, लद्दाख।

19. डा. अनिता रे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पुरातत्व, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

20. श्रीमती चित्रा चोपड़ा, अपर सचिव (प्लानिंग), कला और संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। — सदस्य सचिव

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए कला और संस्कृति पर गठित कार्यदल के विचारार्थ विषय

1. राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण और परिरक्षण के लिए मौजूदा दृष्टिकोण, कार्यनीति, प्राथमिकताओं, सतत नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना और सतत कार्यक्रम के सरलीकरण/न्यूनतमीकरण तथा प्रभावी आंतरिक क्षेत्रक परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देना।

2. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस क्षेत्र के संबंध में विकासात्मक परिदृश्य की बाबत विशेष ध्यान देने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं/गैर-सरकारी सगंठनों की स्थिति की समीक्षा करना।

3. विभिन्न विज्ञान संग्रहालयों और विज्ञान नगर की स्थापना के विशेष संदर्भ में केन्द्रीय, राज्य तथा परियोजना दोनों स्तरों पर वर्तमान प्रशासनिक ढांचे और तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए सुझाव देना।

4. कला और संस्कृति की विभिन्न शैलियों से संबंधित मौजूदा और उभर रही समस्याओं/स्थितियों पर ध्यान देना, उपेक्षित क्षेत्रों और समूहों, अन्तर, निर्बलताओं और बाधाओं को अभिज्ञात करना और जनजातीय लोक कला/संस्कृति के विशेष सन्दर्भ में मानकों, सुविधाओं और उपलब्धियों की दृष्टि में विस्तार तथा गुणात्मक सुधार सहित कार्यक्रमों की भावी दिशाओं के सुझाव देना।

5. बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग और क्षेत्र में संलग्न विभिन्न संगठनों के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करने के उपाय सुझाना।

निम्नलिखित की बारीकी से जांच करना:-

- विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत संसाधन मूल्यांकन, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय; और इस क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय/अन्य निजी संगठनों, उद्योग और व्यापार सहित पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के उपाय।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा करना तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में भौतिक और वित्तीय दोनों आवश्यकताओं का कार्यक्रमवार अनुमान लगाना।

- प्रयासों के दबाव से बचने और उनकी संख्या में कमी लाने के लिए सी.एस./सी.एस.एस. के अन्तर्गत समान स्कीमों/कार्यक्रमों का सम्मिलन।

तमिलनाडु में समुद्री पुरातात्विक अनुसंधान

4841. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा तमिलनाडु में समुद्री पुरातात्विक अनुसंधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में पूर्वी तट पर अब तक किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने तमिलनाडु में प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद समुद्री पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने हेतु अब तक कोई कदम नहीं उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली में समुद्री पुरातत्व के लिए पृथक स्कंध शुरू किया है और चेन्नई में भी इसी तरह से पृथक स्कंध बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) वर्ष 1995-97 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समुद्री स्कंध की सहायता से अरिकामेडु (पांडिचेरी) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) के आस-पास तटवर्ती खोज कार्य किए।

(ख) और (ग) अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध न होने के कारण, उसके बाद, भा.पु.स. द्वारा अन्तर्जल पुरातात्विक खोजें नहीं की जा सकीं। किन्तु तमिलनाडु समेत तटीय क्षेत्रों के साथ तटवर्ती खोज कार्य को वर्ष 2001-2002 के दौरान शुरू किए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अभी दिल्ली में सामुद्रिक पुरातत्व के लिए एक अलग स्कंध शुरू किया है। इसकी कोई शाखा चेन्नई में शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के स्मारकों का संरक्षण

4842. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1982 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में दिल्ली को विश्व विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया था और उसके द्वारा चिन्हित करीब 1400 स्मारकों में से केवल 170 ही संरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी स्मारकों को न चयन किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्राकृतिक अपर्दन, अतिक्रमण और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की उपेक्षा के कारण हौज रानी, हौजखास, बेगमपुर, खिड़की, मेहरौली, लाडोसराय, कालू सराय और सावित्री नगर के स्मारक धीरे-धीरे दिल्ली के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। प्राचीन सस्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत किसी भी शहर को दाय शहर घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली में 166 स्मारक/स्थल राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं। स्थान-वार ब्यौरा संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केवल उन्हीं स्मारकों को संरक्षित स्मारकों के रूप में शामिल किया गया है जिन्हें विशेष ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक गुण का समझा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। नगरीकरण के कारण, स्मारकों/स्थलों के आसपास के खुले क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जा रहा है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गैर-कानूनी अतिक्रमण रोकने के पर्याप्त समयोचित उपाय किए जाते हैं, जिनका इनसे सम्बन्ध है जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस, आदि। इसके अलावा, जहां कहीं अतिक्रमण हटाना आवश्यक होता है, कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। स्मारकों की आवश्यकता के अनुरूप समुचित संरक्षण उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

पत्तनों द्वारा माल ढुलाई

4843. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों द्वारा पत्तन-वार कितनी माल ढुलाई की गई;

(ख) क्या कांडला पत्तन ने वर्ष 2000-2001 में माल ढुलाई बढ़ाई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया और चालू वर्ष के दौरान कांडला पत्तन न्यास द्वारा कितनी माल ढुलाई की गई;

(घ) पत्तन में वर्तमान समय में माल ढुलाई की क्या सुविधा उपलब्ध है;

(ङ) क्या कांडला पत्तन न्यास में अतिरिक्त माल रखने के स्थान का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कार्गो इस प्रकार है:-

(मिलियन टन)

पत्तन	1999-2000	2000-2001*
कलकत्ता	10.31	7.16
हल्दिया	20.71	22.80
पारादीप	13.64	19.90
विजाग	39.51	44.68
चेन्नई	37.44	41.22
तूतीकोरिन	9.99	12.28
कोचीन	12.80	13.12
नवमंगलूर	17.60	17.90
मुरगांव	18.23	19.63
जवाहर लाल नेहरू	14.98	18.58
मुंबई	30.41	26.95
कांडला	46.30	36.74
जोड़	271.92	280.96

*अनन्तिम

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 के दौरान कांडला पत्तन द्वारा 36.74 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया था जबकि लक्ष्य 39.00 मिलियन टन था।

(घ) कांडला पत्तन में पी.ओ.एल. उर्वरक, कोकिंग कोयला, कंटेनर, खाद्यान्न और अन्य सामान्य कार्गो हैंडल करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। कांडला पत्तन ने अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थों का निर्माण करने की योजनाएं बनाई हैं और इसके लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

नई विदेश नीति के तहत उर्वरक का उपयोग

4844. श्री जोरा सिंह मान:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आने वाले वर्षों में 4 प्रतिशत वार्षिक कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्रम में उर्वरक उपयोग की मात्रा के संबंध में नई कृषि नीति के अंतर्गत कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में क्रम में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की मात्रा की कुल अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) वर्तमान समय में देश में रासायनिक उर्वरकों की कितनी मात्रा उपयोग की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान और उसके बाद उर्वरकों की मांग का आकलन किया जा रहा है। इस कार्य में कृषि उत्पादन हेतु लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाएगा।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान एन.पी.के. पोषक तत्वों के रूप में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन और उनकी खपत निम्नवत थी:

उत्पादन (एन एण्ड पी)*	अनुमानित खपत (एन.पी. एण्ड के.)
147.51 लाख मी) टन	165.89 लाख मी. टन

*के (पोटास) की आवश्यकता को पूर्ण रूप से आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा बंद के दौरान ट्रेन सेवा में बाधा

4845. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राजनीतिक दलों के आह्वान पर उड़ीसा बंद के दौरान ट्रेन सेवा बाधित हुई थी;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा ऐसे खराब अनुभवों पर ध्यान दिया गया है जिसमें करोड़ों रुपए की रेलवे सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और

(ग) असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सरकार ने क्या स्थायी उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए स्थायी उपायों को निर्धारित करना संभव नहीं है। बहरहाल, प्रशासन पूर्व सूचना पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात करके पर्याप्त निवारक उपाय करता है ताकि ऐसे आंदोलन का असर कम हो सके।

[हिन्दी]

कोलायत-फलोडी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

4846. श्री रामेश्वर डूडी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने कोलायत और फलोड़ी के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामरिक कारणों से कोलायत से फलोदी तक बड़ी लाइन का निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कार्रवाई पहले से ही शुरू की जा चुकी है और स्वीकृति उपलब्ध होने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों के हिस्सेदारी की बिक्री

4847. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
डा. रमेश चंद तोमर:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री भीम दाहाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. के तीन तेलशोधक कारखानों में अपने हिस्सेदारी की बिक्री से 1317 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. के तेलशोधक कारखानों की बिक्री से तेल कंपनियों के कार्यनिष्पादन और भावी योजना पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) अपनी तरह की अकेली रिफाइनरियों को आगामी नियंत्रणमुक्त वातावरण का सामना करने के लिए सुदृढ़ करने और सार्वजनिक क्षेत्र में रिफाइनरियों और विपणन कंपनियों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (सी.पी.सी.एल.) में सरकार की सारी शेयरधारिता आई.ओ.सी. को बेच दी गई है और कोच्चि रिफाइनरीज लि. (के.आर.एल.) में सारी शेयरधारिता बी.पी.सी. को 1317.23 करोड़ रुपए (अर्थात् आई.ओ.सी. 658.13 करोड़ रुपए, बी.पी.सी. - 659.10 करोड़ रुपए) के कुल प्रतिफल पर बेच दी गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त रिफाइनरियों और विपणन कम्पनियों अर्थात् आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. के बीच समन्वय और अंतर निर्भरता है जिन्होंने देश के दक्षिणी भाग में अपनी विपणन मात्राओं को पूरा करने के लिए इन रिफाइनरियों के उत्पादों का निष्कर्षण करने के लिए विपणन की बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की है। इन रिफाइनरियों में सरकार के हिस्से के अर्जन से आई.ओ.सी. और बी.पी.सी. नियंत्रणमुक्त बाजार परिस्थितियों के अन्तर्गत अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों सहित अपनी भविष्य की विपणन कार्यनीतियों की कुशलतापूर्वक योजना बना सकती हैं।

अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

4848. **श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार सरकारी खर्चे पर सामान्य/तकनीकी/लोक प्रशासन और एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में रेलवे विभाग के अधिकारियों के अकादमिक, प्रबंधकीय, प्रशासनिक और तकनीकी कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए नामांकित करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग द्वारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष-वार और जोन-वार किन-किन अधिकारियों को विदेश भेजा गया;

(ग) ऐसे अधिकारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं; और

(घ) उक्त प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में नामांकित न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां। रेलवे अधिकारियों को विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए सहायता प्राप्त कार्यक्रमों तथा भारत सरकार के खर्च पर नामित किया जाता है;

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 17

(घ) विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित अधिकारियों के नामांकन के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल, अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजने पर समुचित विचार किया जाता है, बशर्ते वे अर्हताएं पूरी करते हों।

विवरण

2000 के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए भारतीय रेल के अधिकारियों की सूची

नाम	रेलवे	कोटि
1	2	3
प्रकाश राव	मध्य रेलवे	
र्मा अनुपम	मध्य रेलवे	
र्मा एस.सी.	मध्य रेलवे	
शोर संजीव	मध्य रेलवे	
ता, प्रेम सागर	मध्य रेलवे	
लक, सुशील कुमार	मध्य रेलवे	
ीप कुमार श्रीवास्तव	मध्य रेलवे	
के. तिवारी	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ह, एन.बी.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
के. दूबे	डीजल रेल इंजन कारखाना	
, एस.एन.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ार प्रदीप	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ह, बी.एन.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ोज कुमार पाण्डेय	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ांशु	डीजल रेल इंजन कारखाना	
हा, एल.के.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
वाल, आलोक के.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ली, रूपेश	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ाद, राजाराम	डीजल रेल इंजन कारखाना	
ल, अजय कुमार	पूर्व रेलवे	
न्द्र झा	पूर्व रेलवे	
टाचार्य, देवाशीष	पूर्व रेलवे	
लै, के.एस. बालाकृष्णन	सवारी डिब्बा कारखाना	
क, सुमंत	सवारी डिब्बा कारखाना	
ोक कुमार मिश्रा	भारतीय रेल केंद्रीय दूरसंचार संगठन	

1	2	3
मित्रा, एस.एम.	भारतीय रेल रेलपथ अनुरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	
खातरकार, विजय	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
ललित मोहन साहोरे	उत्तर रेलवे	
अचल खरे	उत्तर रेलवे	
गुप्ता, एस.के. (डी.आर.)	उत्तर रेलवे	
सिंह, अजय कुमार	उत्तर रेलवे	
शर्मा, दीनेश्वर (डी.आर.)	उत्तर रेलवे	
प्रसाद, अनूप कुमार	रेलवे बोर्ड	
चौधुरी, एस.के.	रेलवे बोर्ड	
शरत अनुराग	रेलवे बोर्ड	
खोसला, अरुण कुमार	रेलवे बोर्ड	
गोविंद नारायण अस्थाना	रेलवे बोर्ड	
सिंह, ए.के.	रेलवे बोर्ड	
अग्निहोत्री, सतीश सी.	रेलवे बोर्ड	
खरे, आदर्श	रेल डिब्बा कारखाना	
सतविंदर सिंह	रेल डिब्बा कारखाना	
गर्ग, एम.के.	रेल डिब्बा कारखाना	
जैन, एस.के.	रेल डिब्बा कारखाना	
रमन, के.	रेल डिब्बा कारखाना	
गुरमेल सिंह	रेल डिब्बा कारखाना	
कोचर, एस.एस.	रेल डिब्बा कारखाना	
प्रसाद, गजानंद	रेल डिब्बा कारखाना	
चुग, आर.एस.	रेल डिब्बा कारखाना	
भद्र शील	रेल डिब्बा कारखाना	
गुप्ता, सुधीर	रेल डिब्बा कारखाना	
कुमार रवि	रेल डिब्बा कारखाना	
गुप्ता, ए.के.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	

1	2	3
शर्मा, एस.एम.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	अ.जा.
मजूमदार, गौतम	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
नितिन चौधरी	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
यादव, एस.एन.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
सनवालका, ए.के.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
वर्गिस, थामस	रेलवे स्टाफ कालेज	
पद्मनाभन, वी.ए.	दक्षिण मध्य रेलवे	
धनंजयुलू, रासम	दक्षिण मध्य रेलवे	
रामानुजबाबा, पी.पी.	दक्षिण मध्य रेलवे	
अशोक कुमार अग्रवाल	दक्षिण पूर्व रेलवे	
पटेल, सुशील कुमार	दक्षिण पूर्व रेलवे	
राजीव चंद्र	दक्षिण रेलवे	
दास, देवी प्रसाद	दक्षिण रेलवे	
रविंद्रन, पलानीयांडी	दक्षिण रेलवे	
राधा वारियार	दक्षिण रेलवे	
प्रसाद, एल. नरसिम	दक्षिण रेलवे	
सिंह, अजय	पहिया एवं धुरा संयंत्र	
मुदगिल, बी.बी.	पश्चिम रेलवे	
चोपड़ा, अशोक कुमार	पश्चिम रेलवे	
अग्रवाल, सुरेन्द्र के.	पश्चिम रेलवे	
सिंह, अमित कुमार	पश्चिम रेलवे	
जोड़	73 अधिकारी	

1999 के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए भारतीय रेल के अधिकारियों की सूची

बैनर्जी, प्रणब के.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
ए.के. पाण्डेय	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
एस.सी. प्रसाद	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
आर.के. श्रीवास्तव	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	

1	2	3
रहेजा, विजय कुमार	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
अहीरवार, दीप चन्द्र	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	अ.जा.
एस.के. हजरा	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
मोले सेन गुप्ता	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
नरेन्द्र	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
सिंह, सतवंत	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
सुजीत मिश्रा	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
सहगल. पी.सी.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
विनीत पांडेय	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
ए.के. सिन्हा	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
सदाशिवन, वी.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
डी. घोष	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
अनुपम शर्मा	मध्य रेलवे	
सरीन आर.के.	मध्य रेलवे	
जे.एन. तिवारी	मध्य रेलवे	
शर्मा, राम प्रकाश	मध्य रेलवे	
सिंघल, मुकेश के.	मध्य रेलवे	
पार्थासारथी, एस.	मध्य रेलवे	
अग्रवाल, राजीव	मध्य रेलवे	
पूनिया, आर.सी.	डीजल कल पुर्जा कारखाना	
करूणाकर ठाकुर	डीजल रेल इंजन कारखाना	
सिराजुद्दीन मोहम्मद	डीजल रेल इंजन कारखाना	
पब्बी, वी.के.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
मेहता, अरुण	डीजल रेल इंजन कारखाना	
खान, ए.ए.	डीजल रेल इंजन कारखाना	
चौधरी, सी.बी.	पूर्व रेलवे	
बैनर्जी, जी.एस.	पूर्व रेलवे	

	2	3
पांडेय, आर.एस.	पूर्व रेलवे	
र्मा, सी.के	पूर्व रेलवे	
ास्कर घोष	पूर्व रेलवे	
ा, जितेन्द्र	पूर्व रेलवे	
ा, गुनानंद	पूर्व रेलवे	
त्रिपाठी, आर.डी.	पूर्व रेलवे	
भट्ट, टी.आर.	पूर्व रेलवे	
स्थाना, जी.एन.	पूर्व रेलवे	
ौधरी, आर.के.	पूर्व रेलवे	
ागेवार, प्रमोद के.	पूर्व रेलवे	
र्मा, जे.एम.	पूर्व रेलवे	
सिन्हा, ए.के.	पूर्व रेलवे	
ैन, निखिलेश	पूर्व रेलवे	
उपाध्याय, आनंद सागर	पूर्व रेलवे	
ाथुर, प्रकाश	भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान	
ुमार हेमंत	भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान	
. मुखोपाध्याय	भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान	
िंह, उमेश	मेट्रो	
ैजवी, ए.एम.	पूर्वोत्तर रेलवे	
ैवारी, विनोद कुमार	पूर्वोत्तर रेलवे	
ैरकणे, अतुल कुमार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
ास्वामी, जे.डी.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
. निर्मल कुमार हजारिका	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
ारस्वत, कविता (श्रीमती)	उत्तर रेलवे	
. द्वारिका प्रसाद पांडेय	उत्तर रेलवे	
हित चन्द्र	उत्तर रेलवे	
ंकुर, रंजन प्रकाश	उत्तर रेलवे	
ुप्ता, अजय कुमार	उत्तर रेलवे	

1	2	3
पांडेय, डी.सी.	उत्तर रेलवे	
एस.एम. जांगिड़	उत्तर रेलवे	
त्यागी, अरविंद कुमार	उत्तर रेलवे	
कश्यप, सतीश के.	उत्तर रेलवे	
कुमार सुधीर	उत्तर रेलवे	
गोयल अंजली (कुमारी)	उत्तर रेलवे	
भरथुआर, वरुण	उत्तर रेलवे	
कुमार विजय	उत्तर रेलवे	अ.जा.
लाल, अमिताभ	उत्तर रेलवे	
गुप्ता, अंशुल	उत्तर रेलवे	
अग्रवाल, गंगाराम	उत्तर रेलवे	
खरे, विवेक	उत्तर रेलवे	
तायल, बी.पी.	पश्चिमोत्तर रेलवे	
चौधरी, एम.आर.	पश्चिमोत्तर रेलव	
मल, महेंद्र प्रताप	रेलवे बोर्ड	
कुलभूषण	रेलवे बोर्ड	
खोसला, अरुण कुमार	रेलवे बोर्ड	
सुमन एस. गुरमेल	रेलवे बोर्ड	अ.जा.
खन्ना, दीपाली (सुश्री)	रेलवे बोर्ड	
कौशिक, अमित	रेलवे बोर्ड	
माथुर, ऊषा (सुश्री)	रेलवे बोर्ड	
मंडल, पी.	रेलवे बोर्ड	
गोयल, रश्मि (सुश्री)	रेलवे बोर्ड	
कुमार शिवेंद्र	रेलवे बोर्ड	
गुप्ता, कमलेश	रेलवे बोर्ड	
मांगलिक, वी.के.	रेलवे बोर्ड	
कुमार प्रदीप	रेलवे बोर्ड	

	2	3
न्ना, अभय कुमार	रेलवे बोर्ड	
न.के. अनेजा	रेलवे बोर्ड	
संघल, अनिल	रेलवे बोर्ड	
व, एन. मधुसूदन	रेलवे बोर्ड	
जय मोहन आर.	रेल डिब्बा कारखाना	
गरा, अरुण	रेल डिब्बा कारखाना	
र्मा, एम.एम.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
मार केशव	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
ाल, वेद	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
ोशी, सुधांशु एस.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
ग्रवाल, दिलीप कुमार	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
न्द्र रमेश	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
मार अनूप	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
हता, महेश	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
हून, ए.के.	दक्षिण मध्य रेलवे	
सिंह, बलराम	दक्षिण मध्य रेलवे	
र्मा, आर.वी.एन.	दक्षिण मध्य रेलवे	
द्रशेखरन, एस.	दक्षिण मध्य रेलवे	
यक, डी.के.	दक्षिण मध्य रेलवे	
य, उमेश बी.	दक्षिण मध्य रेलवे	
साद, गोला जॉन	दक्षिण मध्य रेलवे	
र्ति, एन.एस.एन.	दक्षिण मध्य रेलवे	
र्ति, नारायण जी.वी.	दक्षिण मध्य रेलवे	
सिंह, आर.पी.	दक्षिण पूर्व रेलवे	
साहू, के.एस.	दक्षिण पूर्व रेलवे	
ोशी, एच.एस.	दक्षिण पूर्व रेलवे	
णा, आर.	दक्षिण पूर्व रेलवे	अ.ज.जा.
पाठी, सुव्रत	दक्षिण पूर्व रेलवे	

1	2	3
सिन्हा, बी.के.	दक्षिण पूर्व रेलवे	
कृष्णामूर्ति, एन.	दक्षिण पूर्व रेलवे	
स्वैन, चितरंजन	दक्षिण पूर्व रेलवे	
कांशी, टाइटस पी.	दक्षिण रेलवे	
अमरेन्द्र एम.	दक्षिण रेलवे	
कोठारी, सतीश	दक्षिण रेलवे	
श्रीकुमार एन.	दक्षिण रेलवे	
श्रीनिवास एस.	दक्षिण रेलवे	
शर्मा, राजीव	पश्चिम रेलवे	
चंद्र, नरेश	पश्चिम रेलवे	
भटनागर, अरविंद	पश्चिम रेलवे	
सिंह, युधिष्ठिर	पश्चिम रेलवे	
शंकर, विश्वनाथ	पश्चिम रेलवे	
विश्नोई, राजीव	पश्चिम रेलवे	
जोड़:	128 अधिकारी	

1998 के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए भारतीय रेल अधिकारियों की सूची

आर.सी. साहा	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
एस.पी. पत्रा	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
सुनील कुमार	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
एस.एस. मीणा	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	अ.ज.जा.
मोहम्मद बसीर अहमद	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
अग्रवाल, प्रदीप कुमार	मध्य रेलवे	
जमशेद मोहम्मद	मध्य रेलवे	
साह, रीता (श्रीमती)	मध्य रेलवे	
लक्ष्मी रमण	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
शुक्ला, दिनेश	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
मल्होत्रा, ए.के.	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	

1	2	3
वी.पी. राव	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
कुमार मधुरंजन	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
चंद्र महेश	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
रमेश कुमार	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
रस्तोगी, अजय कांत	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
अरोड़ा, रजनीश	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
पांडेय, जी.पी.	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
आर.ए. त्रिपाठी	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
आर. करकेट्टा	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	अ.ज.जा.
मोहन राजेश	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	अ.जा.
शिशिर दत्त	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
प्रियदर्शी अतुल	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
धीरेंद्र सिंह	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
ललित कुमार	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
प्रकाश पांडेय	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
तिवारी, ए.के.	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
पराग गुप्ता	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	
प्रधान प्रवीण	डीजल रेल इंजन रेल कारखाना	अ.जा.
डॉ. ए.के. दास	पूर्व रेलवे	
शर्मा, डी.सी.	पूर्व रेलवे	
घोष, अशोक कुमार	पूर्व रेलवे	
सी.पी. शर्मा	पूर्व रेलवे	
उत्तम मुखर्जी	पूर्व रेलवे	
एम. वेंकटरमन	सवारी डिब्बा कारखाना	
जे. मारन	सवारी डिब्बा कारखाना	
एम. परमशिवम	सवारी डिब्बा कारखाना	अ.जा.
पी. सोमसुंदरम	सवारी डिब्बा कारखाना	
जैन, जैनेंद्र कुमार	सवारी डिब्बा कारखाना	

1	2	3
एस.के. सेन	भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी संस्थान	
बी.पी. अवस्थी	उत्तर मध्य रेलवे	
जया वर्मा (श्रीमती)	पूर्वोत्तर रेलवे	
डी.के. श्रीवास्तव	पूर्वोत्तर रेलवे	
एस.के. दत्ता	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
नटराजन, एस.एस.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
पासवान, बी.के.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	अ.जा.
स्वप्निल गर्ग	उत्तर रेलवे	
गर्ग संजीव	उत्तर रेलवे	
भट्टाचार्य, एस.बी.	उत्तर रेलवे	
दास, मांध्यदीप (सुश्री)	उत्तर रेलवे	
आनंद, डी.ए.	उत्तर रेलवे	अ.जा.
जैन, रंजन कुमार	रेलवे बोर्ड	
कुमार उमेश	रेलवे बोर्ड	
जावा, नरेश कुमार	रेलवे बोर्ड	
रुदौला, देवेंद्र के.	रेलवे बोर्ड	
शर्मा, विनोद कुमार	रेलवे बोर्ड	
के. गंगाधरन	रेलवे बोर्ड	
खन्ना, अभय कुमार	रेलवे बोर्ड	
त्रिपाठी, एस.के.	रेलवे बोर्ड	
शर्मा, के.डी.	रेलवे बोर्ड	
खाती उर्विला (सुश्री)	रेलवे बोर्ड	
गोयल, राकेश कुमार	रेलवे बोर्ड	
आर.के. गुप्ता	रेल डिब्बा कारखाना	
गुप्ता, अशोक कुमार	रेल डिब्बा कारखाना	
पवार, रोशन लाल	रेल डिब्बा कारखाना	अ.जा.

	2	3
र दिनेश	रेल डिब्बा कारखाना	
स्तव, विनय	रेल डिब्बा कारखाना	
र, जोगिंदर सिंह	रेल डिब्बा कारखाना	अ.ज.जा.
पी. शर्मा	रेल डिब्बा कारखाना	
एन. हल्दर	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	अ.जा.
, मनोज	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
न चौधरी	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
ना, रवींद्र कुमार	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	अ.जा.
, महिपाल	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
स. महरोक	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
ाल, गिरीश चंद्र	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	
सुरेश चंद्र	दक्षिण मध्य रेलवे	
ताली, विश्वास राजेंद्र	दक्षिण मध्य रेलवे	
पी. गणेशवर	दक्षिण मध्य रेलवे	
ायक, अजित कुमार	दक्षिण पूर्व रेलवे	
वी. कल्याण	दक्षिण पूर्व रेलवे	
मानक सी.	दक्षिण पूर्व रेलवे	
जे.एन.	दक्षिण पूंव रेलवे	
म.सी. राव	दक्षिण रेलवे	
लेश मिश्रा	पश्चिम रेलवे	
, दीपक	पश्चिम रेलवे	
, ए.के.	पश्चिम रेलवे	
जोड़:	87 अधिकारी	

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती

4849. **श्री के.ए. सांगतम:**
श्री अशोक प्रधान:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जूट निर्माता विकास परिषद, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड और निर्यात संवर्द्धन परिषद में प्रधान/सी.एम.डी. प्रबंधन बोर्ड/शासी परिषद अधिकारिक/गैर-अधिकारिक सदस्य की श्रेणी में कुल कितने पद हैं और 1 जनवरी, 1996 तथा 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति वहां पृथक काम कर रहे हैं; और

(ख) ऐसे संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय के अधीन पटसन विनिर्माण विकास परिषद, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और निर्यात संवर्द्धन परिषदों में अध्यक्षों/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों/प्रबंधन बोर्ड के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों की कुल संख्या दिनांक 1.1.96 को क्रमश: 324 और 1.1.2000 को 322 है और इनमें से क्रमश: 1.1.96 तक की स्थिति के अनुसार 6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 1.1.2000 तक की स्थिति के अनुसार 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

निर्यात संवर्द्धन परिषदों की प्रशासन समिति/कार्यकारी समिति में अधिकांश सदस्यों का चयन संबंधित संघ के नियमों के उपबंधों के अनुसार व्यापार क्षेत्र से किया जाता है।

भारतीय न्यायिक सेवा

4850. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** 3 अगस्त, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबंधित विषय अभी भी सरकार के विचाराधीन है। अधिकांश राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय प्रस्ताव के पक्ष में है। विसम्मति प्रकट करने वाले राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की जा रही है। तीन नए राज्यों, अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों और तीन नए उच्च न्यायालयों के भी सृजन के परिणामस्वरूप इस संबंध में उनसे परामर्श किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किए जाने तथा उसके पश्चात् संसद द्वारा समुचित अधिनियमन की अपेक्षा होगी।

[हिन्दी]

गुजरात उच्च न्यायालय की पृथक खंडपीठ

4851. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की पृथक खंडपीठें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खंडपीठों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना किए जाने की बाबत गुजारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करने के पश्चात् गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में आवश्यक कार्रवाई ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कर्नाटक में बार एसोसिएशनों के महासंघ द्वारा फाइल की गई रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय ने अपनी तारीख 24 जुलाई, 2000 के निर्णय में यह कहा था कि "यह विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोत्तम उपयुक्त मशीनरी है कि क्या उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से बाहर न्यायपीठ का होना, आवश्यक और साध्य है या नहीं? यदि उच्च न्यायालय उक्त न्यायपीठ की स्थापना के पक्ष में नहीं है तो राजनीतिक या अन्य कारणों के आधार पर किसी उच्च न्यायालय को विभिन्न क्षेत्रों में न्यायपीठें विभाजित करना हानिकारक है। अत:, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की ऐसी राय के विरुद्ध जो सहयोगी न्यायाधीशों के दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात बनाई गई है, किसी उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से बाहर न्यायपीठ की स्थापना के बारे में विनिश्चय करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।"

उत्तर-प्रदेश से प्राप्त रेल परियोजनाएं

4852. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क का विस्तार करने और उसे सुचारू बनाने हेतु किए गए कार्यों के ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन पर कितना व्यय हुआ; और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा किये जाने की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) 2000-2001 के दौरान लखनऊ क्षेत्र में सर्कुलर रेलवे के लिए मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश में पत्र प्राप्त हुआ था। 2000-2001 में सरकार ने उत्तर/पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के आस-पास सर्कुलर रेलवे के विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ग) 2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में किए गए और पूरे किए गए सर्वेक्षणों की सूची विवरण-I में दी गई है:

(घ) से (च) उत्तर प्रदेश में चालू परियोजनाओं जिससे राज्य में रेलवे नेटवर्क का सुधार होगा उनकी वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। 2000-2001 के दौरान इन परियोजनाओं पर किए गए खर्च का पता जून 2001 में लेखों को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद चलेगा।

धीमी गति के कारण, जहां कहीं लागू हैं, भी विवरण-III में दिये गये हैं।

विवरण-I

2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में पूरे किए गए सर्वेक्षण

क्र.सं.	योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	कि.मी.	लागत (करोड़ रु. में)	प्रतिफल की दर
1.	नई लाइन	टनकपुर-पूर्णगिरी	11.56	60.93	-3.84
2.	नई लाइन	मारीपत-तुगलकाबाद	35.8	287.58	-2.9
3.	नई लाइन	ऋषिकेश से देहरादून	19.62	81.78	ऋणात्मक
4.	नई लाइन	पनकी-मनधाना	12.32	87.39	2.73
5.	नई लाइन	पानीपत-मुजफ्फरनगर	93.025	256.41	-16.25
6.	दोहरीकरण	शाहदरा-शामली	87	130.93	-21.04
7.	दोहरीकरण	शिकोहाबाद-फरूक्काबाद	110	311.55	3.76

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में चालू रेल परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4
नई लाइनें			
1.	गुना-इटावा	337.33	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-सियोनी खंडों को पहले ही पूरा कर दिया है। नोनेरा-सियोनी के बीच आमान परिवर्तन के अगले चरण का कार्य पूरा हो गया है और 21.8.2000 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। सियोनी-

1	2	3	4
			भिंड के बीच कार्य प्रगति पर है जबकि मिट्टी, छोटे पुलों और गिट्टी संग्रहण संबंधी कार्य हाथ में है और बड़े पुल पूरे हो गए हैं। इस खंड के 2001-2002 के दौरान आमान परिवर्तन किए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के अंतिम चरण में भिंड से इटावा तक नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण चम्बल (9×76.2 मीटर), कुंवाड़ी (6×45.75 मी.+1×76.2 मीटर) और यमुना (10061 मी.) शामिल है। यमुना पुल पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और 10 कुओं की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। चम्बल पुल के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
2.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	925.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ललितपुर छोर से 100 कि.मी. तथा महोबा से खजुराहो तक 64 कि.मी. और रीवा से सिंगरौली की ओर 22 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कागजातों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है।
3.	आगरा-इटावा वाया फतेहाबाद और बाह	109.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। योजना और नक्शे तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। भांडई-शामशाबाद के लिए 18.4 कि.मी. भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
4.	कटरा-फैजाबाद	81.86	कार्य भलीभांति प्रगति पर है। 142.49 एकड़ भूमि में से 138 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। 7.06 लाख घनमीटर में से 6.64 लाख घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। सरयू नदी पुल पर कार्य अच्छी प्रगति पर है।
5.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	10.77	संशोधित योजना भूतल परिवहन मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेज दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अपना भाग पूरा कर लिए जाने के बाद तत्काल रेलवे के भाग का कार्य शुरू किया जाएगा।
6.	इटावा-मैनपुरी	120.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन			
7.	काशीपुर-लालकुआं	58.89	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
8.	छपरा-औंडिहार	170.93	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
9.	खड्ढा गोरखपुर	102.49	कार्य पूरा हो गया है। गिट्टी की तह में वृद्धि करने तथा एलडब्ल्यूआर को बदलने से संबंधित अवशिष्ट कार्यों के शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।
10.	मथुरा-अछनेरा	33.67	इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा खंड के साथ शुरू करने की योजना है।

1	2	3	4
11.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ (चरण-1, गोंडा) से बहाराइच)	48.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
12.	आनंदनगर, नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	250.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
13.	इंदारा-फेफना	34.47	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
14.	कानपुर-कासगंज - मथुरा और कासगंज-बरेली	609.04	इस कार्य को 4 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। चरण-1: कानपुर-फर्रूखाबाद (140 कि.मी.), मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और 169 छोटे पुलों में से 103 पुल पूरे हो गए हैं। 5 बड़े पुलों में से 2 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। चरण-2: फर्रूखाबाद-कागसंज (108 कि.मी.) मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। चरण-3: कासगंज-मथुरा (105 कि.मी.) अब तक इस खंड में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। चरण-4: कासगंज-बरेली (1-7 कि.मी.) मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
15.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	268.00	1999-2000 का नया कार्य है। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
16.	आगरा फोर्ट-बांदीकुई	178.03	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 193 छोटे पुलों में से 60 छोटे पुलों तथा 9 बड़े पुलों में से 4 बड़ें पुलों की अधिसंरचना का कार्य पूरा हो गया है और 8 छोटे पुल पूरे हो गए हैं तथा 3.07 लाख घनमीटर में से 1.3 लाख घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तेजी लाई जा रही है। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
दोहरीकरण			
17.	मथुरा-भूतेश्वर	5.54	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 2001-2002 में पूरा किए जाने की प्रत्याशा है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।
18.	मानिकपुर-छेंवकी: चरण-1 मानिकपुर-कात्याडांडी का दोहरीकरण	48.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजना और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
19.	गोंडा-जाखल रोड	69.79	कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी 85 प्रतिशत और सभी 33 छोटे पुलों पर कार्य पूरा हो गया है। 8 में से 3 बड़े पुलों पर कार्य पूरा हो गया है और शेष

1	2	3	4
			5 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। गोंडा-मैजापुर (18 कि.मी.) मई 2000 में पूरा गया है। मैजापुर से जरवल तक शेष भाग के 2001-2002 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
20.	गोरखपुर-महजनवा चरण-1 गोरखपुर-गोंडा	61.51	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण कार्य अस्थाई रूप से रोक दिया गया है।
21.	जरवल रोड-बुढ़वल (कहीं-कहीं दोहरीकरण)	23.80	नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
22.	गाजियाबाद-हापुड़-मुरादाबाद कहीं-कहीं दोहरीकरण (चरण-1)	61.94	कार्य पूरा हो गया है।
23.	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन (चरण-1)	35.13	मिट्टी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है। मनमाड कारखाने में फ्लाई ओवर के लिए 76.2 मी. के गर्डरों का निर्माण किया जा रहा है।
24.	मुरादनगर-मेरठ सिटी	57.00	कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
25.	टूंडला-यमुना ब्रिज	35.95	टूंडला-एत्मादपुर तथा फ्लाई ओवर पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। फ्लाई ओवर सहित टूंडला से एत्मादपुर तक के खंड का कार्य 2001-2002 के दौरान पूरा किया जाएगा।
26.	उतरौतिया-चंदौली और मुल्तानपुर बंदुआकला	65.85	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शुरू किया जा रहा है।
27.	अमरोहा-मुरादाबाद	51.41	-वही-
28.	अमरोहा-कानकथर	48.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजना और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
29.	जाफराबाद-उतरौतिया चरण-2 (जाफराबाद श्रीकृष्णानगर)	48.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजना और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

1	2	3	4
	रेल विद्युतीकरण		
30.	रामपुर-डुमरा-गड़हढ़ा-बरौनी सहित सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	363.36	मार्च, 2001 तक 401 मार्ग कि.मी. अर्जित किया गया है। कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति तथा ठेकेदार की विफलता के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। अब इस कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
31.	अंबाला-मुरादाबाद	152.22	अम्बाला से सहारनपुर तक कार्य पूरा हो गया है। सहारनपुर से मुरादाबाद जो पहले रोक दिया गया था नवम्बर 1998 में अब पुनः चालू कर दिया गया है और समग्र खंड को मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
32.	खुर्जा-हापुड़-मेरठ सिटी-सहारनपुर	89.21	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण फिलहाल कार्य लंबित है।
33.	कानपुर-लखनऊ	58.07	पूरा हो गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।
34.	मुगलसराय-जाफराबाद, लखनऊ-मुगलसराय के चरण-1 के रूप में	49.96	प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पुनः योजना आयोग को भेजा जा रहा है।
35.	लखनऊ क्षेत्र के आसपास सर्कुलर रेल	24.23	यह पूरक बजट 2000-2001 में शामिल नया कार्य हैड्स कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

झारखंड और बिहार में चल रही रेल परियोजनाएं

4853. **प्रो. दुखा भगत:**
श्री राम टहल चौधरी:
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
श्री राजो सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड और बिहार में चल रही वर्तमान रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी परियोजना-वार अनुमानित लागत सहित अभी तक इन पर कितना व्यय हुआ है और इनकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) रांची-लोहरदग्गा रेल लाइन हेतु भूमि अधिग्रहित न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) झारखंड और बिहार में चल रही सभी परियोजनाओं, उनकी लागत, मार्च 2001 तक किए जाने वाले संभावित परिव्यय और 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में इन परियोजनाओं के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

धीमी प्रगति के कारणों, यदि कोई हो, सहित प्रत्येक परियोजना की मौजूदा स्थिति विवरण-I में दर्शायी गई है। समापन की लक्ष्य तिथि, जहां निर्धारित की गई है, दी गई है।

टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा के आमान परिवर्तन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

चल रहे सर्वेक्षणों की मौजूदा स्थिति सहित सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

बिहार और झारखंड में चालू रेल परियोजनाएं

राशि करोड़ों में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन प्राक्कलित लागत	1999-2000 के लिए परिव्यय	2000-2001 के लिए परिव्यय	2001-2002 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण						
1.	परमाबाद-पनपन (पटना-गया, चरण-2)	14.32	7.00	2.80	5.00	अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। कार्य आरंभ किया जा रहा है।
2.	पटना-परमाबाद (पटना-गया, चरण-1)	14.55	2.00	2.00	0.10	खंड 17.10.2000 को खोल दिया गया है।
3.	पुनपुन-तारेगना (पटना-गया, चरण-3)	42.54	5.00	1.00	2.00	कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
4.	माहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा	62.35	0.15	1.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।
5.	सोननगर-मुगलसराय: द्विदिशिक सिगनल प्रणाली और सोनगर में फ्लाईओवर सहित तीसरी लाइन	244.75	30.00	38.00	14.83	इस परियोजना का आंशिक वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक ऋण से किया गया था। कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। 16 ब्लाक खंडों में से 15 पूरे हो गए हैं। अंतिम खंड (9 किलोमीटर) के 2001-2002 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
6.	छपरा-हाजीपुर	73.06	1.00	0.10	10.00	कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
7.	कपूरीग्राम-सिहो	30.98	1.00	0.10	10.00	कार्य प्रगति पर है। 3 ब्लाक खंडों के लिए मिट्टी संबंधी कार्य हेतु निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
8.	गोयलकेरा-मनोहरपुर:तमरी लाइन	186.92	10.00	10.00	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की तैयारी आरंभ की गयी है। 74 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिसके लिए राज्य सरकार को दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मनोहरपुर में रेलवे भूमि में कार्य आरंभ किया गया है। प्रथम चरण में केवल पोसाइट-गोयलकरे खंड आरंभ करने की रेलों की योजना है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद शेष खंड पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
आमान परिवर्तन						
9.	छपरा-औणिहार	170.93	1.00	0.10	0.10	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
10.	हाजीपुर-बछवाड़ा	75.56	1.00	3.00	0.10	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। गिट्टी में कमी को दूर किया जा रहा है। लम्बी झली पटरियों का कार्य पूरा हो गया है।
11.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	335.77	10.00	8.00	10.00	कार्य चरणों में किया जा रहा है। चरण-1 जयनगर-दरभंगा और चरण-2 दरभंगा-नरकटियागंज है। मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
12.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	268.00	0.001	0.10	1.10	1999-2000 का नया कार्य है। यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
13.	मानसी-सहरसा (चरण-1)	89.50	10.00	3.00	3.00	कार्य प्रगति पर है। 29.17 किलोमीटर में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। 13 छोटे पुलों में से 9 पूरे हो गए हैं। 10 बड़े पुलों में से 1 पूरा हो गया है। बागमती नदी पर 2 पुलों का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
14.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	121.86	4.00	2.00	0.10	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। बीरगंज से रक्सौल (5 किलोमीटर) का कार्य जो वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया था, भी पूरा हो गया है।
15.	नरकटियागंज-वालमीकिनगर	67.87	1.50	3.00	5.00	कार्य पूरा हो गया है और खंड खोल दिया गया है। गिट्टी कुशन बढ़ाने और लम्बी झली पटरियों में परिवर्तन के अवशिष्ट कार्य शीघ्र पूरा होने की संभावना है।
16.	समस्तीपुर खगड़िया	70.00	0.001	0.10	5.00	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
17.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)	257.00	0.0001	10.00	15.00	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। कटिहार-राधिकापुर का आमान परिवर्तन मुख्य कार्य के वस्तुपरक आशोधन के रूप में आरंभ किया जाएगा।
18.	रांची-लोहारदगा, तोरी तक विस्तार सहित	185.31	10.00	3.00	4.00	चरण-1 रांची-लोहारदगा खंड में मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। 14 मेहराब पुलों और आरससी बक्सों की ढलाई का कार्य प्रगति पर है। तोरी-लोहारदगा (नई लाइन)। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण आरंभ किया जा रहा है।
नई लाइन						
19.	अरा-सासाराम	120.00	10.00	6.00	6.00	50 किलोमीटर लम्बाई के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सासाराम और नोकहा के बीच दूरी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस दूरी में पड़ने वाले कुल 23 गांवों में 22 गांवों के लिए भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। शेष एक गांव के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। सासाराम-नोकहा खंड के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्य हेतु संविदा सौंप दी गई है और उपलब्ध भूमि पर कार्य आरंभ हो गया है।
20.	देवगढ़-दुमका	180.00	2.00	1.00	4.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 11.2 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। 1.5 किलोमीटर लम्बाई के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
21.	देवगढ़-सुल्तानगंज	312.00	-	6.00	12.00	बोका से बाराहाट (13.4 किलोमीटर) तथा बोका से भिटिहैया रोड तक के नए कार्य वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-2002 के बजट में शामिल किए गए हैं। देवगढ़ से कतूरिया (30 किलोमीटर) का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अभी-अभी पूरा हुआ है। इस खंड के लिए भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
22.	फतुआ-इस्लामपुर, बिहार शरीफ से बड़बीघा तक नई लाइन के विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित	131.39	14.00	12.10	15.00	इस्लामपुर और हिल्सा के बीच 16 किलोमीटर की लम्बाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। इस्लापुर और हिल्सा के बीच पूलों का कार्य आरंभ किया जा रहा है। शेष खंड के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और भूमि उपलब्ध हो जाते ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। धनियावन से बिहारशरीफ का कार्य इस परियोजना के लिए वस्तुपरक आशोधन के रूप में आरंभ किया गया है जिसके लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। बरबीघा तक इस लाइन के विस्तार (19 किलोमीटर) का नया कार्य वस्तुपरक आशोधरन के रूप में 2001 2002 के बजट में शामिल किया गया है।
23.	गिरीडीह-कोडरमा (चरण-1)	145.00	5.00	5.00	6.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कोडरमा से महेशपुर तक पहले 20 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
24.	कोडरमा-रांची	491.20	14.00	25.00	20.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। हजारीबाग तक (63.5 कि.मी.) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 37.5 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रस्तुत कर दिये गये हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
25.	मंदारहिल-रामपुरहाट बरास्ता दुमका	170.47	4.00	4.00	6.00	चरण-1 मंदारहिल-दुमका (66 कि.मी.):- अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मंदारहिल छोर से 23 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा। चरण-2 दुमका-रामपुरहाट (64 कि.मी.): अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। नक्शे और अनुमानों की तैयारी प्रगति पर है।
26.	मुंगेर-गंगा पर रेल पुल	600.00	2.00	2.00	5.00	मैसर्स राइट्स के माध्यम से माडल अध्ययनों सहित सर्वेक्षण और विस्तृत जांचे आरंभ की गयी हैं। पुल के मापदंडों का निर्धारण हो जाने तथा लागत की पुष्टि हो जाने के बाद आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी।
27.	पटना और हाजीपुर के बीच संबद्ध लाइनों सिहत पटना गंगा पुल	610.00	5.00	5.00	15.00	राइट्स द्वारा विस्तृत जांच और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है। उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की द्वारा मॉडल अध्ययन किए जा रहे हैं और दिसंबर 2001 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है जिसके बाद पुल के संरेखण और विन्यास को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद लागत अनुमानों की पुष्टि की जाएगी और अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए परियोजना पर कार्रवाई की जाएगी। पटना छोर से पहुंच मार्ग संरेखण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह पुल केवल एक रेल पुल होगा।
28.	राजगीर-हिसुआ-तिलैया	49.50	14.00	2.00	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 70 हेक्टेर में 20 किलोमीटर की दूरी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राजगीर क्षेत्र में चारों ओर पुरातत्व स्मारकों के कारण प्रतिबंधों के कारण संरेखण पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
29.	दुर्गौधा-महराजगंज	3.57	2.00	0.10	0.10	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। योजना आयोग से इसके लिए अनुरोध किया गया है।
30.	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	78.00	1.00	0.10	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शों व दस्तावेजों की तैयारी आरंभ की गयी है। 20.63 किलोमीटर लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। खगड़िया यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
31.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	100.00	2.00	0.10	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शों वे दस्तावेजों की तैयारी तथा अन्य प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। सीतामढ़ी यार्ड में एक किलोमीटर लम्बाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। 67.55 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
32.	सकरी-हसनपुर	89.70	5.00	0.10	5.00	1226.3 एकड़ की समूची लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और 1191.93 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। सकरी से जगदीशपुर तक मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।
रेलवे विद्युतीकरण						
33.	कुसुंदा-कटरासगढ़-जमुनियाटांड	16.42	7.00	2.00	9.41	कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
34.	पटना-गया	41.24	0.10	0.10	0.10	यह परियोजना प्रस्ताव एक बार दोबारा अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भेजा गया है। अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
35.	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय, रामपुर दुमरा-गरहरा-बरौनी सहित	363.36	68.53	40.20	23.98	मार्च 2001 तक 401 मार्ग किलोमीटर को विद्युतीकृत कर दिया गया था। कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं तथा ठेकेदार की विफलता के कारण प्रगति धीमी है। अब यह कार्य मार्च 2002 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
36.	बोकारो स्टील सिटी-मूरी-हटिया-बोंडामुंडा-बिमलगढ़-किरीबूरू/बरसुआं, पुरूलिया-कोटशिला सहित	269.63	20.00	25.00	15.00	मार्च 2001 तक 287 मार्ग किलोमीटर को विद्युतीकृत कर दिया गया था। समूचा खंड मार्च 2002 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है। कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं और शिरोपिर उपस्कर ठेकेदार की विफलता और दामोदर वैली निगम/बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 132 केवी आपूर्ति जारी किए जाने में विलंब के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ है।
37.	चांदिल-मूरी-बरकाकाना	47.67	3.55	8.03	8.49	कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य हाथ में हैं।

विवरण-II

बिहार और झारखण्ड में चालू रेल सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना-शीर्ष	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	चक्रधरपुर-बौंडामुंडा: तीसरी लाइन	दोहरीकरण	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
2.	मानसी-सरहसा-बनमखी-कटिहार	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

1	2	3	4
3.	अजौमगंज-लालगोला	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
4.	देहरी आन सोन से बरवाडीह	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
5.	देहरी आन सोन से जदूनाथपुर बरास्ता बंजारी	नई लाईन	देहरी आन सोन से अकबरपुर पूरा हो गया है.। शेष हिस्से के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है।
6.	हजारीबाग-गढ़वा रोड	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
7.	पांगमैनोटी से एमजीआर	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
8.	देवरिया सदर-पदरौना	नई लाइन	अभी आरंभ किया जाना है।
9.	हाजीपुर-समस्तीपुर बरास्ता महुआ	नई लाइन	अभी आरंभ किया जाना है।
10.	कोपरिया-बिहारीगंज बरास्ता सोनबरसारज-आलमनगर	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
11.	कुरमेला-मनीहारी बरास्ता भवानीनगर-जरलही	नई लाइन	रेल लाइन व्यावहारिक नहीं है।
12.	कुरमेला-रूपाली-सहरसा	नई लाइन	अभी आरंभ किया जाना है।
13.	निर्मली-भापतियाइं	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
14.	बरवाडीह से चिरमिर रेल लाइन की बहाली	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
15.	लोहारदगा से कोरबा	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
16.	एनटीपीसी का मेरी-गो-राउंड	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
17.	झाझा-गिरीडीह	नई लाइन	2001-2002 के बजट में शामिल किया गया।
18.	पतरातू-चांदिल बरास्ता बरकाकाना	नई लाइन	2001-2002 के बजट में शामिल किया गया।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जल विद्युत परियोजनाएं

4854. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। तथापि, विद्युत वित्त निगम ने उड़ीसा में राज्य क्षेत्र परियोजनाओं नामश: अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4 × 150 मे.वा.) और बालीमेला जल विद्युत विस्तार परियोजना (2 × 75 मे.वा.) तथा विद्यमान हीराकुड परियोजना के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के लिए उड़ीसा हाइड्रो पावर कार्पोरेशन को कुल 640 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण स्वीकृत किया है।

अन्तरदेशीय जलमार्गों के द्वारा यातायात का नियंत्रण

4855. श्री अबुल हसनत खां: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने (राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1) से होते हुए हल्दिया/कोलकाता से गंगा इलाहाबाद तक कार्गो-यातायात को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस जलमार्ग के द्वारा सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कोयला, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम, पेट्रो-रसायन उत्पादों आदि के कम से कम 10 प्रतिशत यातायात को नियंत्रित करने का अनुमान लगाया है; और

(घ) क्या आई.डब्ल्यू.टी. पोतों और कैरियर आपरेटरों में निजी क्षेत्र का निवेश कराने के लिए आकर्षित कराने हेतु कोई वित्तीय छूट दिए जाने पर विचार किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। हल्दिया/कलकत्ता और इलाहाबाद के बीच निर्बाध नौगम्य चैनल उपलब्ध कराने के सतत् प्रयास किए जाते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) कार्गो शिपर्स को अंतर्देशीय जल परिवहन साधन का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान आई.डब्ल्यू.ए.आई. ने टाट के गट्ठों अधिक लम्बाई-चौड़ाई वाले निर्माण उपस्करों, चूना पत्थर और डोलोमाइट का परिवहन करने के लिए अपने और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के जलयानों को कार्य पर लगाकर नौगम्यता का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता से पटना तक खाद्य सामग्री ले जाने के लिए आई.डब्ल्यू.ए.आई. के अपने स्वयं के जलयान की यात्रा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है।

(ग) सरकार ने भा.अ.ज.प्रा. द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रचालन योग्य अधिसूचित मार्गों के जरिए बल्क ढुलाई वाली प्रबंधित वस्तुओं का कारोबार करने वाले मंत्रालयों का 5% कार्गो निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए हैं। परन्तु विभिन्न कारणों से जिसमें लगातार नियमित यातायात के लिए नौगम्य चैनल की अनुपलब्धता भी शामिल है, यह योजना अभी शुरू नहीं हो पाई है।

(घ) जी हां। सरकार द्वारा हाल में ही अनुमोदित किए गए उपायों के पैकेज में 20 वर्ष की अवधि के भीतर पांच वर्षों के लिए आई.डब्ल्यू.टी. क्षेत्र में निवेशकों को 100% कर छूट देने और अगले पांच वर्षों के लिए आयकर अधिनियम के तहत 30% और कर में छूट देने, अंतर्देशीय जलयानों के लिए मूल्यह्रास दर बढ़ाने, भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अंतर्देशीय जलायानों के लिए 30% जलयान निर्माण सब्सिडी शुरू करने और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आयातित उपस्कर और मशीनरी पर न्यूनतम सीमाशुल्क वसूलने जैसी रियायतों की परिकल्पना की गई है।

मत्स्य बंदरगाहों के लिए केन्द्रीय सहायता

4856. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री तिरुनावकरसू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन राज्य सरकारों ने मत्स्य बंदरगाहों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) मत्स्य बंदरगाहों के निर्माण पर केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जिन राज्य सरकारों ने बड़े तथा छोटे बंदरगाह सुविधाओं पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अनुसार मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किए हैं तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, उनका ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) चालू मत्स्यन बंदरगाहों को पूरा करने के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा कुल अनुमानित 14146 लाख रुपए खर्च किए जाने की संभावना है।

(ग) स्वीकृत मत्स्यन बंदरगाह परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम संबंधित राज्य सरकारों का है। प्रत्येक चालू मत्स्यन बंदरगाह परियोजना जिसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया गया है को पूरा करने की लक्षित तारीख विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाहों की संख्या	स्वीकृत लागत (लाख रुपए में)	भारत सरकार का हिस्सा (लाख रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	3	1470.830	735.415
2.	गुजरात	4	2077.000	1038.500
3.	कर्नाटक	5	568.590	284.30
4.	केरल	7	5035.200	2517.60
5.	महाराष्ट्र	1	1840.500	920.60
6.	तमिलनाडु	6	428.560	214.28
7.	उड़ीसा	3	1382.300	691.15
8.	पश्चिम बंगाल	3	1416.820	708.41
9.	गोवा	–	–	–
	कुल:	32	14219.80	7109.90

विवरण-II

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	परियोजना की स्वीकृत लागत	भारत सरकार का हिस्सा	पूरा करने की लक्षित तारीख (*)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. मछलीपत्तनम	470.88	235.44	3/99
2.	कर्नाटक	1. गंगोली	832.00	416.00	3/2003
		2. माल्पे-2	1196.70	598.35	9/2000
		3. मंगलौर-2	75.00	37.50	9/2003
		4. करवार-2	130.00	65.00	3/2002
3.	उड़ीसा	1. धामरा-2	640.00	320.00	3/2001
4.	महाराष्ट्र	1. अगराव	414.00	207.00	3/2001
5.	गुजरात	1. जखाऊ	1143.60	1143.60	5/97
6.	केरल	1. विझिंनजम	704.00	352.00	2/97
		2. थंगासेरी	1980.00	990.00	3/97

1	2	3	4	5	6
		3. कयामकुलम	624.00	312.00	8/98
		4. मुथालापोझी	1366.00	683.00	3/2004
7.	पश्चिम बंगाल	1. सुल्तानपुरी	473.47	236.735	3/2003
		2. हारबूड प्वाइंट	1350.00	675.00	5/2006
8.	पांडिचेरी	1. पांडिचेरी	423.00	423.00	3/2002
9.	तमिलनाडु	1. चिनामुट्टम	684.00	342.00	3/2002
	कुल		12506.65	7036.625	

टिप्पणी (*): दर्शाई गई लक्षित तारीख भारत सरकार द्वारा जारी की गई संस्वीकृति के अनुसार है।

रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा खोलना

4857. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का विचार देश के बड़े फास्ट फूड निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर फास्ट फूड प्लाजा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये फूड प्लाजा कब तक खोल दिए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम द्वारा प्रारंभिक चरण में ये सुविधाएं दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, मुंबई सैंट्रल, पुणे, आगरा छावनी, हवड़ा, चेन्नई, बेंगलूरू सिटी, जयपुर, सिकंदराबाद, हैदराबाद तथा गोरखपुर स्टेशनों पर योजनाबद्ध की गई हैं। यह योजना निजी सेक्टर की कंपनियों के साथ-साथ दोनों स्टेट एंटरप्राइजेजों के लिए खुली है।

(ग) फूड प्लाजाओं के चालू वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू कर दिये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्रमिकों को रोजगार

4858. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि हमारे देश का एक प्रमुख उद्योग है जहां अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कार्यरत तीन-चौथाई किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जो कि नई श्रम प्रधान कृषि तकनीक को अपनाकर रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु नई श्रम प्रधान कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कृषि क्षेत्र से अपनी जीविकोपार्जन करने वाले श्रमिकों के कुल प्रतिशत सहित इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ङ) 1991 की जनगणना के अनुसार, किसान और कृषि मजदूर कुल कार्यबल का क्रमश: 35% और 23.8% हैं। कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार, कुल प्रचालनात्मक जोतों का 18.8% छोटी (1 से 2 है.) थी। कृषि में श्रम का समावेश किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के स्तर पर निर्भर करता है। तथापि, भारतीय कृषि नीति का जोर गहन खेती सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने पर है जिसका रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों और कृषि अवसंरचना के प्रोत्साहन का भी रोजगार सृजन में योगदान है। इसके अतिरिक्त, सरकार रोजगार गारण्टी स्कीम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार

योजना और इंदिरा आवास योजना जैसे अनेक स्वयं रोजगार और दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनसे छोटे व सीमान्त किसानों सहित ग्रामीण गरीबों के लिए लाभकारी रोजगार के सृजन में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है।

[अनुवाद]

फसल पैटर्न में परिवर्तन

4859. श्री खारबेल स्वाइं: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो फसल पैटर्न में परिवर्तन हेतु सरकार द्वारा क्या विधि अपनाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का इरादा निर्यात हेतु विशेष बासमती के उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं और चावल के स्थान पर किन फसलों को बढ़ावा देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) निश्चित फसल प्रणाली को अपनाने से उत्पादकता गुणांक में कमी आएगी तथा इससे जुड़ी समस्याएं बढ़ेगी, अत: फसल प्रणाली में परिवर्तनों के सुझाव भूमि उपयोग क्षमता और संसाधन/आदान उपलब्धता के अनुसार दिए जाते हैं। बहरहाल, किसानों द्वारा फसल प्रणाली को अपनाने के लिए उत्पादन लागत/लाभांश शासी घटक हैं।

(ग) बासमती चावल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत चावल बीज मिनीकिट, अग्रणी प्रदर्शन तथा विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(घ) गेहूं तथा चावल की वैकल्पिक फसलों में आलू, गन्ना, मूरजमुखी, सोयाबीन, मक्का, सरसों, दलहन, सब्जियां, चारा फसलें और विभिन्न अल्प उदीपमान बागवानी फसलें शामिल हैं। इन फसलों के समावेश पर आधारित फसल प्रणालियां आमतौर पर आर्थिक रूप से लाभकारी और दीर्घकालिक आधार पर सतत पाई गई हैं।

[हिन्दी]

निधि कंपनियां

4860. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी अधियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न निधि कंपनियां निर्दोष निवेशकों/जमाकर्ताओं के हजारों करोड़ रुपये लेकर गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निधि कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माल-डिब्बों की खरीद

4861. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 के दौरान सरकार द्वारा जोन/मण्डल-वार कितने माल-डिब्बों की खरीद की गई;

(ख) क्या देश में माल-डिब्बों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन/मण्डल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान, भारतीय रेलों द्वारा 4 पहिया यूनिट के हिसाब से 17753 माल डिब्बे खरीदे गये हैं और विभिन्न जोनों को नीचे दिए गए अनुसार आवंटित कर दिए गए हैं:

(चौपहिया इकाइयां)

रेलवे	मात्रा
मध्य	1195
पूर्व	4529.5
उत्तर	3892.5
पूर्वोत्तर	535
पूर्वोत्तर सीमा	212.5
दक्षिण	360
दक्षिण मध्य	1092.5
दक्षिण-पूर्व	3189.5
पश्चिम	2746.5
कुल	17753.0

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेन्टों की बिक्री

4862. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गुजरात के भूकंप पीड़ितों की राहत सामग्री के रूप में विदेशों से प्राप्त टेन्ट और अन्य सामान बाजार में खुलेआम ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें शामिल गिरोह की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (घ) निचले स्तर पर राहत का वितरण गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है और उनसे ऐसी कोई सूचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.एस. के विकास हेतु कार्ययोजना

4863. **श्री. पी.आर. खूंटे:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समय नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कोई अलग कार्य योजना नहीं आरंभ की गई है। मंत्रालय मामला दर मामला आधार पर राज्य सरकार के विभागों, राज्य नोडल एजेंसियों, कार्यान्वयन एजेंसियों आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं/प्रस्तावों के अनुसार कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस मंत्रालय ने नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से 90 जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक परियोजना आरंभ की है। इसके अलावा, वर्ष 2000-2001 के दौरान 2921 सौर लालटेन, 3510 सौर घरेलू संबंधित राज्य नोडल विभाग और राज्य नोडल एजेंसी की सलाह से बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए वास्तविक लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुरातात्विक स्थलों का विकास

4864. **श्री कोलूर बसवनागौड:**
श्री एच.जी. रामुलू:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कौन-कौन से पुरातात्विक स्थल हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सहयोग से कर्नाटक के पुरातात्विक स्थलों और इसके एतिहासिक बेलूर और हालेबिद मंदिरों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय निधि के अन्तर्गत 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई या खर्च किये जाने का विचार है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांस्कृति निधि के अन्तर्गत हम्पी के खंडहरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पयर्टन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) कर्नाटक में कुल 503 संरक्षित-स्मारक हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय संस्कृति निधि की परियोजनाओं को समुदायों और निगमित निकायों की हिस्सेदारी से निष्पादित किया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि में किए गए अंशदान को आयकर में छूट दी जाती है। परियोजनाओं को हिस्सेदारों के परामर्श से अभिज्ञात किया जाता है और उनके द्वारा किए गए अंशदान में से उनको वित्तपोषित किया जाता है। हम्पी में विश्वदाय स्थल के विकास के लिए दिनांक 30.3.2001 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय तेल प्रतिष्ठान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय कर्नाटक के किसी अन्य स्थल के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नई शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां

4865. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री अशोक पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जर्मनी से आयातित नए सवारी डिब्बों वाली नई शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। 2003/2004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के बदले नई दिल्ली और लखनऊ के बीच नए सवारी डिब्बों वाली शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) सेवा में नए किस्म के सवारी डिब्बे चलाने के संबंध में आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा आवश्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही नई शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की संभावना है।

अलसी का समर्थन मूल्य

4866. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कई बार अलसी का समर्थन मूल्य घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अलसी का समर्थन मूल्य कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (घ) अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसकी जांच की गई थी।

चूंकि अलसी का उत्पादन स्थानीय प्रकृति का है और क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की जिन्सों के ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं इसलिए इस प्रस्ताव पर सहमत होना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

बी.टी. कपास के बीज

4867. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी. कपास खेती से पर्यावरण प्रदूषित होता है और साथ ही इससे मनुष्यों और पशुओं में कई बीमारियां भी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उक्त फसल की खेती की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस फसल की बुवाई हुई है और प्रत्येक राज्य में इसकी कितने क्षेत्र में खेती की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) तीन वर्षों की अवधि में बी.टी. कपास संबंधी जैव-सुरक्षा तथा पर्यावरणीय सुरक्षा पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सृजित आंकड़ों से यह संकेत नहीं मिलता कि

बी.टी. कपास की खेती से पर्यावरण प्रदूषण होता है। बी.टी. कपास पर किये गये जहरीलेपन और एलर्जी संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि यह पशुओं के लिए सुरक्षित है। बी.टी. जीन भारतीय कपास जर्मप्लाज्म में शुरू किया गया था और ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यह मनुष्यों में रोगों का कारण है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने अब तक देश में बी.टी. कपास की वाणिज्यिक खेती की अनुमति नहीं दी है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आमान परिवर्तन

4868. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में लंबे समय से कुछ मीटर और छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य लंबित है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार से आमान परिवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आमान परिवर्तन परियोजनाओं को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्वीकृतियां प्राप्त करने, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने और कर्नाटक में आमान परिवर्तन संबंधी निम्नलिखित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कर्नाटक के मुख्य मंत्री से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों, उन पर की गई कार्रवाई, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा	की गई कार्रवाई	उपलब्ध कराया गया आरंभिक परिव्यय करोड़ रुपयों में		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002 (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5
सकलेशपुर-मंगलौर लाइन को आमान परिवर्तन पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था और कार्य की प्रगति में तेजी लाना	यह अरसिकेरे हासन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजना का एक हिस्सा है। अरसिकेरे-हासन -सकलेशपुर लाइन पर कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है, शेष खंड पर मिट्टी संबंधी, पुलों संबंधी, गिट्टी एकत्र का कार्य प्रगति पर है। मंगलौर और कबाकापुत्तुर (44 कि.मी.) तक तल्प तैयार है और कबाकापुत्तुर से सुब्रामण्या रोड तक इस वर्ष तैयार कर लिया जाएगा घाट खंड में फिसलन और बक्र विफलता को रोकने के लिए भूगर्भ संबंधी जांच सहित सुरंगों को नीचा करना और घाट खंड में तटों को चौड़ा करना। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को पूरा किया जाएगा। कर्नाटक राज्य के जरिए वित्त पोषण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।	28	26	58

1	2	3	4	5
(1) मेत्तुपलायम तक विस्तार सहित मैसूर-चामराजनगर लाइन का आमान परिवर्तन- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करना।	इस कार्य को वर्ष 1997-98 के बजट में इस शर्त पर शामिल किया गया था कि आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य को शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।			
(3) सोलापुर-गदग लाइन का आमान परिवर्तन- बीजापुर-गदग खंड पर कार्य की रफ्तार तेज करना	इस कार्य को चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। सोलापुर-होटगी और होटगी से बीजापुर तक कार्य पूरा कर लिया गया है। बीजापुर से गदग तक शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस कार्य को शीघ्र करने के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य के जरिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।	7	10	10
(4) शिमोगातलकुपा लाइन का आमान परिवर्तन और अधिक धनराशि का आबंटन	यह बेंगलूर-हुबली-बिरूर-शिमोगा का हिस्सा है। बेंगलूर-तक कार्य पूरा कर लिया गया है। शिमोगा-तालगुप्पा खंड पर कार्य प्रगति पर है। शिमोगा-कास्मी (25 कि.मी.) और सागरा-तालगुप्पा (15 कि.मी.) तक मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है जहां कार्य की प्रगति 90% है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।	3	2	0.5

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान में महिला डिग्री धारक

4869. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि विज्ञान में स्नातक महिलाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि में महिला स्नातकों के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार कृषि में इन महिला स्नातकों को अनिवार्य नौकरियां देने के लिए कोई व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) किसी भी सरकारी विभाग में महिलाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं है।

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाएं

4870. **श्री कांतिलाल भूरिया:**
डा. चरण दास महंत:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश से प्राप्त रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए हैं और परियोजनाओं का अनुमोदन न करने के कारण यदि कोई हों, क्या हैं;

(ग) वर्तमान में चल रही रेलवे परियोजनाओं/सर्वेक्षण की स्थिति का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च हुआ और उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितना आवंटन किया गया;

(ङ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में धीमी प्रगति के लिए क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेल सेवाओं अथवा परियोजनाओं पर योजना बनाते समय राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रणाली संबंधी आवश्यकताओं और यातायात और यातायात की मांगों की एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। राज्यों की भौगोलिक सीमाएं निवेश संबंधी निर्णय लेने के मानदंड के आधार नहीं होते हैं। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव तथा उन पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:-

वर्ष	प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1998-99	निष्पादन में तेजी लाई जा रही है:	
	बिलासपुर-उरकुरा: तीसरी लाइन	बिलासपुर से भातापाड़ा तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पुल एवं गिट्टी संबंधी कार्य के लिए ठेके प्रदान किए जा चुके हैं। छोटे पुल तथा गिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।
	अकलतारा-चंपा: तीसरी लाइन	अकलतारा-नैला-हसदेव (23 किमी.) पूरा हो चुका है. हसदेव पुल को छोड़कर जो 2001-2002 में पूरा हो जाएगा।
	उरकुरा-रायपुर-सरोना: दोहरीकरण	कार्य पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।
1999-2000	रामगंज मंडी से भोपाल तक नई लाइन	इस कार्य को रेल बजट 2000-2001 में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है तथा जून, 2001 तक पूरा हो जाएगा।
	खंडवा से दाहोद तक नई लाइन	प्रस्तावित लाइन के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क किया गया है।
2000-2001	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया के आमान परिवर्तन में तेजी लाना	बालाघाट-कटंगी सहित गोंदिया से बालाघाट तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और साथ में प्रमुख पुलों की भू-तकनीकी जांच भी पूरी हो चुकी है। बालाघाट-जबलपुर के बीच सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। बालाघाट तक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। गोंदिया और बालाघाट के बीच तल्प संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (च) इन समय मध्य प्रदेश में सभी चालू रेल परियोजनाओं के ब्यौरे जिसमें उनकी अनुमानित लागत, मार्च 2001 तक प्रत्येक परियोजना पर होने वाला प्रत्याशित खर्च, पिछले तीन सालों में प्रत्येक के दौरान किया आवंटन, 2001-2002 के लिए प्रस्तावित परिव्यय तथा धीमी प्रगति के कारणों सहित जहां कहीं लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है, को विवरण-I में दर्शाया गया है।

मध्य प्रदेश में इस समय चालू परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। परियोजना की अनुमानित लागत सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद ही पता चल पाएगी।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में चालू रेल परियोजनाएं

(धनराशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन प्रत्याशित लागत	2000-01 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय	1998-99 के लिए बजट परिव्यय	1999-2000 के लिए बजट परिव्यय	2000-01 के लिए बजट परिव्यय	2001-02 के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नई लाइनें								
1.	गुना-इटावा	337.33	275.33	21.50	18.00	25.00	25.00	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-सोनी खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं। सोनी और भिंड के बीच आमान परिवर्तन के अगले चरण का कार्य प्रगति पर है जहां मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी तथा गिट्टी संग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। भिंड से इटावा तक इस परियोजना के अंतिम चरण में चंबल-कुंवारी और यमुना नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कार्य शामिल है। यमुना पुल का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और कुंए बैठाने का कार्य प्रगति पर है। चंबल पुल के निर्माण के लिए निविदा को आमंत्रित किया गया है। आगामी वर्षों में कार्य पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
2.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	925.00	6.22	1.00	5.00	5.00	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ललितपुर छोर से 1000 कि.मी. के लिए तथा महोबा से खजुराहो तक 64 कि.मी. के लिए रीवा से आगे सिंगरौली तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य के कागजात तैयार किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	गोधरा-इंदौर-देवास-मक्सी	597.00	25.18	5.00	4.00	10.00	15.00	कार्य को चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच पहले चरण का कार्य प्रगति पर है। 2 बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है तथा शेष 6 बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सभी 49 छोटे पुलों पर कार्य पूरा हो चुका है। गिट्टी की आपूर्ति की जा रही है। 2001-2002 के दौरान इस उपखंड को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गोधरा से इंदौर तक चरण-2 का कार्य चरण-1 का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
4.	रामगंजमंडी-भोपाल	425.00	0.05	–	–	1.00	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और जून, 2001 तक पूरा हो जाएगा।
आमान परिवर्तन								
5.	बालाघाट कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	386.30	16.02	20.00	22.00	16.80	15.00	बालाघाट कटंगी सहित गोंदिया से बालाघाट तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है जिसमें बड़े पुलों की भू-तकनीकी जांच भी शामिल है। बालाघाट से जबलपुर के बीच सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। बालाघाट तक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। गोंदिया और बालाघाट के बीच तल्प संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य प्रगति पर है।
6.	नीमच-रतलाम	116.74	14.81	10.00	5.00	5.00	15.00	दीर्घकालीन मदों पर कार्य शुरू किया गया है। सभी 31 बड़े पुलों पर उपसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य पुलों पर उपसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। 123 छोटे पुलों में से 110 पुलों पर उपसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। 6 बड़े पुलों और 94 अदद छोटे पुलों की उपसंरचना भी पूरी हो चुकी है। यह कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर प्रगति करेगा और पूरा हो जाएगा।
दोहरीकरण								
7.	कालापीपल-फांदा/मक्सी -भोपाल	53.00	0.01	0.01	0.01	0.01	1.00	संसाधनों की तंगी और निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।

2	3	4	5	6	7	8	9
8.	बोलाई-कालीसिंध, कालीसिंध-किसोनी, किसोनी-बेरछा और मक्सी-पिरूमरोद	94.39	51.88	10.00	10.00	16.000.01	कार्य पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश में चालू रेल सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	स्थिति
1.	पुलगांव-आरवी आमान परिवर्तन आमला तक विस्तार सहित	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
2.	छिंदवाड़ा-नागपुर	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
3.	छिंदवाड़ा-नयनपुर	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
4.	छोटा उदयपुर से धार तक नई बड़ी लाइन तथा प्रतापनगर से छोटा उदयपुर तक आमान परिवर्तन	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
5.	बाद-भैंसा	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
6.	दामोह के रास्ते जबलपुर से पन्ना	नई लाइन	सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
7.	जालना-खंडमगांव	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
8.	खारगोने, संधवा के रास्ते खंडवा से नरदाना तक	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
9.	शीरपुर-महो	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
10.	बिलासपुर से जबलपुर	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
11.	विश्रामपुर से जबलपुर	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
12.	कटंगी से तिरोदी	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
13.	राजनंदगांव-जबलपुर	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
14.	ख्वासा, सियोनी और धूमा के रास्ते रामटेक से गोंदिगांव	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
15.	छोटा उदयपुर-धार	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
16.	बांसवाड़ा के रास्ते डूंगरपुर से रतलाम	नई दिल्ली	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच समझौता

4871. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत की आपूर्ति के संबंध में केन्द्र सरकार और हरियाणा के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत सरकार और हरियाणा राज्य सरकार के मध्य 13 फरवरी, 2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि हरियाणा राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए दोनों पक्षों की निरंतर संयुक्त वचनबद्धता की पुष्टि की जा सके। समझौता ज्ञापन में हरियाणा सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सुधार में परस्पर रूप से सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने की वचनबद्धता की है। इन लक्ष्यों में 31.12.2000 तक 100% मीटरिंग, 31.3.2002 तक सभी प्रमुख नगरों की ऊर्जा लेखा परीक्षा, प्रत्येक वर्ष टी एंड डी हानियों में 5% तक की कमी, डिविजनल स्तर पर विशिष्ट वितरण लाभ केन्द्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के अनावंटित हिस्से से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन द्वारा एनटीपीसी द्वारा फरीदाबाद गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशन को हाथ में लेकर, पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उप पारेषण एवं वितरण के सशक्तीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के द्वारा वित्तीय सहायता, पारेषण प्रणाली के विकास में सहायता प्रदान करके अपनी पूर्ण सहायता की वचनबद्धता की है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा योजना

4872. श्री साहिब सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन के महत्वपूर्ण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा की संदर्श योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) संदर्श योजना के वास्तविक और वित्तीय आयामों और मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की इसमें कितनी भागीदारी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास एवं संवर्द्धन के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र हैं:-

1. सौर ऊर्जा केन्द्र, ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए;
2. पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, चेन्नई, पवन विद्युत प्रौद्योगिकियों के लिए;
3. वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, रुड़की विश्वविद्यालय, लघु पनबिजली प्रौद्योगिकियों के लिए;
4. सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान, जालंधर, पंजाब अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए।

(ख) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के विकास के लिए एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है। इस नीति विवरण का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय स्रोतों जैसे—सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली के अंशदान में वृद्धि करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, वाणिज्य और घरेलू क्षेत्रों में विकेन्द्रित/ऑफ-ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराना; और ग्रिड किस्म की विद्युत का उत्पादन तथा आपूर्ति करना है। इस नीति विवरण में 10,000 मेवा अथवा वर्ष 2012 तक की अवधि के लिए प्रक्षेपित 10% तक नई विद्युत क्षमता संयोजन की परिकल्पना की गई है। निधियन मुख्यतया केन्द्र एवं राज्य योजनाओं में पर्याप्त बजटीय आवंटनों के साथ निजी निवेशों के माध्यम से पूरी की जाएगी। वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय निधियन की भी परिकल्पना की गई है। निधियों की आवश्यकता और वित्त पोषण के साधन सहित एक विस्तृत कार्य योजना नीति विवरण के अनुमोदन के पश्चात तैयार की जाएगी।

[हिन्दी]

फल और सब्जियों का उत्पादन

4873. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी मात्रा में फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है और उनमें से कितने प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाता है;

(ख) इस उद्योग के उचित विकास में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा भारतीय बागवानी डाटाबेस 2000 के अनुसार देश में फल और सब्जियों का उत्पादन निम्नलिखित अनुसार है:-

वर्ष	फल	सब्जियां
1998-99	4,40,42,400 मी. टन	8,75,36,300 मी. टन

देश में उगाने वाले फल और सब्जियों में से 2 प्रतिशत से भी कम का संगठित क्षेत्र में प्रसंस्करण किया जा रहा है।

(ख) कम मांग, प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं कुछ प्रमुख कठिनाइयां हैं।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों, संयुक्त क्षेत्र, निजी/सहायता प्राप्त क्षेत्र गैर-सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को अनुदान और ऋण के रूप में सहायता देता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी अन्य एजेंसियां भी अपनी स्कीमों के तहत सहायता देती हैं। इस क्षेत्र को, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने के वास्ते, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है। आशा है कि इससे इस क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

पेट्रोनेट के माध्यम से मंगलौर-बंगलौर पाइप लाइन को पूरा करना

4874. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोनेट अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से मंगलौर-बंगलौर पाइप लाइन को पूरा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा की गई विभिन्न मांगों के कारण पाइप लाइन पूरा करने के कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की लंबित मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार के विलम्ब से परियोजना की लागत बढ़ रही है और क्या सरकार ने ऐसे सभी मामलों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के प्रबंधन परम्परा की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के प्रशासनिक प्रबंध में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड मंगलौर-बंगलौर पाइपलाइन का निष्पादन अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् पेट्रोनेट एम.एच.बी. लिमिटेड के माध्यम से कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ताज महल में विदेशी पर्यटकों द्वारा भारतीय बनकर अवैध प्रवेश

4875. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशियों के लिए अधिक प्रवेश शुल्क के मद्देनजर ताज महल में प्रवेश पाने के लिए बहुत से विदेशी पर्यटक अपने आप को भारतीय दिखाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशियों द्वारा भारतीयों के लिए नियत टिकट पर अवैध प्रवेश की प्रवृत्ति को कम करने के लिए क्या कारवाई करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ताजमहल सहित टिकट वाले स्मारकों में अन्तरीय प्रवेश शुल्क के मामले में स्वैच्छिक अनुपालन पर विश्वास करता है। अब तक का अनुभव संतोषजनक रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण पार्क

4876. श्री एच.जी. रामुलू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण पार्कों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में स्थान-वार खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक पार्क को कितनी सहायता मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को कर्नाटक सरकार से कोलार बागलकोट, बेलगांव, चित्रदुर्ग और मंडया जिलों में खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

कर्नाटक सरकार से प्राप्त 5 प्रस्तावों में से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने कोलार और बागलकोट में खाद्य पार्कों की स्थापना के वास्ते प्रत्येक को 4.00 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए सिद्धान्त: अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

खाद्य प्रसंस्करण अधिनियम में संशोधन

4877. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार का विचार प्रसंस्करण खाद्य विकास अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों के कब तक लाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ग) प्रस्तावित प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया और सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग संघों को परिचालित किया गया। तत्पश्चात एक संशोधित रूपान्तरण संबंधित सरकारी विभागों को उनकी अंतिम टिप्पणियां मंगाने के लिए परिचालित किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम में मौजूदा कानूनों के सुसंगतिकरण और सरलीकरण, विकासोन्मुखीकरण, एक विकास निधि के सृजन, एक प्रसंस्कृत खाद्य प्राधिकरण के जरिए मानकों की परिभाषा करने आदि का उल्लेख है।

अनुसरण की जाने वाली विभिन्न क्रियाविधियों के मद्देनजर अधिनियम को अंतिम रूप देने में लगने वाली निश्चित समय-सीमा के बारे में कुछ कहना कठिन है।

ऐतिहासिक स्मारकों का पुनर्निर्माण/उन्नयन

4878. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन का विकास करने के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ स्मारक स्थलों का उन्नयन/पुनर्निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वर्ष-वार और राज्य/स्थानवार उन्नयन किये गये स्थलों के नाम क्या हैं और विशेषकर महाराष्ट्र में स्मारकवार उन्नयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान उन्नयन/पुनर्निर्माण हेतु किन-किन स्मारक स्थलों का पता लगाया गया और इसके लिए स्मारक-वार और राज्य-वार कितना व्यय किया गया?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन, पर्यावरणीय सुधार तथा संरक्षण के लिए चौंतीस स्मारकों की पहचान की है।

इन स्मारकों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इन स्मारकों के उन्नयन का यह कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा। क्योंकि वित्तीय वर्ष अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए अब तक किए गए व्यय को बताना सम्भव नहीं होगा।

विवरण

उन्नयन के लिए अभिनिर्धारित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	किया गया व्यय		
		1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	ताजमहल, आगरा	17.41	16.71	21.43
2.	आगरा किला, आगरा	23.74	05.96	19.58
3.	फतेहपुर सीकरी, आगरा	14.79	12.08	32.68
4.	अजन्ता गुफाएं, महाराष्ट्र	33.44	14.35	02.74
5.	एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र	08.26	07.52	05.87
6.	एलीफैंटा गुफाएं, महाराष्ट्र	12.24	22.85	07.83
7.	स्मारक समूह, हम्पी	10.70	08.44	33.41
8.	स्मारक समूह, पट्टडकल	04.96	05.85	00.30
9.	सूर्य मन्दिर, कोणार्क	13.48	18.57	20.26
10.	स्मारक समूह, खजुराहो	17.28	10.47	14.80
11.	स्मारक समूह, सांची	03.64	07.28	08.38
12.	चर्चे तथा कान्वेंट, गोआ	14.93	21.24	24.28
13.	बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर	04.56	05.25	02.49
14.	स्मारक समूह, मामल्लपुरम	03.30	05.75	06.54
15.	कुतुब मीनार, नई दिल्ली	09.92	05.27	06.95
16.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली	27.40	21.22	20.72
17.	गोलकोंडा किला, हैदराबाद	15.84	84.93	32.72
18.	स्मारक समूह, सिबसागर	10.45	11.77	17.32
19.	भीष्मक नगर के अवशेष	–	02.75	06.00
20.	स्मारक समूह, नालंदा	10.00	21.83	6.84
21.	लाल किला, दिल्ली	28.40	24.26	44.48
22.	किला तथा चर्चे, दमन	–	12.89	15.40

1	2	3	4	5
23.	रानी की वाव, पाटन	–	08.11	00.78
24.	शेख चिल्ली का मकबरा जिला कुरूक्षेत्र	04.82	00.09	06.74
25.	कांगड़ा किला, कांगड़ा	04.95	–	04.79
26.	हेमिस गुफा, जम्मू एवं कश्मीर	04.23	02.11	02.98
27.	बेकल किला, बेकल	02.97	06.13	02.47
28.	विष्णु मंदिर, विष्णुपुर	–	04.73	04.17
29.	नर्टिंग का प्रस्तर, स्मारक	–	–	02.00
30.	दीमापुर किला, दीमापुर	04.07	–	00.07
31.	मुगल सराय दखिनी, जालंधर डी	02.91	02.02	04.70
32.	चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान	04.35	05.27	11.50
33.	उनाकोटी, त्रिपुरा	–	03.00	06.85
34.	हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद	25.16	16.39	06.97

पेट्रोल-डीजल पंपों का बंद होना

4879. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष उड़ीसा में बंद हुए पेट्रोल/डीजल पंपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से कितने पेट्रोल/डीजल पंप पुन: चालू कर दिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) विगत वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में दो खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओज) बंद किए गए थे।

इन खुदरा बिक्री केन्द्रों में से एक खुदरा बिक्री केन्द्र अर्थात् मैसर्स राजपथ मोटर्स, भुवनेश्वर बेदखली हेतु पट्टाकर्ता द्वारा दायर किए गए एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर बंद किया गया था। अन्य खुदरा बिक्री केन्द्र, अर्थात मैसर्स बतमंगला सर्विस स्टेशन, पुरी, जिला प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं ट्रेडिंग अनुज्ञप्ति के निरसन की वजह से बंद किया गया था। यह खुदरा बिक्री केन्द्र उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने पर 22.3.2001 को पुन: चालू कर दिया गया था।

[हिन्दी]

नकदी फसलों के लिए बीजों की किस्में

4880. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले और चालू वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नकदी फसलों की नई किस्म के बीजों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बीजों का रोपण किन-किन राज्यों में किया गया और किया जाना है; और

(घ) इन बीजों से प्रत्येक नकदी फसल की कितनी पैदावार हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पिछले तथा मौजूदा वर्ष के दौरान नकदी फसलों की कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि सूचना केंद्र

4881. डा. बलिराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक भाग में कृषि सूचना केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कृषि सूचना केंद्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस केंद्र के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) विश्व बैंक वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार घटक में नवपरिवर्तनों के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 15 भा.कृ.अ.प. के अनुसंधान संस्थानों में स्थित हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उत्पादों, निदानात्मक सेवाओं और सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक ही स्थान पर सहायता प्रणाली, सृजित करना है ताकि प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार में संचारण हानियों को कम किया जा सके। इन केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) आजमगढ़ में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आजमगढ़ आचार्य नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की परिसीमा में आता है, जहां भा.कृ.अ.प. ने एक कृ.प्रौ.सू. केन्द्र स्थापित किया है। इन जिलों के किसान इस कृ.प्रौ.सू. केन्द्र का लाभ उठा सकते हैं।

विवरण

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम
1	2
1.	एसकेयूएएस एंड टी, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
2.	यूएएस, बंगलौर (कर्नाटक)
3.	आईजीकेवी, रायपुर (एमपी)
4.	जेएनकेवीवी, जबलपुर, (एमएस)
5.	एमएयू, प्रबानी (एमएस)
6.	एमपीकेवीवी, राहुरी, अहमदनगर (एमएस)
7.	पीडीकेवी, अकोला (एमएस)
8.	एलएनवी एंड एएसयू, चेन्नई (टीएन)
9.	सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (यूपी)
10.	बीसीकेवीवी, मोहनपुर, नादिया (डब्ल्यूबी)
11.	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार द्वीप
12.	सीपीआरआई, शिमला (एचपी)
13.	सीआईएफटी, विलिंगडन द्वीप, कोचिन (केरल)
14.	सीएमएफआरआई, एर्नाकुलम, (केरल)
15.	सीपीसीआरआई, कसरगोड़, (केरल)
16.	सीआईएई, भोपाल (एमपी)
17.	सीआईसीआर, नागपुर, (महाराष्ट्र)
18.	आईसीएआर, मेघालय
19.	सीआईएफए, कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
20.	सीएजेडआरआई, जोधपुर (राजस्थान)
21.	पीएयू, लुधियाना (पंजाब)
22.	एचपीकेवीवी, पालमपुर (एचपी)
23.	टीएनएयू, कोयम्बटूर (टीएन)
24.	एचएयू, हिसार (हरियाणा)

1	2
25.	एपीएयू, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद (एपी)
26.	आरएयू, पूसा, समस्तीपुर (बिहार)
27.	वाईएसपीयूएचएफ, सोलन (एचपी)
28.	एएयू जोरहट (असम)
29.	यूएएस दरबाद (कर्नाटक)
30.	आरएयू, बिकानेर (राजस्थान)
31.	जीएयू, सरदार कृषि नगर (गुजरात)
32.	आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली
33.	एचएचआर, बंगलौर (कर्नाटक)
34.	एचएसआर, कालिकट (केरल)
35.	एनडीआरआई, करनाल (हरियाणा)
36.	केएयू, त्रिसुर (केरल)
37.	केकेवी, दापोली, रत्नागिरी (यूपी)
38.	जीवीपीयूए एंड टी, पंतनगर (यूपी)
39.	एनडीयूए एंड टी, कुमारगंज फैजाबाद (यूपी)
40.	आईवीआरआई, ईटानगर, बरेली (यूपी)

[अनुवाद]

किसानों की ऋण आवश्यकताएं

4882. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा चक्रवात प्रभावित जिलों में किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में चक्रवात और सूखा प्रभावित जिलों के किसानों के लिए पर्याप्त और आसान ऋण सुनिश्चित करने के लिए चालू वर्ष और नौवीं योजना के शेष वर्षों के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपनी पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान्स के माध्यम से उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित जिलों के संबंध में ऋण आवश्यकता का आकलन किया है।

(ख) विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उड़ीसा में चक्रवात और सूखा प्रभावित जिलों में किसानों को ऋण उपलब्धता की स्थिति लगातार मानिटर करने के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। अत: इस संबंध में अलग से कोई कार्य योजना प्रतिपादित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित जिलों के संबंध में वर्ष 2001-02 के लिए अनुमानित ऋण आवश्यकता

(लाख रु. में)

क्रम सं.	जिलों का नाम	फसल ऋण	कृषि एवं सम्बद्ध
1.	कटक	6547.20	2279.44
2.	जगतसिंहपुर	3272.00	2155.13
3.	केन्द्रपाड़ा	2351.00	1517.49
4.	जजपुर	1688.00	1530.92
5.	क्योंझर	1879.02	2869.90
6.	मयूरभंज	2331.60	1937.75
7.	खुर्दा	1945.20	1646.34
8.	नयागढ़	4104.50	1000.51
9.	गंजम	13194.00	3720.12
10.	गजपति	1585.80	1295.81
11.	बालासोर	3887.20	2461.36
12.	भद्रक	3308.00	1642.46
13.	पुरी	3411.95	2012.47
14.	ढेंकनाल	3039.70	1075.06

राष्ट्रीय कृषि आयोग

4883. डा. वी. सरोजा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विकास आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि, विकास आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन और संबद्ध कार्यकलापों तथा वैश्वीकरण आदि के प्रभावों संबंधी विभिन्न मामलों पर उपाय सुझाने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल और शरद जोशी की अध्यक्षता में एक कृषि कार्य बल का भी गठन किया है।

[हिन्दी]

पार्वती परियोजनाओं में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की हिस्सेदारी

4884. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की शेयर पूंजी 50 मिलियन से बढ़ कर 60 मिलियन हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें डाउन स्ट्रीम पार्वती परियोजना की तीस्ता चरण-4 का आधारभूत ढांचा शामिल है;

(ग) क्या निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ 420 मेगावाट लखवर व्यासी परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए कोई पहल की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) एन.एच.पी.सी. की अधिकृत शेयर पूंजी इस समय 7000 करोड़ रु. है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में निष्पादन के निमित्त सिक्किम में तीस्ता स्टेज-4 परियोजना को अब तक राज्य सरकार द्वारा एन.एच.पी.सी. को हस्तांतरित नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी की जल-विद्युत क्षमता के विकास का कार्य एन.एच.पी.सी. द्वारा आरंभ कर दिया गया है।

(ग) से (घ) लखवर ब्यासी एच.ई. परियोजना (420 मे.वा.) का संयुक्त उपक्रम के रूप में निष्पादन के लिए भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच दिनांक 25.2.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। उत्तरांचल के स्वरूप में आने के बाद सरकार को उत्तरांचल में अवस्थित इस परियोजना के बारे में आगे की रणनीति बनानी होगी।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु वित्तीय सहायता

4885. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान कोई राज्य विशेषकर महाराष्ट्र को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां। पावर फाइनेंस कारपोरेशन सुधारकारी राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय दोनों सहायता उपलब्ध कराता है। इन सहायताओं के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। सुधारकारी राज्यों के लिए वित्तीय पैकेज पर पीएफसी की नीति, जहां इस पैकेज के जरिए पीएफसी सुधारकारी राज्यों के सुधार संबंधी वित्तपोषण का अधिकांश भाग पूरा करता है, विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न राज्यों समेत महाराष्ट्र राज्य को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2000-2001 के दौरान आवंटित निधियों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

पीएफसी द्वारा सुधारकारी राज्यों को प्रदत्त तकनीकी एवं वित्तीय सहायता

राज्य विद्युत युटिलिटियों के प्रचालन का वाणिज्यिकरण करने एवं नियामक निकाय के जरिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए पीएफसी ने भारत सरकार की नीति के अनुरूप अनेक पहल किए हैं और विद्युत क्षेत्र सुधार शुरू करने के लिए राज्य सरकारो को प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। राज्यों को सुधारकारी तभी माना जाएगा जब वे पीएफसी की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से सुधार एवं पुनर्संरचना शुरू करें। राज्य विद्युत विनयामक आयोग का गठन कर इसे प्रचालित करें तथा सुधार पैकेज विकसित करने के लिए आवश्यक पुनर्संरचना व सुधार हेतु अध्ययन शुरू करने की प्रतिबद्धता देते हैं। पीएफसी के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता को सुधार-प्रचालन एवं वित्तीय कार्य योजना के लक्ष्यों को संतोषजनक ढंग से प्राप्त करने से जोड़ा जाएगा। विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा पीएफसी को दी गई प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत पीएफसी निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराएगा:-

1. *तकनीकी सहायता:*

- हानि में कमी करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु प्रणाली के विकास में सहायता।
- अभिजात उच्च हानि वाले क्षेत्रों में ऊर्जा ऑडिट करने हेतु प्रणाली विकसित करने में सहायता देना तथा कम्प्यूटरीकरण एवं संप्रेषण प्रणाली समेत एससीएडीए प्रणाली शुरू करना।
- मीटरिंग, बिलिंग एवं एकत्रीकरण तथा इनके कम्प्यूटरीकरण के जरिए विद्युत के प्रभावी एकाउटिंग के लिए प्रणाली विकसित करने में सहायता।
- राज्यों को सुधार संबंधी अध्ययन में सहायता कराना जो विद्युत क्षेत्र की संरचना में परिवर्तन के निर्धारण तथा इसके विनियमन हेतु आवश्यक है। पीएफसी राज्यों का संदर्भ शर्त, बोली प्रक्रिया। सुधार सम्बन्धी अध्ययन करने हेतु परामर्शदाताओं का मूल्यांकन एवं चयन में मदद करेगा तथा सुधार प्रक्रिया के हर स्तर पर राज्य सरकारों, राज्य विद्युत युटिलिटियों एवं परामर्शदाताओं के साथ जुड़ा रहेगा।
- यूटिलिटियों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे वितरण, प्रबंधन, डीएसएम भार वृद्धि, भाग का स्वरूप, परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण, मास्टर प्लान का विकास, वित्तीय पुनर्संरचना तथा नई युटिलिटियों के अंगीभूत होने के समय सुधार प्रक्रिया एवं सुधार पुनर्संरचना के बाद की अवधि के अंतराल में टैरिफ का वितरण।
- पीपीए, आरएफसी, आरएफक्यू, वितरण प्रबंधन समझौता के लिए प्रारूप प्रलेखन उपलब्ध कराकर वाणिज्यिक प्रबंध करने हेतु युटिलिटियों को सहायता।
- सुधार संबंधी कार्यशालाओं/सेमिनारों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन/विद्युत क्षेत्र में स्टेक होल्डरों के लाभ के लिए पुनर्गठन व विनियमन ताकि सुधारों के बारे में सूचना व अनुभव का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

2. *अनुदान/साफ्ट लोन (आसान ऋण)*

- सुधार से संबंधित अध्ययनों के लिए सीमित अनुदान/ राज्य सरकारों/राज्य विद्युत युटिलिटियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।
- सुधार/पुनर्गठन तथा एसपीयू के व्यवसायीकरण के सभी क्षेत्र अध्ययन के लिए अलग से साफ्ट ऋण देना।
- कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरणों के क्षेत्र में राज्य विद्युत नियामक आयोग एसईआरसी को सीमित अनुदान उपलब्ध कराना, सुधार संबंधी अध्ययन करना, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करना।
- आगामी अध्ययनों के समर्थन के लिए अनुदान के रूप में बहुपक्षीय एजेंसियों से अतिरिक्त तकनीकी तथा वित्तीय सहायता में सहयोग।

3. *वित्तीय सहायता:*

- स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए एक्सपोजर सीमा के बारे में वर्तमान नीति के शिथिलीकरण में नियत निवेश योजना के आधार पर 9वीं तथा 10वीं योजना के शेष अवधि के दौरान अधिकांश निवेश जरूरतों को कवर करके सुधार करने वाले राज्यों को व्यापक वित्तीय सहायता का पैकेज उपलब्ध कराना।
- विश्व बैंक/एडीबी सहायता से सुधार करने वाले राज्यों को निवेश योजना पर आधारित काउन्टरपार्ट फंडिग उपलब्ध कराना।
- वित्तीय सहायता प्रदान करते समय सुधारों के बाद नई राज्य युटिलिटियों के लिए (ओएफएपी) एक वर्ष के लिए जरूरी तथा आरओआर, डीएससीआर आदि संबंधी राज्य विद्युत युटिलिटियों के लिए पात्रता शर्तों को शिथिल करना।

- तेजी से रिटर्न प्रदान करने में सक्षम चुनिंदा परियोजनाओं को रियायती दर में ऋण देना।

- स्टेक होल्डर्स के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किए गए तथा सुधार अध्ययनों द्वारा संस्तुत वित्तीय पुनर्गठन योजना को सहायता उपलब्ध कराना।

- इस समय विभिन्न प्रकार की स्कीमों के लिए अपेक्षाकृत कम प्रतिशत के मुकाबले परियोजना लागत के प्रमुख भाग को कवर करके बढ़ी हुई सहायता का प्रस्ताव करना।

- सुधारकारी राज्यों में राज्य युटिलिटियों को अपेक्षाकृत अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना।

- फण्डिंग के लिए सुधार प्रक्रिया के परिणामत: निरूपित नई निजी विद्युत युटिलिटियों पर विचार करना।

विवरण-II

सुधारकर्त्ता राज्यों हेतु वित्तीय पैकेज पर पीएफसी की नीति

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 भारत सरकार राज्य विद्युत क्षेत्र सुधारों पर लगातार जोर देती रही है। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य विद्युत क्षेत्रों राज्य विद्युत क्षेत्र के ढांचागत सुधारों का उद्देश्य निम्नवत है:-

- एसईआरसी की स्थापना।

- रा.वि.बो. का निगमीकरण।

- उत्पादन, पारेषण और वितरण को पृथक कारपोरेट इकाइयों में अलग-अलग करना।

- जेनको, डिस्को तथा ट्रांस्को का गठन करना।

- डिस्को का निजीकरण करना।

2.0 लक्ष्य

2.1 राज्य विद्युत क्षेत्र की पुन:संरचना के उद्देश्य, जिस पर पीएफसी स्वयं ध्यान देगी, निम्नवत है:-

1. वाणिज्यिक एवं प्रचालनात्मक दक्षता तथा वित्तीय व्यवहार्यता को प्राप्त करना।

2. विद्युत युटिलिटियों के तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक पुन:संरचना के द्वारा सेवा प्रदान करने में सुधार करना तथा लागत-दक्षता प्राप्त करना।

3. अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा, प्रबंधकीय स्वायत्तता तथा उच्च उत्तरदायित्व/जिम्मेवारी के द्वारा सभी विद्युत क्षेत्र युटिलिटियों की प्रचालन दक्षता में वृद्धि करना।

4. बढ़ती हुई क्षमता अभिवृद्धि तथा संबंधित पारेषण एवं वितरण प्रणाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की निजी पूंजी को आकर्षित करेगा ताकि निजी क्षेत्र निवेश में सहायता प्रदान की जा सके।

5. संसाधन आयोजना, दक्ष समुपयोजन मांग पक्ष प्रबंधन के द्वारा तथा अपशेष को कम करके ऊर्जा संवर्धन को प्रोत्साहित करना।

6. पर्यावरणीय रूप से सशक्त तथा स्थिर विकास को प्रोत्साहित करना।

नीचे दिए गए उपाय निगमीकरण द्वारा मोनोपॉली यूटिलिटी की पुन:संरचना करके तथा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को अलग-अलग करके प्रतिस्पर्धा लाने के लिए है। सुधारों से भी टैरिफ निर्धारण तथा विद्युत क्षेत्र के विनियमन हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का विकास किया जा सकेगा।

2.2 किसी भी राज्य को सुधारकारी राज्य के रूप में माने जाने हेतु पात्रता मानदण्ड:-

इस नीति के अंतर्गत वित्त पोषण के लाभ प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकारों को पीएफसी सहायता से राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधारों को आरंभ करना होगा तथा उन्हें सुधारकारी राज्य के रूप में माना जाएगा बशर्ते वह राज्य निम्नलिखित हेतु लिखित वचनबद्धता करे:-

1. विद्युत क्षेत्र का सुधार आरंभ करने हेतु।

2. एसईआरसी की स्थापना और प्रचालन करने हेतु।

3. पुन:संरचना/सुधार हेतु, जब कभी भी आवश्यक हो, अध्ययन आरंभ करने हेतु।

4. सुधार पैकेज का विकास करना तथा इसे एक सुधार प्रचालनात्मक तथा वित्तीय कार्य योजना (आर-ओएफएपी) में शामिल करना जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् पीएफसी और युटिलिटी द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

5. स्पष्ट रूप से रेखांकित लक्ष्यों के साथ आर-ओएफएपी का क्रियान्वयन करना।

6. सुधार क्रियान्वयन कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति का अधिकांशत: मुख्य सचिव के अंतर्गत गठन करना। पीएफसी के नामित व्यक्ति को उन राज्यों में समिति में शामिल किया जाएगा जो पीएफसी की सहायता से सुधारों को आरंभ करेगा।

3.0 सुधार पैकेज

3.1 राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के साथ परामर्श करके एक सुधार पैकेज को विकसित करने के पीएफसी के प्रयास भारत सरकार की पहल के सामंजस्य में होंगे जैसा कि पैरा 1.1 में दिया गया है, केन्द्रीय विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए की गयी पहल, 26 फरवरी, 2000 को आयोजित राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का निष्कर्ष तथा सुधारकारी राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीम/सम्मत सुधार कार्यक्रम का मूल उद्देश्य एक उचित समर्थ पर्यावरण तैयार करने, वित्तीय और संस्थागत विकास पर केन्द्रित, प्रणाली दक्षता में सुधार, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ता सेवा, निगमीकरण द्वारा मोनोपॉली यूटिलिटी की पुन:संरचना द्वारा प्रतिस्पर्धा के संवर्धन तथा कार्यकारी पृथकीकरण एवं निजी भागीदारी का संवर्धन होना चाहिए।

3.2 सुधार पैकेज करवाए गए सुधार अध्ययनों में दर्शाए गए राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित होगा। सुधार एवं पुन:संरचना अध्ययनों के आधार पर राज्य पीएफसी के साथ परामर्श करके एक सुधर ओएफएपी शामिल कार्य योजना का विकास करेगा जिसमें संबंधित लक्ष्य हेंगे। पीएफसी द्वारा वित्तीय सहायता के प्रवाह को राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सुधार संबंधित कार्य योजनाओं की उपलब्धि के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा जाएगा। इन कार्य योजनाओं का सटीक लिंकेजों तथा संबंधित लक्ष्यों एवं जिस समयावधि के भीतर इन्हें प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है, को राज्य की सटीक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। यह माना गया है कि पीएफसी को शामिल मुद्दों की जटिलताओं को देखते हुए समयावधि तथा लिंकेजों के विस्तार के संबंध में एक लचीली पद्धति अपनानी होगी।

4.0 वित्तीय पैकेज

4.1 राज्यों को सुधार संबंधी कठोर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए वित्त पोषण के बड़े पैकेज का लिवरेज आवश्यक है। यह अनुभव करते समय कि सुधार प्रगति की गति राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होगी, मूलक विद्युत क्षेत्र सुधार हेतु गति बनाए रखने और विकास करने के लिए पीएफसी द्वारा प्रयास किए जाने हैं। पारेषण और वितरण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी ताकि हानियों को कम करने और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विद्यमान पारेषण और वितरण प्रणाली की पुन: स्थापना की जा सके। राज्य सरकारों द्वारा इन निवेश आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र निवेश को आमंत्रित किए, विद्युत यूटिलिटियों की विश्वसनीयता पुन: बहाल किए तथा एक अनुकूल वातावरण तैयार किए बिना जुटाया नहीं जा सकता। सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 5-7 वर्ष का समय लगने की प्रत्याशा है। सुधारकारी राज्यों के लिए वित्तीय सहायता राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा निवेश योजना, जो 9वीं योजना और 10वीं योजना की शेष अवधि के लिए उनकी निवेश आवश्यकताओं को शामिल करती हो, पर आधारित होगी। निवेश योजना पर आधारित वित्तीय सहायता की सीमा का आकलन पीएफसी द्वारा किया जाएगा जिसमें निवेश योजना का लगभग 80% और राज्य सरकार/राज्य यूटिलिटियों से आने वाले 20% काउंटर पार्ट वित्त पोषण को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुधार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सृजित की गयी निजी यूटिलिटियों को भी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। विश्व बैंक और एडीबी की सहायता के साथ सुधार कार्य करने वाले राज्यों के संबंध में परियोजनाओं पर पीएफसी के काउंटर पार्ट वित्त पोषण हेतु भी विचार किया जाएगा।

4.3 सांस्थानिक सहायता

सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुदान सहायता/आसान ऋणों/ब्याज मुक्त ऋणों के जरिए से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे ताकि वे अपेक्षित कौशल विकसित कर सके और सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सके तथा निवेश कार्यक्रम आरंभ कर सके। संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों और/या इसके उत्तराधिकारियों और एसईआरसी को निम्न क्षेत्रों की तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, सुधार संबंधी अध्ययन कार्य, कम्प्यूटरीकरण/सम्प्रेषण, एसआईसी को सहायता (केवल पीएफसी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अनुदान सहायता, मीटरिंग में सुधार, बिलिंग और संग्रहण, वितरण प्रबंधन, डीएसएम भार वृद्धि मांग पैटर्न, परिसम्पत्ति मूल्यांकन, मास्टर प्लान विकास, वित्तीय पुन:संरचना, टैरिफ यौक्तिकरण, पीपीए, प्रणाली प्रचालन, मानव संसाधन विकास, परियोजना प्रक्षेपण/तैयारी, आर एंड एम/आर एंड यू और आरएलए अध्ययन कार्य।

5.0 पात्रता शर्तों में छूट

सुधार अवधि के दौरान सुधारकारी राज्यों में यूटिलिटियों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित पात्रता शर्तों, जैसा कि ओपीएस में निर्धारित है, में रियायतें प्रदान की जायेंगी:

1. 3% आरओआर

2. डीएससी आर

3. एक्सपोजर सीमा

4. सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की मात्रा में परियोजना लागत की 8% मात्रा तक रियायत प्रदान की जाएगी।

5. गैर-सुधारकारी राज्यों में यूटिलिटियों की तुलना में दोगुनी अवधि और दोगुनी राशि के लिए कार्यशील पूंजी।

6. ये सुधार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निजी यूटिलिटियों और राज्य यूटिलिटियों दोनों के लिए लागू होगी।

6.0 शर्तें जो पूरी की जानी हैं

सुधारकारी राज्य के रूप में अहर्ता प्राप्त करने वाले राज्यों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तें, जैसाकि पैरा 2.2 में बताया गया है, नीचे दी गयी हैं:-

1. पीएफसी की देय राशियों के 1.25 गुना के समकक्ष पीएफसी के पक्ष में एस्क्रो खाता खोलना।

2. राज्य यूटिलिटियों के लिए राज्य सरकार की गारंटी (कार्यशील पूंजी हेतु सुविधा पत्र) और निजी यूटिलिटियों के लिए परिसम्पत्तियों पर शुल्क।

3. इन्टिटी पीएफसी के प्रति चूककर्त्ता नहीं होनी चाहिए।

4. परियोजना द्वारा ओपीएस के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा किया जाना।

5. स्वीकृतियां और संवितरण सुधार ओएफसी में लक्ष्यों की उपलब्धियों से संबंधित होगी। इस प्रयोजनार्थ पीएफसी रिपोर्ट मांग सकती है और सुधार प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए आवधिक मिशन भेज सकती है।

विवरण-III

अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य यूटिलिटि	योजना का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	प्रस्तावित एपीडीपी स्वीकृति		एपीडीपी के अंतर्गत कुल राशि
					सहायता	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	एपीजेनको	विजयवाड़ा टीपीएस यू-1 तथा 2 (2×210 मे.वा.) का आर. एण्ड एम.	आर. एंड एम.	22.30	5.58	5.58	11.15
2.	एपीजेनको	केटीपीएस बी तथा सी (2 × 105 + 2 × 110) का आर एंड एम	आर. एंड एम.	67.76	16.94	16.94	33.88
3.	एपीजेनको	त्वरित उत्पादन, निकासी एवं नवीकरण (पेजर) कार्यक्रम के अंतर्गत जल विद्युत केन्द्र के लिए विभिन्न कार्यकलाप।	आर एण्ड यू	2.06	0.52	0.52	1.03
4.	एपीजेनको	नागार्जुन सागर के लिए बाढ़ सुरक्षा दीवार एचईपी (1×110+7× 100 मे.वा.)	आर एंड यू	3.00	0.75	0.75	1.50

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अपट्रांस्को	इल्लेरू सर्किल	वितरण एवं रूपांतरण	7.38	1.85	1.85	3.69
6.	अपट्रांस्को	इल्लेरू सर्किल	मीटर	29.26	7.32	7.32	14.63
7.	अपट्रांस्को	तिरूपति सर्किल	वितरण एवं रूपांतरण	13.53	3.38	3.38	6.77
8.	अपट्रांस्को	तिरूपति सर्किल	मीटर	19.72	4.93	4.93	9.86
9.	अपट्रांस्को	वारंगल सर्किल	वितरण एवं रूपांतरण	9.97	2.49	2.49	4.99
10.	अपट्रांस्को	वारंगल सर्किल	मीटर	19.72	4.93	4.93	9.86
				194.70	48.68	48.68	97.35
बिहार							
11.	बि.रा.वि.बो.	पेसू (पूर्व)	पारेषण	8.93	2.23	2.23	4.47
12.	बि.रा.वि.बो.	आर एंड एम पीएफ, ईजाफर (आई.आर.)	आर एंड एम	20.55	5.14	5.14	10.28
13.	बि.रा.वि.बो.	पेसू (पूर्व)	मीटर	5.58	1.40	1.40	2.79
14.	बि.रा.वि.बो.	मुजफ्फरपुर	मीटर	7.82	1.96	1.96	3.91
				42.88	10.72	10.72	21.45
गुजरात							
15.	गु.वि.बो.	वनाकबोरी टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	4.45	1.11	1.11	2.23
16.	गु.वि.बो.	साबरमती सर्किल	मीटर	12.98	3.25	3.25	6.49
17.	गु.वि.बो.	पालनपुर तथा हिम्मत नगर क्षेत्र	मीटर	9.80	2.45	2.45	4.90
18.	गु.वि.बो.	कच्छ जिले के विद्युत प्रणाली की पुन:बहाली (कुल लागत 470 करोड़ रुपये है, व्यय केवल पहले 6 महीने के लिए)	पारेषण	192.00	48.00	48.00	96.00
				219.23	54.81	54.81	109.62

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
19.	डीएचबी वीएनएल	हिसार शहर	पारेषण	7.71	1.93	1.93	3.86
20.	डीएचबी वीएनएल	हिसार सर्किल	पारेषण	4.50	1.13	1.13	2.25
21.	डीएचबी वीएनएल	फरीदाबाद शहर	पारेषण	8.84	2.21	2.21	4.42
22.	डीएचबी वीएनएल	फरीदाबाद सर्किल	पारेषण	8.50	2.13	2.13	4.25
23.	यूएचबी वीएनएल	सोनीपत सर्किल	मीटर	8.77	2.19	2.19	4.39
24.	यूएचबी वीएनएल	सोनीपत सर्किल	पारेषण	1.98	0.50	0.50	0.99
25.	यूएचबी वीएनएल	करनाल सर्किल	मीटर	10.00	2.50	2.50	5.00
26.	यूएचबी वीएनएल	करनाल सर्किल	पारेषण	6.56	1.64	1.64	3.28
27.	एचपीजीसीएल	फरीदाबाद टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	23.70	5.93	5.93	11.85
28.	यूएचबी वीएनएल	हिसार	सीएपी	0.34	0.09	0.09	0.17
29.	यूएचबी वीएनएल	फरीदाबाद	सीएपी	1.93	0.48	0.48	0.97
30.	यूएचबी वीएनएल	हिसार	पारेषण वितरण	2.40	0.60	0.60	1.20
31.	यूएचबी वीएनएल	फरीदाबाद	पारेषण वितरण	14.00	3.50	3.50	7.00
				99.23	24.83	24.83	49.66
झारखंड							
32.	झारखंड	रांची सर्किल	पारेषण	29.89	7.47	7.47	14.95
33.	झारखंड	लोयाबाद सर्किल	पारेषण	14.05	3.51	3.51	7.03
				43.94	10.99	10.99	21.97

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक							
34.	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस यू-1, 2 एवं 3 (3×210 मे.वा.) का आर एंड एम	आर. एंड एम	28.84	7.21	7.21	14.42
35.	केपीसीएल	सारावती, सुपा, लिंगनामकी, भद्रा तथा वरही एचईपी का आर एंड यू	आर. एंड यू	16.00	4.00	4.00	8.00
36.	वीवीएनएल	मुनीराबाद जल विद्युत स्टेशन 28 मे.वा. (2 × 9 +1×10 मे.वा.) का आर.एम. एंड यू	आर एंड यू	3.64	0.91	0.91	1.82
37.	केपीटीसीलएल	मैसूर सर्किल	वितरण तथा रूपांतरण	9.98	2.50	2.50	4.99
38.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल	मीटर	10.00	2.50	2.50	5.00
39.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल	पारेषण	27.48	6.87	6.87	13.74
40.	केपीटीसीएल	बिजापुर सर्किल	मीटर	5.84	1.46	1.46	2.92
41.	केपीटीसीएल	बिजापुर सर्किल	पारेषण	39.90	9.98	9.98	19.95
42.	केपीटीसीएल	बेलगांव सर्किल	वितरण एवं रूपांतरण	9.99	2.50	2.50	5.00
43.	केपीटीसीएल	बेलगांव सर्किल	मीटर	6.59	1.65	1.65	3.30
44.	केपीटीसीएल	बेलगांव सर्किल	पारेषण	4.72	1.18	1.18	2.36
				162.98	40.74	40.74	81.49
केरल							
45.	के.रा.वि.बो.	पाथनमिथिट्टा सर्किल	मीटर	9.91	2.48	2.48	4.96
46.	के.रा.वि.बो.	पाथनमिथिट्टा सर्किल	पारेषण	4.60	1.15	1.15	2.30
47.	के.रा.वि.बो.	मंजेरी सर्किल	मीटर	19.81	4.95	4.95	9.91
48.	के.रा.वि.बो.	मंजेरी सर्किल	पारेषण	10.50	2.63	2.63	5.25
				44.82	11.21	11.21	22.41
मध्य प्रदेश							
49.	म.प्र.वि.बो.	सतपुड़ा टीपीएस 1142.5 मे.वा. (5×625+1×200+3×2) (10 मे.वा.) का आर एंड एम	आर एंड एम	22.34	5.59	5.59	11.17

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	म.प्र.वि.बो.	ग्वालियर	मीटर	12.41	3.10	3.10	6.21
51.	म.प्र.वि.बो.	इंदौर	मीटर	19.35	4.84	4.84	9.68
52.	म.प्र.वि.बो.	उज्जैन	मीटर	21.36	5.34	5.34	10.68
53.	म.प्र.वि.बो.	ग्वालियर	सीएपी	0.42	0.11	0.11	0.21
54.	म.प्र.वि.बो.	इंदौर	सीएपी	2.99	0.75	0.75	1.50
55.	म.प्र.वि.बो.	उज्जैन	सीएपी	1.70	0.43	0.43	0.85
56.	म.प्र.वि.बो.	इंदौर	पारेषण एवं वितरण	18.49	4.62	4.62	9.25
				99.06	24.78	24.78	49.55
महाराष्ट्र							
57.	म.रा.वि.बो.	परली टीपीएस के अपशिष्ट निपटान संयंत्र स्कीम के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता	आर एंड एम	4.41	1.10	1.10	2.21
58.	म.रा.वि.बो.	पारली टीपीएस का ऐश वाटर रिकवरी स्कीम	आर एंड एम	8.05	2.01	2.01	4.03
59.	म.रा.वि.बो.	नासिक टीपीएस हेतु ईएसपी संवर्द्धन रीप्रोफिट	आर एंड एम	22.00	5.50	5.50	11.00
60.	म.रा.वि.बो.	कराड़ी, नासिक एवं पारली टीपीएस पर एमपीएसपी सिस्टम द्वारा कोल मिल्स का रिपेयर एवं मोडिफिकेशन	आर.एंड एम	6.00	1.50	1.50	3.00
61.	म.रा.वि.बो.	करोडी टीपीएस (यू-5) का आर एंड एम	आर एंड एम	48.00	12.00	12.00	24.00
62.	म.रा.वि.बो.	सोलापुर सर्किल	मीटर	40.00	10.00	10.00	20.00
63.	म.रा.वि.बो.	रत्नागिरी सर्किल	पारेषण एवं वितरण	10.00	2.50	2.50	5.00
64.	म.रा.वि.बो.	रत्नागिरी सर्किल	मीटर	14.15	3.54	3.54	7.08
65.	म.रा.वि.बो.	उस्मानाबाद सर्किल	मीटर	40.00	10.00	10.00	20.00
66.	म.रा.वि.बो.	जलगांव सर्किल	पारेषण एवं वितरण	26.27	6.57	6.57	13.14
67.	म.रा.वि.बो.	जलगांव सर्किल	मीटर	50.00	12.50	12.50	25.00
				268.88	67.22	67.22	134.44

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा							
68.	ओएचपीसी	हिराकुडी (बुरला) यू-3 एवं 4 का आर.एम. एंड यू	आर. एंड यू	126.13	19.00	19.00	38.00
				126.13	19.00	19.00	38.00
पंजाब							
69.	पं.रा.वि.बो.	शानन एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	11.98	3.00	3.00	5.99
70.	पं.रा.वि.बो.	पटियाला सर्किल	पारेषण एवं वितरण	8.51	2.13	2.13	4.26
71.	पं.रा.वि.बो.	पटियाला सर्किल	मीटर	9.68	2.42	2.42	4.84
72.	पं.रा.वि.बो.	पटियाला सर्किल	पारेषण	25.00	6.25	6.25	12.50
73.	पं.रा.वि.बो.	खन्ना सर्किल	वितरण एवं रूपांतरण	7.44	1.86	1.86	3.72
74.	पं.रा.वि.बो.	खन्ना सर्किल	मीटर	12.79	3.20	3.20	6.40
				75.40	18.85	18.85	37.70
राजस्थान							
75.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर सर्किल	वितरण एवं रूपान्तरण	27.89	6.97	6.97	13.95
76.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर सर्किल	मीटर	15.62	3.91	3.91	7.81
77.	आरआर वीवीएनएल	अलवर सर्किल	मीटर	7.12	1.78	1.78	3.56
78.	जयपुर वीवीएनएल	अलवर	मीटर	9.00	2.25	2.25	4.50
79.	अजमेर वीवीएनएल	झुनझुनू	मीटर	8.15	2.04	2.04	4.08
80.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर	मीटर	10.85	2.71	2.71	5.43
81.	जोधपुर वीवीएनएल	अलवर	सीएपी	3.20	0.80	0.80	1.60
82.	अजमेर वीवीएनएल	झुंझुनू	सीएपी	3.70	0.93	0.93	1.85

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर	सीएपी	4.45	1.11	1.11	2.23
				89.98	22.50	22.50	45.00
तमिलनाडु							
84.	त.वि. बोर्ड	तूतिकोरिन टीपीएस का आर एंड एम फेज-2 के तहत रूटीन आर एंड एम एक्टिविटी (अति.)	आर एंड एम	33.84	8.46	8.46	16.92
85.	त.वि. बोर्ड	इन्नौर टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	73.04	18.26	18.26	36.52
	त.वि. बोर्ड	केपेसिटर्स	सीएपी	2403	6.05	6.05	12.10
				130.91	32.77	32.77	65.54
उत्तर प्रदेश							
86.	यूपीआरवीयूएनएल	परिचा टीपीएस (2×210 मे.वा.) का आर एंड एम	आर एंड एम	32.80	8.20	8.20	16.40
87.	यूपीआरवीयूएनएल	पांकी टीपीएस यूनिट 3 एवं 4 का (2×210 मे.वा.) का आर एंड एम	आर एंड एम	31.43	7.86	7.86	15.72
88.	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा ए टीपीएस (3×210 मे.वा.) का आर एंड एम	आर एंड एम	26.10	6.53	6.53	13.05
89.	यूपीआरवीयूएनएल	परिचा टीपीएस (2×210 मे.वा.) (पेजर) का आर एंड एम	आर एंड एम	8.02	2.01	2.01	4.01
90.	यूपीजेवीएनएल	खोदरी एचईपी की आर एंड यू	आर एंड यू	10.50	2.63	2.63	5.25
91.	यूपीजेवीएनएल	चिल्ला एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	47.10	11.78	11.78	23.55
92.	यूपीजेवीएनएल	छिबरू एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	20.90	5.23	5.23	10.45
93.	यूपीपीसीएल	मुरादाबाद	मीटर	14.41	3.60	3.60	7.21
94.	यूपीपीसीएल	गोरखपुर	मीटर	11.64	2.91	2.91	5.82
				202.90	50.72	50.72	101.46

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगाल							
95.	प.बं.रा.वि.बो.	जलढ़ाका एचईपी चरण-1 (3×9 मे.वा.) तथा चरण-2 (2×मे.वा.) का आर एंड यू	आर एंड यू	49.79	12.45	12.45	24.90
96.	प.बं.रा.वि.बो.	अभिज्ञात 3 सर्किलों (हावड़ा, बिधान नगर एवं 24 परगना में घरेलू उपभोक्ता के लिए मीटर	मीटर	7.20	1.80	1.80	3.60
97.	प.बं.रा.वि.बो.	तीन सर्किलों में मीटर, सीएपी तथा पारेषण तथा वितरण	मीटर	30.00	7.50	7.50	15.00
				86.99	21.75	21.75	43.50
छत्तीसगढ़							
98.		रायपुर	मीटर	6.40	1.60	1.60	3.20
99.		बिलासपुर	मीटर	5.00	1.25	1.25	2.50
100.		राजनंद गांव	मीटर	6.10	1.53	1.53	3.05
101.		रायपुर	सीएपी	1.00	0.25	0.25	0.50
102.		बिलासपुर	सीएपी	1.40	0.35	0.35	0.70
103.		राजनंद गांव	सीएपी	0.61	0.15	0.15	0.31
				20.51	5.13	5.13	10.26
उत्तरांचल							
104.		देहरादून	मीटर	3.60	0.90	0.90	1.80
105.		रूड़की	मीटर	3.00	0.75	0.75	1.50
106.		रूद्रपुर	मीटर	3.00	0.75	0.75	1.50
				9.60	2.40	2.40	4.80
		कुल जोड़		1918.14	467.1	467.1	934.2

(क) विशेष श्रेणी राज्य

क्र. सं.	राज्य यूटिलिटि	योजना का नाम	डिसिप्लीन	स्कीम का लागत	प्रस्तावित एपीडीपी स्वीकृति		एपीडीपी के तहत कुल राशि
					मंजूरी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश							
1.	अरुणाचल प्रदेश	11 केवी/एचटी तक मीटर तक	मीटर	2.82	2.54	0.28	2.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	अपेक-3 सर्किल में मीटरिंग	मीटर	3.50	3.15	0.35	3.50
				6.32	5.69	0.63	6.32

1	2	3	4	5	6	7	8
असम							
3.	अ.रा.वि.बो.	सिलचर नेटवर्क का स्ट्रेन्थ	पारेषण	15.60	14.04	1.56	15.60
4.	अ.रा.वि.बो.	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	4.42	3.98	0.44	4.42
				20.02	18.02	2.00	20.02
हिमाचल प्रदेश							
5.	हि.प्र.रा.वि.बो.	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	25.32	22.79	2.53	25.32
				25.32	22.79	2.53	25.32
जम्मू तथा कश्मीर							
6.	जे एंड के पीडीडी	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	6.99	6.29	0.70	6.99
				6.99	6.29	0.70	6.99
मणिपुर							
7.	मणिपुर पीडी	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	0.72	0.65	0.07	0.77
मेघालय							
8.	मेघालय पीडी	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.81	1.63	0.18	1.81
				1.81	1.63	0.18	1.81
मिजोरम							
9.	मिजोरम पीडी	11केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	106	0.95	0.11	1.06
				106	0.95	0.11	1.06
नागालैंड							
10.	नागालैंड पी	11केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.89	1.70	0.19	1.89
				1.89	1.70	0.19	1.89
सिक्किम							
11.	सिक्किम पीडी	11केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.88	1.69	0.19	1.88
12.	सिक्किम पीडी	मीटर फेज-2	मीटर	4.50	4.05	0.45	4.50
				6.38	5.74	0.64	6.38
त्रिपुरा							
13.	त्रिपुरा	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	5.00	4.50	0.50	5.00
				5.00	4.50	0.50	5.00
		कुल (क)		75.51	67.96	7.55	75.51

अलघ समिति

4886. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का पुनर्गठन करने हेतु प्रो. वाई.के. अलघ समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) सूचनानुसार पंजाब सरकार ने प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। पंजाब सरकार से विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

झारखंड के गांवों का विद्युतीकरण न होना

4887. श्री राम टहल चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में आज की तारीख में जिले-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) झारखंड में पूर्ण विद्युतीकरण कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण के रास्ते में कौन-कौन सी बाधाएं आ रही है और इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) झारखंड में अविद्युतीकृत गांवों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है:-

(ख) और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य विद्युत बोर्ड/पावर यूटिलिटियों, जो राज्य सरकार की नीत और निर्देशों के अनुसार राज्य में वितरण प्रणाली का परिचालन करते हैं, द्वारा किया जाता है। गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण में लगने वाला समय, उपभोक्ताओं की मांग, राज्य में विद्युत की उपलब्धता, वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने के निमित्त वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा अनेक पहल किए जाने हैं, इसमें शामिल है, अगले छह वर्षों में शेष गांव का विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना, जिसके लिए वित्त पोषण में वृद्धि की जा रही है, दलित बस्तियों, अनुसूचित जन जातियों के घरों एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्गों का त्वरित विद्युतीकरण करने हेतु रा.वि. बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण निगम से क्रेडिट सहायता में वृद्धि, गांवों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आरईसी की सहायता से, वितरण प्रणाली का उन्नयन, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए आरआईडीएफ से कम से कम 750 करोड़ रु. की राशि का निर्धारण तथा आर.ई.सी. के संसाधनों में इसे आयकर अधिनियम की धारा 54 ई.सी. के अन्तर्गत नाबार्ड एवं एन.एच.ए.आई. के साथ पूंजीगत लाभ कर मुक्त बाण्ड जारी करने की अनुमति देकर इसमें वृद्धि। उपरोक्त पहलों में झारखंड ने गांवों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	देवघर	1010
2.	दुमका	2537
3.	गोड्डा	854
4.	साहिबगंज	1356
5.	पाकुड़	
6.	रांची	632
7.	लोहरदगा	
8.	गुमला	760
9.	पलामू	1666
10.	गढ़वा	
11.	पू. सिंहभूम	1956
12.	प. सिंहभूम	
13.	हजारीबाग	1748
14.	चतरा	
15.	कोडरमा	
16.	गिरिडिह	1553
17.	धनबाद	484
18.	बोकारो	
	कुल	14376

कपास और गन्ना उत्पादक

4888. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से महाराष्ट्र के कपास और गन्ना उत्पादकों की सहायता का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र के कपास और गन्ना उत्पादकों की प्रमुख मांगें क्या हैं; और

(ग) केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) किसानों की मांगों और उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए राज्य में कपास और गन्ने के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है। इन फसलों की खेती में सामना की जा रही मुख्य समस्याओं में बीज आपूर्ति, स्प्रिंकलर जैसे जल बचत उपकरणों की जरूरत, रोगों और कीटों की जोखिम, उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर सूचना एवं प्रशिक्षण तथा छिड़कावकों/उपस्करों की आपूर्ति शामिल है।

कपास उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मिनी मिशन-II के माध्यम से महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत उत्पादन प्रौद्योगिकी पर खेत प्रदर्शन, समेकित कीट प्रबंध और साथ ही विस्तार कर्मियों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता मुहैया करायी जा रही है। इसके अलावा, बीज, छिड़कावकों, केरोमोन ट्रेप्स, बायो-एजेण्ट और स्प्रिंकलरों/टपका सिंचाई एककों जैसे आदानों की रियायती आपूर्ति के लिए भी सहायता मुहैया कराई जाती है। भारत सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 829.88 लाख रु. और 226.63 लाख रु. राज्य के हिस्से के रूप में आवंटित किए हैं।

इस बीच राज्यों की यथा आवश्यकता और कृषि-जलवायु स्थिति के अनुरूप क्रियाकलाप अपनाने के लिए उन्हें लचीलापन प्रदान करते हुए अक्तूबर, 2000 से केन्द्रीय गन्ना प्रायोजित स्कीम को कृषि विकास के वृहत प्रबंधन विधि के अंतर्गत मिला दिया गया है। वृहत प्रबंधन विधि के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 हेतु 600 लाख रु. के कुल परिव्यय से महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक गन्ना विकास स्कीम विदर्भ क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। स्कीम की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं- प्रौद्योगिकी अंतरण, बीज उत्पादन, विस्तार कर्मियों तथा किसानों का प्रशिक्षण और साथ ही हरी खाद, जिप्सम, स्व:स्थाने ट्रैश कम्पोस्ट तथा कृमि उपस्करों की आपूर्ति।

[अनुवाद]

गुजरात की रेल परियोजनाएं

4889. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राजकोट-बेरावल रेल मार्ग का कोड़ीनारा होते हुए सोमनाथ तक विस्तार और नवलीखी-दहीसरा-मोरवी-वन्कानेर, दहिसर-मिलिया-मियाना, अहमदाबाद विजागपुर, हिम्मतनगर-छोटा उदयपुर-प्रतापनगर और जम्बूसर-सांखियाली-पालनपुर रेलमार्गों के आमान परिवर्तन की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो चालू रेल बजट में इन मांगों को नहीं माने जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:-

परियोजना	स्थिति
1	2
1. सोमनाथ के रास्ते राजकोट-वेरावल रेल लाइन का कोडिनार तक विस्तार	सोमनाथ के रास्ते वेरावल से कोडिनार तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रेलवे के साथ परामर्श करके रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।
2. नवलखी-दहींसरा-मोरबी-वांकानेर तथा दहींसरा-मलिया मियाना का आमान परिवर्तन।	इस लाइनों का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है।

1		2
3.	अहमदाबाद-वीजापुर का आमान परिवर्तन।	कलोल-अदरज मोती के आमान परिवर्तन का कार्य गांधीनगर-अदरज मोती-कलोल नई लाइन परियोजना के एक भाग के रूप में पहले ही बजट में शामिल है। यह लाइन अहमदाबाद-अदज मोती के बीच बड़ी लाइन मुहैया कराएगी क्योंकि अहमदाबाद तक कलोल के बीच बड़ी लाइन पहले से मौजूद है। संसाधनों को अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए अदरज मोती-वीजापुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
4.	हिम्मतनगर-छोटा उदयपुर-प्रतापनगर का आमान परिवर्तन।	ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, धार तक विस्तार सहित प्रतापनगर-छोटा उदयपुर तथा अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर खंडों के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण पहले से चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के उपलब्ध हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं पर आगे विचार करना संभव होगा।
5.	जम्बूसर-सामाखियाली-पालनपुर का आमान परिवर्तन।	ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। बहरहाल, जम्बूसर-विश्वामित्री (प्रतापनगर) के आमान परिवर्तन के सर्वेक्षण को विरार और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित तीसरी लाइन के एक भाग के रूप में पूरा कर लिया गया है। इस खंड के आमान परिवर्तन पर उस समय विचार किया जाएगा जब इस क्षेत्र में इस तीसरी लाइन का कार्य शुरू किया जाएगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। गांधीधाम-सामाखियाली-पालनपुर का आमान परिवर्तन कार्य बजट में पहले ही शामिल है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में इसे पूरा कर लिया जायेगा। मेहसाणा के रास्ते विश्वामित्री-पालनपुर तथा वीरमगाम के रास्ते विश्वामित्री-सामाखियाली के बीच बड़ी लाइनें पहले से मौजूद है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

4890. श्री राजो सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति दिए जाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जिन-जिन विदेशी कंपनियों को नये विद्युत संयंत्र स्थापित करने की राज्यवार अनुमति दी गयी है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर बिहार में वे स्थान कौन-कौन से है जहां विदेशी कंपनियां उक्त संयंत्र स्थापित करना चाहती है;

(घ) क्या मंत्रालयों ने उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी, परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद देश की विद्युत आवश्यकताओं के कहां तक पूरा होने की संभावना हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अधिकाधिक निजी क्षेत्र भागेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अक्तूबर 1991 में घोषित की गई नीति के अंतर्गत भारतीय विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं हेतु शत प्रतिशत (100%) विदेशी-इक्विटी भागेदारी की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ख) से (ङ) गत तीन वर्षों (1998-99, 1999-2000 और 2000-2001) के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति प्राप्त निजी विद्युत परियोजनाओं जिनमें विदेशी इक्विटी शामिल है, का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला तथा अपेक्षित

ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। के.वि.प्रा. द्वारा टी.ई.सी. प्राप्त और विदेशी इक्विटी भागेदारी रखने वाली कोई भी परियोजना बिहार राज्य में नहीं है।

(च) संलग्न विवरण में उल्लिखित सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जोड़े जाने वाली सम्भावित अधिष्ठापित क्षमता की कुल मात्रा 10728.67 मे.वा. है।

विवरण

गत तीन वर्षों (1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001) के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिकी दृष्टि से स्वीकृत निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं जिनमें विदेशी इक्विटी भागीदारी शामिल है

	परियोजना	क्षमता मेगावाट में	स्थान
1		2	3
आंध्र प्रदेश			
1.	कृष्णापट्टम	520	नेलोर
2.	वेमागिरी	492	ईस्ट गोदावरी
गुजरात			
3.	जामनगर टी.पी.पी.	500	जामनगर
कर्नाटक			
4.	नागार्जुन टी.पी.पी.	1015	नार्डिकर (मंगलोर)
5.	पीनिया सी.सी.पी.	107.6	बैंगलोर
केरल			
6.	कन्नुर सी.सी.जी.टी.	513	कन्नूर
7.	वाइप्रीन सी.सी.जी.टी.	679.2	एरनाकुलम
मध्य प्रदेश			
8.	गुना सी.सी.जी.टी.	330	गुना
9.	खान्डवा सी.सी.जी.टी.	171.17	पूर्वी निमार
उड़ीसा			
10.	दुवुरी टी.पी.पी.	500	जैजपुर
11.	आई.वी. वैली टी.पी.पी.	500	झारसुगुडा
राजस्थान			
12.	बरसिंगसर टी.पी.पी.	500	बीकानेर
13.	धौलपुर सी.सी.जी.टी.	702.7	धौलपुर

1		2	3
तमिलनाडु			
14.	नार्थ मद्रास-3	525	एम.जी.आर.
15.	कुड्डालोर टी.पी.पी.	1320	कुड्डालोर
16.	वेमबार सी.सी.जी.टी.	1873	रामनाथपुरम
उत्तरांचल			
17.	श्रीनगर	330	पौड़ी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल			
18.	गौरीपोर टी.पी.पी.	150	उत्तर 24 परगना
	कुल	10728.67	

[अनुवाद]

सहजनवा-दोहरीघाट रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

4891. श्री राजनारायण पासी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत सहजनवा और दोहरीघाट के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन बिछाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1989 में सहजनवा से दोहरीघाट तक नई बड़ी लाइन के लिए और दोहरीघाट से इंदारा तक मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 103 कि.मी. लम्बी इस प्रस्तावित लाइन की लागत, 67 करोड़ रुपए आंकी गई थी और इससे 3.47% प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान था। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

एच.पी.सी.एल. के विरुद्ध शिकायतें

4892. श्री भालचन्द्र यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 21 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है और सभा पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मुंबई में 6 सोरेन्टो माउन्ट, प्लीसेन्ट रोड पर पट्टे के स्थान की समयपूर्व मुक्ति और एच.पी.सी.एल. के भूतपूर्व निदेशक (विपणन) के एक निकट संबंधी द्वारा इसकी बाद में बहुत कम कीमत पर खरीद करने के बारे में प्राप्त शिकायतों का कोई सबूत नहीं है। तत्कालीन एस्सो प्रबंधन (जो बाद में एच.पी.सी.एल. द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया) ने अपनी योजना (अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कब्जे वाले फ्लैटो को कब्जाधारियों को बेचना) के तहत उपर्युक्त फ्लैट को श्री एच.बी. चबलानी (एच.पी.सी.एल. के निदेशक (विपणन) श्री बी.एल. सितलानी के ब्रदर-इन-ला) को बेच दिया। जो फ्लैट एच.पी.सी.एल. के पास पट्टे पर था, वह मालिक को 1.1.1983 को वापस कर दिया गया। एच.पी.सी.एल. बिक्री सौदे की पक्षकार नहीं थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खरीफ की फसलों को नुकसान

4893. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राज्यों में हाल की बाढ़ और सूखे के कारण खरीफ की फसल में 12 लाख टन की गिरावट आने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष बाढ़ और सूखे के कारण राज्य-वार खरीफ की फसलों, जान और माल की कुल कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए राज्यों में केंद्रीय दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो ये दल कौन-कौन से राज्यों में भेजे गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इन अध्ययन दलों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 108.92 मिलियन मी. टन के लक्ष्य की तुलना में खरीफ 2000 खाद्यान्न उत्पादन का अग्रिम अनुमान 102.32 मिलियन मी. टन होने की सम्भावना है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखे तथा बाढ़ से जानमाल को हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (छ) सूखे तथा बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में अन्तर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल भेजे गए थे। सूखे तथा बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अनुमोदित/निर्मुक्त सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 के दौरान सूखे तथा बाढ़ के कारण हुई राज्यवार क्षति/हानि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	मृत व्यक्ति (संख्या)	मृत पशु (संख्या)	क्षतिग्रस्त मकान (संख्या)	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	257	5368	104374	4.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	26	9131	17	0.04
3.	असम	32	सू.न.	सू.न.	2.24
4.	बिहार	274	1861	312076	3.92
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	11.36
6.	गुजरात	116	406	23844	10.19
7.	हिमाचल प्रदेश	149	सू.न.	सू.न.	4.04
8.	कर्नाटक	152	690	54591	0.57
9.	केरल	75	सू.न.	9474	सू.न.
10.	मध्य प्रदेश	13	147	3297	39.52
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	45.00
12.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	11.00
13.	पंजाब	7	सू.न.	35	0.25
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	89.47
15.	सिक्किम	11	सू.न.	140	सू.न.
16.	उत्तर प्रदेश	462	888	33649	4.35
17.	पश्चिम बंगाल	1320	83630	2194858	19.20

सू.न. सूचित नहीं।

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान सूखे तथा बाढ़ के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अनुमोदित/निर्मुक्त राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपदा	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से अनुमोदित/निर्मुक्त सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	वर्षा/बाढ़	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	अचानक बाढ़	2.00
3.	बिहार	वर्षा/बाढ़	29.67
4.	छत्तीसगढ़	सूखा	40.00
5.	गुजरात	सूखा	85.00
6.	हिमाचल प्रदेश	अचानक बाढ़	33.29
7.	मध्य प्रदेश	सूखा	35.00
8.	उड़ीसा	सूखा	35.00
9.	राजस्थान	सूखा	85.00
10.	पश्चिम बंगाल	वर्षा/बाढ़	103.25

चावल और आलू की किस्में

4894. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेघालय स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मौजूदा गतिविधियां क्या-क्या हैं;

(ख) क्या ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अनुकूल चावल और आलू की अच्छी किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान किया गया है;

(ग) मेघालय के परिषद कार्यालय में कितने अधिकारी और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) आई.सी.ए.आर. ने फार्म और आवास के लिए कितने क्षेत्रफल भूमि ले रखी है; और

(ङ) अनुसंधान केन्द्र कितनी ऊंचाई पर है और आई.सी.ए.आर. के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मेघालय में 1975 में उमियम में उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान परिसर की स्थापना की है। इस संस्थान ने उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र की आदिवासी क्षेत्रों, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, की कृषि अनुसंधान मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के सभी विषयों जैसे बागवानी, पशु विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि वानिकी और मात्स्यिकी को शामिल किया है।

(ख) जी, हां। अधिक ऊंचाई (>1500 मी.) वाले क्षेत्रों के लिए चावल की दो किस्में नामत: एन.ई.एच. मेघा चावल 1 और एन.ई.एच. मेघा चावल 2 जारी की गई थी। इन किस्मों की औसत पैदावार 30 क्विंटल/है. है और इसमें कुल चावल पैदावार क्षेत्र का 50 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र शामिल है। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें मेघालय भी शामिल है, खेती के लिए कुफरी, ज्योति, कुफरी मेघा और कुफरी गिरिराज आलू की किस्में विकसित और जारी की गई हैं।

(ग)

	श्रेणी	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
क.	आर.एम.पी.	2	1	1
ख.	वैज्ञानिक	90	76	14
ग.	तकनीकी	132	113	19
घ.	प्रशासनिक	89	67	20
ङ.	सहायक कर्मचारी	68	67	1

(घ) उमियम में संस्थान का कुल कृषि क्षेत्र 101 हैक्टर है और 2 हैक्टर कृषि क्षेत्र में आवास, कार्यालय, प्रयोगशाला, भंडार आदि।

(ङ) अक्षांश: 980-1080 एम अधिक एम.एस.एल.

वर्षा: लगभग 2,400 मि.मी./प्रतिवर्ष

पेट्रोल पंप आबंटन घोटाला

4895. श्री कमल नाथ:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 2001 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित पेट्रोल पंप आबंटन घोटाले से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन संबंधी नियमों के संशोधन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं और जांच करने के बाद उन पर कार्रवाई की जाती है।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिसके तहत संबंधित तेल कंपनी डीलरो/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के प्रति सारी शिकायतों के संबंध में जांच करती है। सूचीबद्ध उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायतों की संबंधित तेल विपणन कंपनी के दो अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। तेल विपणन कंपनी द्वारा जांच रिपोर्ट डीलर चयन बोर्ड को भेजी जाती है। अध्यक्ष डीलर चयन बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श से शिकायत के संबंध में रिपोर्ट की जांच करता है और तेल कंपनी द्वारा अनुपालन के लिए अपने निदेश/आदेश सूचित कर देता है।

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है।

कुक्कुट विपणन फेडरेशन

4896. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुक्कुट विपणन फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था जिसके अधीन इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि सभी राज्य कुक्कुट परिसंघ/निगम सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस प्रस्ताव की योजना आयोग, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राज्य सरकारों तथा वित्त मंत्रालय के साथ विस्तृत विचार विमर्श करके जांच की गई थी। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया था।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान परिषद

4897. श्री एम. चिन्नासामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान परिषद के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) गहन खेती दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए कृषि, पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्र के समेकन की आवश्यकता है, इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पशु चिकित्सा तथा मात्स्यिकी विज्ञान अनुसंधान प्रणाली को अलग करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

4898. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2000-2001 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे खाद्यान्नों की पहचान कर ली है जिनका उत्पादन घरेलू खपत से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्यान्न उत्पादन गत वर्ष से कम/अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(च) खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) योजना आयोग ने वर्ष 2000-2001 के लिए देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 218.0 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए "कृषि जिंसों की मांग और आपूर्ति का प्रेक्षण और कृषि सांख्यिकी में सुधार" पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-2002 में दालों की उपभोग आवश्यकता (व्यावहारिक दृष्टिकोण से) 16.25 मिलियन मीटरी टन आंकी गयी है। हालांकि वर्ष 2001-2002 में दलहन उत्पादन उपभोक्ता प्रक्षेपण से कम होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-2002 में खाद्यान्न उत्पादन 196.13 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान जो कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में कम है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 के दौरान होने वाले कुल खाद्यान्न का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) सरकार ने भविष्य में देश के विभिन्न भागों में उत्पादन बढ़ाने और कृषि विकास के उद्देश्य से, राज्यों को सहायता देने के लिए परम्परागत योजना दृष्टिकोण के बजाय मैक्रो मैनेजमेण्ट मोड (व्यापक प्रबन्ध परक दृष्टिकोण) अपनाने का निर्णय किया है। इस स्कीम में 27 स्कीमों को एक ही स्कीम में मिला दिया गया है ताकि कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित/संपूरित किया जा सके। इससे राज्यों को उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने में और अधिक आजादी मिल सकेगी और विभिन्न योजनाओं में परस्पर व्याप्तता (ओवर लैपिंग) से बचा जा सकेगा और कृषि का चतुर्दिक विकास हो सकेगा।

विवरण

1997-98 से 1999-2000 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन

उत्पादन (हजार मीटर टन में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	10822.3	14905.0	13423.9
असम	3577.6	3434.0	4042.6

1	2	3	4
बिहार	14093.2	13625.9	14561.1
गुजरात	5709.7	5566.7	4051.7
हरियाणा	11347.7	12123.2	13066.5
हिमाचल प्रदेश	1441.2	1490.7	1341.2
जम्मू और कश्मीर	1420.0	1519.6	1271.1
कर्नाटक	8046.8	9996.6	9933.2
केरल	797.6	754.5	794.3
मध्य प्रदेश	17361.9	19501.2	21015.6
महाराष्ट्र	9664.0	12752.8	12607.2
उड़ीसा	6637.8	5793.1	5600.2
पंजाब	21143.2	22906.9	25197.8
राजथान	14048.9	12944.5	10700.00
तमिलनाडु	8103.8	9418.7	8857.4
उत्तर प्रदेश	41589.2	40417.2	45238.4
पश्चिम बंगाल	14353.2	14367.2	15067.6
अन्य	2100.6	2089.1	2105.0
अखिल भारत	192258.7	203606.9	208874.8

[अनुवाद]

डेयरी विकास

4899. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने दमन-द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए कितनी अनुदान राशि जारी की है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारत सरकार जनवरी, 2000 के दौरान (1) गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम और (2) सहकारिताओं को सहायता नामक दो डेयरी विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। उक्त डेयरी विकास योजनाओं के अंतर्गत दमन एवं दीव केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से डेयरी विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में मत्स्यन विकास

4900. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में वैज्ञानिक मत्स्यन का विकास करने और इसे बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान जिलावार निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के आदिवासियों द्वारा मत्स्यन हेतु वित्तीय सहायता मांगने संबंधी नया प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) की गई कार्यवाही और इस कार्य हेतु 2001-2002 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों का. ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) सरकार "ताजा जल जलकृषि का विकास" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले से ही क्रियान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य उडीसा के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में वैज्ञानिक अंतर्देशीय जलकृषि गतिविधियों का उन्नयन तथा विकास करना है।

(ख) 1997-98 के दौरान, भारत सरकार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में उड़ीसा राज्य को 120.00 लाख रुपए जारी किए गए थे। 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कोई और निर्मुक्ति नहीं की गई। केन्द्रीय हिस्सेदारी जिलावार जारी नहीं की जाती। पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक मत्स्य पालन के तहत कवर जल क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा विवरण में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	जिले	वार्षिक लक्ष्य	लाए गए जल क्षेत्र (हैक्टेयर)		
			1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	अंगुल	110	117.68	37.17	57.88
2.	बालासौर	110	113.99	47.00	48.64
3.	बारगढ़	160	199.68	160.56	124.18
4.	भद्रक	100	104.79	39.60	44.93
5.	बोलगिर	130	145.32	33.38	56.76
6.	बौघ	80	102.25	167.90	97.56
7.	कटक	90	79.51	70.83	51.72
8.	देवगढ़	40	55.03	57.82	19.10
9.	धेंकानल	90	102.35	37.87	35.81
10.	गजपति	30	10.00	12.20	15.50
11.	गंजम	130	141.04	300.99	127.85
12.	जगतसिंगपुर	80	62.56	20.06	8.49
13.	जाजपुर	60	59.82	30.18	23.21
14.	झरसूगुडा	70	103.49	50.93	119.06
15.	कालाहांडी	30	60.55	29.90	22.52
16.	केन्द्रपाड़ा	80	62.97	43.39	51.68

1	2	3	4	5	6
17.	क्योंझर	150	140.52	78.07	44.28
18.	खुर्दा	60	61.85	49.28	33.10
19.	कोरापुट	50	58.88	61.43	57.08
20.	मलकानगिरि	80	104.00	130.48	125.60
21.	मयूरभंज	160	160.71	54.14	50.16
22.	नवापाड़ा	40	43.80	21.85	86.60
23.	नवारंगपुर	60	50.72	36.17	8.08
24.	नयागढ़	60	30.61	25.83	29.10
25.	फुलबनी	30	0.00	0.00	0.80
26.	पुरी	100	101.25	91.39	54.99
27.	रायगड़ा	20	8.13	23.66	32.76
28.	सम्बलपुर	80	96.65	97.08	40.76
29.	सोनपुर	80	80.40	18.20	24.77
30.	सुंदरगढ़	140	145.17	18.63	42.86
	कुल	2500	2603.72	1845.99	1535.33

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में राजसहायता

4901. श्री रामशकल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र को दी जा रही राजसहायता को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) भारत सरकार के लिए कृषि का हित सर्वोपरि है। कृषि क्षेत्र को राजसहायता में समय के साथ वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, संसाधन उपलब्धता एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए राजसहायता की स्थिति का नियमित मानीटरन किया जाता है।

[अनुवाद]

नैफेड द्वारा कोपरा की खरीद

4902. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान नैफेड ने राज्य-वार कितनी मात्रा में कोपरा की खरीद की;

(ख) क्या खरीदे गए कोपरा को बेच दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) नैफेड ने वर्ष 2000-2001 के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम

(पी.एस.एस.) के अंतर्गत खोपरा की निम्नलिखित मात्रा की खरीद की है:-

(मी. टन में)

राज्य	मिलिंग खोपरा	बाल खोपरा
केरल	79697	–
तमिलनाडु	111983	–
आंध्र प्रदेश	16257	3
कर्नाटक	–	4720
लक्षद्वीप	3080	–
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	7087	–
गोवा	590	–

(ख) और (ग) नैफेड ने 22839 मी. टन मिलिंग खोपरा तथा 1023 मी. टन बाल खोपरा की समग्र रूप से तथा उसी अवधि में 18467 मी. टन मिलिंग खोपरा की प्रसंस्करण द्वारा बिक्री की है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की इमारत

4903. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के मुख्यालय की इमारत का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि इमारत के निर्माण के लिए आबंटित निधियां व्यपगत हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि इसके लिए धन की व्यवस्था दसवीं योजना के अन्तर्गत चरण-II में की जाएगी।

तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के उन आठ भवनों के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है जो विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित है। निर्माण कार्य की भवनवार स्थिति निम्नानुसार है।

1. गर्ल्स होस्टल-सितम्बर, 1999 में पूर्ण हुआ।
2. छात्रपाल (वार्डन्स) आवास-सितम्बर 2000 में पूर्ण हुआ।
3. गार्ड रूम-सितम्बर, 2000 में पूर्ण हुआ।
4. टाइप-V (4 क्वार्टर) अक्तूबर, 2000 में पूर्ण हुआ।
5. संकायाध्यक्ष आवास तथा अतिथि गृह-20 मार्च, 2001 तक पूर्ण होना है।
6. पुस्तकालय व संग्रहालय-दिसम्बर, 2000 में पूर्ण हुआ।
7. विभागीय ब्लॉक-दिसम्बर, 2001 तक पूर्ण होने की संभावना है।
8. ब्वाजय होस्टल (बी से ई तक)- मार्च, 2002 तक पूर्ण होने की संभावना है?

(ख) जी नहीं, भारत सरकार द्वारा 8वीं योजना के लिए अनुमोदित ई एफ सी में 41.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार 12.60 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। इसमें से 8.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। शेष धनराशि का पुनर्वैधीकरण किया गया और विश्वविद्यालय द्वारा इस राशि को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रजनन गतिविधियों का कार्यान्वयन और पुनर्गठन

4904. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से प्रजनन गतिविधियों के कार्यान्वयन और पुनर्गठन और वर्ष 2000-2001 के दौरान 21 करोड़ रुपए जारी करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी, हां। राज्य में गोपशु तथा भैंस प्रजनन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पुनर्निर्धारण और 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में 39.39 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव, जनवरी, 2001 में प्राप्त हुआ

था। 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत 26.35 करोड़ रुपए के उपलब्ध बजट प्रावधान में से इस प्रयोजन के लिए राज्य को 8.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

जोनल रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति

4905. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्रत्येक जोनल रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति में पंद्रह सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति में नामनिर्देशन के लिए रेलवे ने क्या नियम निर्धारित किए हैं; और

(ग) नामनिर्दिष्ट सदस्यों का ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (जेडआरयूसीसी) के विधान में विभिन्न कोटियों से संबंधित व्यक्तियों का नामांकन का प्रावधान है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 9 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों पर नामित व्यक्तियों की कुल सं. 34 से लेकर 82 तक भिन्न-भिन्न है।

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के सदस्यों को प्राप्त विभिन्न सुविधाओं का मोटेतौर पर ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से बैठक के स्थान तक जाने और वापसी यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी में एक परिचर के साथ प्रथम श्रेणी की नि:शुल्क पास दिया जाता है। उन्हें यात्रा में और बैठक में उपस्थित होने में बिताए गए दिनों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी दिया जाता है।

(2) सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अंतर्गत विनियमित होता है और इसे उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाता है।

(3) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए वर्ष में दो बार उनकी रेलवे के विभिन्न भागों में रेलवे की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के लिए दौरे आयोजित करने का संविधान में प्रावधान है। बहरहाल, यदि आयोजित दौरों के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य आगे नहीं आते हैं तो क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आयोजित दौरों की व्यवस्था न होने या उनके उसमें भाग न लेने पर उन्हें राउंड ट्रिप के आधार पर अपनी पसन्द के मार्ग के लिए व्यक्तिगत तौर पर पास जारी करने यात्रा करने की सुविधा दी जाती है।

(4) वे किसी भी स्टेशन पर वहां के स्टेशन मास्टर या टिकट कलक्टर या चल टिकट परीक्षक को, जो भी तत्काल उपलब्ध हो, अपनी उपस्थित में उस कम्पार्टमेंट या सवारी डिब्बे, की जांच करने के लिए कह सकते हैं, जिसमें यह संदेह हो कि लोग बिना वैध टिकट या पास के यात्रा कर रहे हैं।

(5) उन्हें स्टेशनों पर बुक स्टालों और बुक ट्रालियों और स्टेशनों पर खान-पान और वेंडिंग संस्थापनाओं और रेस्ताराओं/डाइनिंग/बफे, गाड़ियों के रसोईयानों, चाहे वे ठेकेदार द्वारा परिचालित हो या विभागीय तौर पर, का निरीक्षण करने का भी अधिकार होता है।

(6) वे उन्हें जारी किए गए पहचान पत्र के प्राधिकार पर प्लेटफार्म टिकट खरीदे बिना प्लेटफार्म पर प्रवेश कर सकते हैं। बहरहाल, वे इस पहचान पत्र के प्राधिकार पर गाड़ी में मुफ्त यात्रा नहीं कर सकते हैं।

विवरण

संविधान के अनुसार क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में नामित किए जाने वाले विभिन्न कोटियों के सदस्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1. रेलवे द्वारा सेवित राज्यों के राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जिसकी संबंधित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई हो।

2. प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा संस्तुत राज्य विधान मंडल का एक-एक सदस्य।

3. ऐसे प्रमुख चैम्बर ऑफ कामर्स और व्यापार संघों, जो कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में हों, के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि।

4. राज्य सरकार या सरकारों के कृषि संगठनों और अन्य निकायों, जो उपरोक्त मद सं. 3 में बताए गए चैम्बर ऑफ कामर्स आदि में शामिल न हों या उनसे सम्बद्ध न हों, के अधिक से अधिक दो प्रतिनिधि।

5. प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति से चुना गया एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि।

6. रेलवे द्वारा सेवित पत्तनों के मामले में पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2 प्रतिनिधि। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रतिनिधि होगा।

7. ऐसे राज्यों की पंजीकृत यात्री एसोसिएशनों से एक-एक प्रतिनिधि जिनमें रेलों का बड़ी मात्रा में मार्ग किलोमीटर पड़ता है।

8. उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक प्रतिनिधि।

9. संसद के 10 सदस्य (लोक सभा से 7 और राज्य सभा से 3)।

10. प्रत्येक केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने मतदाता क्षेत्र को सेवित करने वाली क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के लिए नामित किया गया एक सदस्य।

11. विशेष हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए रेल महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित किया जाने वाला एक सदस्य; और

12. मंत्री जी द्वारा नामित किए जाने वाले 8 सदस्य जो ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करते हों जिनका वे समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक समझते हों।

नोट: रेलवे से संबंध लाभ के कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात खान-पान और वेंडिंग ठेकेदारों, आउट एजेंसी ठेकेदारों, सम्हलाई ठेकेदारों, इंजीनियरिंग ठेकेदारों, रेल यात्री सेवा एजेंटों, राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों आदि को रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है।

[हिन्दी]

यूनिसेफ से सहायता

4906. श्री रामानन्द सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने भारत को कितनी सहायता राशि नकद और दूसरे रूप में उपलब्ध कराई है और वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी राशि मिलने की संभावना है;

(ख) प्रत्येक राज्य को नकद या दूसरे रूप में वितरित की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहाड़ी, पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को भी उक्त सहायता प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, यूनिसेफ ने संस्कृति विभाग और इससे सम्बद्ध संगठनों को कोई सहायता प्रदान नहीं की है। शैक्षिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को धन दिया जाना

4907. श्री रामसिंह राठवा:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **विद्युत मंत्री** 1 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा जारी की गयी धनराशि की समुचित निगरानी न होने के कारण कुछ राज्यों को जारी की गयी राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर.ई.सी. ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है कि बिजली के मीटरों की खरीद के लिए दी गयी राशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए;

(ग) आर.ई.सी. ने अभी तक निर्माताओं के बीजकों के लिए कितनी धनराशि जारी की है और निर्माताओं को इन बीजकों के लिए कितनी धनराशि संवितरित की है और कितनी राशि जारी किया जाना अभी शेष है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने 31 मार्च, 2001 तक एस.एस.आई. निर्माताओं को बकाया राशि वितरित करने का वचन दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) अंतिम भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) मीटर के प्रापण समेत विभिन्न स्कीमों के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों को अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऋण सहायता प्रदान करता है। निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अंतर्गत निधियों को मुहैया कराए जाने को ऋण प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा क्रियान्वयन में अर्जित प्रगति से लिंक किया जाता है। ऊर्जा मीटरों के मामले में निधियां अंशत: इनके प्रापण पर और अंशत: इनकी अधिष्ठापना पर मुहैया करायी जाती है। 90% ऋण सहायता का मुहैया आनुपातिक आधार पर ऋण प्राप्तकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दावों के लिए की जाती है तथा उपस्कर प्राप्त हो जाने पर तथा निर्माता के बीजक, जो डिवीजन/सर्किल या बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित और हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किए जाने के बाद ही की जाती है। शेष 10% ऋण का मुहैया रा.वि.बो. से ग्राम-वार, तालुका-वार, जनपद-वार ब्यौरे (और उपकेन्द्र संबंधी ब्यौरे यदि कोई शामिल हों) समेत अधिष्ठापना/कार्य समापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है।

ऊर्जा मीटरों की खरीद हेतु निर्धारित निधि के विपथन के बारे में एक शिकायत प्राप्त होने पर तत्कालीन विद्युत मंत्री द्वारा यह मामला 11.8.2000 को मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ उठाया गया था तथा मणिपुर राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस बात की पुष्टि करें कि क्या आर.ई.सी. ऊर्जा मीटरों के प्रायेजनार्थ मुहैया करायी गयी धनराशि इसी उद्देश्य पर खर्च की गयी है, क्या आपूर्तिकत्ताओं ने अपेक्षित गुणवत्ता वाले मीटरों की आपूर्ति अपेक्षित संख्या में पूरी कर ली है और क्या की गयी आपूर्ति के लिए देय भुगतान कर लिए गए हैं।

(ग) आरईसी मीटर या किसी अन्य उपस्कर का प्रापण नहीं करता है। इस प्रकार आरईसी द्वारा निर्माताओं को निधियां मुहैया कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) से (च) विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार ने पहले सूचित किया था कि एसएसआई निर्माता को देय शेष धनराशि 31.3.2001 तक मुहैया करा दी जाएगी। तथापि, राज्य सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि जैसे ही राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है आपूर्तिकर्त्ताओं को 36.54 लाख रुपये की कथित धनराशि मुहैया करायी जाएगी।

आस्ट्रेलिया के सहयोग से पर्यटन का विकास

4908. श्री भीम दाहाल:
श्री जय प्रकाश:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक शिल्पकृतियों का निर्यात

4909. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हजारी बाग से ऐतिहासिक और मध्य युगीन शिल्पकृतियों को विदेशों में निर्यात किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अत्यधिक नर्म रवैया अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुषाण युग की शिल्पकृतियों के अध्ययन के लिए किसी दल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विदेशी खरीददारों को ऐसी ऐतिहासिक शिल्पकृतियां आसानी से उपलब्ध कराएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात की अनुमति नहीं देता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हजारी बाग के लिए किसी ऐसे दल का गठन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के खाली फ्लैट

4910. श्री रघुनाथ झा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के परिसर में 48 टाइप IV फ्लैटों में से 32 फ्लैट नौ वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कारण सरकार को कितनी आर्थिक हानि हुई है; और

(ग) इन फ्लैटों को खाली रखे जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/शुरू की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। टाइप IV के 32 क्वार्टर 9 महीने से लेकर 9 वर्षों की अवधि तक खाली रहे हैं।

(ख) इसका कारण यह था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के पदसोपान के उच्च स्तरों पर रिक्तियां थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण टाइप IV क्वार्टरों के लिए मूल रूप से पात्र कार्मिकों के प्रवर्गों की पात्रता बदली है। उपरोक्त क्वार्टरों के आवंटित न होने के परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने की वजह से सरकार को 3.50 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ग) सरकारी आदेश के अनुसार एफ आर 45 के अंतर्गत देय पूर्ण मानक लाइसेंस शुल्क से 3 गुना राशि का प्रभार लगाकर गैर-पात्र प्रवर्ग को सभी टाइप IV क्वार्टर (4 को छोड़कर) आवंटित करने के लिए कार्रवाई की गयी है। आवंटित न किये गये चार फ्लैट निदेशक और प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के लिए तथा साथ ही प्रस्तावित 'रीडर्स होस्टल' के लिए रखे गये हैं।

यातायात संबंधी अनुमान

4911. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख पत्तनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित यातायात अनुमानों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) महापत्तन न्यास द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(मिलियि टन में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति
1998-99	258.00	251.72
1999-2000	258.00	271.92
2000-2001	283.80	280.96

कार्गो यातायात संबंधी लक्ष्य मुख्य रूप से पत्तनों द्वारा हैंडल करने के लिए प्रयोक्ता मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा यथा उल्लिखित पूर्वानुमानित कार्गो उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, वास्तविक रूप से इनकी प्राप्ति कई प्रकार के दबावों पर निर्भर करती है जिनमें पत्तनों के भीतरी प्रदेश में औद्योगिक और कार्गो बढ़ाने वाले अन्य कार्यकलापों की गति भी एक कारण है।

ऋणों को माफ किया जाना

4912. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों द्वारा सहकारी संस्थाओं और बैंकों से लिए गए ऋणों के ब्याज को माफ कर दिया जाए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस अनुरोध पर कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) किसानों द्वारा सहकारी संस्थाओं और बैंकों से लिए गए ऋणों के ब्याज को माफ करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वस्त्र डिजाइनिंग प्रदर्शनी

4913. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में किसी वस्त्र डिजाइनिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रदर्शनियों पर स्थानवार कितना खर्च किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन प्रदर्शनियों में प्राप्त होने वाले क्रय आदेशों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में देश में ऐसी और प्रदर्शनियों का आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) हथकरघा प्रदर्शनियों राज्य सरकारों द्वारा लगाई जाती हैं। केन्द्रीय सरकार कुछ प्रदर्शनियों को कुछ सहायता भी प्रदान करती है। सारे देश में रंगाई-सह-डिजाइन प्रदर्शनियों नियमित रूप से बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा आयोजित की जाती है। यद्यपि यह जाति अथवा क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं होती है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में दुर्घटनाएं

4914. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2001 के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलगाड़ियों की सर्वाधिक दुर्घटना/पटरी से उतरने की घटनाओं के लिए प्रवण क्षेत्र था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में दुर्घटनाओं/रेलों के पटरी से उतरने की घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने भविष्य में दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेलपथ के तीव्र मोड़ों और खड़ी ढ़ाल वाले पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। कार्य परिस्थितियां इष्टतम निपज के लिए सहायक नहीं हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन गतायु परिसंपत्तियों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं (गाड़ी के पटरी से उतरने सहित) और गाड़ी के पटरी से उतरने का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

रेलवे	1998-99		1999-2000		2000-2001*	
	पटरी से उतरना	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	पटरी मे उतरना	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	पटरी से उतरना	दुर्घटनाओं की कुल संख्या
मध्य	57	68	47	68	43	58
पूर्व	25	31	21	31	29	35
उत्तर	35	54	54	80	25	66
पूर्वोत्तर	16	23	9	25	23	37
पूर्वोत्तर सीमा	23	27	67	76	88	95
दक्षिण	50	59	34	48	33	43
दक्षिण मध्य	31	45	34	49	33	48
दक्षिण पूर्व	38	55	36	52	44	53
पश्चिम	17	26	23	30	27	29
मेट्रो	–	–	–	–	–	–
कोंकण	8	9	4	4	6	9
	300	397	329	463	351	473

उपर्युक्त दुर्घटनाओं के निम्नलिखित कारण थे:-

कारण	1998-99	1999-2000	2000-2001*
रेलवे कर्मचारी की विफलता	268	287	325
रेलवे कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की विफलता	63	105	88
उपस्कर की खराबी	33	28	5
तोड़फोड़	11	21	25
मिलेजुले	1	-	1
आकस्मिक	14	15	25
सिद्ध नहीं हो सके	7	7	4
जोड़	397	463	473

*2000-2001 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछेक महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार है:-

(1) ''ए'', ''बी'', ''सी'', ''डी'' और ''डी'' विशेष, जहां गति 75 कि.मी. प्र.घ. से अधिक है, सभी मार्गों पर उल्लघंन चिह्नों से उल्लघंन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

(2) दुर्घटना होने में माननवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना अनुमोदित की गई है।

(5) 150 ब्लाक खंडों में धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(6) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डूप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार को मंजूरी दी गई है।

(7) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं ताकि संप्रेषण तीव्रतर और बेहतर ढंग से हो सके।

(8) ड्राइवर और गार्डों को लैड आधारित इलेक्ट्रोनिक्स फ्लैश लैंप मुहैया कराए गए हैं जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की अपेक्षा बेहतर है।

(9) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही, रेलपथ नवीकरण गाडियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(10) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(11) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वचालिक पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(12) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(13) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक-थाम की जा सके।

(14) डीजल उपकरों से प्राप्त निधियों का उपयोग समपारों से संबंधित संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

(15) चौकीदार रहित समपारों पर सीटो बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह् मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(16) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि ममपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(17) भारी घनत्व के यातायात वाले समपारों को योजनागत आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोत्तर अंतर्पाशन किया जा रहा है।

(18) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(19) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(20) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(21) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है।

(22) कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(23) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए टक्कररोधी उपकरण की पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रोटोटाइप टक्कररोधी उपकरण का परीक्षण आरंभ हो गया है। इस पायलट परियोजना के सफल हो जाने पर भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों पर इसके अनुप्रयोग के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(24) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

रतलाम-अजमेर सैक्शन पर उपरि-पुलों का निर्माण

4915. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के रतलाम-अजमेर सैक्शन में जाओरा, मंदसौर और नीमच स्टेशनों पर भारी यातायात को देखते हुए काफी समय से उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, विगत में यह मांग उठाई गई थी।

(ख) केवल जावड़ा समपार सं. 177 पर यातायात के स्तर को देखते हुए इसे रेलवे और राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर उपरि सड़क पुल से परिवर्तित किए जाने पात्र हैं। अन्य दो स्थानों पर यातायात कम है तथा प्रयोजित एजेंसी की ओर से निक्षेप शर्तों के तहत कार्य को शुरू किया जा सकता है। इस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है बशर्ते कि प्रायोजित एजेंसी अपने हिस्से के लागत तथा अन्य पूर्वापेक्षाएं स्वीकार करने के लिए राजी हो।

[अनुवाद]

मछली पकड़ने वाली अपंजीकृत नौकाओं से प्रभार वसूली

4916. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मछली पकड़ने वाली पंजीकृत नौकाओं से मछलियां पकड़ने के लिए कितना प्रभार वसूल किया जा रहा है;

(ख) इसी कार्य के लिए मुबंई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मछलियां पकड़ने वाली अपंजीकृत नौकाओं से कितना प्रभार वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या अपंजीकृत नौकाओं से वसूल किया जाने वाला प्रभार असाधारण रूप से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार/एम.पी.टी. प्राधिकारी अपंजीकृत नौकाओं के लिए प्रभार को घटा कर पंजीकृत नौकाओं के लिए प्रभार के बराबर किए जाने पर विचार कर रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) मछली पकड़ने वाली पंजीकृत नौकाओं से 15 रु. प्रति जी आर टी (सकल पंजीकृत टनभार) प्रति माह मासिक लाइसेंस शुल्क लिया जाता है और एकमुश्त 120 रु. प्रति जी आर टी सालाना भुगतान करने का विकल्प भी है।

(ख) मछली पकड़ने वाली अपंजीकृत नौकाओं को ये सुविधायें प्राप्त नहीं है। जब कभी अपंजीकृत नौका पकड़ी जाती है उससे विशिष्ट ट्रिप हेतु पंजीकृत नौकाओं के लिए लागू दर से शुल्क लिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुबंई पोर्ट ट्रस्ट की स्थिति

4917. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 125 वर्ष पुराना मुबंई पोर्ट ट्रस्ट, जो 1995-96 तक भारत का अग्रणी पत्तन था, भारत के प्रमुख पत्तनों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में यह अग्रणी स्थान अब कांडला और विजाग पत्तनों ने ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। कार्गो हैंडल करने के कार्य में (1) पी ओ एल उत्पादों के आयात में कमी, (2) जवाहर लाल नेहरू पत्तन को कंटनेर भेजने, (3) बड़े जलयान हैंडल करने में मुंबई पत्तन में भौतिक रूकावटें जैसे सीमित डुबाव, लाक गेट वाली संलग्न गोदी प्रणाली, (4) पुराने और अप्रचलित पत्तन उपकरण, (5) कम उत्पादकता और उसके फलस्वरूप हैंडलिंग की अधिक लागत, और (6) नगर निगम द्वारा लगाई गई चुंगी के कारण कमी आई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मुंबई पत्तन की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं: (1) बढ़ते हुए मिश्रित कार्गो के अनुरूप उपकरणों का आधुनिकीकरण करना, (2) प्रचालन प्रणालियों में परिवर्तन और व्यापार के लिए बेहतर सुविधाओं का विस्तार, (3) कर्मचारियों की इष्टतम संख्या रखना और (4) उत्पादकता में सुधार करना और प्रयोक्ताओं के लिए लागतों को कम करना।

खाद्यान्नों की पैदावार

4918. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिए खाद्यान्नों की पैदावार के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्या भूमिका है; और

(घ) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं का कार्य कैसा रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 202.00, 210.00 और 210.00 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इन तीन वर्षों के दौरान हासिल उपलब्धि क्रमश: 192.26, 203.04 और 208.88 मिलियन मीटरी टन रही है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए भारत सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में चावल, गेहूं, और मोटे अनाज संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन किया है। इनके अलावा, दलहन उत्पादन संबंधी स्कीमों और अनाज तथा

दलहन से सम्बन्धित मिनीकिट कार्यक्रम देशभर में चलाये जा रहे हैं।

इन स्कीमों के अंतर्गत उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु किसानों को सम्बन्धित स्कीमों के माध्यम से प्रमाणीकृत/उच्च उत्पादक किस्मों/संकर बीजों, उन्नत फार्म उपष्करों और छिड़काव/टपका सिंचाई प्रणाली आदि जैसे आदानों का प्रयोग हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

अक्तूबर 2000 से गेहूं, चावल और मोटे अनाज संबंधी स्कीमों को वृहद प्रबंधन पद्धति (मैक्रो मैनेजमेण्ट मोड) में मिला दिया गया है जिससे कि विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों के अनुकूल क्षेत्रीय दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकी अपनाने में शिथिलता बरती जा सके।

कटक के बारबती किले में अतिक्रमण

4919. **श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कटक (उड़ीसा) के बारबती किला परिसर में अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिक्रमण को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी हां। कटक में बराबती दुर्ग परिसर से अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों की सहायता मांगी गई है।

(ग) क्योंकि अतिक्रमणों को हटाने में विधिक प्रक्रियाएं निहित हैं, अत: इस सम्बन्ध में कोई समय-सूची निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

अलवर और नारनौल के बीच रेल लाइन बिछाया जाना

4920. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अलवर (राजस्थान) से नारनौल (हरियाणा) के बीच रेल लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन को बिछाए जाने के लिए सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदर्भ एक्सप्रैस में लूटपाट

4921. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 मार्च, 2001 को विदर्भ एक्सप्रैस के द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित कम्पार्टमेंट के कुछ यात्रियों से जेवरात और 1.5 लाख रुपए से अधिक नकद राशि लूट ली गई थी;

(ख) यदि हां, क्या लूट की घटना में रेलवे के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। 4 मार्च 2001 को विदर्भ एक्सप्रैस के द्वितीय वातानुकूलित डिब्बे में लूट संबंधी किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के विशेष क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

4922. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन के विशेष क्षेत्रों के रूप में पहचान किए गए प्रत्येक स्थान के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) उक्त प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों को विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रों में स्थित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपयों में)

राज्य	विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र	स्वीकृत राशि
तमिलनाडु	मुत्तुकाडू-मामल्लापुरम	48.31
उड़ीसा	पुरी	70.61
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	198.70
दमन और दीव	दीव	41.07
केरल	बेकल बीच	190.00

(ख) केरल में बेकल तथा महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग को छोड़कर अन्य 3 क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

कीटनाशकों का प्रभाव

4923. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बागानों के मालिकों और कृषि विज्ञानियों ने बहुत से संक्षारक, कीटनाशकों रसायनों और उर्वरकों का उपयोग फसलों का संवर्धित उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया है जिसके परिणामस्वरूप भूजल, लोगों के स्वास्थ्य, घरेलू और जंगली पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए क्या उपाय किये हैं/करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) चाय बागान स्वामी और कृषक अपनी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित कृषि-रसायनों जैसे कीटनाशियों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। यदि कृषि रसायनों का प्रयोग अच्छी कृषि पद्धतियों के अनुसार किया जाता है तो इससे पीने के पानी, लोगों के स्वास्थ्य तथा घरेलू व जंगली जानवरों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) रासायनिक कीटनाशियों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही 23 खतरनाक कीटनाशियों/कृमिनाशियों के विनिर्माण पर रोक लगा दी है और 10 कीटनाशियों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, समेकित कीट प्रबंध के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कल्चरल, यांत्रिक, जैव नियंत्रण विधियों तथा कीटनाशियों के आवश्यकता आधारित न्यायसंगत प्रयोग को शामिल किया गया है। समेकित कीटप्रबंध कार्यक्रम के सकल परिदृश्य के अंतर्गत जैव नियंत्रण अभिकारकों, फेरोमोन्स और बायोपेस्टीसाइड्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उर्वरकों के प्रयोग को मृदा परीक्षणों के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविकों, खादों, कम्पोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरकों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सके।

रसोई गैस सिलेंडरों का उत्पादन

4924. **श्री ए. नरेन्द्र: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस के वर्षवार कितने सिलेंडरों का उत्पादन किया गया और इसके उत्पादन में लगी कंपनियों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपभोक्ताओं की रसोई गैस के घटिया सिलेंडरों की आपूर्ति से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां ऐसे 83 अनुमोदित सिलेंडर निर्माताओं से सिलेंडर प्राप्त कर रही है जिनके पास मुख्य नियंत्रक विस्फोटक (सी सी ओ ई) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) से सांविधिक अनुमोदन प्राप्त है। विगत तीन वर्षों के दौरान तेल उद्योग को अनुमोदित निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए सिलेंडरों की कुल संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	मात्रा
1997-98	114,03,057
1998-99	93,62,013
1999-2000	180,99,058

(ख) और (ग) तेल कंपनियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान अपने एल पी जी ग्राहकों से नकली सिलेंडरों की आपूर्ति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

[हिन्दी]

दुग्ध व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश

4925. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुग्ध व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी, हां। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के तहत निम्नलिखित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पंजीकरण प्रदान किया गया है:-

(1) नेस्ले इंडिया लिमिटेड, मोगा, पंजाब।

(2) नेस्ले इंडिया लिमिटेड, समालखा, हरियाणा।

(3) हैंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

(4) स्मिथ क्लाइन बीचम कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, नाभा, पंजाब।

(5) स्मिथ क्लाइन बीचम कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, दियुलेश्वरम, आंध्र प्रदेश।

(6) न्यूट्रिशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एटा, उत्तर प्रदेश।

(7) ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर, कर्नाटक।

(8) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, मराठाहल्ली, बंगलौर।

सरकार ने उपर्युक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दुग्ध अधिप्राप्ति के लिए विपणन योग्य अधिशेष दूध के आधार पर विशिष्ट मिल्कशेड क्षेत्र आबंटित किए हैं। इन कंपनियों को केवल आबंटित मिल्कशेड से दूध प्राप्त करना होगा, जो कि ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के हितों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाया जाना

4926. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भोजन सामग्री को पौष्टिक बनाने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभाग ने पौष्टिक भोजन सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(घ) क्या भोजन सामग्री को पौष्टिक बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी कोई सहायता उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार उद्योग के कतिपय क्षेत्रों के लिए भोजन सामग्री को पौष्टिक बनाना अनिवार्य करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए चुने गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) खाद्यों के पुष्टिकरण समेत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए विभाग की योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्यागिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद जैसी राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता से संभावी उद्यमियों को तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

(ग) विभाग ने पुष्टिकृत खाद्यों को लोकिप्रय बनाने के लिए कई सेमिनार/सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। विभाग ने दूरदर्शन स्पाट्स और लघु फिल्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खाद्य पुष्टिकरण के लिए कोई सहायता नहीं मिलती है। बहरहाल, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (माइक्रो न्यूट्रिएंट इनीशिएटिव) द्वारा कुछ राज्यों में कतिपय सूक्ष्मपोषक-कुपोषण सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(च) और (छ) राष्ट्रीय पोषण नीति में प्रावधान है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं का उपयुक्त पोषकों के जरिए पुष्टिकरण किया जाएगा। इसमें प्रावधान है कि सूक्ष्मपोषकों के अभाव अर्थात बच्चों गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में विटामिन ए, आयरन और फोलिक एसिड की कमी को जोरदार कार्यक्रमों के जरिए नियंत्रित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

4927. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के पास 505 करोड़ रुपये की खर्च न की गयी धनराशि पुन: वैध करने और खरीफ फसल के दौरान बीज राजसहायता के लिए इस राशि के उपयोग का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने 110 लाख रुपये की पहले से दी गयी राज सहायता के अतिरिक्त मूंगफली और सोयाबीन के वितरण के लिए 352 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि को जारी करने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 31.3.2000 तक 505.16 लाख रुपये की अव्ययित राशि की सूचना दी गयी और इसी राशि के वर्ष 2000-2001 में मूंगफली और सोयाबीन के असली लेबल वाले तथा प्रमाणीकृत बीज के संवितरण में प्रयोग हेतु पुन: वैधीकरण कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 2000 में मूंगफली और सोयाबीन के संवितरण पर राजसहायता हेतु 3.52 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। तत्पश्चात् इस राज्य ने सूचित किया था कि उसके पास पुन: संशोधित 902.289 लाख रुपये की राशि बची है अत: इस राज्य को अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में ऊपरिपुलों का निर्माण

4928. श्री उत्तमराव पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए ऐसे समपारों का ब्यौरा क्या है जो यहां पर फ्लाई ओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) सरकार ने रेलवे समपारों पर फ्लाई ओवर का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) महाराष्ट्र में लागत में भागीदारी के आधार पर 71 समपारों की ऊपरी/निचले सड़क पुलों से बदले जाने के लिए अर्हक हैं परन्तु वहां कार्य अभी अनुमोदित नहीं किये गये हैं। इन समपारों के अलावा, 79 स्थलों पर फ्लाई ओवर का कार्य प्रगति पर है।

(ख) रेलवे राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए चर्चा कर रही है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के बजट में महाराष्ट्र में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए 26.63 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रोमानिया की फर्म द्वारा पहियों के सेटों की आपूर्ति

4929. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बोर्ड ने जनवरी और मई 1996 में रोमानिया की दो फर्मों को 45.27 करोड़ रुपये के मूल्य पर 33,886 बड़ी लाइन और 1645 मीटर गेज वाले रेल इंजन के पहियों/पहियों के सेटों के निर्माण और आपूर्ति के लिए आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट संख्या 9 के 1999 (रेल) के पृष्ठ संख्या 114 पर भंडारण और आस्ति प्रबंधन नामक अध्याय चार में इस विषय से संबंधित लेखा परीक्षा में कतिपय आपत्तियां प्रकट की हैं; और

(ग) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उठाये गए प्रत्येक मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के पैरा में मुख्यत: यह बताया गया है कि 1282 खराब पहियों की आपूर्ति के कारण इस खरीद से 3.44 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पहियों की खराबी की सूचना के बाद, इन दो फर्मों द्वारा की गई सप्लाई में से इन फर्मों से प्राप्त सभी पहियों की 100% जांच के आर्डर दिए गए थे तथा

संदिग्ध गुणवत्ता वाले पहियों को अलग किया गया तथा विनिर्माता की तकनीकी टीम के साथ अ.अ.मा.सं. ने संयुक्त रूप से जांच की थी। अंत में लगभग 3.12 करोड़ रु. लागत वाले 1108 पहियों को अस्वीकार कर दिया गया है जिनकी यह धनराशि फर्मों से पहले ही वसूल कर ली गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्तर दिया जा चुका है।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज

4930. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इकाई माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम.एफ.आई.एल.) को इसमें हुए विनिवेश के पश्चात भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त घाटे से कर्मचारियों की छंटनी और इसके पश्चात इकाई के बंद होने का संकट उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एम.एफ.आई.एल. के कर्मचारी संघ ने सरकार से इकाई की विनिवेश स्थिति की समीक्षा करने और कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा और कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु आग्रह किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रक्रिया है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 74 प्रतिशत इक्विटी का हिंदुस्तान लीवर लि. में विनिवेश होने के परिणामस्वरूप यह 1.2.2000 से सरकारी कंपनी नहीं रही है। 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 48.23 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 31 दिसम्बर, 2000 को समाप्त हुई नौ महीने की अवधि में 16.05 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(ग) से (च) कंपनी ने अपने कर्मचारियों की छंटनी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं बनाई है। बहरहाल कंपनी विनिवेश से पूर्व बंद हुए कुछ यूनिटों के लिए विद्यमान मापदण्डों के अनुसार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना बनाने पर विचार कर सकती है।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.सी.आर.एफ.) का अन्यत्र उपयोग

4931. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र से राज्यों द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.सी.आर.एफ.) के अन्य उद्देश्यों में तथाकथित उपयोग और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर निगरानी रखने के बारे में 8 मार्च, 2000 तक उत्तर मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट में राहत कोष के व्यापक दुरूपयोग के दृष्टान्तों का उल्लेख किया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक के उपायुक्त के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या इस देश के आम आदमी की आम धारणा यह है कि एकत्र की गयी/दान की गयी राहत राशि का या तो दुरूपयोग किया जाता है और गबन किया जाता है अथवा वह जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस धारणा को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है कि राहत राशि वास्तविक रूप से जरूरतमंदों और योग्य लोगों तक ही पहुंचे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या 1308, डा. बी.एल. वडेहरा, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम भारत संघ दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई दिनांक 8.5.2000 को हुई जिसमें भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार के वकील ने जिरह की। याचिका में विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया जैसे कुछ राज्यों द्वारा अलग से आपदा राहत कोष न रखा जाना, राज्य स्तरीय समितियों की प्रभावहीनता, राज्यों द्वारा कोष का कुप्रबंध तथा गबन, राज्यों द्वारा राहत प्रदान करने में विलम्ब, रोकड़ बहियों के रख-रखाव में कमी, कोष का आपदा से अन्यत्र प्रयोजनार्थ उपयोग आदि।

(ख) और (ग) संबंधित जानकारी एक जवाबी हलफनामे के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह सूचित किया गया की राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत एवं पुनर्वास उपाय करने की जिम्मेवारी प्रथमत: संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार आपदा राहत कोष तथा वर्ष 1995-2000 के दौरान पूर्व आपदा राहत निधि से वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में केवल मदद करती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 1999 की रिपोर्ट संख्या 3 में विभिन्न राज्यों द्वारा आपदा राहत कोष के दुरूपयोग का उल्लेख किया गया है।

(च) कर्नाटक के उप आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करना कर्नाटक सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(छ) इस तथ्य के बावजूद की कुछ राज्यों में आपदा राहत कोष के दुरूपयोग की घटनाओं के बारे में प्रचार माध्यमों द्वारा सूचना दी गई है, राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के प्रशासन तथा प्रबंध का प्रयोजन जिसके लिए यह कोष सृजित किया गया सामान्यत: सिद्ध हुआ है।

(ज) सरकार ने राज्य सरकारों को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों पर नियमित रूप से सुधारात्मक उपाय करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की सलाह दी है। इसके अलावा ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आपदा राहत कोष संबंधी स्कीम में 24 नवम्बर, 2000 से संशोधन किया गया है जिसमें आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की धनराशि राज्य सरकार को निर्मुक्त करने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी करना अनिवार्य बना दिया गया है। जिसमें अन्य बातों के अलावा राज्य द्वारा आपदा राहत कोष की अलग से स्थापना करना तथा राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिप्रमाणन; राज्य द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना कि पहले प्राप्त धनराशि राज्य के अंशदान सहित उक्त कोष में जमा करा दी गई है तथा व्यय के अद्यतन विवरण तथा आपदा राहत कोष में उपलब्ध शेष धनराशि का विवरण प्रस्तुत करना। राज्यों को व्यय की मदों तथा सहायता के मानदण्डों की भी सलाह दी गई है। जिनसे संबंधित व्यय ही आपदा राहत कोष से प्रभारित किया जाएगा। राज्यों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में राज्यों को निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा

4932. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस समय कानूनी प्रावधान अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को विकलांगों की सहायता करने के लिए मौजूदा दंड संहिता और अन्य कानूनों में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विरासत जोन के रूप में अयोध्या का विकास

4933. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा**: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अयोध्या का विकास विरासत जोन के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान और विकास संबंधी परिव्यय

4934. **श्री सईदुज्जमा**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान और विकास संबंधी परिव्यय बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में अनुसंधान और विकास की उत्पादन गुणवत्ता घट गयी है जैसाकि किसी भी ऐसे सुधार से जो कि उत्पादकता या किसानों के जीवन स्तर पर प्रभाव डालता है, से पता चलता है;

(घ) यदि हां, तो क्या आई.सी.ए.आर. में जल ऊर्जा के बहुमूल्य आदानों तथा अन्य आदानों के कम उपयोग या वर्धित उत्पादकता सहित पनधारा प्रबंधन एवं संसाधनों, भूरक्षण बंजर भूमि और अन्य खामियों के संबंध में समय पर कोई कार्यवाही नहीं की;

(ङ) क्या अमरीका और यूरोप मिलकर भी 12 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के जैव खाद्य का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जबकि क्यूबा पूर्णत: जैव खाद्य का उपयोग करने वाला देश बन चुका है जो भारत-जहां नौकरशाह और तकनीकदां केवल अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए गलत और तुच्छ तर्कों के आधार पर जैव प्रविधियों के विरुद्ध बात कर रहे हैं के दयनीय उत्पादन के एकदम उलट स्थिति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या आई.सी.ए.आर. संस्थानों के पंचवर्षीय समीक्षा अभीतंत्र की विफलता से यह प्रतीत नहीं होता कि दायित्व बोध का भाव ही समाप्त हो गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित योजना धनराशि के आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार से है:-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु.)
1997-98	331.17
1998-99	531.17
1999-2000	504.00
2000-2001	550.00
2001-2002	684.00

(ग) भारत वर्ष ने खाद्यान्नों, तिलहनों और वाणिज्य फसलों सहित विभिन्न फसलों की उत्पादकता और उत्पादन में अत्यधिक प्रगति की है। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों का 50.82 मिलियन टन उत्पादन हुआ था जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 208.88 मिलियन टन हो गया और यह अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है। उल्लेखनीय है कि खाद्य फसलों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से लगभग 125 मिलियन हैक्टेयर ही रहा है। अत: उत्पादन में हुई वृद्धि मोटे तौर पर उत्पादकता में हुई वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों, तिलहनों और गन्ने का क्रमश: 522 कि.ग्रा., 481 कि.ग्रा. और 33422 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर उत्पादन हुआ था जो वर्ष 1999-2000 में क्रमश: बढ़कर 1637 कि.ग्रा. 855 कि.ग्रा. और 71989 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गया। देश में वर्ष 1949-50 के पश्चात की अवधि में जनसंख्या की 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 2.69 प्रतिशत 'कम्पाउंड' वृद्धि बनी रही है। ऐसा होने से लम्बे समय से खाद्यान्नों की कमी वाला देश आत्मनिर्भर होने में समर्थ हुआ और साथ ही साथ खाद्यान्नों का लगभग 33 मिलियन टन सुरक्षित भंडार भी मौजूद है और घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात भी निर्यात हेतु 4 से 5 मिलियन टन अनाज का भंडार उपलब्ध है।

अधिक उपज देने वाली फसलों और उत्तम किस्मों को विकसित करने, कृषि-तकनीकों का मानकीकरण करने कीट और रोगों को नियंत्रित करने और विभिन्न बागवानी फसलों के कटाई उपरांत प्रबन्ध के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। परिणामस्वरूप जहां एक और फसलों और सब्जियों की उत्पादकता दुगुनी हो गई है वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ एक दशकों में इसके क्षेत्र और उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। बंजर भूमि में आंवला, बेल और हल्दी की फसलों को खेती हेतु चुना गया है और इनकी उपयुक्त किस्मों और उत्पादकता से जुड़ी प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है।

जहां तक प्रमुख अनाजों के उत्पादन की क्षमता का सम्बन्ध है नमूने के खेत पर की गई गेहूं की औसत उत्पादन क्षमता प्रति हैक्टेयर 41.00 क्विंटल थी जबकि राष्ट्रीय औसत 26.22 क्विंटल प्रति हैक्टेयर था और सिंचित और बारानी धान में क्रमश: यह क्षमता 44.24 और 22.40 क्विंटल प्रति हैक्टेयर थी और इसकी तुलना में मक्के का औसत राष्ट्रीय क्षमता क्रमश: 19.85 क्विंटल और 22.07 क्विंटल प्रति हैक्टेयर थी जबकि राष्ट्रीय औसत 16.55 क्विंटल हैक्टेयर था।

किसानों के खेत पर तिलहनों, दालों और प्रमुख अनाजों की खेती करके यह पता चला है कि इनकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तिलहनों की 8.55 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की औसत राष्ट्रीय उत्पादकता की तुलना में नमूने के खेतों पर हुई

उत्पादकता में भिन्नता रही है। अलसी में 10.29 क्विंटल प्रति हैक्टेयर और अरंड में 24.38 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उत्पादकता प्राप्त हुई। इसी प्रकार देश में दालों की 6.8 क्विंटल प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता की तुलना में नमूने के खेत पर उड़द के मामले में 8.40 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उत्पादकता हुई और मटर में 14.67 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उत्पादकता हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की उपलब्धियों से यह संकेत मिला है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अग्रपंक्ति प्रदर्शनों, बीजों के उत्पादन और रोपण सामग्री से संबंधित गतिविधियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या में 2765 की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान इनमें 0.437 लाख किसानों, ग्रामीण युवाओं और विस्तार से जुड़े कार्यकर्त्ताओं ने अतिरिक्त रूप से भाग लिया। इसी प्रकार अग्रपंक्ति प्रदर्शन के अधीन आने वाले क्षेत्र में 1117 हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष की तुलना में 4636 अतिरिक्त प्रदर्शन किए गए। विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों और रोपण सामग्री के उत्पादन में भी अतिरिक्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 2370.57 टन बीजों और 13.22 लाख रोपण सामग्री का अतिरिक्त उत्पादन हुआ और इन्हें किसानों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया।

(घ) वर्ष 1923 से पुणे में शुष्क खेती अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम चलाया गया था और इसके परिणामस्वरूप 8 मृदा संरक्षण अनुसंधान विकास प्रशिक्षण केन्द्र (1954-61) स्थापित किए गए थे। तभी से भारतीय, कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय और इसके विभिन्न संस्थानों ने देश में समय से प्रभावी कदम उठाकर 'वाटर शेड' विकास और अनुसंधान पर जोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास/कृषि मंत्रालय के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1971) और नदी घाटी परियोजनाओं (1971) का विकास हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से 47 मॉडल वाटर शेड आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स (1984-87) में प्रदर्शित किया गया और इसकी बहुत प्रशंसा हुई। इसके परिणामस्वरूप कृषि मंत्रालय के बारानी क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय 'वाटर शेड' विकास कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के विकास और क्रियान्ययन संबंधी कार्य हुए। सुखोमाजरी, रेलमाजरा, ताजपुरा और चित्रदुर्गा जैसी उल्लेखनीय परियोजनाओं के जरिए प्रतिभागी 'वाटर शेड' विकास पद्धति की परिकल्पना को सफलता से प्रदर्शित किया गया। इस परिकल्पना को बाद में गैर सरकारी संगठनों और राज्य एजेंसियों ने काफी संख्या में अपना लिया और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई सामान्य पद्धति का ये एक आधार बना। (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. जनसहभागिता के दिशानिर्देश)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने 'वाटर शेड' कामगारों, किसानों को प्रशिक्षण देकर, प्रदर्शनियां/प्रदर्शन आयोजित करके मीडिया-रिपोर्टों और बड़ी संख्या में ब्रोशर, नियम पुस्तिकाओं और लोकप्रिय साहित्य का प्रकाशन करके 'वाटर शेड' विकास कार्यक्रमों की क्षमता सृजित करने में अत्यधिक मदद की है।

(ङ) और (च) अमरीका, यूरोप और अन्य लेटिन अमरीकन देशों जैसे क्यूबा के पास खाद्य सामग्री का अतिरिक्त स्टॉक है और साथ ही साथ यहां जनसंख्या में वृद्धि की दर भी स्थिर है जबकि भारत जैसे देश में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है और इसे अगले दो तीन दशकों में खाद्यान्नों के 209 मिलियन टन में मौजूदा स्तर को बढ़ाकर 300 मिलियन टन करना होगा। यह तभी किया जा सकता है जब उर्वरकों (कार्बनिक और गैरकार्बनिक), पौध संरक्षण उपायों जिसमें 'बायोपैस्टीसाइड' और 'इंटिग्रेटिड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम' उपलब्ध कराए जाएं जिनका प्रसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने संस्थानों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के जरिए किया है। कार्बनिक उर्वरकों (जैसे फास्फो कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट घूरे की खाद) की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें 'इंटिग्रेटिड प्लांट न्यूट्रिएंट एंड प्रोटेक्शन सिस्टम' पर अधिक बल देना होगा जिसमें कार्बनिक (हरी खाद सहित) उचित मिश्रण गैर कार्बनिक उर्वरकों के साथ इस्तेमाल किया जाए।

(छ) और (ज) जी नहीं ऐसी कोई असफलता नहीं हुई है। बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक दीर्घावधि भावी स्थिति संबंधी पद्धति कागजात (लौंगटर्म पर्सपेक्टिव विजिनरी एप्रोच डाकुमेन्ट) तैयार किया गया है ताकि खाद्यान्नों का स्थिर उत्पादन हो सके और खाद्यान्नों की भविष्य में होने वाली मांग को पूरा किया जा सके। इस कागजात में 2020 तक की स्थिति का विश्लेषण किया गया है और संशोधित अधिदेश की रूपरेखा, नई प्राथमिकताओं, नए कार्यक्रमों, कार्य विधियों और पेश आ रही चुनौतियों और उपलब्ध अवसरों को प्रभावी रूप से संगठनीय आधार पर समायोजित करने और हरित क्रान्ति के सदा बने रहने से संबंधित जानकारियों दी गई हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में सुधार लाने तथा इसे मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं:

(1) अनुसंधान संबंधी बुनियादी ढांचे का समेकन और सही आकार।

(2) 'बॉटमअप' और सहभागिता 'मोड' के जरिए अनुसंधान प्राथमिकताएं।

(3) परियोजना आधारित बजट की शुरूआत।

(4) मैरिट से जुड़े, निष्पादन-परक प्रोत्साहन और पुरस्कार।

(5) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय और नैटवर्किंग के जरिए मानव संसाधन क्षमता का निर्माण।

(6) निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ भागीदारी।

(7) अनुसंधान-विकास-किसान संपर्क में वृद्धि।

(8) विकेन्द्रीकृत प्रशासन।

जब कभी आवश्यक होता है प्रतिष्ठित विशेषज्ञों वाले पंचवर्षीय समीक्षा दल के जरिए सभी संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजना निदेशालयों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में पंचवर्षीय समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों की परिषद और इसके शासी निकाय द्वारा जांच की जाती है और इन पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

शीतगृहों का निर्माण

4935. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण से जुड़ी राजसहायता योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या शीतगृहों के निर्माण के लिए ऋण से जुड़ी राजसहायता योजनाों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) सरकार ने शीतागारों और भण्डार गृहों के विकास पर खास जोर देने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1999 में "बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भण्डार गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता" नामक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को 175.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से नौवीं पंचवर्षीय (1999-2002) योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागावनी बोर्ड, जो कृषि मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में परियोजना लागत के 25% की दर से, लेकिन अधिकतम प्रति परियोजना 50.00 लाख रुपये, पूंजीगत राजसहायता तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में परियोजना लागत का 33% लेकिन अधिकतम प्रति परियोजना 60.00 लाख रुपये की पूंजीगत राजसहायता पात्र संगठनों यथा गैर सरकारी संगठनों, उत्पादक समूहों, भागीदार/प्रोप्राइटरी फर्मों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, कृषि उत्पाद विपणन समितियों, विपणन बोर्डों/समितियों और कृषि उद्योग निगमों को दी जाती है। इस योजना में ऐसा प्रावधान है कि यदि नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना के तहत् नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की पुनर्वित्त योजना में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वित्तपोषण कर देता है तो किसी परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भी प्रोत्साहकों/लाभानुभोगियों को 'बैक इण्डेड' सब्सीडी दी जा सकती है। इस योजना में, नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत पी.एल.आर. + 1% पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 50% सावधि ऋण दिया जा सकता है।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जल्द खराब होने वाली फसलों के लिए "फसलोपरांत अवसंरचनाओं" को सुदृढ़ करना है।

(ग) और (घ) माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2001-2002 में उपर्युक्त शीतभण्डार संबंधी योजना में शीघ्र खराब न होने वाली वस्तुओं को शामिल करने हेतु विस्तार किये जाने के बारे में की गई उदघोषणा के अनुपालन में सरकार ने उपर्युक्त शीतभण्डार योजना की तर्ज पर गांवों में भी ग्रामीण गोदामों के निर्माण की एक योजना चालू करने का निर्णय लिया है ताकि इसमें जल्दी खराब न होने वाली वस्तुओं को भी रखा जा सके। सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस योजना के मानदण्ड तैयार किये जा रहे हैं।

धन उगाहने के लिए बंधपत्र

4936. श्री के. येरननायडू : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण धन उगाहने के लिए बंधपत्र जारी करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है और इस निर्गम का कुल मूल्य कितना होगा?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हाँ। बाण्डों के निर्गम के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 1985 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है ताकि बाण्ड जारी करने के लिए बाजार से धनराशि उधार लेने और जुटाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग

प्राधिकरण को सांविधिक शक्ति प्रदान की जा सके। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। अत: अंशदान के लिए निर्गम आरंभ करने के बारे में अधिनियम में संशोधन के पश्चात् विचार किया जाएगा। बाण्डों के जरिए धनराशि जुटाने की रूपरेखाओं और अन्य शर्तों के साथ-ही-साथ तैयार किया जा रहा है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन

4937. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बारे में 17.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3839 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक संशोधन कर दिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) अभी तक, विभाग को 14 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टीका-टिप्पण प्राप्त हुए हैं। उनमें से 5 राज्य सरकारें और 3 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए सहमत हो गए हैं। शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टीका-टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी। इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

बीकानेर कार्यशाला में रेल इंजनों की मरम्मत

4938. श्री रामेश्वर डूडी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीकानेर की उत्तरी रेल कार्यशाला में रेल डिब्बे बनाये जाते थे;

(ख) क्या उक्त कार्यशाला के पास पर्याप्त भूमि, प्रशिक्षित और कुशल मजदूर, अवसंरचनात्मक सुविधाएं और उपकरण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यशाला को बड़ी लाइन के रेल डिब्बों के मरम्मत और रख-रखाव का कार्य और रेल इंजनों की मरम्मत का कार्य कब तक सौंप दिया जायेगा; और

(घ) उक्त कार्यशाला का कब तक आधुनिकीकरण कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) बीकानेर कर्मशाला मूल रूप से मीटर लाइन सवारी डिब्बों, मालडिब्बों और रेल इंजनों की ओवर हालिंग के लिए स्थापित की गई थी।

(ख) बीकानेर कर्मशाला का कुल क्षेत्र 141226 स्केयर मीटर है। आवधिक ओवर हालिंग कार्यकलाप के युक्तीकरण से कर्मशाला प्रति माह लगभग 20 मीटर लाइन डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग करती है। कर्मशाला में इसके लिए कुशल मजदूर और अवसंरचना सुविधाएं हैं।

(ग) भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन रेल सवारी डिब्बों और इंजनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए मौजूदा क्षमता पर्याप्त है। इसलिए इस समय बीकानेर में ऐसी गतिविधि शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कार्यशाला में, इस समय मीटर लाइन सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग का कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त क्षमता और अवसंरचना है। अवसंरचना सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा निवेश आवश्यकतानुसार ही किया जाता है।

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए धन

4939. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए अधिक धन जुटाने के उद्देश्य से उपभोग उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपकर को किस प्रकार से वसूले जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में घोषित की गयी जल विद्युत विकास संबंधी नीति के अंतर्गत देश में उपयोग में लायी जाने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति कि.वा. घं. उपकर वसूल करके राष्ट्रीय विद्युत विकास निधि बनाने का प्रावधान किया गया है। बाद में, उत्पादित की जाने वाली विद्युत पर 5 पैसे प्रति कि.वा.घं. उपकर वसूल करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा गया, लेकिन इसे आस्थगित कर दिया गया था। तथापि, एनएचपीसी द्वारा अपने विद्युत उत्पादन स्टेशनों से उत्पादित विद्युत पर बस-बार पर उपलब्ध ऊर्जा पर 10 पैसे/यूनिट अधिभार वसूलने के लिए दर्ज की गयी एक याचिका पर सीईआरसी ने एनएचपीसी को अनुमति प्रदान की है कि वे क्षेत्र में जल विद्युत विकास हेतु प्रयुक्त की जाने वाली बिल राशि पर 5% की दर से विकास अधिभार वसूल कर सकती है। परियोजना में निवेशित और संग्रहित इस धनराशि से टैरिफ के संबंध में इक्विटी पर कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा।

अतिरिक्त न्यायालयों का गठन

4940. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 मार्च, 2001 के 'द स्टेट्समैन'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अतिरिक्त न्यायालय के गठन में अधिकांश राज्यों की विफलता पर उच्चतम न्यायालय ने गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्यों ने अतिरिक्त न्यायालयों का गठन किया है और इनकी संख्या कितनी है; और

(घ) शेष राज्यों में अतिरिक्त न्यायालय कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संबद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श से अतिरिक्त न्यायालयों का सृजन करना राज्य सरकारों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में विद्यमान रिक्तियों को शीघ्र भरे जाने और अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को समय समय पर पत्र लिखती रही है।

मिर्च की पैदावार

4941. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक के दौरान देश में कितनी मात्रा में मिर्च की पैदावार हुई और इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): वर्ष 1997-98 और 1998-99 का राज्यवार और अखिल भारतीय उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। मिर्च के उत्पादन में कुछ उतार चढ़ाव के साथ काफी लम्बे समय से बढ़ोत्तरी का रुख रहा है। वर्ष 1980-81 में इसका उत्पादन 5.09 लाख मीटरी टन था जो बढ़कर वर्ष 1998-99 में 9.21 लाख मी. टन हो गया है।

मिर्च समेत सभी मसालों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 146.48 करोड़ रुपये के परिव्यय से ''समेकित मसाला विकास कार्यक्रम'' चलाया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 से इस स्कीम को ''वृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता'' में मिला दिया गया है।

विवरण

1997-98 और 1998-99 के दौरान मिर्च का राज्यवार उत्पादन

(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

राज्य	1997-98	1998-99
1	2	3
आंध्र प्रदेश	338.3	403.3
असम	9.5	9.7
बिहार (झारखंड सहित)	4.5	4.7
गुजरात	21.3	18.2
हरियाणा	2.2	1.5
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3
जम्मू व कश्मीर	0.4	0.6

1	2	3
कर्नाटक	130.8	142.6
केरल	0.6	0.6
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	23.7	19.7
महाराष्ट्र	60.8	57.7
उड़ीसा	72.4	76.6
पंजाब	8.0	8.0
राजस्थान	66.4	49.2
तमिलनाडु	42.4	39.7
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	17.1	15.5
प. बंगाल	55.6	51.3
अन्य	15.8	22.1
अखिल भारत	870.1	921.3

जलमार्गों से जुड़े नगर

4942. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय ऐसे कितने नगर हैं, जो जलमार्गों से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के उन सभी नगरों जो नदी तट पर स्थित हैं, को जलमार्गों से जोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकुमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने विकास की संभावना वाले निम्नलिखित दस जलमार्गों की पहचान की है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा सकता है।

1. गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली
2. ब्रह्मपुत्र
3. पश्चिमी तटीय नहर
4. सुन्दरवन
5. गोदावरी
6. कृष्णा
7. महानदी
8. नर्मदा
9. गोवा में मन्डोवी, जुआरी नदियां और कम्बरजुआ नहर
10. तापी

अब तक तीन प्रमुख जलमार्ग अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि.मी.), सैदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र (391 कि.मी.) और चम्पाकरा एवं उद्योगमंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लाम तक पश्चिमी तटीय नहर (205 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन नौचालन चैनल, टर्मिनल और नौचालन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इनका विकास किया जा रहा है। इन जलमार्गों के तट पर स्थित नगर जलमार्गों से जुड़ जाते हैं। संसाधनों के अभाव के कारण महाराष्ट्र में नदियों के तट पर स्थित नगरों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में अब तक किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है। नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

पशुचारे की पैदावार के लिए योजना

4943. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के जनजातीय जिलों में पशुचारे की पैदावार बढ़ाने के लिए केन्द्र की ओर से किसी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में इस योजना की सफलता के बारे में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम मिला; और

(ङ) विशेषत: पशुचारे की कमी से ग्रस्त क्षेत्रों में पशुचारे की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार कौन से निवारक उपाय कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जनजातीय जिलों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, गुजरात राज्य में चारा विकास के लिए 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार ने 10.00 लाख रुपये जारी किए हैं तथा खर्च न की गई 117.00 लाख रुपये की राशि को पुनर्वैध किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही है।

क. सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र तथा एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म।

ख. चारा फसलों के लिए केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम।

ग. केन्द्रीय प्रायोजित योजना-निम्नलिखित घटकों एवं वित्त पोषण पद्धति के साथ चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता (केन्द्र : राज्य)

1. चारा बीज उत्पादन फार्मों का सुदृढ़ीकरण (75 : 25)
2. चारा बैंकों की स्थापना (75 : 25)
3. पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से चारा बीज उत्पादन (25 : 75)
4. भूसा तथा सैलूलोसिक अवशिष्ट का संवर्धन (100 : 00)
5. चारोमास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना (100 : 00)
6. घास रिजर्व सहित चारागाह विकास (100 : 00)
7. क्षेत्र, उत्पादन तथा चारा फसलों की आवश्यकता के लिए नमूना सर्वेक्षण।

ग्रामों का विद्युतीकरण

4944. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
प्रो. दुखा भगत:
डा. चरणदास महंत:
श्री राजनारायण पासी:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए क्या मानदण्ड रखे गए हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकारों की नीति एवं निदेशों के अनुसार राज्यों में वितरण प्रणाली की देख-रेख एवं प्रचालन करते हैं। तदनुसार, 1 वर्ष में विद्युतीकृत किये जाने वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों का चयन संबंधित रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा इस उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2000-01 से ग्राम विद्युतीकरण (कार्यक्रम एम एन पी के अंतर्गत) राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियाँ ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए नहीं भेजकर, जो पहले प्रचलन में था, सीधे जारी की जा रही हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गाँवों के पूर्ण विद्युतीकरण में लगने वाला समय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी सुविधा तैयार करने हेतु वित्तीय संसाधन, राज्य में विद्युत की उपलब्धता एवं उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करेगा। हालांकि वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-02 के लिए बजट वित्तीय प्रणाली में सुधार करने हेतु अनेक उपायों की घोषणा की है। इसमें अगले 6 वर्षों में शेष अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण पूरा करना तथा पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना है, जहाँ पी.एम.जी.वाई. के वित्त पोषण में वृद्धि की जा रही है।

विवरण

फरवरी, 2001 तक विद्युतीकृत गांवों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	1991 की जन-गणना के अनुसार बसे हुए गांवों संख्या	31.3.2000 तक उपलब्धियां	31.3.2000 तक उपलब्धियां %	फरवरी, 2000 के अंत तक संचयी	फरवरी, 2001 के अंत तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	100.0	--	26565(*)
2.	अरुणाचल प्रदेश	3469	2171	59.5	-	2171(सी)
3.	असम	24685	19019	77.0	-	19019(बी)
4.	बिहार	67513	47888	70.9	36	47924$$(एफ)
5.	गोवा	360	360	100.0	-	360(@)
6.	गुजरात	18028	17940	100.0	-	17940*
7.	हरियाणा	6759	6759	100.0	-	6759
8.	हि.प्र.	16997	16844	99.1	37	16881
9.	जम्मू कश्मीर	6477	6315	97.5		6315($)(ए)
10.	कर्नाटक	27066	26691	98.6	6	26697(+)(ई)
11.	केरल	1384	1384	100.0	-	1384
12.	मध्य प्रदेश	71526	68346	95.6	11	68357
13.	महाराष्ट्र	40412	40412	100.0	-	40412@
14.	मणिपुर	2182	2001	91.7		2001
15.	मेघालय	5484	2510	45.8		2510(ई)
16.	मिजोरम	698	691	99		691
17.	नागालैंड	1216	1196	98.4		1196(डी)
18.	उड़ीसा	46989	35190	74.9	42	35232
19.	पंजाब	12428	12428	100	-	12428
20.	राजस्थान	37889	35447	93.6	246	35693
21.	सिक्किम	447	405	100	-	405(#)
22.	तमिलनाडु	15822	15822	100	-	15822

1	2	3	4	5	6	7
23.	त्रिपुरा	855	810	94.7	2	812
24.	उत्तर प्रदेश	112803	89117	79	236	89353
25.	पश्चिम बंगाल	37910	29515	77.9	71	29586(एफ)
	कुल (राज्य)	586165	505826	86.3	687	506513
	कुल (यूटीएस)	1093	1090	100	–	1090*·
	कुल जोड़	587258	506916	86.3	687	507603

टिप्पणी: वर्ष 2000-01 के लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
(*) पूर्णत: विद्युतीकृत। शेष विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं।
(##) अनंतिम। 42 वन गांव विद्युतीकृत नहीं।
1991 की जनगणना के अनुसार अनंतिम की पुष्टि।
(··) 329 गांवों को विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं माना गया।
(\$\$) 1981 की जनगणना के अनुसार उपलब्धियां।
(\$) 1971 की जनगणना के अनुसार उपलब्धियां। 1991 में जनगणना नहीं हुई।
(ए) 31.3.98 के अनुसार
(बी) 30.11.99 के अनुसार
(सी) 31.7.2000 के अनुसार
(डी) 30.9.2000 के अनुसार
(ई) 31.12.2000 के अनुसार
(एफ) 31.1.2001 के अनुसार

[अनुवाद]

नवीन प्रौद्योगिकी

4945. श्री राजैया मल्याला:
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं अनुसंधान निदेशालय (डी. डब्ल्यू. आर.) ने जुताई यंत्र रहित तथा हल-रेख-सिंचित उन्नत-क्यारी रोपण [(जीरो टिलेज मशीन्स एण्ड फररो-इरिगेटेड रेइज्ड बेड प्लांटिंग) (एफ.आई.आर.बी.)] प्रविधि विकसित की है, ताकि किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पारम्परिक जुताई की तुलना में यह कैसे लाभप्रद है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों और विशेषकर हरियाणा में नई प्रौद्योगिकियों को प्रचारित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1993 में गेहूं कार्यक्रम के लिए मूल रूप से विकसित जीरो जुताई मशीन की गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा वर्ष 1994 से अग्रपंक्ति के प्रदर्शन के तहत जांच की गई थी। इसके डिजाइन में और सुधार किया गया। फलस्वरूप अत्यधिक संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए। इसके बाद कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने गेहूं उगाने वाले राज्यों में अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों के जरिए इसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक योजना बनायी। यह मशीन ट्रैक्टर चालित है तथा इसके स्थानीय रूप से निर्माण के लिए लगभग 13,000 रुपये की लागत आती है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा कूंड सिंचित क्यारी बनाने वाली मशीन विकसित की गई थी जिसका कई वर्षों तक बाद में संशोधन/सुधार किया गया और इसे अग्रपंक्ति के प्रदर्शन के तहत लोकप्रिय किया जा रहा है।

(ग) चावल-गेहूं फसल प्रणाली के तहत गेहूं की फसल की अगेती बुआई में जीरो जुताई फायदेमंद है, जिसके फलस्वरूप पछेती बुआई के कारण पैदावार में नुकसान कम होते हैं। यह परम्परागत जुताई की तुलना में ईंधन, मुद्रा तथा समय की भी बचत

करता है। इससे जुताई प्रक्रिया में करीब 1200 रु. की बचत होती है।

कूंड सिंचित क्यारी बनाना जल तथा पोषक तत्वों जैसे कुल उपयोग के निवेश में मदद करता है। गेहूं वाली फसल में बीज तथा नाइट्रोजन में 25 प्रतिशत से ज्यादा बचत पायी गई। 10 से 40 प्रतिशत पानी की बचत मृदा के आकार पर निर्भर करती है।

(घ) प्रदर्शन के जरिए इस नई प्रौद्योगिकी के प्रसार का प्रस्ताव है। इस पर प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। इन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन तथा प्रसार के लिए विभिन्न केन्द्रों को 200 जीरो जुताई मशीन सप्लाई की गई। हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अग्रपंक्ति प्रदर्शन किये गये। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में कूंड सिंचित क्यारी बनाने की प्रौद्योगिकी लोकप्रिय हो रही है।

सेलम उप-सर्किल में धनराशि का दुरुपयोग

4946. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सेलम उप-सर्किल के स्मारक-स्थलों पर, स्मारक स्थल-वार जो काम किया गया, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेलम उप-सर्किल में धनराशि का दुरुपयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और त्रुटिकर्ता कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या धनराशि के ऐसे दुरुपयोग के संबंध में चेन्नई सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद् ने कोई स्पष्टीकरण दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई मंडल के सेलम उपमण्डल में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

सेलम उप मण्डल की एक अचानक जाँच के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई मंडल के एक अधिकारी को वहाँ वित्तीय दुर्विनियोजन के एक मामले का पता चला है।

सेलम उप मण्डल के प्रभार में एक संरक्षण सहायक को निलम्बित कर दिया गया है। मामले को छानबीन के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान चेन्नई मंडल के सलेम उप मंडल द्वारा किया गया व्यय

(रुपये)

		1998-99	1999-2000	2000-2001
		1	2	3
1.	मुरुगंतास्वामी मंदिर, तिरूमुरुगंपूनी	2,67,185	4,61,097	2,93,638
2.	पहाड़ी किला तथा मंदिर चिन्नाकवंडानुर	3,959	4,14,1127	3,78,673
3.	सुग्रेस्वर मंदिर, सिरकारपेरियपालायम	शून्य	2,25,800	शून्य
4.	नरसिम्हा स्वामी मंदिर, नमक्कल	2,51,247	53,136	39,982/-
5.	रंगनाथस्वामी मंदिर सिरकारपेरिथपालायम	20,149	19,942	5,62,573

	1	2	3
6. पहाड़ी किला, नमक्कल	3,207	1,971	1,810
7. मुग्रीस्वरस्वामी मंदिर, सिरकारपेरियपालायम	32,970	21,724	4,815
8. किला अत्तुर	26,831	64,580	1,36,480
9. जैन मंदिर, मेट्टूपुडुर	4,139	3,473	4,300
10. चेन्नरिया पेरूमल मंदिर, अदीयमानकोटटई	13,390	4,958	8,196
11. किला रोया कोट्टई	8,045	2,971	1,940
12. किला कृष्णागिरि	शून्य	4588	1,934
कुल			

कुक्कुट पालन विकास

4947. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कुक्कुट पालन क्षेत्र को विस्तारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट पालन-विकास के लिए क्या प्रोत्साहन दिया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मुर्गीपालन के क्षेत्र में इन राज्यों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग कुक्कुट पालकों के लिए कोई सीधी लाभोन्मुखी योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, विभाग सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1999-2000 से राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना को केन्द्र तथा राज्य के बीच 80 : 20 भागीदारी के आधार पर 2001-2002 से तेरह अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में भी शुरू किया जा रहा है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए अंडा उत्पादन के रूप में दर्शाई गई उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1999 से 2001 तक के लिए अंडों का उत्पादन

(लाख संख्या)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अण्डा		
	1998-99	1999-2000 अनंतिम	2000-01 अनंतिम
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	59248	59220	59590
2. अरुणाचल प्रदेश	326	378	355
3. असम	4864	5229	5382
4. बिहार	14304	14679	14700
5. गोवा	1066	1103	1135
6. गुजरात	4671	6489	4671
7. हरियाणा	6827	7119	7268
8. हिमाचल प्रदेश	775	819	840

1	2	3	4	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5200	4568	4590
10.	कर्नाटक	19380	21798	23850
11.	केरल	20440	23121	23795
12.	मध्य प्रदेश	14001	14490	15000
13.	महाराष्ट्र	29377	30461	30900
14.	मणिपुर	645	819	800
15.	मेघालय	825	914	866
16.	मिजोरम	334	430	380
17.	नागालैंड	480	510	540
18.	उड़ीसा	7628	10994	11760
19.	पंजाब	26300	31374	32289
20.	राजस्थान	5344	5544	5500
21.	सिक्किम	160	189	175
22.	तमिलनाडु	35886	34682	40000
23.	त्रिपुरा	1080	693	713
24.	उत्तर प्रदेश	7665	9356	10249
25.	पश्चिम बंगाल	26532	28665	29150
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	527	441	560
27.	चंडीगढ़	173	315	200
28.	दादर एवं नागर हवेली	40	32	33
29.	दमन एवं दीव	45	63	65
30.	दिल्ली	463	756	600
31.	लक्षद्वीप	60	63	69
32.	पांडिचेरी	90	95	80
	कुल	294756	315409	326105

मुफ्त रेल पास

4948. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रेल विभाग द्वारा कोटिवार कितनी संख्या में मुफ्त रेल-पास जारी किये गये;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रेल-कर्मचारियों द्वारा वर्षवार कितनी मूल्य राशि के मुफ्त रेलपासों का लाभ उठाया गया;

(ग) क्या सरकार का संबंधित विभागों को इन खर्चों को वहन करने का अनुदेश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) विभिन्न कोटियों को मानार्थ कार्ड पास, समय-समय पर घोषित योजनाओं के अनुसार और रेल मंत्री जी की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत जारी किये जाते हैं। विगत दो वर्षों के दौरान जारी किये गए मानार्थ रेलवे पासों की कोटिवार संख्या इस प्रकार है:

कोटि	1998-2000 के दौरान जारी किए गए पासों की संख्या (1.1.1998 से 31.12.2000)
1	2
कार्ड पास	
1. स्वतंत्रता सेनानी	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।
2. अर्जुन पुरस्कार विजेता/ओलंपिक पदक विजेता/एशियाई और राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता	746

1		2
3.	बहादुरी चक्र श्रृंखला पुरस्कार विजेता (रक्षा)	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।
4.	बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता और बहादुरी के लिए पुलिस पदक विजेता (पुलिस)	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।
5.	भारतीय राष्ट्रीय खेल संघ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबद्ध ओलंपिक संघों के अध्यक्ष/सचिव	124
6.	हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य	80
7.	भूतपूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/रेल उप मंत्री	9
8.	सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षणिक/खेलकूद/कल्याणकारी गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संगठनों को और चिकित्सा आधार पर अन्य व्यक्तियों आदि को रेल मंत्री जी के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत जारी कार्ड पास	423
	चैक पास	
1.	लाइसेंसधारी पोर्टर	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।
2.	सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षणिक/खेलकूद/कल्याणकारी गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संगठनों को रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार रेल मंत्री जी, रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत जारी	826 (3,222 व्यक्तियों को शामिल करते हुए)

(ख) रेल कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के आधार पर पास प्राप्त करने के पात्र होते हैं। अत: उनकी कीमत आकलित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) स्वतंत्रता सेनानियों को जारी मानार्थ कार्ड पासों की लागत की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। अन्य कोटियों को जारी मानार्थ कार्ड पासों की लागत का कम से कम कुछ भाग वहन करने से संबंधित रेल मंत्रालय का अनुरोध अन्य नोडल मंत्रालयों को स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. की विद्युत शुल्क दरें

4949. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निगम और रिलायंस पातालगंगा पावर प्राइवेट लिमिटेड की विद्युत शुल्क दरों में बड़ा अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, हां। एनटीपीसी एवं महाराष्ट्र रा.वि.बो. (एमएसईबी) के विद्युत टैरिफ में अंतर है।

एनटीपीसी पश्चिम क्षेत्र के कोरबा, विन्ध्याचल, कवास, गांधार में स्थित अपने विद्युत केन्द्रों से एमएसईबी को विद्युत आपूर्ति कर रहा है। इन केन्द्रों से महाराष्ट्र को 1725 मे.वा. आवंटन किया जा

रहा है। इन केन्द्रों से आपूर्ति की गयी विद्युत की औसत लागत 2000-01 के दौरान लगभग 1.48 रुपये प्रति यूनिट है।

एमएसईबी को बेची गयी विद्युत की औसत वसूली के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पातालगंगा परियोजना के मामले में परियोजना की समाप्ति तारीख अभी सुनिश्चित की जानी है। इस दृष्टि से इस परियोजना के विद्युत बिक्री दर की जानकारी परियोजना द्वारा समाप्ति तारीख प्राप्त कर लेने के बाद ही हो सकेगी। हालांकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण दी गयी तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के आधार पर निर्धारित टैरिफ 68.5% पीएलएफ पर 2.5 रुपये प्रति यूनिट होने का अनुमान है (स्थिर मूल्यों पर)। चूंकि टैरिफ दरों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न तत्वों जैसे नियत लागत, परिवर्तनीय लागत आदि को मद्देनजर रखते हुए अंतिम रूप दिया जाता है। अत: टैरिफ में परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 1.5.2000 से विभिन्न समूहों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु लागू अनुमानित औसत विद्युत दर

क्र.सं.	उपभोक्ता	भार. कि.वा.	संयंत्र घटक %	उपभोग यूनिट/माह	दर पैसे/यूनिट
1.	घरेलू	2	–	100	239.25
2.	घरेलू	5	–	400	359.57
3.	घरेलू	10	–	1000	447.43
4.	वाणिज्यिक	5	–	200	421.80
5.	वाणिज्यिक	10	–	1000	622.71
6.	वाणिज्यिक	20	–	2000	649.91
7.	कृषि	5 एचपी	15	408	91.91
8.	कृषि	10 एचपी	20	1089	107.44
9.	लघु उद्योग	10 एचपी	25	1361	335.23
10.	मध्यम उद्योग	50	40	14600	360.53
11.	वृहत् उद्योग	1000	65	474500	429.85
12.	भारी उद्योग	10000	60	4380000	436.36
13.	रेलवे कर्षण	12500	30	2737500	420.00

स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुनरुज्जीवित करना

4950. **श्री लक्ष्मण सेठ:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अधीर चौधरी:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) की अधिकतर मिलों को पुनरुज्जीवित करने का निर्णय किया है जैसा कि 29 मार्च, 2001 के 'द हिन्दु' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो एन.टी.सी. की जिन मिलों को पुनरुज्जीवित किया जाना है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) सभी मिलों को पुनरुज्जीवित किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार एन.टी.सी. की रुग्ण मिलों को पुनर्वासित करने पर अनुमानित रूप से कितना खर्च आएगा;

(ङ) इन मिलों को कब तक पुनरुज्जीवित कर लिये जाने की संभावना है;

(च) क्या पश्चिम बंगाल में एन.टी.सी. की सूती वस्त्र मिलों को पुनरुज्जीवित किये जाने की योजना, उनके मंत्रालय और राज्य औद्योगिक पुनर्गठन विभाग के बीच तनातनी के चलते अधर में लटकी हुई है जैसाकि 24 मार्च, 2001 के 'द स्टेट्समैन'' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में कौन से निवारक उपाय किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) जी, हां। अधिकतर मिलों का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से सरकार ने एन.टी.सी. की मिलों के मामले में निम्नलिखित व्यापक नीति अपनाई थी:

(1) एक एकक पुनरुद्धार योग्य है अथवा गैर-पुनरुद्धार योग्य है, इसके निर्णय के लिए एक एकक-दर-एकक मूल्यांकन किया जाएगा;

(2) सभी पुनरुद्धार-योग्य एककों का पुनरुद्धार किया जायेगा;

(3) गैर-पुनरुद्धार-योग्य एककों को बन्द किया जाएगा तथा कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

तदनुसार, एककवार अर्थक्षमता का अध्ययन किया गया था तथा बीआईएफआर जो कि एककों का पुनरुद्धार करने अथवा पुनरुद्धार न करने और ऐसी पुनरुद्धार योजना की लागत के बारे में अंतिम निर्णय लेता है, के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुनरुद्धार योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रचालन एजेंसियों को दिए गए हैं।

(च) जी, नहीं। ऐसा कोई विवाद नहीं है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे पुनरुद्धार के लिए अधिक संसाधन जुटाने के लिए एन.टी.सी. की मिलों को बेचने के लिए बिना शर्त सहमति प्रदान करे। बीआईएफआर ने भी सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे भूमि को बेचने और भूमि के प्रयोग में परिवर्तन करने के लिए बिना शर्त सहमति प्रदान करें। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने ही इस संबंध में सशर्त सहमति प्रदान की है जो कि मिलों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन के लिए उपलब्ध संसाधनों तक ही सीमित है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

उच्च प्रोटीन युक्त मक्के का बीज

4951. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को विशेषकर बिहार के मक्का उगाने वाले किसानों को उच्च प्रोटीन युक्त मक्के का बीज उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोटीन गुण युक्त मक्का कुपोषणग्रस्त लोगों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) प्रमाणित बीजों का उत्पादन और किसानों को उनका संवितरण करने की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की होती है जो अपने राज्य बीज निगमों, बीज फार्मों, राज्य के कृषि विभाग, सहकारी समितियों आदि के माध्यम से यह काम पूरा करती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम भी राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में सहयोग देते हैं। निजी क्षेत्र भी अपने नेटवर्क और अवसंरचनाओं के माध्यम से यह काम कर रहे हैं।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के बीज प्रभाग से राजस्थान ने खरीफ 2002 मौसम में गुणवत्ता प्रोटीन युक्त मक्के के प्रजनक बीजों की दो कल्टिवार्स/किस्मों यथा शक्ति-1 (राष्ट्रीय बीज निगम से 10 कि.ग्रा.) और शक्तिमान (मादा प्रजनक और नर प्रजनक 4 कि.ग्रा.) की आपूर्ति किये जाने की मांग की है ताकि इनका आधार और फिर प्रमाणित बीज में बहुलीकरण किया जा सके। अन्य किसी राज्य/अभिकरण ने इन किस्मों के प्रजनक बीजों की मांग नहीं की है। किसी भी राज्य ने खरीफ 2001 मौसम में इनकी उपलब्धता के बारे में सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) जी, हां। गुणवत्ताप्रद प्रोटीन युक्त मक्का कल्टीवार्स में निम्नलिखित पाया जाता है:

(1) 4.07 ग्रा./16 ग्रा. एन लायसिन जबकि सामान्य मक्का में 1.88 ग्रा./16 ग्रा. एन लायसिन पाया जाता है।

(2) 0.92 ग्रा./16 ग्रा. एन ट्राइप्टोफान जबकि सामान्य मक्का में 0.35 ग्रा./16 ग्रा. एन ट्राइप्टोफान पाया जाता है।

उच्च न्यायालय की विशेष पीठें

4952. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री जोरा सिंह मान:
श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नवल किशोर राय:
श्री अमीर आलम:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश के उच्च न्यायालय से उन अपराधिक मामलों-जो उनके समक्ष पांच वर्षों से अधिक की अवधि से लंबित हैं-को निपटाने के लिए विशेष पीठों का गठन करने के लिए कहा है-जैसाकि 23 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने आपराधिक मामले हैं, जो प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष 5 वर्षों से अधिक की अवधि से लंबित हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जी, हां।

उच्चतम न्यायालय ने दांडिक अपील संख्या 320/2001, श्रीमती अख्तरी बी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में अपने तारीख 22.3.2001 के निर्णय में उच्च न्यायालय में रिक्तियों के नहीं भरे जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण ऐसे दांडिक मामलों के, जिनमें कैदी जेलों में सड़ रहे हैं, निपटान में विलंब हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को यह निदेश दिया है कि ऐसे तरीकों और उपायों की खोज की जाए जिनसे कि ऐसी दांडिक अपीलों वाले मामलों का जिनमें अभियुक्त व्यक्ति जेल में है, पांच वर्ष के भीतर निपटान सुनिश्चित हो सके। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि यदि किसी अपील का पांच वर्ष की अवधि के भीतर निपटान नहीं होता है तो ऐसे सिद्धदोष ठहराए जाने वाले व्यक्ति को, सिद्धदोष ठहराए जाने के लिए कसूरवार न होने के आधार पर ऐसी शर्तों पर, जो न्यायालय ठीक समझे, जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को लिखते रहे हैं। ऐसा अंतिम पत्र फरवरी, 2001 में लिखा गया था। माध्यस्थम्, लोक अदालतों के माध्यम से मामलों में सुलह और निपटान करने जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंग अपनाए जाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जैसी विधियों का सरलीकरण करने जैसे वैकल्पिक उपाय भी किये जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	पांच वर्ष से अधिक से लंबित मामलों की संख्या	निम्न तारीख को
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	70495	12/2000
2.	आंध्र प्रदेश	129	12/2000
3.	बम्बई	3390	6/2000
4.	कलकत्ता	17530	6/2000
5.	दिल्ली	6052	12/1999
6.	गुवाहाटी	659	6/1999
7.	गुजरात	4171	3/2000
8.	हिमाचल प्रदेश	284	9/2000
9.	जम्मू-कश्मीर	569	9/2000
10.	कर्नाटक	87	9/2000
11.	केरल	15	12/2000
12.	मध्य प्रदेश	32111	9/2000
13.	मद्रास	3080	6/2000
14.	उड़ीसा	14618	12/2000
15.	पटना	2528	9/2000

1	2	3	4
16.	पंजाब और हरियाणा	8595	12/2000
17.	राजस्थान	7766	9/2000
18.	सिक्किम	0	12/2000

कर्नाटक रेल आधार संरचना विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन

4953. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुंटाकल-हौजपेट रेलमार्ग परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए रेल मंत्रालय ने कर्नाटक रेल आधार संरचना विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए गए;

(ग) गुंटाकल मंडल द्वारा लोहे, इस्पात और कोयले के माल भाड़े के रूप में, वार्षिक रूप से औसतन कितनी धनराशि अर्जित की जा रही है;

(घ) उक्त परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस परियोजना के लिए 2001-2002 के दौरान कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन के लिए कर्नाटक सरकार के साथ 20.9.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था:

1. हुबली-अंकोला नई लाईन
2. सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन
3. हसन-मेंगलोर आमान परिवर्तन
4. गुंतकल-होसपेट दोहरीकरण

(ग) गुंतकल मंडल को वर्ष 2000-01 के दौरान मालभाड़ा प्रभारों से हुई आमदनी का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

लोहा और इस्पात	22.94
कोयला	1.82

(घ) 4.81 करोड़ रुपए।

(ङ) वर्ष 2001-02 के रेल बजट में प्रस्तावित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	0.001
वोल्ट	5.0000

[हिन्दी]

'तत्काल आरक्षण योजना'

4954. श्री पदम सेन चौधरी:
श्री रामपाल सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेल विभाग द्वारा शुरू की गई 'तत्काल आरक्षण योजना' से लोगों को नहीं, बल्कि दलालों को लाभ पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना का लाभ वास्तविक रूप से जन सामान्य तक पहंचाने और दलालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों द्वारा चलाई गई तत्काल आरक्षण योजना से आम जनता को बड़ी मात्रा में निश्चित तौर पर कुल मिलाकर लाभ हुआ है। बहरहाल, ''तत्काल योजना'' के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इस योजना के अंतर्गत ''बुकिंग'' केवल ''तत्काल योजना'' में निर्धारित पहचान के सबूतों में से एक सबूत के प्राधिकार पर दी जाती है और यात्री को यात्रा के दौरान पहचान के उस सबूत को जिसके आधार पर उसने टिकट खरीदी है, अपने साथ ले जाना

पड़ता है। टिकट पर इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाता है। इसके अलावा, दलालों द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए, योजना में एक प्रावधान किया गया है कि "तत्काल योजना" के अंतर्गत जारी किये गये टिकटों पर कोई धन की वापसी तभी अनुमेय होगी, जबकि "तत्काल सेवा" डिब्बा नहीं लगाया हो अथवा गाड़ी 3 घंटे से अधिक विलंबित हो।

[अनुवाद]

पाइपलाइन और परिशोधनशालाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश

4955. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां, मांग और आपूर्ति की स्थिति का आकलन किये बगैर ही, पाइपलाइन और परिशोधनशालाओं में निवेश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय आयोजना निकाय है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपनी वर्तमान सेवा सुविधाओं और विपणन-संरचना में सुधार करने की बजाय बड़े स्तर के पूंजीनिवेश की तरफ आकर्षित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इनकी फिजूल खर्ची निवेश करने की प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) परियोजनाओं के अंतर्गत निवेश ख्याति प्राप्त परामर्शदाताओं की सहायता से विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययनों, जिनमें अन्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के भविष्यगत आपूर्ति मांग परिदृश्य का अनुमान शामिल है, के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किये जाते हैं।

रिफाइनरी क्षेत्र अनुज्ञप्ति मुक्त है तथा रिफाइनरियाँ प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के बाहर है। नवरत्न तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम परिशोधन क्षमता वृद्धि पर निवेशों के लिए अपने निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं तथा सरकार के मत बोर्ड के अंशकालिक सरकारी निदेशकों द्वारा सूचित किये जाते हैं। गैर नवरत्न कंपनियों की रिफाइनरी परियोजनायें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

[हिन्दी]

ग्रीष्मकाल में यात्रियों की भीड़-भाड़

4956. श्री जोरा सिंह मान:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रीष्मकाल के दौरान, यात्रियों का आवागमन अधिक बढ़ जाने के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे यात्रियों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान यात्रियों की इस अधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए कितनी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गईं;

(घ) आगामी ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रियों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है; और

(ङ) चालू ग्रीष्मकालावधि के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रियों की कमी के माह फरवरी की तुलना में गर्मियों के व्यस्त माह-जून के दौरान बुक किये गये यात्रियों की कुल संख्या में हुई तुलनात्मक वृद्धि निम्नानुसार है:

वर्ष	वृद्धि (आंकड़े मिलियन में)	प्रतिशत वृद्धि
1998	47.26	13.89
1999	42.34	12.29
2000	29.64	7.79

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गर्मियों में अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए चलाई गई अतिरिक्त गाड़ियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	गाड़ियों की संख्या
1998	1959
1999	2272
2000	2038

(घ) इस गर्मी की अवधि के दौरान चलाई जाने वाली अतिरिक्त ग्रीष्म स्पेशल गाड़ियों तथा बढ़ाए जाने वाले डिब्बों से एक साथ सभी श्रेणियों में लगभग 61 लाख अतिरिक्त यात्रियों की मांग पूरी करने की आशा है।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान, 46 विभिन्न मार्गों पर 2050 समर स्पेशल गाड़िया चलाई जाने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, यातायात की अतिरिक्त भीड़ को निकासी के लिए 100 गाड़ियों के डिब्बों की संख्या में वृद्धि भी की जाएगी।

[अनुवाद]

फसलों में विविधता लाना

4957. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंबे समय से केवल गेहूं-चावल भर के फसल चक्र का व्यवहार करने और मृदाक्षरण की वजह से घटती कृषि उत्पादकता के मद्देनजर, विशेषज्ञों ने फसलों में विविधता लाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फसलों में विविधता रखने की योजना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो फसलों में विविधता रखने की योजना की विशेषताओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसान इस योजना के पक्ष में नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी दुश्चिंताएं क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) फसल विविधता का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में अधिक विकल्प हासिल करना है जिससे विभिन्न फसलों के उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार किया जा सके और जोखिम कम किया जा सके। भारत में फसल विविधता को आम तौर से परम्परागत तथा कम लाभकारी फसलों के बदले ज्यादा लाभकारी फसलों की खेती किये जाने की दृष्टि से देखा जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों और राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित विधियों के पैकेज में यह सिफारिश की गई है कि किसानों को इन्हें अपनी कृषि उत्पादकता, मृदा उर्वरता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध को देखते हुए अपनाना चाहिए। हालांकि फसल विविधता लागत और आर्थिक लाभ से नियंत्रित हो रही है।

(घ) और (ङ) गेहूं और चावल की वैकल्पिक किस्मों में आलू, गन्ना, सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, मक्का, दलहन, सब्जियां, चारे फसलें और अन्य उदीयमान बागवानी फसलें शामिल हैं। हालांकि, गेहूं और चावल के उत्पादन में जोखिम न होने और इनका सुनिश्चित बाजार होने से लाभकारी मूल्य मिलने के कारण, किसान इन फसलों के उत्पादन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। विविधता की प्रक्रिया के तहत् अन्य फसलों को अपनाने में किसान इनके उत्पादन, विपणन और मूल्यों में जोखिम के प्रति आशंकित हैं।

(च) कृषि एवं सहकारिता विभाग फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चला रही है। 4 अक्तूबर 2000 से 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को कृषि के वृहद प्रबंध दृष्टिकोण (मेक्रो मैनेजमेंट मोड) में मिला दिया गया है और राज्यों को इन स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार राज्यों को अपनी कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों के अनुकूल इन स्कीमों के चयन में स्वतंत्रता मिलेगी और किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

स्मारकों/स्मृति स्थलों का धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग

4958. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्मृति स्थलों और स्मारकों का धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति दे रखी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थितिवार तथा राज्यवार ऐसे स्थलों और स्मारकों के नाम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संबंध में ऐसी कोई सामान्य अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तथापि, ऐसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक अधिसूचित किये जाने के समय धार्मिक रूप से प्रयोग में थे, इस प्रकार के परम्परागत कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

अहमदनगर रेलवे स्टेशन की क्षमता

4959. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अहमदनगर रेलवे स्टेशन की क्षमता का विकास करने और बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अहमदनगर रेलवे स्टेशन की क्षमता का विकास करने और बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदनगर स्टेशन पर इस समय उपलब्ध सुविधाएं इस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात के लिए पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

निजी और विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

4960. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी और विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो विपणन अधिकारों के बदले में तेल खोज के क्षेत्र में निवेश करने पर सहमत हो गई थी;

(ख) इसके परिणामस्वरूप तेल उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है:

(ग) क्या सरकार निजी और विदेशी कंपनियों को विपणन अधिकार देने पर विचार कर रही है, यदि वे तेल खोज और शोधन में निवेश करती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है; और

(ङ) अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) किसी भी कंपनी से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ''भारतीय हाइड्रोकार्बन झलक 2025'' की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुसार सरकार परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए अधिकार प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में संलग्न है।

[हिन्दी]

मानद पास

4961. डा. बलिराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानद पास को जारी करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) गत 18 महीनों के दौरान किन-किन लोगों को उक्त मानद पास जारी किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेलवे द्वारा कोई 'मानद' पास जारी नहीं किये जाते हैं। बहरहाल, रेल मंत्री के स्वविवेक पर मानार्थ कार्ड पास उन विशिष्ट व्यक्तियों तथा संगठनों को, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद एवं कल्याण गतिविधियों से जुड़े होते हैं और अन्य को अनुकंपा/चिकित्सा के आधार पर जारी किये जाते हैं। किफायत तथा मितव्ययिता के मद्देनजर इस समय रेल मंत्री के विवेकाधिकार के अंतर्गत कोई मानार्थ पास जारी नहीं किये जा रहे हैं। बहरहाल, रेल मंत्री द्वारा समय-समय पर घोषित योजनाओं के तहत निम्नलिखित कोटि के व्यक्तियों को मानार्थ कार्ड पास जारी किये जा रहे हैं:

क्र.सं.	कोटि
1.	स्वतंत्रता सेनानी (इसकी लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है)
2.	अर्जुन पुरस्कार विजेता/ओलंपिक पदक विजेता/एशियाई तथा राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता
3.	शौर्य चक्र श्रृंखला पुरस्कार विजेता (रक्षा कार्मिक)
4.	बहादुरी के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक तथा बहादुरी के लिए पुलिस पदक विजेता (पुलिस कार्मिक)
5.	भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद संघ, भारतीय ओलंपिक संघ तथा भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्षगण तथा सचिवगण
6.	हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य
7.	भूतपूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/रेल उपमंत्री

इसके अलावा रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/बोर्ड के सदस्यों के स्वविवेक पर चिकित्सा आधार पर, अनुकंपा के आधार पर पात्र मामलों में, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद तथा कल्याणकारी गतिविधियों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों को भी चैक पास (एकल यात्रा/जाने तथा आने के लिए) जारी किये जाते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच विद्युत क्षेत्र में समझौता

4962. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच विद्युत क्षेत्र में कोई समझौता सम्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में किन-किन राज्यों और कंपनियों को शामिल किया गया है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में इस समझौते से भारत को कब तक और कितना लाभ मिलने की संभावना है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) भारत सरकार ने सितम्बर 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें ऊर्जा संबंधी मामलों पर सम विकसित करने तथा ऊर्जा नीतियों, कार्यक्रमों एवं तकनीकों पर परामर्श के जरिए सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा परामर्श करने हेतु एक उप मंत्रालयीन कार्यकारिणी दल गठित करने का विचार किया गया है।

उपरोक्त के अलावा सित. 2000 में निजी क्षेत्र में 3 विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(1) अवस्थापना वित्त विकास निगम (आईडीएफसी) एवं अमेरिका के मैसर्स सिनर्जिक्स एनर्जी डेवलपमेंट इंक के बीच उत्तरांचल में मै. डैकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कम्पनी लि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही 330 मे.वा. की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन/वित्तीय आशय पत्र पर 14 सितम्बर, 2000 को हस्ताक्षर किया गया। परियोजना को सितम्बर, 2005 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(2) उड़ीसा राज्य में 3960 (6 × 660 मे.वा.) हिरमा ताप विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए 14 सितम्बर, 2000 को यूएसए की मै. सदर्न एनर्जी एसिया पैसेफिक लि. और रिलायंस पावर लि. एव पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बीच एक विकास समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। प्रथम यूनिट के वित्तीय समापन की तिथि से 39 माह के भीतर चालू होने की प्रत्याशा है। इसके पश्चात शेष यूनिटों को एक-एक करके तीन महीनों के अंतराल पर चालू किया जायेगा।

(3) तमिलनाडु में 1884.645 मे.वा. की एन्नौर एलएनजी आधारित विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए 14 सितम्बर, 2000 को मै. तमिलनाडु एलएनजी और पावर कंपनी प्राइवेट लि. तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बीच एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके वित्तीय समापन से 36 माह के भीतर पूरा करने का कार्यक्रम है।

सरकार ने सि. 2000 में 2 आशय संलेखों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें से पहला संलेख एक वाणिज्यिक स्केली इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कम्बाइन्ड साइकल डिमास्ट्रेशन पावर प्लांट स्थापित करने के लिए विस्तृत तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु था। इसके हस्ताक्षरकर्ता में भारत सरकार अमेरिका सरकार तथा एनटीपीसी एवं यूएसएआईडी भी शामिल थे। दूसरा संलेख विद्युत क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित था तथा इसके हस्ताक्षर

कर्ता भारत सरकार एवं यू एस ए आई डी थे, जो अमेरिका सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त संलेखी में कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा नहीं बताई गई है।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. के तेल शोधक कारखानें

4963. श्री सुबोध राय:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चार तेल शोधक कारखानों के अधिग्रहण के प्रयास का वर्ष 2002 में तेल क्षेत्र को विनियमित करने के निर्णय से कोई संबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चार मानक तेल शोधक कारखानों पर नियंत्रण के बाद सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां बहुराष्ट्रीय बड़ी तेल कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगी जिन्हें शीघ्र ही देश में मुक्त रूप से परिचालन के लिए अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इसके लिए और क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि भारत की बड़ी तेल कंपनियां विदेशी बड़ी तेल कंपनियों के समक्ष मजबूती से ठहर सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ अपने किस्म की अकेली रिफाइनरियों के एकीकरण के संबंध में सरकार ने एक निर्णय ले लिया है। पूर्वोक्त व्यवस्था के तहत चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी पी सी एल) और बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड (बी आर पी एल) को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) की सहायक कंपनियां बनाया जाएगा और कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के आर एल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड (एन आर एल) को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) की सहायक कंपनियां बनाया जाएगा।

इन व्यवस्था से अपने किस्म की अकेली रिफाइनरियों को नियंत्रणमुक्ति की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करने और विशेषकर दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आई ओ सी एल और बी पी सी एल को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

खाद्यान्नों की बेरोक-टोक आवाजाही

4964. श्री चिंतामन वनगा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में खाद्यान्नों की बेरोक-टोक आवाजाही का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस निर्णय के क्या लाभ होंगे;

(ग) क्या राज्य सरकारों से भी यह निर्णय लेते समय परामर्श किया गया है;

(घ) क्या सरकार इस निर्णय के सभी प्रावधानों के सुचारू क्रियान्वयन पर निगरानी रख रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार (गेहूं, धान, लेवी मुक्त चावल, मोटे अनाज तथा दलहन) की अन्तर्राज्यीय तथा राज्य के भीतर आवाजाही के लिए पूरे देश को एक खाद्य क्षेत्र माना जाता है। पूरे देश को एक क्षेत्र मानने से संबंधित राष्ट्रीय नीति की जानकारी सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को दिनांक 26.3.1993 को दे दी गई है उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि खाद्यान्न की आवाजाही में कोई व्यवधान न हो। उन्हें आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजकर अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही में बाधा डालने वाले सांविधिक प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाने की सलाह दी गई है खाद्यान्न की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाने से पूरे देश में बेहतर खाद्यान्न वितरण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे देश में कहीं पर भी किसानों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य भी मिलेगा।

(घ) से (च) इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय आदेशों के कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। इसके प्रत्युत्तर में जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने खाद्यान्न की आवाजाही पर लगे

सभी प्रतिबंध हटा लिए है। अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तस्करी को रोकने के लिए शेष तीन राज्यों ने चावल/धान की अन्तर्राज्यीय आवाजाही पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध बरकरार रखे हैं।

दुरुम गेहूं का उत्पादन

4965. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने के लिए सरकार का विचार गेहूं की अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्नत किस्म दुरुम गेहूं के उत्पादन हेतु किसानों को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उत्पादकों/किसानों को क्या प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) देश में दुरुम गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित फसल विकास स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं जिसमें किसानों के खेतों पर गेहूं की दुरुम बीज मिनिकिट प्रदर्शन और फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। इसके अलावा, दुरुम गेहूं सहित गेहूं उत्पादन प्रौद्योगिकी पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्र स्तरीय विचार गोष्ठियां/कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती है।

भा.कृ.अ.प. की अनुसंधान प्रणालियों के जरिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं की दुरुम किस्मों का विकास किया जाता है। ये क्षेत्र भारत के मध्य और प्रायद्वीपीय तथा उत्तरी पश्चिमी मैदान भाग हैं। भारत के मध्य भाग में उपजाए जाने वाले गेहूं की दुरुम किस्मों के दानों की गुणवत्ता बेहतर है तथा इसका निर्यात किया जा सकता है जबकि उत्तर पश्चिमी भाग में उपजाए जाने वाले दुरुम गेहूं की उत्पादकता अधिक है तथा यह स्वदेशी बाजार में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

[हिन्दी]

कृषीय उत्पादन

4966. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 में और 31 मार्च, 2001 तक खरीफ और रबी मौसम के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) ईख, कपास, गेहूं, प्याज और बाजरा के उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी योजनायें तैयार की जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) और (ख) कृषि उत्पादन के आंकड़े कृषि वर्ष (जुलाई से जून) के आधार पर रखे जाते हैं न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर। वर्ष 1999-2000 के दौरान देश और महाराष्ट्र राज्य में गन्ना, कपास, गेहूं, प्याज और कदन्न का उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भविष्य में देश के विभिन्न भागों में उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि के विकास के लिए सरकार ने राज्यों को सहायता देने के लिए परम्परागत योजनाबद्ध प्रणाली के बजाय वृहत् प्रबंधन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में कार्य योजनाओं के जरिये राज्य के प्रयासों में सहयोग करने/सहायता देने के लिए 27 स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम बनाने का विचार है जो राज्यों को उनके द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा तथा इसका लक्ष्य कृषि का समग्र विकास करना होगा।

विवरण

अखिल भारत और महाराष्ट्र में वर्ष 1999-2000 के दौरान कुछ कृषि फसलों का उत्पादन

(मिलियन मि. टन)

फसल	अखिल भारत			महाराष्ट्र		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
गन्ना	299.04	-	299.04	53.14	-	53.14

1	2	3	4	5	6	7
कपास	11.64	–	11.64	3.10	–	3.10
गेहूं	–	75.57	75.57	–	1.44	1.44
प्याज	@	@	4.90	@	@	1.39
कदन्न (रागी और छोटे कदन्न)	3.02	–	3.02	0.24	–	0.24
खाद्यान्न	104.85	104.02	208.87	8.24	4.36	12.60
तिलहन	12.32	8.55	20.87	2.12	0.52	2.64

*170 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें
@मौसमवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

जांच के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति

4967. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न घटनाओं की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु उनके मंत्रालय को कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) किसी जांच के लिए पीठासीन न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) वर्ष 1999-2001 के दौरान, दो अवसरों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह निवेदन किया गया था कि वे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच आयोग गठित करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश का नामनिर्देशन करें।

सामान्यत: पदासीन न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कृत्यों से भिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नहीं की जाती है। तथापि, जब उच्चतम न्यायालय के किसी पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति अपेक्षित हो तब सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश से मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

केन्द्रीय दल का गुजरात दौरा

4968. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के भूकंप के कारण हुई तबाही के आकलन हेतु अंतर-मंत्रीय केन्द्रीय दल ने गुजरात का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दल के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आकलन दल के निष्कर्षों पर केन्द्र और राज्य द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ई.एम.यू. रेलगाड़ियों में बुनियादी सुविधाएं

4969. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई एम यू रेलगाड़ियों के डिब्बों में जल और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ई एम यू रेलगाड़ियों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बहुत उच्च घनत्व वाले और छोटी दूरी के यातायात वाले महानगरीय शहरों में उपनगरीय खण्ड पर ई एम यू सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। ई एम यू सवारी डिब्बों में शौचालयों और पानी की व्यवस्था करना वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे गाड़ी की वहन क्षमता नष्ट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन गाड़ियों में सफाई और शौचालयों में पानी डालने की समस्या होगी क्योंकि ये गाड़ियां मार्ग में या टर्मिनलों पर ठहरावों की पर्याप्त अवधि के बिना तीव्रता से चलती है।

[हिन्दी]

बाजार मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति

4970. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादों के आयात से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत और विदेशों में कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति का आकलन करने हेतु किसी बाजार आकलन विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान फसलों की बुआई और कटाई के समय किसानों के समक्ष लाने वाली समस्या की ओर गया है ताकि उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (घ) सरकार ने बाजार मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है किन्तु श्री शंकर लाल गुरू की अध्यक्षता में कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण और विकास पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में देश में कृषि विपणन की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना और किसानों, निर्यातकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए बाजार आसूचना की आवश्यकता की जांच करना तथा इस संबंध में सिफारिश करना अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में सतर्कता स्कंध

4971. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका में 'भ्रष्ट और बेइमान' न्यायाधीशों पर नजर रखने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के सतर्कता स्कंध को कहा है;

(ख) क्या 17 फरवरी, 2001 को जिला न्यायाधीशों और इकाई प्रमुखों को राज्यस्तरीय परिसंवाद ने सतर्कता स्कंध से बेइमान न्यायाधीशों की गतिविधियों की जांच और उन्हें तदनुसार दांडिक करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किसी ठोस उपाय पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) उस प्रतिष्ठित व्यक्ति से जिसने ऐसे सम्प्रेक्षण किए, संबंधित ब्यौरों और जिला न्यायाधीशों के राज्य स्तरीय सम्मेलन के संपूर्ण ब्यौरों के अभाव में उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के संप्रेक्षण की यथार्थता को अभिनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं हो रहा है।

(ग) और (घ) निचले न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार की विषय-वस्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार संबद्ध उच्च न्यायालयों से संबंधित है। निष्ठावान व्यक्तियों की भर्ती/प्रोन्नति ध्यानपूर्वक की जाती है। न्यायालयों में पारदर्शिता लाने और जानकारी सहजता से प्राप्त करने के लिए उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि भ्रष्ट आचरणों में कमी आने की गुंजाइश हो सकेगी।

विदेशी एयरलाइन्सों पर बकाया देय राशि

4972. **श्री तूफानी सरोज:**
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री तिरूनावक्करसू:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी एयरलाइन्सों पर टरबाइन ईंधन के मूल्य के रूप में विभिन्न तेल कंपनियों को देय भारी धन राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को उनके बकाया का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन एयरलाइन्सों से बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी हां। ऐसा केवल मुख्य रूप से उन्हें आपूर्ति एविएशन टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ) की गैर अदायगी के कारण है। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार विदेशी एयरलाइनों द्वारा बिक्री कर की गैर अदायगी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत द्वारा विदेशों के साथ हस्ताक्षरित वायु सेवा करारों के तहत यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि संबंधित हस्ताक्षरकर्ताओं की एयरलाइनों को परस्पर आधार पर ईंधन पर सारे राष्ट्रीय शुल्कों और उद्ग्रहणों से छूट मिलेगी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे विभिन्न राज्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों को ए टी एफ की बिक्री पर बिक्री कर लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने इस तर्क पर ए टी एफ पर बिक्री कर का भुगतान करने से मना कर दिया है कि उन्हें भारत द्वारा अपने देश के साथ हस्तक्षरित वायु सेवा करारों के तहत ईंधन पर सारे राष्ट्रीय शुल्कों और उद्ग्रहणों से छूट है।

1.4.2001 से ए टी एफ के मूल्यनिर्धारण की नियंत्रणमुक्ति के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी एयरलाइनों को ए टी एफ की बिक्री पर बिक्री कर की गैर अदायगी के कारण तेल कंपनियों द्वारा उपगत कम वसूलियां तेल पूल खाते द्वारा वहन की जाएगी।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
	1	2	3	4
एरोफलोट सोवियत एयरलाइन्स	20.42	–	1.34	21.76
एयर कनाडा	–	3.04	–	3.04
एयर फ्रांस	46.34	–	–	46.34
एयर मालदीव	0.84	–	–	0.84
एयर मारीशस	0.17	5.54	–	5.71
एलिटालिया	–	38.15	–	38.15
ऑल निप्पोन एयरलाइन्स	–	4.38	–	4.38
एशियन एयरलाइन्स	–	1.98	–	1.98
आस्ट्रीन एयरलाइन्स	4.95	–	–	4.95
बेल्लवीउ एयरलाइन्स	–	0.82	–	0.82

	1	2	3	4
बीमन बंगलादेश	4.78	–	–	4.78
ब्रिटिश एयरवेज	11.48	95.99	–	107.47
कारगोलक्स	3.52	–	–	3.52
कथाय पसिफीक एयरवेज	11.21	–	–	11.21
डेल्टा एयरलाइन्स	–	0.48	21.53	22.01
डस्क एयर	–	–	–	0.00
मिश्र एयर	–	1.31	–	1.31
इल अल इजराइल	14.08	–	–	14.08
अमीराटस	–	6.39	–	6.39
गल्फ एयरवेज	4.75	4.94	–	9.69
जापान एयरलाइन्स	–	3.03	–	3.03
केनीया एयरवेज	–	1.26	6.11	7.37
केएलएम रॉयल डच	2.85	41.96	–	44.81
कोरीन एयर	–	5.01	–	5.01
कुवैत एयरवेज	16.19	–	–	16.19
किगिस्तान	0.37	–	–	0.37
लृडा एयर	0.81	–	–	0.81
लृफथानसा जर्मन एयरलाइन्स	102.22	–	–	102.22
मलेशियन एयरलाइन्स	7.76	–	–	7.76
मर्तीन एयर	–	0.01	–	0.01
मिडिल ईस्ट एयरलाइन्स	–	0.28	–	0.28
नार्थ वेस्ट एयरलाइन्स	8.75	14.78	–	23.53
ओमान एयरवेज	3.04	–	–	3.04
क्वानतस एयरवेज	3.03	–	–	3.03
रायल जार्जनिना एयरलाइन्स	11.70	–	–	11.70
सबेना	4.91	–	–	4.91
सऊदी अरब एयरलाइन्स	28.72	–	–	28.72

	1	2	3	4
एकानडिनावैन एयरलाइन्स	6.15	–	–	6.15
सिल्क एयर	0.77	–	–	0.77
सिंगापुर एयरलाइन्स	24.22	10.47	–	34.69
श्रीलंका एयरवेज	2.16	–	–	2.16
स्वीस एयर	4.01	50.15	–	54.16
सीरिया अरब एयरलाइन्स	2.19	–	–	2.19
थाई एयरवेज	5.57	0.01	–	5.58
तुर्किमिनिस्तान एयरवेज	0.74	–	–	0.74
यूनाइटेड एयरलाइन्स	6.80	–	–	6.80
यूनाइटेड पार्सल सर्विस	–	2.98	–	2.98
यूजबेकिस्तान एयरवेज	–	3.17	–	3.17
विरजीन अटलांटिक	–	2.26	–	2.26
यमनीया यमन एयरवेज	1.40	–	–	1.40
योग	366.90	298.39	28.98	694.27

निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई

4973. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य प्रसंस्सकरण के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मार्च, 1995 से फरवरी, 1999 के दौरान 16 फिल्म निर्माताओं को 45 फिल्मों के निर्माण के लिए 1.29 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी फिल्मों का निर्माण और प्रसारण किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक अनेक फिल्मों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और जिन फिल्मों का निर्माण पहले हो चुका है उनका जून, 1999 की स्थिति के अनुसार अभी तक प्रसारण नहीं हुआ है;

(घ) क्या खाद्य प्रसंसकरण के लिए जागरूकता पैदा करने का आत्यंतिक उद्देश्य उचित नियंत्रण के अभाव में विफल रहा;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जां‐ कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) शेष फिल्मों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (छ) फिल्मों के निर्माण में हुई देरी के कारणों का पता लगाने और उन्हें शीघ्र पूरा करने के वास्ते उपाय सुझाने के लिए विभाग के सचिव महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने पाया कि देरी शूटिंग की समय-सारणी को अंतिम रूप देने, शूटिंग की अनुमति देने में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की अनिच्छा, संस्थानों से तकनीकी आदान प्राप्त होने में हुई देरी

तथा उनके द्वारा फिल्मों की पूर्व समीक्षा न कर पाने के कारण हुई है। समिति द्वारा दिए सुझावों में एक यह था कि पूर्व-समीक्षा, विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराई जाए। तदनुरूप कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप विभाग कुल 45 फिल्मों में से 39 फिल्में सभी मायनों में पूरी कर सका। बाकी 6 फिल्मों में से 3 के मास्टर हिंदी में प्राप्त हुए हैं। इन फिल्मों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डब न करने के कारण निर्माता के अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है और निर्माता की देय राशि का 30% जब्त कर लिया गया है। बांगला भाषा में शेष 3 फिल्मों के मास्टर भी प्राप्त हो गए हैं।

मूल रूप में इन फिल्मों के दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दिखाने की योजना थी। लेकिन दूरदर्शन ने इन फिल्मों को वाणिज्यिक माना जिसके लिए निर्धारित दरों पर भुगतान करना अपेक्षित था। अंत में विभाग इन फिल्मों को दूरदर्शन के ज्ञान-दर्शन चैनल पर दिखाने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया है। नवम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 के दौरान करीब 30 फिल्में दिखाई जा चुकी हैं। बाकी पूरी हो गई फिल्में भी उन्हें सौंपी जा चुकी हैं और ज्ञान दर्शन के माध्यम से आने वाले महीनों में उन्हें दिखाये जाने का कार्यक्रम है। दूरदर्शन पर दिखाने के अतिरिक्त ये फिल्में मेलों, सेमिनारों और प्रदर्शनियों में भी दिखाई जाती हैं।

अत: फिल्मों के माध्यम से ग्रामीण लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का लक्ष्य कुल मिलाकर प्राप्त कर लिया गया है।

[हिन्दी]

मवेशी अनुसंधान फार्म की कमी

4974. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मवेशी अनुसंधान फार्म की कमी है और मौजूदा फार्म ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में ऐसे मवेशी फार्म कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान मौजूदा फार्मों में विकसित की गई विशेष नस्लों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कोई मवेशी अनुसंधान फार्म नहीं है। तथापि राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में कुछ मवेशियों को परीक्षण/अनुसंधान कार्यों के लिए रखा गया है।

(ख) उपुर्यक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संकर बीज

4975. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से संकर बीजों के उत्पादन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनसे सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ हेतु किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने सरकार के साथ समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यास्से नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नारियल/सुपारी का अनुसंधान

4976. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में सी.पी.सी.आर.आई. में नारियल और सुपारी जैसी विभिन्न बागान फसलों के अनुसंधान के स्तर के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) केरल में सी पी सी आर आई, कासरगोड़ में रोपण फसलों जैसे नारियल और सुपारी पर अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया गया।

(ख) नारियल और सुपारी के लिए पहचाने गए प्रबलित क्षेत्र हैं-जीन बैंक का संवर्धन, रोग व नाशीजीवों का नियंत्रण, ताड़ आधारित फसल पद्धति का विकास, अधिक उपज की किस्मों का विकास, उत्पाद विविधीकरण और उप-उत्पाद का उपयोग तथा नई प्रौद्योगिकी का समाज-आर्थिक मूल्य निर्धारण। उपज में वृद्धि तथा उत्पादकों के आर्थिक प्रतिफल में सुधार इसके प्रत्याशित लाभ हैं।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों में गिरावट

4977. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादों के उत्पादन में गिरावट की संभावना है जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2000 के 'दि स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कृषि उत्पादों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) कृषि फसलों का उत्पादन कुछ उतार चढ़ाव के साथ सामान्यतया दीर्घकालीन वृद्धिपरक प्रवृत्ति दर्शाता है। उदाहरणार्थ वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1990-91 के 176.39 मिलियन मी. टन से बढ़कर 208.87 मिलियन मी. टन हो गया।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न भागों में भविष्य में उत्पादन बढ़ाने और कृषि विकास हेतु सरकार ने राज्यों को सहायता देने हेतु परंपरागत स्कीमपरक दृष्टिकोण के बदले वृहत् प्रबंधन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता देने के लिए 27 स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम बनाई गई है, जो राज्यों द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए उन्हें लचीलापन प्रदान करती है तथा इसका लक्ष्य कृषि का समग्र विकास है।

गुजरात में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना

4978. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास हेतु संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना के महिलाओं तथा बच्चों पर केन्द्रित रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्य योजना का कोई ठोस कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेन्ट कोआर्डनेटर के कार्यालय ने यह सूचना दी है कि गुजरात भूकम्प के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अनुक्रिया है तथा संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना में महिला और बाल घटक हैं। साथ ही गुजरात के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना के भाग के रूप में गुजरात में चालू परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से बाल सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य जीविका और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्यकलाप किये जा रहे हैं। उनके अनुसार चलाये जा रहे तथा भूकंप के बाद शीघ्र ही शुरू किये गये कार्यकलाप अगले दो वर्षों के दौरान चालू रहेंगे।

गुजरात में भूकम्प

4979. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 2001 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "शन्ड बाई दि गवर्नमेंट, दीज विलेजर्स रिफ्यूज टू गिव इन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) कच्छ के इन गांवों, जहां सभी मकान, चकनाचूर हो गये हैं, 1000 लोग मर गये हैं तथा 25,000 से अधिक लोग बेघर हो गये हैं, को आपदा राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने भूकम्प की स्थिति में आवश्यक राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 1000 करोड़ रुपये की निधियां निर्मुक्त की हैं। स्थल पर राहत का वितरण राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और उन्होंने प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण पैकेज तैयार किया है।

मात्स्यिकी डेयरी क्षेत्र के जरिये नियोजन

4980. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में मात्स्यिकी तथा डेयरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में इस संबंध में राज्यवार क्या संभावना तलाश की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) नौवीं योजना में उड़ीसा के लिए क्या कार्यक्रम, यदि कोई है, तैयार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी, हां।

मात्स्यिकी

समुद्री तटवर्ती कैप्चर मात्स्यिकी को समुद्र तटीय राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में रोजगार सृजन के लिए अच्छी संभावना वाला पाया गया है। तद्नुसार इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पारम्परिक यानों के मोटरीकरण हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मोटरीकरण के लिए 19281 पारम्परिक यानों को स्वीकृत किया गया था। गहरे समुद्री मत्स्यन क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचलन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) अपने तीन केन्द्रों पर अखिल भारतीय आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दे रहा है। खारा जल जलकृषि में 21,837 किसान प्रशिक्षित किये गये थे जबकि ताजा जल जलकृषि में अब तक 634108 किसान प्रशिक्षित किये गये हैं। अभिज्ञात संभावनाओं तथा मात्स्यिकी क्षेत्र में उक्त योजनाओं के परिणाम का राज्यवार ब्यौरा विवरण I, II, III में दिया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में मात्स्यिकी क्षेत्र में समुद्री कैप्चर मात्स्यिकी, खारा जल जलकृषि तथा ताजा जल जलकृषि के विकास के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य प्लान योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। तटवर्ती समुद्री क्षेत्र में नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 640 परम्परागत यानों को मोटरीकरण के लिए स्वीकृत किया गया था, गहरे समुद्री मत्स्यन में सिफनेट में 11 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया था, 5448 कृषक ताजा जल जलकृषि में प्रशिक्षित किये गये थे तथा 3909 कृषक खारा जल जलकृषि में प्रशिक्षित किये गये थे।

डेयरी

ऑपरेशन फ्लड की चालू डेयरी विकास योजना के अतिरिक्त भारत सरकार ने 8वीं योजनावधि के दौरान गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 8वीं योजना के अंत तक 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 3.12 लाख कृषक सदस्यता के साथ 3970 डेयरी सहकारी समितियां आयोजित की गई थीं। लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण IV में दिया गया है।

1993-94 से उड़ीसा राज्य में भी एकीकृत डेयरी विकास परियोजना क्रियान्वयनाधीन है तथा यह 9वीं योजना में जारी है। उस राज्य में अब तक 2480.58 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार भिन्न-भिन्न योजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार को अब तक 1462.64 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। 60910 कृषक सदस्यता के साथ 1039 डेयरी सहकारी समितियां आयोजित करने के कुल लक्ष्य में से सितम्बर, 2000 तक 31200 कृषक सदस्यता के साथ 484 डेयरी सहकारी समितियां आयोजित की गई हैं।

विवरण I

पारम्परिक यानों के मोटरीकरण के जरिए समुद्रीय मात्स्यिकी का विकास

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आठवीं योजना (1992-97)	मोटरीकरण के लिए स्वीकृत यानों की संख्या		
			1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,700	500	300	500
2.	गुजरात	200	–	–	130
3.	गोवा	400	100	110	42

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक	477	200	210	120
5.	केरल	2,600	500	–	–
6.	महाराष्ट्र	229	–	–	–
7.	उड़ीसा	1,900	140	–	500
8.	तमिलनाडु	11,500	–	–	–
9.	पांडिचेरी	200	–	120	–
10.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	75	72	–	70
		19,281	1,512	740	1,362

विवरण II

1999-2000 में शुरुआत से खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बीएफडीए की संख्या	कवर जल क्षेत्र	प्रशिक्षित मत्स्य पालक (संख्या)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6	847	1854	1181
2.	गोवा	1	161	167	167
3.	गुजरात	3	1674	367	658
4.	कर्नाटक	2	930	2012	439
5.	केरल	7	1077	2217	1069
6.	महाराष्ट्र	4	570	1515	213
7.	उड़ीसा	7	12533	3972	9003
8.	तमिलनाडु	5	1679	258	1097
9.	पश्चिम बंगाल	3	3386	9475	4044
10.	अंड. व नि. द्वीपसमूह	1	–	–	–
	कुल	39	22,857	21,837	17,871

विवरण III

1999-2000 में शुरुआत से मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एफएफडीए की संख्या	कवर जल क्षेत्र	प्रशिक्षित मत्स्य पालक	लाभार्थियों की संख्या	औसत उत्पादकता
1.	आंध्र प्रदेश	22	4120	11927	5805	3500
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	661	3100	4003	1200
3.	असम	23	3694	20118	11433	1870
4.	बिहार	49	24729	24769	26574	2175
5.	गोवा	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	17	49270	17970	15341	1244
7.	हरियाणा	16	9668	12221	12594	3052
8.	हिमाचल प्रदेश	2	373	3564	1662	2200
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	5673	6034	2878	2530
10.	कर्नाटक	18	38846	11988	8493	1429
11.	केरल	14	17267	23347	59278	2500
12.	मध्य प्रदेश	45	76180	35162	79374	1739
13.	महाराष्ट्र	29	22547	13383	60030	1749
14.	मणिपुर	8	2275	3874	7292	2400
15.	मेघालय	2	513	1308	1308	1500
16.	मिजोरम	5	444	1516	1530	2000
17.	नागालैंड	8	2398	3671	14606	1800
18.	उड़ीसा	30	33215	46654	122162	2059
19.	पंजाब	17	14110	17130	13745	4734
20.	राजस्थान	15	3164	9405	2710	2053
21.	सिक्किम	1	21	1031	1322	3000
22.	तमिलनाडु	17	16080	7620	13511	1768
23.	त्रिपुरा	4	4369	73175	20936	2300
24.	उत्तर प्रदेश	56	93683	93640	91719	2350
25.	पश्चिम बंगाल	18	107712	196820	354695	2950
26.	पांडचेरी	1	217	681	926	1475
	कुल	422	5,31,229	6,34,108	9,33,927	2225.7

विवरण IV

31.3.1997 तक आईडीडीपी की वास्तविक प्रगति

राज्य	परियोजना की स्वीकृति की तारीख	आयोजित डी सी एस			कृषक सदस्य (000 में)		
		ईओपी लक्ष्य	वास्तविक 31.3.96	31.3.97 को	ईओपी लक्ष्य	वास्तविक 31.3.96	31.3.97 को
1	2	3	4	5	6	7	8
अंड. व नि. द्वीपसमूह	1995-96	15	–	8	1.30	–	0.24
आंध्र प्रदेश	1995-96	–	40	155	20.92	1.62	5.86
अरुणाचल प्रदेश	1993-94	50	10	22	1.55	0.30	0.56
असम	1994-95	414	182	182	29.79	12.17	12.17
बिहार-1	1994-95	100	40	54	3.48	1.20	2.51
बिहार-2	1995-96	800	–	140	28.00	–	–
गुजरात	1993-94	240	180	235	19.20	10.39	19.39
हरियाणा	1995-96	75	–	23	2.25	–	0.37
जे एंड के-जम्मू	1995-96	145	–	0	10.83	–	0.00
जे एंड के-कश्मीर	1995-96	372	–	0	22.40	–	0.00
म.प्र. 1, 2 तथा 3	1993-94	260	158	181	12.18	5.14	6.07
मध्य प्रदेश-4	1995-96	356	–	195	15.29	–	7.00
महाराष्ट्र	1995-96	714	–	452	89.50	–	49.70
मणिपुर	1993-94	60	30	30	3.25	1.00	1.00
मेघालय	1994-95	36	25	36	2.01	1.15	1.66
मिजोरम-1	1993-94	26	26	26	3.64	3.32	3.60
मिजोरम-2	1995-96	20	–	20	1.39	–	0.52
नागालैंड	1993-94	80	25	50	3.07	0.90	1.58
उड़ीसा-1	1993-94	225	245	247	15.00	9.20	14.72
उड़ीसा-2	1994-95	150	109	150	18.00	10.00	14.00
सिक्किम 1 एवं 2	1993-94	155	46	156	6.52	4.63	1.03
तमिलनाडु	1995-96	489	477	535	138.10	126.69	126.70

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा-1	1993-94	100	56	64	8.01	4.48	4.74
त्रिपुरा-2	1994-95	30	15	20	4.48	0.38	0.64
उ.प्र. 1, 2 एवं 3	1993-94	1000	588	876	33.90	20.10	31.29
प. बंगाल	1994-95	240	71	113	18.00	2.60	6.63
कुल		6152	2323	3970	512.06	215.26	311.98

लक्ष्य तथा उपलब्धि में परियोजना जिलों/क्षेत्रों की मौजूदा संरचना शामिल है।
ईओपी परियोजना का अंत
डीसीएस डेयरी सहकारी समितियां

लवणता प्रवेश

4981. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में तटवर्ती भूमि का एक बड़ा भाग लवणता प्रवेश के बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा तथा अन्य तटीय राज्यों में उसका अनुमानित क्षेत्र कितना है; और

(ग) उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के तटीय क्षेत्रों में लवणता प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) देश में तटीय लवणीयता की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यापक और विस्तृत सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है किन्तु अनुमान है कि देश में लगभग 17.09 लाख है. क्षेत्र तटीय लवणता से प्रभावित है, जिसमें से उड़ीसा में 2.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है। तटीय लवणता से ग्रस्त राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल ने अपने क्षेत्रीय केन्द्र, कैनिंग टाउन, पश्चिम बंगाल और जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर के साथ मिलकर उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं तथा उड़ीसा और अन्य राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में लवण प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए उपचारात्मक और निवारक उपाय किए हैं। इन उपायों में जल संरक्षण मृदा सुधार और लवण सह्य फसल और किस्में अपनाना शामिल है।

विवरण

देश में राज्यवार तटीय लवणता दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

राज्य का नाम	तटीय लवणीय भूमि
1. आंध्र प्रदेश	0.71
2. गुजरात	3.01
3. कर्नाटक	0.05
4. केरल	0.66
5. महाराष्ट्र	0.24
6. उड़ीसा	2.54
7. तमिलनाडु	1.67
8. पश्चिम बंगाल	8.20
कुल	17.09

बागवानी का विकास

4982. **डा. वी. सरोजा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का वर्षा सिंचित तथा सिंचाई सिंचित बागवानी, पुष्प खेती प्रकन्दों तथा ट्यूनिंग इत्यादि के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। सरकार कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि में वृहत प्रबंधन राज्यों के प्रयासों में सहयोग/सहायता पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्षा सिंचित और सिंचित क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा दे रही है। इस स्कीम के अधीन कन्द और मूल फसलों सहित फलों और सब्जियों जैसी सभी बागवानी फसलों जैसे खुंभी, औषधीय और सुगंधित पौधे, पुष्पकृषि, काजू और मसाले शामिल हैं, को विकास के लिए कवर किया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

फसल की नई किस्में

4983. श्री एम. चिन्नासामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी को अपनाने से उच्च पोषण वाली फसलों विशेषरूप से खाद्य फसलों की नई किस्में विकसित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बेहतर पोषण गुणों वाली नई फसल किस्मों का विकास करना एक प्राथमिक अनुसंधान का क्षेत्र है। प्रचुर विटामिन ए तथा लौह वाली धान की किस्मों, गुणवर्धित उत्पादों के लिए उपयुक्त गेहूं की किस्मों और उच्च पोषक गुणवत्ता वाले चने की किस्मों में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए सुधार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिट्टी की उर्वरता में कमी

4984. श्री रामशकल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण तथा देश में फसलों की बर्बादी के कारण खाद्यान्नों की वार्षिक हानि की वजह से मिट्टी की उर्वरता में आई गिरावट के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों में सबसे अधिक खाद्यान्नों की बर्बादी का पता चला है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अंतर्गत ''दीर्घावधि उर्वरक परीक्षणों'' पर पिछले कुछ दशकों के अध्ययन दर्शाते हैं कि यदि सिर्फ नाइट्रोजनीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो फसल की पैदावार में गिरावट आ सकती है तथा इसका मृदा की दीर्घावधि उपजाऊ शक्ति पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो, सरकार मृदा परीक्षणों पर आधारित उर्वरकों के इस्तेमाल करने का प्रचार करती है।

मृदा प्रदूषण के कारण फसल की पैदावार में क्षति को दर्शाने के लिए कोई मात्रात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने एवं रसायन उर्वरकों के एकमात्र इस्तेमाल को कम करने के लिए सरकार वनस्पति खाद, गोबर की खाद (एफ.वाई.एम.), हरी खाद तथा जैव उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल का समर्थन करती है।

[अनुवाद]

''आयल पॉम सीड'' बागान

4985. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में किन स्थानों पर ''आयल पॉम सीड'' बागान लगाये जा रहे हैं;

(ख) इन बागानों में कब तक कार्य हो जायेगा; और

(ग) इन बागानों की कितनी उपयोगिता होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) श्रीमान, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर तीन ऑयल पॉम बीज बागान बनाये गये हैं:

(1) राजमुन्दरी, पूर्वी गोदावरी जिला

(2) पेडावेगी, पश्चिमी गोदावरी जिला

(3) लक्ष्मीपुरम, पश्चिमी गोदावरी जिला

(ख) राजमुन्दरी बीज बागान में संकर बीजों का वास्तविक उत्पादन वर्ष 2001 से शुरू हो जाएगा। पेडावेगी बीज बागान हाल ही में स्थापित किया गया है तथा बीज उत्पादन वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ हो जाएगा। लक्ष्मीपुरम बीज बागान में संकर बीजों का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

(ग) बीज बागानों से ऑयल पॉम बीजों/अंकुरों के आयात को रोकने में मदद मिली है। इस समय वे देश में ऑयल पॉम बीजों/अंकुरों की मांग की पूर्ति करने में सक्षम हैं।

टमाटर और बंदगोभी उत्पादक

4986. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के टमाटर तथा बंदगोभी उत्पादक लोगों ने अपने उत्पाद कम मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इन सब्जियों की कीमतों में केन्द्र द्वारा किसानों को उस बाजार के भ्रम से बचाने के बावजूद जिसने कर्नाटक में मक्का तथा अन्य खाद्यान्न उगाने वालों को संकट के भंवर में धकेल दिया है, भारी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इन किसानों की परेशानी कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) कर्नाटक में जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2001 में टमाटर एवं पत्तागोभी की कीमतों में गिरावट आई और अप्रैल, 2001 से इसमें वृद्धि का रुख देखा गया है।

(ग) किसानों की समस्याओं के दीर्घावधिक समाधान के रूप में सरकार उक्त राज्य में पांच एग्रो फूड पार्कों की स्थापना कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बंगलौर में अंतिम मण्डी काम्पलैक्स की स्थापना की जा रही है और राज्य के अन्य भागों में फलों व सब्जियों के विपणन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बागवानी जिन्सों के मूल्य आर्थिक स्तरों से नीचे गिर जाने पर संबंधित राज्य सरकारों के औपचारिक अनुरोध के आधार पर उक्त जिन्सों की खरीद हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें खरीद प्रक्रिया की 50% हानि, यदि कोई हो, संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

बागवानी का उत्पादन

4987. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बागवानी पादप के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र पर खेती होती है;

(ख) सरकार का किस प्रकार बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है; ताकि कृषक समुदाय की आय बढ़ाई जा सके;

(ग) क्या फलों की बेहतर किस्में विकसित करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) देश में वर्ष 1998-99 के दौरान बागवानी के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 15.01 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) सरकार द्वारा नर्सरियों, ट्रिशू-कल्चर यूनिटों के माध्यम से गुणवत्ता रोपण सामग्री प्रदान करने, पुराने तथा जर्जर रोपणों में सुधार, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार, उच्च प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप जैसे टपका सिंचाई, पादप घर, प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग के अलावा फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु परागण एजेन्टों के रूप में मधुमक्खियों के प्रयोग के माध्यम से बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारें विभिन्न बागवानी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वृहद प्रबंध पद्धति के अंतर्गत इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन को भी मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फलों की अनेक उत्कृष्ट किस्में जारी की गई हैं। कुछ फलों की जारी की गई महत्वपूर्ण किस्में निम्नवत हैं:

1.	आम:	आम्रपाली, मल्लिका, अर्क अरूणा, अर्क पुनीत, अर्क अनमोल, रत्ना, सिन्धु, दशहरी-51
2.	केला:	सी.ओ.-2, एच.-1, एच.-2

3.	अमरूद:	अर्क अमूल्य, अर्क मृदुला, ललित
4.	अंगूर:	अर्कावती, अर्क नीलमणि, अर्क श्वेता
5.	पपीता:	सी.ओ.-1-6, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा, पूसा जायन्ट, कूर्ग हनी ड्यू, सूर्य
6.	एसीड लाइम:	प्रमालिनी, विक्रम, पी.एल.एम.-1, सांई सर्वती
7.	अनार:	गणनेश, ज्योति, रूबी, अमलीदाना
8.	आंवला:	एन.ए.-6, एन.ए.-7
9.	लीची:	स्वर्णरूपा, सबूर मधु
10.	सपोटा:	पी.के.एम.-2
11.	कस्टर्ड एप्पल:	अरका साहन
12.	सेब :	लाल अम्बरी, सुनहरी, अम्ब्रेड, अम्बरीच।

(ङ) और (च) सरकार किसानों के प्रशिक्षण तथा फसल उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबंध आदि के संबंध में नवीनतम विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन दौरों के आयोजन के लिए सहायता दे रही है।

दिल्ली और मुंबई में पाइपलाइन से गैस

4988. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और मुंबई के घरों में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति करने के लिए की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को कार्यान्वित करने में धीमी प्रगति हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र के अन्य भागों में भी पाइपलाइन से गैस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। दिल्ली में, मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो शहर में शहर गैस वितरण परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है, ने 16 बस्तियों में फैले 4086 परिवारों को पहले ही गैस के कनेक्शनों से जोड़ दिया है। इसी प्रकार, मुंबई में मैसर्स महानगर गैस लिमिटेड ने शहर के विभिन्न भागों में 55,000 से अधिक परिवारों को जोड़ दिया है।

(घ) जी, नहीं। महाराष्ट्र के अन्य भागों में घरेलू परिवारों के लिए पाइप द्वारा गैस की आपूर्ति करने का महानगर गैस लिमिटेड का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चेम्बूर-ट्राम्बे महाराष्ट्र में एलएनजी टर्मिनल

4989. श्री किरीट सोमैया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में चेम्बूर-ट्राम्बे में एक एल एन जी टर्मिनल टाटा समूह तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या चेम्बूर और ट्राम्बे के स्थानीय निकासी इस क्षेत्र में इस संयंत्र को स्थापित करने के विरुद्ध लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके असंतोष का क्या कारण है;

(ङ) क्या ऐसे संयंत्र अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में खतरनाक सिद्ध होते हैं;

(च) क्या सरकार का विचार चेम्बूर और ट्राम्बे के निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। मैसर्स टोटलफिना एल्फ ऑफ फ्रांस की एक सहायक कंपनी मैसर्स टोटल गैस एंड पावर इंडिया तृतीय संयुक्त उद्यम भागीदार है।

(ख) इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) टर्मिनल की स्थापना करना शामिल है और इसके 2005 की अंतावधि के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है। भविष्य में क्षमता को दोगुना करने की योजनाएं हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना की जनसुनवाई नवंबर, 2000 में पूरी हो गई थी और उसके बाद ही राज्य सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिफारिश की है।

(ङ) प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनल के डिजाइन में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं और विश्व में अन्य घनी आबादी वाले शहरों में इस प्रकार के संयंत्र हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। चूंकि सुरक्षा जरूरतो को ध्यान में रखा गया है इसलिए प्रस्तावित एल एन जी टर्मिनल का स्थान परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है।

कृषि संबंधी वस्तुओं का आयात

4990. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान लेखा परीक्षा ने उन आयातकों से 80.43 लाख रुपये की राशि की वसूली न कर पाने का खुलासा किया है जिन्हें अक्तूबर, 1989 से अप्रैल, 1992 के दौरान कृषि वस्तुओं के आयात पर जांच शुल्क के लिए इस राशि का भुगतान करना था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आयातकों से अब इसकी वसूली करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस राशि की वसूली करने में असफलता और अपने कर्तव्यों के पालन में शिथिलता बरतने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पादप और पादप सामग्री के आयात को डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट्स एण्ड पेस्टस एक्ट, 1914 (डी.आई.पी.एक्ट) के अंतर्गत जारी पादप, फल एवं बीज (भारत में आयात विनियमन) आदेश 1989 (पी.एफ.एस. आर्डर) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। प्रधान पी.एफ.एस. आर्डर में पादप/पादप सामग्री की खेप का निरीक्षण/उपचार के लिए इन पर शुल्क लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि उक्त शुल्क लगाये जाने को विभिन्न न्यायालयों में आयातकर्त्ताओं द्वारा चुनौती दी गयी है और ऐसे मामले में समय-समय पर कतिपय अंतरिम आदेश जारी किये गये। माननीय कोलकोत्ता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.6.2000 को दिये गये फैसले में पादप रंगरोधन पर लगाये जाने वाले शुल्क को इस आधार पर आधिकारातीत करार दिया है कि डी.आई.पी.एक्ट में इस बावत कोई प्रावधान नहीं है। अत: 25.1.1992 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह डी.आई.पी. अधिनियम में संशोधन करके भूतलक्षीय प्रभाव से पादप संगरोधन हेतु शुल्क लगा सकती है। राष्ट्रपति के आदेश की संसद ने 31.3.1992 को अभिपुष्टि कर दिया था। इन विशिष्ट परिस्थितियों में शुल्क की बकाया राशि को संग्रहीत किया गया है। आयातकों से शुल्क वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। हालांकि कानूनी अड़चन आ जाने के कारण, पी.एफ.एस. आर्डर के अंतर्गत डी.आई.पी. एक्ट में बकाया राशि को वसूलने से संबंधित कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण, ऐसे प्रयास का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के साथ परामर्श करके उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि कस्टम्स एक्ट, 1962 के अंतर्गत शुल्क के बकाया राशि की वसूली की जा सके। 80.43 लाख रुपये में से 31.3.2001 तक 18.10 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

सोयाबीन की खरीद

4991. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफेड ने सोयाबीन की खरीद के लिए ए.पी. आयलफील्ड्स को अपना एजेंट तथा गिरिजन कापरेटिव कारपोरेशन को अपना उप-एजेंट नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एजेंट तथा उप-एजेंट नियुक्त करने की इस प्रक्रिया से किसानों को अपने उत्पादों का भुगतान प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने अनुसूचित क्षेत्रों में सोयाबीन की खरीद के लिए "ट्राइफेड" को केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए तथा किसानों को उनके उत्पादों का समय पर भुगतान कराने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी हां। आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत सोयाबीन की खरीद के लिए, नैफेड गिरिजन सहकारी विकास निगम जो ट्राईफेड का निर्वाचित सदस्य है, की सेवा का उपयोग कर रहा है। यह व्यवस्था भली प्रकार काम कर रही है पी.एस.एस. के अंतर्गत दो समानान्तर अभिकरणों का नामांकन संचालन तथा समन्वय में समस्यायें पैदा करेगा, जिसमें किसानों का हित में बचा जाना है।

नैफेड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संस्वीकृत नकद साख सीमा के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक से निधियां आहरित करता है तथा किसानों को भुगतान करने हेतु पी.एस.एस. के अंतर्गत खरीदी गई सामग्री को बैंक के पास बंधक रखता है।

ट्रेनों में लूटपाट की घटनाएं

4992. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 फरवरी, 2001 को आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम के निकट एक ट्रेन को रोककर उसमें लूटपाट की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे उक्त घटनाओं को रोकने के लिए निवारात्मक उपाय करने में असमर्थ है;

(घ) क्या ट्रेन में इस तरह की निष्क्रियता के लिए उत्तरदायी लापरवाह रेलवे अधिकारियों का पता लगाने के लिए छानबीन की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) 28.2.2001/1.3.2001 की रात को 23.33 बजे नरसीपटनम रोड-गुल्लीपडू रेलवे स्टेशनों के बीच कि.मी. सं. 695/19 पर कोणार्क एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 1020 के सवारी डिब्बा एस-5 में शायिका सं. 49 के अधिभोगी पडेरू के श्री के.वी.राव की पत्नी की सोने की चेन की चोरी के मामले की रिपोर्ट की गयी है। इस संबंध में, तुनी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत अपराध सं. 17/2001 के तहत मामला दर्ज किया है।

(ग) जी नहीं। सभी निवारक उपायों में राजकीय रेल पुलिस की मदद ली जा रही है।

(घ) से (च) इस संबंध में रेल अधिकारियों की ओर से लापरवाही के संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाएं

4993. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च हुआ है और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों की मौजूदा स्थिति उनकी प्रत्याशित लागत, मार्च 2001 तक किया जाने वाला प्रत्याशित खर्च, 2001-02 के लिए परिव्यय और लक्ष्य जहां निर्धारित है, विवरण-I में दिए गए हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन प्रत्याशित लागत	2000-01 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय	2001-02 के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र में चालू रेल परियोजनाएं				
	नई लाइन				
1.	अमरावती-नरखेड	175.30	39.58	8.00	72 गांवों में से 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। 27 में से 18 खंडों के लिए मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य आरम्भ किया गया है और कार्य प्रगति पर है। 9 बड़े पुलों के लिए ठेके दिये जा चुके हैं। अमरावती स्टेशन इमारत का निर्माण कार्य पूरा होने के निकट है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति की जा रही है।
2.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	353.08	3.46	3.00	अहमदनगर छोर से 15 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात कार्य में प्रगति होगी। बीड में स्टेशन इमारत का कार्य प्रगति पर है।
3.	पणवेल-करजत (चरण-1) विद्युतीकृत लाइन	106.90	34.38	14.00	10.64 हेक्टेयर वन भूमि को छोड़कर शेष सभी भूमि का अधिग्रहण हो गया है। वन भूमि के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पर है। 9 में से 7 खंडों पर मिट्टी संबंधी कार्य अच्छी प्रगति पर है जहां 79% प्रगति की जा चुकी है। 9 बड़े पुलों में से 2 और 39 छोटे पुलों में से 19 का कार्य पूरा हो गया है। 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य में प्रगति होगी।
4.	बारामती-लोनद	75.00	0.10	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है और शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तथा दस्तावेज की तैयारी आरंभ की जाएगी।
5.	पुंताम्बा-शिरडी	32.0	1.00	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
	आमान परिवर्तन				
6.	मिरज-लातूर	329.02	105.30	20.00	कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण में कुर्डूवाडी से पंडारपुर तक (52 किमी) कार्य पूरा हो गया है। इस खंड में अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं। लातूर रोड-लातूर (42 कि.मी.) पर मिट्टी और बड़े व छोटे पुलों संबंधी कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी संग्रहण पूरा होने के निकट है। कुर्डूवाडी-लातूर (143 कि.मी.) के बीच कुर्डवाडि और येदसी (113 कि.मी.) खंड पर कार्य प्रगति पर है। ओसमानाबाद मार्ग परिवर्तन (30 किलोमीटर) पर कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है। मिरज-पंडारपुर (137 कि.मी.) चरण 4 पर कार्य परियोजना के अंतिम चरण के रूप में शुरू किया जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य में प्रगति होगी।
7.	मुदखेड़-अदिलाबाद	170.51	37.60	20.00	यह कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है। वित्तीय समस्याओं के कारण एजेंसी इस कार्य की हाल में प्रगति कर पाने में समर्थ नहीं हो पाई है। धन उपलब्ध हो जाने के मामले में यह परियोजना 18 माह के समय में पूरा हो जाने की संभावना है।
8.	सोलापुर-गदग	265.77	130.04	10.00	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर-होटगी और होटगी से बीजापुर का कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग तक शेष खण्ड पर कार्य प्रगति पर है जो आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से कर्नाटक सरकार के साथ इस परियोजना में वित्तीय भागीदारी का प्रयास किया जा रहा है।
9.	सिकंदराबाद-मुंदखेड़ एवं जनकमपेट-बोधान	287.83	35.00	19.87	मूदखेड़-निजामाबाद (96 कि.मी.) तक प्रथम चरण में कार्य आरंभ किया गया है। 2,34,000 घन मीटर गिट्टी में से 1,50,650 घन मीटर गिट्टी की आपूर्ति स्थल पर इकट्ठी हो चुकी है। मुदखेड़-निजामाबाद में सात पहुंच मार्गों में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और शेष 13 पहुंच मार्गों में प्रगति पर है। शेष खंडों में कार्य आरंभ किया गया है। इसे शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से आंशिक कार्य के लिए निजी वित्त पोषण प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
10.	अकोला-पूर्णा	228.00	10.00	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। पूर्णा से हिंगोली (95 कि.मी.) तक पहले खण्ड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं

1	2	3	4	5	6
11.	गोंदिया-चांदाफोर्ट दोहरीकरण	242.82	243.32	0.10	यह कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन के लिए निधियां अपेक्षित हैं।
12.	दौंड-बिगवान	45.50	40.00	5.00	यह कार्य अच्छी प्रगति पर है जहां मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य पूरा हो गया है तथा संपर्क संबंधी कार्य प्रगति पर है और 2001-02 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
13.	दिवा-वसई	142.00	120.71	20.00	चरण 1 में वसई रोड से कामन तक 11 कि.मी. यातायात के लिए खोल दिया गया है और कामन से भिवंडी तक 17 कि.मी. तक कार्य पूरा हो गया है। भिवंडी से दिवा तक कार्य प्रगति पर है जहां मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य आरंभ किया गया है यह कार्य 2001-02 के दौरान पूरा हो जाएगा।
14.	पणवेल-रोहा-भूमि अधिग्रहण	4.10	3.10	0.10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।
15.	दिवा कल्याण 5-6 लाइन का दोहरीकरण	49.00	7.00	13.00	दिवा-डोम्बीविली और डोम्बीविली-कल्याण में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ किये जा रहे हैं। नक्शों का अनुमोदन किया जा रहा है।
16.	पणवेल-जसई-जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट (जेएनपीटी)	48.00	1.00	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। विस्तृत योजना पर कार्रवाई आरंभ की गई है।
	महानगर परिवहन परियोजना				
17.	कुर्ला-थाणे पांचवीं और छठी लाइन (चरण-1)	95.00	59.76	10.00	मिट्टी संबंधी, गिट्टियों की आपूर्ति, रेलपथ संपर्क, बड़े पुल, फाउंडेशन और शिरोपरि उपस्कर संरचना लगाने का कार्य और अन्य कार्य खंडों पर प्रगति पर है जहां अतिक्रमण नहीं है।
18.	ठाणे-तुर्भे-नेरुल/वाशी, नवी मुम्बई में गलियारा सं. 1 का भाग	131.47	83.14	10.00	दूसरी लाइन के लिए सिविल कार्य पूरा होने के निकट है। विद्युतीकरण और सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण में विलंब, कार्य की प्रगति को प्रभावित कर रहा है।
19.	बेलापुर-पणवेल दोहरीकरण	92.50	82.38	8.00	14.4.2000 को दोहरी लाइन दैनिक यात्री यातायात के लिए खोल दी गई है। सिडको द्वारा निष्पादित किया जाने वाला शेष कार्य प्रगति पर है।
20.	बेलापुर-सीवुड-उरान विद्युतीकृत लाइन	164.39	20.99	21.40	पणवेल क्रीक में महत्वपूर्ण पुल, छोटे पुलों का निर्माण, सीवुड में भूमिगत रास्ते और सनपाड़ा में कारशेड में कार्य प्रगति पर हैं। सिडको के आड़े आ रही वित्तीय तंगी के कारण यह कार्य 2 चरणों में विभाजित किया गया है प्रथम चरण के अंतर्गत इस खंड में इकहरी लाइन बिछाई जाएगी।

1	2	3	4	5	6
21.	कुर्ला-ठाणे पांचवीं एवं छठी लाइन (भांडुप से ठाणे) चरण 2	56.79	20.24	10.00	भांडुप-मुलुंद और मुलुंद-ठाणे खंड में मिट्टी संबंधी कार्य, गिट्टी आपूर्ति, पुलों, पांचवीं एवं छठी लाइन के आड़े आने वाली 22 केवी एरियल फीडर को भूमिगत केबल से बदलने का कार्य प्रगति पर है।
22.	ठाणे-मुब्रा पांचवीं एवं छठी लाइन	49.34	0.09	7.00	कार्य को बजट 2000-01 में शामिल किया गया है बशर्ते कि स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएं। योजना आयोग के मूल्यांकन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट उनके प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
23.	बोरीविली और विरार के बीच चौधरीकरण	401.66	64.56	40.00	मिट्टी, बड़े और छोटे पुलों, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा क्वार्टरों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
24.	सांताक्रूज-बोरीविली 5वीं लाइन	87.89	82.42	5.00	सभी छोटे और बड़े पुलों का कार्य पूरा हो गया है। अतिक्रमण हटाने में विलंब के कारण कतिपय स्थलों पर कार्य रुका हुआ था, उसे पुनः शुरु कर दिया गया है। बोरीविली-अंधेरी खंड यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है।
25.	विरार-दहानू रोड स्वचल सिगनल प्रणाली व्यवस्था	39.19	14.65	17.50	सिगनल संबंधी कार्य पूरा हो गया है। आनुषंगिक कार्य प्रगति पर है।
26.	विरार-दहानू रोड-ईएमयू आरंभ करने के लिए सुविधाओं का विकास एवं दहानू रोड में टर्मिनल सुविधाएं	25.82	0.01	0.10	यह कार्य 2000-01 के बजट में शामिल किया गया है बशर्ते कि आवश्यक स्वीकृतियां मिल जाएं। स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
	रेलवे विद्युतीकरण				
27.	उधना-जलगांव	138.13	59.16	15.31	कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2003 रखा गया है।

विवरण 2

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	रोटेगांव-पुनथांबा	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
2.	वारधा-पुसाड-नांदेड	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
3.	सोलापुर-तुल्जापुर-ओसमानाबाद	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
4.	चिंचवाड़ और रोहा	नई लाईन	अभी आरंभ नहीं किया गया है।
5.	शिरपुर-महो	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

1	2	3	4
6.	पुणे-नासिक	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
7.	खंडवा से नरदाना बरास्ता खारगोन, सेंधवा	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
8.	जलना-खेमगांव	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
9.	पुलगांव-अरबी आमान परिवर्तन, अमला तक विस्तार सहित	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
10.	पुणे-लोणला चौहरीकरण	दोहरीकरण	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
11.	दौंड-मनमाड	दोहरीकरण	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
12.	कल्याण-कासरा तीसरी लाइन	दोहरीकरण	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
13.	दौंड-बिगवान-गुलबर्गा	दोहरीकरण	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
14.	उमरेर से नागपुर बरास्ता खापेरखेडा और कोरडी	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
15.	रामटेक से गोटेगांव बरास्ता खवासा, सियौनी और दुमा	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
16.	उमरेर से नागबीर	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
17.	छिंदवाड़ा-नैनपुर	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
18.	नागबीर से नागपुर	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
19.	छिंदवाड़ा-नागपुर	आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
20.	मुम्बई सेंट्रल-बोरीवली	दोहरीकरण	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
21.	दहानू रोड-नासिक रोड	नई लाइन	सर्वेक्षण प्रगति पर है।

[अनुवाद]

सिंचाई योग्य और सिंचाई के अयोग्य भूमि की हदबंदी

4994. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई योग्य और सिंचाई के अयोग्य भूमि की हदबंदी क्रमश: 12 एवं 19 एकड़ है और सहकारिता कृषि समितियों जिनमें से ज्यादातर का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है और फर्जी हैं, द्वारा धारित की गई भूमि पर कोई हदबंदी लागू नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी सहकारिता कृषि समितियों की पहचान किये जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन पर समान रूप से हदबंदी अधिनियम लागू किये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) चूंकि भूमि राज्य का विषय है, भू-जोत परिसीमन उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) सहित राज्य सरकारों में लागू भूमि परिसीमन अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उ.प्र. में भूमि परिसीमन समय-समय पर संशोधित उ.प्र. भूमि परिसीमन अधिनियम, 1960 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

सहकारी कृषि समितियों के संबंध में भूमि परिसीमन सहकारिता गठित करने वाले व्यक्तिगत परिवारों को स्वीकार्य कुल भूमि की सीमा तक लागू है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश शासन ने अगस्त, 2000 में फर्जी समितियों के अभिज्ञान तथा उनके परिसमापन के आदेश जारी किये थे।

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादन

4995. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रतिवेदन में उल्लिखित "पर्यावरण को हो रहे नुकसान से खाद्य उत्पादन घटने का खतरा" की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में आई कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन की कमी को रोकने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य अनुसंधान तथा विकास एजेंसियों द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। कुछेक महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार से है:

(1) जलाक्रान्त, लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित, वैधीकृत तथा प्रदर्शित की गई है। अब इसे राज्य एजेंसियों और प्रभावित किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है।

(2) जल कारगर फसल प्रणालियों तथा उपयोग संबंधी प्रणालियों को विकसित किया गया है तथा उसे जल संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए सी.ए.डी.ए.एस. द्वारा अपनाया जा रहा है।

(3) बारानी क्षेत्रों, क्षारीय मृदाओं के सुधार, झूम खेती तथा रेत के टीबों के स्थिरीकरण में जलसंभर के विकास के लिए पूर्ण रूप से केन्द्रित तथा लक्षित विकास योजनाएं शुरू की गई है।

(4) मृदाओं के रासायनिक अपघटन को रोकने तथा कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए उपयुक्त मृदा संशोधन तथा समेकित पौध पोषण प्रणालियां विकसित की गई हैं।

(5) विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, वनरोपण तथा कार्बन डाइआक्साइड एवं कृषि उत्पादकता पर मिथेन उत्सर्जन के प्रभाव के अध्ययन के लिए अध्ययन भी शुरू किये गये हैं।

[अनुवाद]

धन का पुनर्विनियोजन

4996. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेलवे द्वारा 'शून्य' प्रावधानों के अंतर्गत धन का पुनर्विनियोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त मामलों में कोई जांच-पड़ताल की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या रेलवे लेखा प्रविधियों और प्राधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रख पाने में समर्थ नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) वर्ष के दौरान विकास नोट करने के लिए नियमनों के अंतर्गत यथा अनुमेय पुनर्विनियोग का आश्रय लिया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे कार्य जो समाप्ति के अंतिम स्तर पर हैं और किसी वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है, उन्हें आगामी वर्ष के लिए कार्यों की सूची से हटा दिया जाता है और ऐसे कार्यों के लिए आगे धन का कोई आवंटन नहीं किया जाता है। बहरहाल, कुछ शेषांश संविदागत बाध्यताओं, मध्यस्थता अधिनिर्णयों आदि के कारण, कुछ निधियां आवश्यक होती हैं, जो कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवंटित की जाती हैं। रेलों के पास बजटीय, वित्तीय और लेखांकन नियंत्रण के लिए

एक अच्छी और परीक्षित प्रणाली है। सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए भी प्रयत्न किया जाता है।

बासमती चावल को मान्यता प्रदान किया जाना

4997. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाले बासमती चावल को ही मान्यता दिये जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिणी राज्यों के किसान सरकार के इस निर्णय से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिणी राज्यों के किसानों को उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले बासमती चावल के लिए लाभकारी मूल्य दिये जाने को सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्रीगंगानगर में लूप रेल लाइन का सर्वेक्षण

4998. **श्री रामेश्वर डूडी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर के प्रमुख मंडियों को जोड़ने वाली कैनाल लूप रेल लाइन हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने और उसके पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) श्रीगंगानगर-सरूपसर कैनाल लूप (115.76 कि.मी.) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण 1997 में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 115.76 कि.मी. रेल लाइन के आमान परिवर्तन की लागत 77.30 करोड़ रुपए होगी।

(ग) और (घ) कार्य को इस शर्त पर रेल बजट में शामिल किया गया था कि इसे आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा। स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित परियोजनाएं

4999. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस दिशा में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं और वर्ष 2000-2001 के दौरान स्वीकृत क्षमता के ब्यौरे, कार्यक्रमवार और राज्यवार विवरण I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000-2001 के दौरान स्वीकृत/स्थापित बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, जल पंपन पवन चक्कियों, सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों जैसी विकेन्द्रित प्रणालियों के राज्यवार विवरण II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) जी हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान संयोजित 240 मेगावाट की क्षमता की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों अर्थात पवन, बायोमास, लघु पन बिजली, सौर प्रकाशवोल्टीय और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत के माध्यम से कुल 334 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का संयोजन किया गया है। यह 94 मेगावाट की वृद्धि है।

(ङ) यह मंत्रालय वित्तीय सहायता तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण सहित विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय तथा संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन, विकास और उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

विवरण I

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या और मंजूर की गई कुल क्षमता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एच एच पी		पवन विद्युत	बायोमास विद्युत		बायोमास गैसीफायर		एसपीवी विद्युत	यू एंड आई	
		(सं.)	(मेवा.)	(मेवा.)	(सं.)	(मेवा.)	(सं.)	(किवा.)	(केडब्लूपी)	(सं.)	(मेवा.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	6	6.50	3.8	9	61.85	20	5740	275	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	10.20	–	–	–	5	70	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	–	–	6	1110	–	–	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2	15.00	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	–	10.4	1	6.00	1	300	30	–	–
11.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	25	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	1	6.00	–	–	339	–	–
13.	महाराष्ट्र	–	–	110.6	–	–	2	1000	186	1	1.00
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	2	3.00	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	2	3.50	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	1	0.20	–	–	–	2	200	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–
20.	राजस्थान	–	–	5.3	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	2	4.00	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	तमिलनाडु	–	–	41.9	–	–	4	920	211	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	3	10.50	–	–	–	3	900	325	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	0.5	–	–	1	350	25	–	–
26.	अंडमान एवं निकोबार	1	5.25	–	–	–	–	–	–	–	
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	200	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	26	58.2	172.5	11	73.85	44	10590	1716	1	1.00

एमपीवी - मॉर प्रकाशवोल्टीय, एसएचपी - लघु जल विद्युत, यू एंड आई - शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा, मेवा. - मेगावाट, केडब्लूपी - किलोवाट पीक

विवरण II

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या और मंजूर की गई कुल क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बायोगैस संयंत्र (सं.)	**उन्नत चूल्हा (सं. लाख में)	सौर प्रकाशवोल्टीय				जल पंपन पवन चक्की (सं.)
				एसएलएस (सं.)	एचएलएस (सं.)	एसएल (सं.)	पीपी (कि.वा. पी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	16037	1.04	50	100	7000	–	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	155	*	0	200	1000	9.2	–
3.	असम	87	0.01	20	1450	200	4.5	–
4.	बिहार	271	0.02	200	1000	8000	–	–
5.	गोवा	120	*	0	0	100	–	–
6.	गुजरात	8131	0.53	100	1000	12000	5.25	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	1561	0.30	200	4000	5000	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	497	0.01	300	2500	2000	10.0	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	*	0	3000	2000	–	–
10.	कर्नाटक	26832	0.12	100	1000	1500	5.92	–
11.	केरल	1142	0.21	130	5950	6000	42.0	–
12.	मध्य प्रदेश	10873	0.01*	1171	3510	3421	–	–
13.	महाराष्ट्र	10172	0.51	150	250	1500	–	–
14.	मणिपुर	146	0.02*	0	200	500	–	–
15.	मेघालय	–	*	0	500	600	35.5	–
16.	मिजोरम	400	0.01	0	0	2500	100.0	–
17.	नागालैंड	–	*	50	200	300	–	–
18.	उड़ीसा	10826	1.39	600	2000	2500	–	–
19.	पंजाब	4982	0.42	400	800	3500	–	–
20.	राजस्थान	612	0.22*	300	6550	4000	–	–
21.	सिक्किम	202	0.05	0	100	100	–	–
22.	तमिलनाडु	1330	0.55	100	50	5000	–	2
23.	त्रिपुरा	170	0.05	60	100	6000	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	7855	1.10	200	11000	10000	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	13968	2.05	120	8200	300	–	–
26.	अंडमान व निकोबार	–	0.01	20	200	300	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	125	600	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	*	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	*	–	375	1000	10.0	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	65.0	–
32.	पांडिचेरी	–	0.02	–	–	–	–	–
33.	अन्य	38257	2.09	–	2550	11500	–	–
	कुल	154626	10.49	4271	56910	98421	287.4	99.00

एसएलएस - सड़क रोशनी प्रणाली, एचएलएस - घरेलू रोशनी प्रणाली, एस एल - सौर लालटेन **28.2.2001 के अनुसार उपलब्धियाँ
पीपी - विद्युत संयंत्र, मे.वा. - मेगावाट, कि.वा.पी. - किलोवाट पीक * रिपोर्टों की प्रतीक्षा

पत्तनों पर अवसंरचना का विकास

5000. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तनों पर तटीय मार्गों का अध्ययन करने, माल की उपलब्धता और अवसंरचना विकास की निगरानी करने हेतु एक संचालन ग्रुप गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संचालन ग्रुप ने अपने प्रतिवेदन सरकार को सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है; और

(ङ) यदि नहीं, तो संचालन ग्रुप से कब तक प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हाँ, सरकार ने तटीय मार्गों, वापसी कार्गो सहित कार्गो की उपलब्धता, पत्तन अवसंरचना के विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं इत्यादि का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इसमें तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन का समाकलन भी, जहाँ भी संभव हो, शामिल है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस अवस्था में कोई विशेष समय देना संभव नहीं है।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद

5001. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद चेन्नै क्षेत्रीय निदेशक कम्पनी लॉ बोर्ड चेन्नै के अनुमोदन से अपने संगम अनुच्छेदों में संशोधन किया है जिनसे कम्पनी अधिनियम, 1956 का भारी उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) चेन्नै स्थित भारत सरकार के संगठन हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के संगम अनुच्छेदों को अपेक्षित विधि प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया गया है। प्रादेशिक निदेशक, चेन्नै, कम्पनी कार्य विभाग की सहमति संशोधित अनुच्छेदों की शर्त पर उक्त संगठन द्वारा पारित एक विशेष संकल्प की तारीख से प्रभावी होगी। आवश्यक संशोधनों को परिषद द्वारा 27.11.2000 को आयोजित की गई इसकी असामान्य साधारण बैठक में अनुमोदित किया गया है।

तेल के आयात में कमी लाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की खोज

5002. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल के आयात में कमी लाने के लिए वैकल्पिक और अपारम्परिक स्रोतों की खोज हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान वैकल्पिक एवं अपारम्परिक स्रोतों के प्रत्येक स्रोत पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या महाराष्ट्र में वैकल्पिक और अपारम्परिक स्रोतों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय जैवगैस, सौर, पवन, जैवपुंज, लघु हाइड्रो विद्युत और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट जैसे विभिन्न गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्ध संभाव्यता का दोहन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी रसोई, तापीकरण और प्रकाश करने की जरूरतें पूरी करने के लिए वैकल्पिक ईंधन प्राप्त होते हैं और उससे देश में कुछ सीमा तक तेल की बचत होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी मोटर स्पिरिट के साथ इथानोल का सम्मिश्रण करने के पर्यावरणीय, प्रचालनात्मक और वित्तीय प्रभाव की जांच करने के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न गैर पारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के तहत कुल 340.84 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें से 146.75 करोड़ रुपये पवन, लघु हाइड्रो विद्युत, जैवगैस, सौर ऊर्जा और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों

आदि से बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर व्यय किये गये। शेष धनराशि विभिन्न विकेन्द्रीकृत, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों पर खर्च की गई। इथानोल की प्रायोगिक परियोजना की लागत उनके पूरा होने के बाद ही निकाली जाएगी।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र राज्य में पवन (3650 मे.वा.), खोई आधारित सह-उत्पादन (1000 मे.वा.), लघु हाइड्रो विद्युत (599 मे.वा.) और म्युनिसीपल एवं ठोस अपशिष्टों से ऊर्जा (100 मे.वा.) जैसे प्रमुख गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तीन इथानोल प्रायोगिक परियोजनाओं में से दो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

5003. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही/प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के संबंध में अब तक कितनी राशि आवंटित और प्रयुक्त की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में एकमात्र नया केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम बृहत प्रबंधन कार्यक्रम है जिसमें 2000-01 में आरम्भ 27 अभिज्ञात केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2000/2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कुल 15.18 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये जिसकी प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार से प्राप्त होने बाकी हैं। मध्य प्रदेश के लिए बृहत प्रबंधन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2001/2002 के लिए 50 करोड़ रुपये का अनंतिम आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चेन्नई में नौकरी का झांसा देने वाला गिरोह

5004. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग चेन्नै क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चैन्नई मंडल कार्यालय का एक कर्मचारी तथा दो बाहरी व्यक्तियों पर रोजगार धोखाधड़ी में सम्मिलित होने का संदेह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक प्रारम्भिक जांच दर्ज की है और वे मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्रों का उन्नयन

5005. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक तेल कंपनियों द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2001-2002 में खुदरा बिक्री केन्द्रों के उन्नयन हेतु इंडियन आयल कार्पोरेशन और अन्य तेल कंपनियों द्वारा कितना धन नियत किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियां अपने चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा कर और उनको अंतरराष्ट्रीय मानक के समान आकर्षक बनाकर कर रही है। उन्नयन के लिए नई रंग योजना का क्रियान्वयन और आर सी सी ड्राइवेज, यार्ड लाइटिंग केनोपीज, इन्द्र धनुषी पट्टियों वाले बिक्री भवन, एम पी डी, डिजीटल इन्फलेटरों आदि की आवश्यकता है।

वर्ष 2001-2002 में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा कुल लगभग 384 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है।

'आगमन पर वीजा' योजना

5006. **श्री के. येरननायडू:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** आगमन पर वीजा योजना के बारे में 11 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को शुरू किये जाने पर कोई आपत्ति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) 'आगमन पर वीजा' योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना को सरकार द्वारा मंजूरी मिलने तथा सभी ब्यौरे तैयार कर लिये जाने के बाद क्रियान्वित किया जाएगा।

आयातित कपास का मूल्य

5007. **श्री राम मोहन गाड्डे**: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित कपास का मूल्य देशी कपास के मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय कपास के बराबर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त करने और कपास की खेती से होने वाले नुकसान के कारण किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय क्या हैं;

(घ) वर्तमान मौसम के दौरान कपास उद्योग हेतु देशी कपास की संभावित कमी कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) चालू कपास मौसम के दौरान, मुख्यत: लम्बे रेशे वर्ग में कपास आयात के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत थीं जिसकी कीमत 56.03 रु. से 68.96 रु. प्रति किग्रा. के बीच थी जबकि समकक्ष भारतीय किस्मों की कपास की कीमत 53.40 रु. से 63.20 रु. प्रति किग्रा. थी।

(ग) सरकार कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष कपास (बिनौलों) की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है ताकि उद्योग को अच्छी कोटि की घरेलू कपास तथा कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद आय सुनिश्चित की जा सके।

(घ) और (ङ) चालू कपास मौसम 2000-01 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए कपास सलाहकार बोर्ड ने 171 लाख गांठ की अनुमानित खपत की तुलना में कपास की कुल उपलब्धता 186.50 लाख गांठ (फसल की मात्रा 146 लाख गांठ और अग्रेषित स्टाक 40.50 लाख गांठ) होने का अनुमान लगाया है। कपास का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने के अतिरिक्त कपास के आयात को 5 प्रतिशत शुल्क सहित खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है और प्रयोक्ता मिलें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वांछित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार कपास खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

जूट के थैलों का उत्पादन

5008. **श्री अनन्त नायक**: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्ष 2001-2002 हेतु संभावित उत्पादित जूट के थैलों की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या देश में सरकारी विभागों और निजी-क्षेत्रों में भी जूट के थैलों की घरेलू मांग में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जूट उद्योग इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सूचना नीचे दी गयी है:

(मात्रा '000 मी. टन)

वर्ष (अप्रैल/मार्च)	सैकिंग का उत्पादन	हैसियन का उत्पादन
1998-99	903.3	344.1
1999-00	909.2	344.5
2000-01	956.0	337.8
2001-02* (अनुमानित)	950.0	350.0

(ख) और (ग) जी हां, ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(मात्रा '000 मी. टन)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	सरकार से मांग पत्र (एफ सी आई व सम्बद्ध एजेंसियां)	अन्य क्षेत्रों की मांग	कुल (हैसियन को छोड़कर)
1998-99	326.6	559.7	886.3
1999-00	414.3	493.1	907.4
2000-01	405.3	539.7	945.0

(घ) से (च) पटसन उद्योग प्रयोक्ता उद्योगों की मांग को पूरा करने में सक्षम है। तथापि, पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग के बारे में 25.10.2000 की अधिसूचना में इस आशय की व्यवस्था है कि आपूर्ति में व्यवधान आने की स्थिति में सरकार खाद्यान्न व चीनी के लिए 20 प्रतिशत तथा उर्वरक के लिए 4 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

गडचिरोली-देसाईगंज रेल-लाइन का सर्वेक्षण

5009. श्री नरेश पुगलिया: क्या **रेल मंत्री** गडचिरोली-देसाईगंज रेल लाईन का सर्वेक्षण के बारे में 22 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वडसा (देसाईगंज) और गडचिरोली (49.5 किलोमीटर) के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच का काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) बडसा-अरमोरी-गडचिरोली के बीच नई बड़ी लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि 49.5 कि.मी. लंबी इस रेल लाइन के निर्माण की लागत 76.85 करोड़ रुपये होगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति को देखते हुए इस कार्य को इस समय शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं है।

संकर तकनीक

5010. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वर्णसंकर गेहूं तकनीक को प्राप्त करने हेतु थोड़े से देशों और सुदूर देशीय कॉरपोरेट घरानों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्णसंकर गेहूं से उच्चतर उत्पादकता स्तरों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तकनीक का पेटेन्ट करने और व्यावसायिक बीज के उत्पादन के तरीके का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की प्रयोगात्मक संकर किस्म विकसित की है जिसका फिलहाल अनुसंधान केन्द्रों में फील्ड मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) सीमित प्रयोगात्मक आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध प्रारंभिक सूचना के अनुसार संकर गेहूं की खेती करने से 15 से 20% तक अधिक उपज पैदा हो सकती है।

(घ) संकर गेहूं को अभी प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित किया जाना बाकी है। अत: इस संकर गेहूं को पेटेंट के संबंध में कुछ भी कहना और इसके बीजों का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करना असामयिक होगा। इसके अलावा देश में पादप किस्मों को पेटेंट करने के लिए कोई कानून नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास में कमी

5011. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.सी.ए.ई.आर. की उस नवीनतम रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है जिसके अनुसार इस वर्ष कृषि विकास में कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो इससे कृषि में किस सीमा तक विकास दर घटने की भविष्यवाणी की गई है;

(ग) क्या पिछले वर्ष चावल उत्पादन और अनाज उत्पादन में क्रमश: 2.1 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत की कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में चावल और अनाज उत्पादन में कमी हुई और इस कमी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोई सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) 14.2.2001 के तृतीय अग्रिम अनुमानानुसार वर्ष 2000-01 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 6.1% रहने की संभावना है। यह अग्रिम अनुमान पर आधारित है जो कृषि वर्ष 2000-01 की समाप्ति के बाद संशोधनाधीन है।

(ग) वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान चावल एवं अनाज के उत्पादन में क्रमश: 4.4% तथा 5.7% कमी आने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान चावल के उत्पादन में गिरावट की संभावना मुख्यत: गुजरात, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है। जहां तक अनाज के उत्पादन में गिरावट का संबंध है यह मुख्यत: गुजरात, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) तथा पश्चिम बंगाल में संभावित है। वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्पादन में संभावित गिरावट गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कुछ भागों में असामान्य मौसम के कारण है।

(ङ) और (च) सरकार ने भविष्य में देश के विभिन्न भागों में उत्पादन वृद्धि एवं कृषि विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु परंपरागत योजनापरक पहुंच के स्थान पर वृहत प्रबंधन पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में 27 स्कीमों का समेकन करके राज्यों के प्रयासों में कार्य योजनाओं के द्वारा सहयोग/सहायता हेतु एक स्कीम में लाने की परिकल्पना है जो कि राज्यों को उनके द्वारा झेली गई विशेष परेशानियों के अभिज्ञान, विभिन्न स्कीमों के घटकों में परस्पर व्याप्ति से बचने हेतु तथा कृषि के चहोमुखी विकास के उद्देश्य के लिए लचीलापन प्रदान करेगी।

कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण

5012. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 12 कर्मशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए कितनी निधियां प्रदान की गई है;

(ग) क्या रेलवे इनके आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने में असफल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इससे लागत और समय के किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा कर्मशालाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। रेलवे ने 12 कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण की योजना बनाई थी और कार्य हाल ही में पूरा हो गया है।

(ख) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर इसकी योजना बनाई जाती है जो अवसंरचना को अपग्रेड करने और कार्य के वातावरण में सुधार करने पर निर्भर करता है।

विवरण

(ख) और (ङ) 12 कर्मशाला का आधुनिकीकरण कार्य स्थितियों में सुधार करने और चल स्टाकों के लिए अनुरक्षण एवं आवधिक ओवरहालिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सुविधाओं को अपग्रेड करने के उद्देश्य से भी शुरू किया था। सभी 12 कर्मशाला का आधुनिकीकरण वास्तविक रूप से पूरा हो चुका है। स्वीकृत लागत, पूरा होने की लागत, और समय वृद्धि सहित इन 12 कर्मशाला के आधुनिकीकरण का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कर्मशाला	स्वीकृत लागत	पूरा होने की लागत	लागत वृद्धि	पूरा होने की लक्ष्य तिथि	वास्तव में पूरा हुआ	समय-वृद्धि (महीने)
1.	झांसी	9.77	9.77	–	31.12.1997	31.3.2000	27
2.	भुसावल	8.00	8.00	–	31.3.1996	31.3.1996	–
3.	कांचरापाड़ा	11.69	11.69	–	31.3.1998	31.3.2001	36
4.	जमालपुर	9.63	9.63	–	31.3.1998	31.3.2001	36
5.	आलमबाग	6.85	9.32	2.47	31.3.1997	31.3.2001	48
6.	चारबाग	4.63	5.40	077	31.3.1999	31.3.2001	24
7.	जोधपुर	7.01	9.12	2.11	31.3.1998	31.3.2001	36
8.	डिब्रूगढ़	6.27	6.27	–	31.3.1998	31.3.2001	36
9.	पैरम्बूर	9.89	9.88	–	31.3.1998	31.3.2001	36
10.	हुबली	11.47	16.17	4.70	31.3.1997	31.3.2001	48
11.	कोटा	7.34	8.73	1.39	31.12.1997	31.3.2000	27
12.	अजमेर	5.63	7.41	1.78	31.3.1998	31.3.2000	24

पेट्रोलियम उत्पादों का अधिशेष

5013. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के अंत तक मांग और उच्च शोधनशाला उपयोग से भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का 10 मिलियन टन अधिशेष हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान इनकी प्रत्याशित मांग क्या है; और

(ग) इससे आयात भार में किस सीमा तक कमी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 2001-2002 के दौरान अनुमान है कि लगभग 9.8 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का अधिशेष होगा और उनका निर्यात किया जायेगा जबकि वर्ष 2000-01 में यह आंकड़ा 8.1 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(ख) 2001-02 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 104.6 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 2001-02 के लिए आयात बिल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों और डालर रुपया समता पर निर्भर करेगा।

पारिवारिक अदालतें

5014. **श्री माधवराव सिंधिया: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी पारिवारिक अदालतों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक पारिवारिक अदालतें स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) देश में स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों की राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) (क) के अनुसार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् उन नगरों या कस्बों में, जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करेगी। राज्य, राज्य में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी, जिन्हें वे आवश्यक समझें, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर सकेंगे। न्याय विभाग समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उतने कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए, जितने कुटुंब विवादों के त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित हों, अनुरोध करता रहा है।

विवरण

देश में कुल कुटुंब न्यायालयों की संख्या 80 है। इन कुटुंब न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुटुंब न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	4
5.	झारखंड	1
6.	कर्नाटक	8
7.	केरल	7
8.	महाराष्ट्र	16
9.	मणिपुर	1
10.	उड़ीसा	2
11.	पांडिचेरी	1
12.	राजस्थान	6
13.	सिक्किम	1
14.	तमिलनाडु	6
15.	उत्तर प्रदेश	14
16.	उत्तरांचल	2
17.	पश्चिमी बंगाल	2

आयातित सवारी डिब्बों को परीक्षण के रूप में चलाना

5015. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री विजय गोयल:
श्री जय प्रकाश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में जर्मनी से विशेष रूप से बने वातानुकूलित यात्री डिब्बों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ग) क्या 4 मार्च, 2001 को उत्तर रेलवे के तहत इन आयातित डिब्बों को परीक्षण के रूप में चलाये जाने के दौरान इन पर पत्थर फेंके गए और इन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो सरकार को पत्थर और रोड़ेबाजी की इस घटना के कारण कितनी क्षति हुई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच करवाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या रेलवे का विचार इन डिब्बों के विनिर्माण में अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो इन डिब्बों का स्वदेश में ही विनिर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जर्मनी से आयातित 24 सवारी डिब्बों पर 52,663,500 डी एम की विदेशी मुद्रा खर्च हुई है।

(ग) उत्तर रेलवे में परीक्षण पर चल रहे एलस्टोम-एल एच वी सवारी डिब्बे पत्थर फेंकने की घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे। बहरहाल, ये घटनाएं 4 मार्च 2001 को नहीं हुई थी परन्तु 3, 6, 13 तथा 14 मार्च 2001 को हुई थी।

(घ) अनुमानित हानि लगभग 2.8 लाख रुपये हुई है।

(ङ) शरारती तत्वों द्वारा सवारी डिब्बों पर पत्थर फैंके गये थे। अत: कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी हां। दूसरी श्रेणी के वातानुकूल कुर्सीयान, एक्जीक्यूटिव श्रेणी कुर्सीयान तथा जनरेटर एवं ब्रेक वैन जो आयात की थी, के निर्माण की संपूर्ण जानकारी के अंतरण के लिए रेलों ने मैसर्स, एलस्टोम-एलएचबी जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में एक संविदा की है। इस संविदा में निम्नलिखित किस्म के सवारी डिब्बों के प्रोटोटाइप के पूरे डिजाइन तैयार करना और निर्माण भी शामिल है:

(1) प्रथम श्रेणी वातानुकूल एवं शयनयान

(2) वातानुकूल शयनयान

(3) वातानुकूल हाट बफेट सवारी डिब्बा।

जहां कहीं आवश्यक हो इस संविदा में उचित सहयोग द्वारा स्वदेशी कलपुर्जों की सप्लाई के लिए वेंडरों का विकास भी शामिल है।

(ज) वर्ष 2001-02 के दौरान 27 सवारी डिब्बों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। बाद के वर्षों में निर्मित किये जाने वाले डिब्बों की संख्या आवश्यकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

दहेज के कारण होने वाली मौतों संबंधी मामले

5016. **श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में दहेज के कारण होने वाली मौतों से संबंधित लंबित मुकदमों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे मुकदमों के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त मामलों में शीघ्र निर्णय करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) 11 उच्च न्यायालयों और संबद्ध अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के बारे में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) दहेज के कारण होने वाली मृत्यु संबंधी मामलों का विनिश्चय करने के लिए विधि द्वारा न्यायालयों के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

(घ) लंबित मामलों का जिनमें दहेज के कारण होने वाली मृत्यु संबंधी मामले भी हैं, संबंध सरकार और न्यायपालिका दोनों से है। इस संबंध में अनेक उपाय किये जा रहे हैं। जिनके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया जाना भी है।

विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालयों के नाम	दहेज के कारण होने वाली मृत्यु संबंधी लंबित मामलों की संख्या	
		उच्च न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	140	1373
2.	बम्बई	436	4974
3.	हिमाचल प्रदेश	141	85

1	2	3	4
4.	झारखंड	–	936
5.	कर्नाटक	–	2064*
6.	केरल	35	152
7.	मध्य प्रदेश	397	1349
8.	पटना	71	2213
9.	पंजाब और हरियाणा	842	705
10.	राजस्थान	926	–
11.	सिक्किम	शून्य	शून्य

*इसमें उच्च न्यायालय के समक्ष मामले भी सम्मिलित हैं।

रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट

5017. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) राजस्थान में कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें

5018. **श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड (ई सी आई एल) ने ऐसी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें तैयार की हैं जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती;

(ख) यदि हां, तो क्या ई सी आई एल आगामी चुनावों के लिए अपेक्षित संख्या में नई मशीनों की आपूर्ति करने की स्थिति में है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के आगामी विधान सभा चुनावों के लिए नई वोटिंग मशीनों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों में उपयोग की जा रही इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें दो केन्द्रीय पब्लिक उपक्रमों अर्थात् मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया हैदराबाद और मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विनिर्मित और प्रदाय की जा रही हैं। इन मशीनों में उपयोग किये गए साफ्टवेयर नियत प्रोग्राम प्रकृति का है, जिसे प्रासेसर में संगलक किया गया है और यह प्रभावी रूप से अपरिवर्तनीय है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1990 में गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने, जिसमें प्रोफेसर पी.वी. इन्डायरसन, डा. सी. राव कसरबाडा और प्रोफेसर सम्पत थे, सर्वसम्मति से अपनी यह रिपोर्ट दे दी है कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

(ख) से (घ) आयोग ने उपरोक्त दो फर्मों में से प्रत्येक को 66,900 मशीनों के प्रदाय के लिए आदेश दे दिया था। दोनों फर्मों ने इन मशीनों के प्रदाय का कार्य पूरा कर दिया है। नई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों में निर्वाचनों के लिए किया जाना है।

रेलगाड़ियों को पुन: चलाना

5019. **श्री रामजी मांझी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेहरी-ऑन-सोन से गया तक चलने वाली यात्री गाड़ी को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेल सेवा को पुन: चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं, 2 जी डी/5 जी डी गया-देहरी-ऑन-सोन पैसेंजर को एक दिशा में मुगलसराय तक और दूसरी दिशा में पटना तक चलाया गया है और इसे नया नम्बर 741/742 पटना-मुगलसराय पैसेंजर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य

5020. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में पिछली वृद्धि के पश्चात पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कोई परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू मूल्यों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कच्चे तेल के मूल्यों से संबद्ध है। ब्रेन्ट कच्चे तेल का मूल्य, जो सितंबर, 2000 में घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में पिछले संशोधन के समय 28.04 अमरीकी डालर प्रति बैरल था, नवंबर, 2000 में बढ़कर 32.58 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया जिसके बाद यह घटना आरंभ हो गया। वर्तमान में ब्रेन्ट कच्चे तेल का मूल्य 27 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक है।

(ग) से (ङ) तेल पूल खाते के संचयी बकाया के समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों में कमी पर विचार किया जा सकता है।

विद्युत परियोजनाएं

5021. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण गारंटी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

5022. **डा. सुशील कुमार इंदौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ङ) सरकार योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें निर्यात-उत्पादन में संलग्न यूनिट भी आते हैं, सहायता देती है। इस संबंध में दी जाने वाली सहायता में निम्नलिखित आते हैं:

(1) खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान/ऋण, अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास का काम करने के लिए, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण और विपणन के विकास और आधुनिकीकरण के लिए सहायता का दिया जाना।

(2) आई.एस.ओ.-9000/निर्यात यूनिटों में एच.ए.सी.सी.पी. जैसी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों अंगीकार समेत उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना।

(3) क्रेताओं, विक्रेताओं की बैठकों जैसे प्रोत्साहनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(4) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर समेकित माल उतारने-चढ़ाने तथा शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना।

[अनुवाद]

रेलों में अपराध

5023. **श्री सी. श्रीनिवासन**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सबसे अधिक संवेदनशील खंडों की पहचान की है जहां अपराध और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे में अपराध को रोकने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों तथा राज्य पुलिस प्रमुखों के बीच अक्सर संयुक्त बैठकें होती है;

(घ) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों में हुई ऐसी बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलों में अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। अपराध से सर्वाधिक प्रभावित खंडों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) रेलों पर अपराध पर नियंत्रण संबंधी नीति पर विचार विमर्श करने के लिए वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारियों और राज्य पुलिस/रा.रे.पु. प्राधिकारियों के बीच निरंतर संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती है। वर्ष 1999 और 2000 के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रेलवे	वर्ष	
	1999	2000
1	2	3
मध्य रेलवे	175	140
पूर्व रेलवे	75	89
उत्तर रेलवे	89	84
पूर्वोत्तर रेलवे	347	377
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	210	185
दक्षिण रेलवे	126	133
दक्षिण मध्य रेलवे	136	121
दक्षिण पूर्व रेलवे	382	340
पश्चिम रेलवे	250	220

(ङ) यद्यपि रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध पर नियंत्रण रखना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथापि रेल यात्रियों और उनके सामान की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे पदाधिकारी राजकीय रेल पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखते हैं।

यात्री संरक्षा में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

1. रेल मंत्री द्वारा जनवरी, 2000 में मुख्य सचिवों और राज्यों के महानिदेशकों की एक बैठक के परिणामस्वरूप गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम में रा.रे.पु. और रे.सु.ब. की कारगरता में सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए रेलों और राज्य सरकार के पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है। रे.सु.ब. के पदाधिकारी रा.रे.पु. तथा सिविल पुलिस के अपने समकक्ष पदाधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करते हैं।
2. रे.सु.ब. द्वारा रेल परिसरों और गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को हटाया जा रहा है।
3. सवारी डिब्बों में चढ़ने वाले/उतरने वाले यात्रियों पर कोच एटेंडेंट/चल टिकट परीक्षकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चलती गाड़ियों में विशेषकर रात्रि के समय सवारी डिब्बों को समुचित रूप से लॉक कर दिया जाता है।
4. गाड़ियों के गार्डों, स्टेशन मास्टरों/रे.सु.ब. के कर्मचारियों के पास प्रथम आसूचना रिपोर्ट फार्म उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि यात्री तत्काल अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके।
5. सभी स्तरों पर रे.सु.ब. और रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

6. यात्रियों को अपने सामान आदि की चोरी के प्रति सतर्क करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और सी सी टी वी के माध्यम से उद्घोषणा।

7. समुचित निवारक उपाय करने के उद्देश्य से रेलों पर अपराध स्थिति का विश्लेषण करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ आवधिक उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही है।

विवरण

रेलवे	प्रभावित खंड
1	2
मध्य रेलवे	सोलापुर-दौंड, झांसी-बीना, भुसावल-खंडवा, मनमाड-चालीसगांव, नागपुर-ददनेरा, कुर्ला-कल्याण, कुर्डुवाडी-दौंड, दौंड-मिरज, पंढारपुर-सोलापुर, झांसी-बीना, भुसावल का डाउन आउटर, नागपुर-ददनेरा, कल्याण-कसारा और उपनगरीय खंड
पूर्व रेलवे	सियालदह-बज बज, बुलीगंज-केनिंग, सियालदह-दम दम, हवड़ा-बर्द्धमान, सियालदह-बोगाँव, दम दम-रानाघाट, हवड़ा-बंडेल जमालपुर-भागलपुर, झाजा-मुगलसराय, गया-मुगलसराय, आसनसोल, धनबाद, जमालपुर-भागलपुर, पटना-गया, बक्सर-दानापुर, अजिमगंज-न्यू फरक्का, बंडेल-बर्द्धवान।
उत्तर रेलवे	अलीगढ़-टुंडला-इटावा, मिर्जापुर-नैनी, कानपुर-इलाहाबाद, हापुड़-गाड़ियाबाद, कानपुर-इटावा, मुरादाबाद-हापुड़, शाहजहांपुर-बरेली, अलीगढ़-टूंडला, शाहजहांपुर-बरेली, सीवा (पानीपत-जींद)
पूर्वोत्तर रेलवे	इलाहाबाद-वाराणसी, देवरिया-सीवान, छपरा-बलिया, भटनी-छपरा, सहरसा-पूर्णिया-खगड़िया, कासगंज, फर्रुखाबाद, थावे, सीवान, भटनी, इलाहाबाद-वाराणसी, देवरिया-सीवान, छपरा वलिया, भटनी-छपरा, सहरसा-पूर्णिया-खगड़िया, कासगंज, फर्रुखाबाद, थावे, सीवान, भटनी।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	रंगिया-न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार-न्यू जलपाईगुड़ी, सामुकतला-दलगांव, रंगिया-न्यू बोंगाइगांव, न्यू अलीपुरद्वार-न्यू जलपाईगुड़ी, कुमादपुर-मालदा टाउन, सिलिगुड़ी-कटिहार मीटर लाइन खंड, न्यू जलपाईगुड़ी-मालदा टाउन न्यू जलपाईगुड़ी-मालदा टाउन।
दक्षिण रेलवे	पेरम्बूर, कुरुक्कूपेट, आवडि, ताम्बरम और चेन्नई, एषम्बूर, जोलारपेट-इरोड, कदमबूर और मनियाची खंड
दक्षिण मध्य रेलवे	गुंतकल-रायचूर, धरमा वरम-वकला, नेल्लोर-गुडूर, सिकंदराबाद-काजीपेट, काजीपेट-सिरपुरकागजनगर
दक्षिण पूर्व रलवे	मिदनापुर-आद्रा, बालासोर-खड़गपुर, टाटा-खडगपुर, खडगपुर-हवड़ा, बोकारो-राजाबा मूरा-रांची, झारसुगुडा-रायपुर, गोंडियानागपुर, हैती-बोकारो आदित्यपुर-गरहरा, राउरकेला-झारसुगुडा, झारसुगुडा-रायपुर
पश्चिम रेलवे	बोरिवली-माटुंगा, नवापुर-नांदुरवाद, सचिन बेसमा-वसडा-डोंगारी साजन-वलसाड, अहमदाबाद, नांदूरबाद-दोंदेचा, अंधेरी-विलेपारले, बोरिवली-सांताकुज, विरार-पालघर, गोधरा-पिपलो, उधना-बरडोली, उधना-सचिम

खाद्यान्नों का उत्पादन

5024. श्री सुनील खां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के खेतों में जब सिंचाई उर्वरक तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का निवेश किया जाये तो प्रति हेक्टेयर भूमि में एक टन खाद्यान्न की पैदावार हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान चुनौती एक और टन प्राप्त करने की है जबकि भूमि सिकुड़ती जा रही है तथा मृदा और जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या योजनाएं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता निम्नवत आंकी गई है:

वर्ष	उत्पादकता किलोग्राम/हैक्टेयर
1996-97	1614
1987-88	1552
1998-99	1627
1999-2000	1697

खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मोटा अनाज, मक्का और दलहन शामिल हैं। चावल और गेहूं की उत्पादकता क्रमश: लगभग 2 मी. टन तथा 2.6 मी. टन प्रति हेक्टेयर है, परन्तु मोटे अनाज की उत्पादकता एक मी. टन प्रति हेक्टेयर से कुछ अधिक है, क्योंकि इसकी खेती सामान्यत: वर्षा सिंचित स्थितियों में की जाती है। दलहन की उत्पादकता लगभग 0.6 मी. टन प्रति हेक्टेयर है, क्योंकि यह कीटों, कृमियों तथा रोगों से क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसकी खेती अधिकतर सीमान्त भूमि पर वर्षा सिंचित स्थिति में होती है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की गई। इसके अलावा दलहन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में दलहन फसलों के समग्र विकास के लिए दलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज से संबंधित स्कीमें वृहद प्रबंध पद्धति में शामिल कर ली गई हैं, ताकि विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय रूप से भिन्न प्रौद्योगिकी अपनाई जा सके।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का प्रक्षेपण

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की प्रथम जांच उड़ान श्रीहरिकोटा से 18 अप्रैल, 2001 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

जी.एस.एल.वी. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अभी तक शुरू किये गये मिशनों में अत्यन्त प्रौद्योगिकीय चुनौती वाला मिशन रहा है और इसके सफल प्रमोचन ने हमारी अन्तरिक्ष उपलब्धियों में एक नया आयाम जोड़ा है। जी.एस.एल.वी. के एक बार नियमित सेवा में अभिचालित होने के बाद हमें 36,000 कि.मी. की ऊंचाई की कक्षा में इन्सैट श्रेणी के संचार उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता प्रदान करेगा।

जी.एस.एल.वी. हमारे वैज्ञानिकों द्वारा मुख्य रूप से स्वदेश निर्मित परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक नोदन चरणों का उपयोग किया गया है। क्रायोजेनिक चरण की आपूर्ति रूस द्वारा की गई है। लगभग 400 टन भार के 49 मीटर ऊंचे जी.एस.एल.वी. ने 1540 कि.ग्रा. भार के जीसैट-1 उपग्रह सहित भारतीय समयानुसार सायं 3.43 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। त्रुटि रहित विलोम गणना के बाद तथा उड़ान के 17 मिनटों में उपग्रह को इसकी वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया।

जीसैट-1 उपग्रह से प्राप्त प्रथम संकेतों से उपग्रह के सामान्य कार्य निष्पादन का पता चला है। आगामी कुछ दिनों में उपग्रह को युक्तिचालन द्वारा इसकी अंतिम भूस्थायी कक्षा में पहुंचा दिया जायेगा। यह उपग्रह अंकीय श्रव्य प्रसारण, इन्टरनेट सेवाएं और संपीड़ित अंकीय टी.वी. सम्प्रेषण के क्षेत्र में परीक्षण आयोजित करने के लिए यंत्रों को ले गया है।

जी.एस.एल.वी. मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने से भारत में उद्योगों और शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से इसरो केन्द्रों के एक दशक के प्रयासों की पूर्ति हुई है।

मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि वे जी.एस.एल.वी. के सफल प्रमोचन में शामिल इसरो और अन्य सभी व्यक्तियों को बधाई देने में मेरा साथ दें।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कल जी.एस.एल.वी. उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अग्रणी पंक्ति में आ जाएगा और सूचना तथा संचार क्रांति में पूर्ण भागीदारी का भरपूर अवसर हमें मिलेगा। जी.एस.एल.वी. उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन

पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई व्यापक कार्य योजना की पराकाष्ठा है ...*(व्यवधान)* जी हां, यह सच है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्रीमती सोनिया गांधी: पहला एल.एल.वी. का प्रमोचन इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान किया गया था और इसके बाद पी.एस.एल.वी. का प्रमोचन किया गया। अत:, यह हमारे लिए अत्यन्त और विशेष गर्व की बात है कि यह कार्यक्रम पूरा हो गया है।

मैं, अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को बधाई देती हूं जिनकी निष्ठा और वचनबद्धता ने इसे संभव बनाया। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं अपनी और इस सभा की ओर से हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने कल, 18 अप्रैल, 2001 को अपराह्न 3.43 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी. डी-1 के प्रमोचन को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा, सभा पटल पर रखे गए पत्रों पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान लंबित विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: जी नहीं, महोदय। सरकार पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर अपना निर्णय स्थगित करती रही है ...*(व्यवधान)* अब उन्होंने बहुत कठोर रुख अपनाया है ...*(व्यवधान)* अब उन्हें निर्णय लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, आप सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात्, इस मामले को उठा सकते हैं।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय, श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) कम्पनी (अंतरीय मतदान अधिकारों के साथ शेयर पूंजी का निर्गम) नियम, 2001 जो 9 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी (छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति) नियम, 2001 जो 9 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3532/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3533/2001]

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय मैं 20 फरवरी, 2001 को सभा में दी गयी सूचना के बाद 13वीं लोक सभा के चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त

निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1. कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2001;
2. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2001;
3. विनियोग (रेल) विधेयक, 2001;
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001; और
5. विनियोग विधेयक, 2001

अपराह्न 12.06$^{3}/_{4}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): महोदय मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

लोक लेखा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, मैं लोक लेखा समिति का चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तथा विकास से संबंधित 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोलबाग): महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का राष्ट्रीय तथा राज्य आयोगों के कार्यकरण से संबंधित दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां तथा बाइसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित अट्ठारहवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन तथा डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित बीसवां प्रतिवेदन।

(4) कृषि मंत्रालय (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(5) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित बाइसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07$^{3}/_{4}$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2001) का रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों से संबंधित ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां, पंद्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित चौदहवां प्रतिवेदन।

(दो) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(तीन) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबधित सोलहवां प्रतिवेदन।

(चार) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित सत्रहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{4}$ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

बारहवां, तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2001-2002 से संबंधित बारहवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों 2001-2002 से संबंधित तेरहवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों 2001-2002 से संबंधित चौदहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां, उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2001) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) से संबंधित 11वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) भू संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) से संबंधित 12वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबधी 19वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) से संबंधित 13वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08$^{3}/_{4}$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

इकहत्तरवां, बहत्तरवां और तिहत्तरवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 71वां प्रतिवेदन;

(2) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 72वां प्रतिवेदन; और

(3) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 73वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) बिहार के छपरा जिले में केशरिया साहेबगंज रोड पर लाला छपरा चौक के निकट बौद्ध स्तूप को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 कि.मी. दूर पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय से 35 कि.मी. दक्षिण केसरीयासाहबगंज मार्ग पर लाला छपराचौक के पास एक वृहत बौध कालीन स्तूप है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल के नेतृत्व में उक्त खनन के उपरांत जो साक्ष्य सामने आये हैं उससे प्रमाणित हो गया है कि यह वही बुद्ध स्तूप है, जिसके संबंध में चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया था। सर्वप्रथम कर्नल मैकेजी ने 1814 ई. में इस स्तूप का पता लगाया था। उसके बाद होडसन ने 1835 ई. में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और केसरिया की यात्रा कर रेखा चित्र बनाया था। सन 1861-62 में जनरल कनिंघम ने इस स्तूप को देखा था तो उस समय यह लगभग 62 फुट ऊंचा एवं परिधि लगभग 1400 फुट में फैली थी। जिसका व्यास 68 फुट 5 इंच एवं स्तूप की ऊंचाई लगभग 51 फुट थी। कनिंघम के अनुसार स्तूप का यह भाग अपने मूल रूप में संभवत: 80 से 96 फुट तक रहा होगा। बंगाल लिस्ट एवं कुरैशी लिस्ट में भी इस स्थान का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण स्तूप को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की कृपा करें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर सुन्दरलाल अस्पताल में होमयोपैथी विभाग की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों के साथ ही बिहार की सटी सीमाओं की राजधानी है। वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अधीन सर सुन्दर लाल चिकित्सालय इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यहां आयुर्वेदिक एलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आज ये दोनों पद्धतियां काफी महंगी हो चुकी हैं तथा छोटी-छोटी बीमारियों में भी मरीज को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इस पूरे इलाके के नागरिकों की आय काफी कम है जो इस भार को उठाने में काफी परेशान होते हैं।

इस चिकित्सालय में होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति की सुविधा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह चिकित्सा पद्धति सस्ती व सरल भी है। इसके साथ ही कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं जिनकी चिकित्सा उपरोक्त दोनों पद्धतियों से सरल व सुलभ नहीं है। अत: यह आवश्यक है कि इस चिकित्सालय में होमियोपैथी विभाग भी खोला जाये, जिससे इस क्षेत्र की गरीब जनता सस्ते में अपना इलाज करा सके।

(तीन) राजस्थान में संगमरमर उद्योग को लघु उद्योग श्रेणी में शामिल किये जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों का चयन करके एक सूची तैयार की जाती है और उन उद्योगों में से लघु उद्योग इकाइयों को उत्पाद शुल्क में रियायत (छूट) प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक बिक्री एक करोड़ रुपये से कम होती है। घोर अकाल से ग्रसित राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र लघु उद्योग मार्बल उद्योग ही एक मात्र सहारा है जिनकी हजारों इकाइयों में लाखों श्रमिक रोटी-रोजी का सहारा पाते हैं। परन्तु, राजस्थान के मार्बल उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि ग्रेनाइट उद्योग को लघु उद्योग में सम्मिलित कर उत्पाद शुल्क में रियायतें प्रदान की गई हैं। मार्बल की अपेक्षा ग्रेनाइट अधिक महंगा, आकर्षित एवं लग्जरी खनिज है और मार्बल की तुलना में अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाता है जबकि मार्बल बहुत कम मूल्य पर विक्रय किया जाता है और इसका औसतन मूल्य 5 से 40, 45 प्रति वर्ग फुट तक का होता है जबकि ग्रेनाइट का 50 से 70 प्रति वर्ग फुट होता है। इसे लघु उद्योग की उत्पाद शुल्क से मुक्त करने वाली सूची में सम्मिलित नहीं करने से इसके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि मार्बल उद्योग के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु इसे लघु उद्योग में सम्मिलित कर उत्पाद शुल्क से मुक्त करें।

(चार) उड़ीसा के गोपालपुर में बरहामपुर विश्वविद्यालय में सामुद्रिक संग्रहालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर): गोपालपुर उड़ीसा में बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक तटवर्ती नगर है इस नगर में बरहामपुर विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में एक विषय सामुद्रिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। उड़ीसा तट स्थित गोपालपुर में समुद्री क्रियाकलापों की प्राचीन परम्परा है। उथले समुद्रतट रेखा में प्रचुर वनस्पति और जीव जन्तु है। अभी भी समुद्र में प्राचीन लट्ठों के बेडों का उपयोग किया जा रहा है। इस तट के मछुआरा समुदाय बड़े बनाने तथा समुद्री यात्रा करने में पारंगत हो गए हैं। लैगून, पश्चजल, क्रीक हाउस, अजीबोगरीब रेंगने वाले जीव-जन्तु, समुद्री कछुआ और मछलियां पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

इन सभी को सामुद्रिक संग्रहालय में रखा जा सकता है ताकि पर्यटक इन्हें देख सके और विद्यार्थी इनका अध्ययन कर सके। अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि वह तटवर्ती गोपालपुर में सामुद्रिक संग्रहालय स्थापित करे ताकि लोग समृद्ध वनस्पति और जीव-जन्तुओं की झलक पा सके।

इस संग्रहालय को बरहामपुर विश्वविद्यालय में बनाया जा सकता है।

(पांच) झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों के गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखण्ड राज्य के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कई गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं। भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा भी विद्युतीकरण की योजना है, परन्तु इसका उचित कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। हमने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना राशि के द्वारा विद्युतीकरण कार्य हेतु अनुशंसा की है, परन्तु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मामला होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है।

अत: सरकार से मांग है कि उपर्युक्त नामित जिलों में विद्युतीकरण करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए ताकि मेरे द्वारा सांसद राशि से की गई अनुशंसा का जनहित में लाभ मिले।

(छह) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा (हसन): देशवासियों को बढ़ती बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण सर्वाधिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंक इस बुराई से लड़ने का सबसे कारगर हथियार हैं जबकि निजी क्षेत्र के बैंक समस्या को और बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कोई पर्याय नहीं हो सकता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से छेड़खानी अथवा उनकी भूमिका को कम करने के प्रयास हमारे देश की विशाल जनता पर विपरीत प्रभाव डालेंगे। तीन दशक पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश की जनता की खुशहाली के लिए किया गया था। परंतु अब दुर्भाग्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बड़ी तेजी से निजीकरण किया जा रहा है।

सच तो यह है, कि सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को ही हमारे देश के लोगों के हितों की रक्षा विशेषकर मध्यम वर्ग और अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए कार्य करना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विधेय संबंधित विधेयक को वापस लें और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के बजाय इन बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य सभी आवश्यक कदम उठाए।

(सात) कर्नाटक में एम.एस.के. टैक्सटाइल मिल्स को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): एम.एस.के. मिल्स कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में चलने वाली सबसे पुरानी मिल थी। यह भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मिल थी। यह मिल लंबे समय तक चलती रही और गुलबर्गा जिले के लोगों के लिए काफी मददगार रही है। इस मिल में, लगभग 800 नियमित और 250 नैमित्तिक कर्मचारी कार्यरत थे। अब जब यह मिल काफी समय से बंद है, और नई वस्त्र नीति में इस मिल के भविष्य का कोई उल्लेख नहीं है, इस मिल के कर्मचारियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और करीब 15 हजार परिवार इस मिल के बंद होने से प्रभावित हुए हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मिल को अर्थक्षम बनाए ताकि इस मिल पर आश्रित लोग और उनके परिवारों को भुखमरी से बचाया जा सके।

(आठ) नए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक संगठन के लिए प्रवेश बिन्दु मानदण्डों में छूट देने वाले कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू प्राइमरी अर्बन कोआपरेटिव बैंक संगठन के लिए प्रवेश मानकों में 1.4.1998 से संशोधन किया है जो शेयर पूंजी और न्यूनतम सदस्यता राशि से जमा हुई पूंजी के मुकाबले बहुत अधिक है। अर्बन कोआपरेटिव बैंक कर्नाटक में मुख्यत: कस्बों और अर्द्ध कसबाई इलाकों में कार्यरत हैं, जो समाज के मध्यम और गरीब वर्गों को आवास निर्माण, परिवहन, छोटे-मोटे उद्योगों, लघु क्षेत्र के उद्योगों, खुदरा व्यापारी, शिल्पकारों और व्यवसायी की सहायता जैसे कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। इसलिए, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवेश मानकों में छूट की मांग की जा रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है। कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में अनुस्मारक भी भेजा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने हेतु आवश्यक त्वरित कदम उठाए।

(नौ) केरल के वयनाड़ जिले में पथियन, कालामाडी, कुन्दुवाडियार और दवंदाथन मूप्पन समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): मैं केरल राज्य के कनाड़ जिले के पथियन, कालामाडी, कुंदुवाडियार और थवंदाथन मूप्पन समुदाय के लोगों की समस्याओं के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह वैनाड के प्राचीन निवासी हैं ऐसा समझा जाता है कि वे वैनाड़ 1000-1500 ई.पू. के बीच पहुंचे, उनका निवास पजहासी राजा (1773-1805 ई.पू.) की अवधि के दौरान वैनाड में कुरीडिना समुदाय के अस्तित्व में आने से भी पहले का है। हालांकि कुरीचिया समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है, परंतु उपरोक्त समुदायों को सूची में स्थान नहीं मिल पाया है। परंतु अब उन्हें अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली शिक्षण संबंधी छूट केरल सरकार के आदेशानुसार अन्य पात्र समुदाय की श्रेणी में रखकर दी जा रही है। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों को ज्ञापन और अभ्यावेदन दिया है। केरल सरकार ने वर्ष 1993 में केन्द्र सरकार को उपरोक्त समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव भेजा था। परंतु इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं इसलिए, केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि कैनाड़ जिले के पथियान, कालामाडी, कुंडुवाडियार और थवंदाथन मूप्पन समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं ताकि ये अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सके।

(दस) उत्तरी बंगाल का सर्वांगीण विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उत्तर बंगाल स्थानीय राजबंसी जाति, आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, रोजगार संबंधी समस्याओं पर पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार तथा विशेषकर योजना आयोग द्वारा श्वेत पत्र जारी न करने के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों की पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ रही है। कूच बिहार से लेकर मालदा तक, मेरे कई बार निवेदन के बावजूद तीन मास्टर प्लान में कोई व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम नहीं बनाया गया जिससे उत्तर दिनाजपुर, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और कूच बिहार के कई भागों के लोगों में बाढ़ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तीस्ता नहर की प्रगति भी अनिश्चित है और पश्चिम बंगाल के गांवों का विद्युतीकरण भी लगभग रुका हुआ है। उत्तर बंगाल का राजबंशी समुदाय, जनजातीय लोग, दार्जिलिंग पहाड़ों पर रहने वाले गोरखा लोग योजनाओं के उद्देश्यों और उत्तरी बंगाल के विकास के लिए संसाधनों को जुटाने में उनकी भागीदारी को समझने में असमर्थ है। उत्तरी बंगाल को बचाने में प्रधानमंत्री की मध्यस्थता की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर मुझे आशंका है कि लोगों में गंभीर अव्यवस्था, हिंसा और अस्थिरता पैदा हो सकती है और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए सीमा पार से आतंकवाद पनप सकता है।

(ग्यारह) देश के विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के हथकरघा श्रमिकों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर गहरी विपत्ति में हैं। इसका मुख्य कारण कपड़ा मिलों द्वारा प्रस्तुत भारी प्रतिस्पर्धा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में हथकरघा सोसाइटियों को 26 करोड़ रुपये माल निकालने के लिए दिये हैं। इसके साथ ही हथकरघा बुनकरों के लिए पेंशन की भी घोषणा की गई है। उनके लिए अलग छप्पर के पक्के मकानों का निर्माण किया गया है। हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित पैकेज ले कर आई है। हथकरघा उद्योग के लिए पूर्व आरक्षित वस्त्र की 22 किस्मों की की गई निशानदेही का सख्ती से पालन करना, (दो) हथकरघा उद्योग के लिए रंगों और 'यांकी यार्न' पर राजसहायता देकर हथकरघा और मिलों के लिए भिन्न दोहरी वस्त्र, (तीन) 60 साल से ऊपर की आयु वाले सभी हथकरघा बुनकरों को केन्द्रीय प्रायोजित पेंशन

योजना का लाभ देना; (चार) आईएवाई योजना की भांति 30,000 की न्यूनतम हानि की राशि पर पक्के आवास का निर्माण हथकरघा के लिए अलग कमरे सहित करना; (पांच) प्रत्येक हथकरघा बुनकरों के लिए विशेष बीमा योजना के तहत न्यूनतम प्रिमीयम पर 1 लाख की बीमा योजना, (छह) अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए और साथ ही उपभोग के उद्देश्य से डीआईआर योजना के तहत 4 प्रतिशत ब्याज दर पर संस्थागत वित्त प्रदान करना और (सात) 'जनता कपड़ा योजना' पुन: आरम्भ करना।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त सभी छूट तत्काल दें ताकि आंध्र प्रदेश हथकरघा उद्योग को बचाया जा सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में टौंसे नदी पर एक पुल के पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी उ.प्र. के जनपद मुख्यालय नगर मऊ की ओर दिलाना चाहता हूं। मऊ जनपद का सृजन लगभग 12 वर्षों पूर्व हुआ है। मऊ नगर का एक औद्योगिक नगर होने के बावजूद एक तरफ टौंस नदी तथा दूसरी तरफ रेल लाइन/स्टेशन, रेल भूमि से घिरा होने के कारण क्षेत्रफल घनी आबादी की तुलना में काफी संकुचित है। नदी और रेल मार्ग से घिरा होने के कारण वहां के निवासियों का अन्यत्र आवागमन सुविधापूर्वक नहीं हो पाता है। टौंस नदी पर एक बहुत पुराना पुल था, जो गोरखपुर एवं बलिया आदि मार्गों को जोड़ता था। लेकिन वर्षों पहले उक्त पुल के ध्वस्त हो जाने से वहां के निवासियों को काफी असुविधा हो रही है। उक्त टोंस नदी पर पुल के पुनर्निर्माण की मांग जनता वर्षों से कर रही है लेकिन उ.प्र सरकार संसाधन के अभाव में उक्त पुल का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि मऊ शहर के नागरिकों को आवागमन की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए टौंस नदी के पुराने टूटे हुए पुल के पुनर्निर्माण हेतु उ.प्र. सरकार को धन उपलब्ध कराये।

(तेरह) बिहार में डुमरा/सीतामढ़ी में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सीतामढ़ी उत्तरी बिहार का एक सबसे पिछड़ा एवं नेपाल सीमावर्ती जिला है। सीतामढ़ी में एकमात्र केन्द्रीय विद्यालय है जो शहर से 30 कि.मी. की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र (जवाहर नगर) में अवस्थित है। सीतामढ़ी एवं डुमरा से केन्द्रीय विद्यालय जवाहर नगर जाने में छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। खासकर बाढ़ एवं बरसात के दिनों में सड़क के डूब जाने एवं पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रास्ता महीनों अवरुद्ध हो जाता है जिससे प्रतिवर्ष विद्यालय में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं के पठन-पाठन कार्यों को प्रभावित करता है। जिला में पोलिटैक्निक महाविद्यालय, पारामेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय आदि नहीं रहने के कारण गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को उपयुक्त शिक्षा से वंचित होना पड़ता है।

अत: माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है कि सीतामढ़ी जिला के गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं के हित में जिला मुख्यालय डुमरा/सीतामढ़ी में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में एक सैनिक स्कूल खोलकर जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब "शून्य काल" शुरू होता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप "शून्य काल" नहीं चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 20 अप्रैल, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 20 अप्रैल, 2001/30 चैत्र, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।